VISIONIAS
INSPIRING INNOVATION

अगस्त 2023

मासिक समसामयिकी

8468022022 | 9019066066 www.visionias.in

अहमदाबाद | भोपाल | चंडीगढ़ | दिल्ली | गुवाहाटी | हैदराबाद
जयपुर | जोधपुर | लखनऊ | प्रयागराज | पुणे | राँची | सीकर

फाउंडेशन कोर्स
सामान्य अध्ययन
प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा 2024

इनोवेटिव क्लासरूम प्रोग्राम

- प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और निबंध के लिए महत्वपूर्ण सभी टॉपिक का विस्तृत कवरेज
- मौलिक अवधारणाओं की समझ के विकास एवं विश्लेषणात्मक क्षमता निर्माण पर विशेष ध्यान
- एनीमेशन, पॉवर प्वाइंट, वीडियो जैसी तकनीकी सुविधाओं का प्रयोग
- अंतर - विषयक समझ विकसित करने का प्रयास
- योजनाबद्ध तैयारी हेतु करेंट ओरिएंटेड अप्रोच
- नियमित क्लास टेस्ट एवं व्यक्तिगत मूल्यांकन
- सीसैट कक्षाएं
- PT 365 कक्षाएं
- MAINS 365 कक्षाएं
- PT टेस्ट सीरीज
- मुख्य परीक्षा टेस्ट सीरीज
- निबंध टेस्ट सीरीज
- सीसैट टेस्ट सीरीज
- निबंध लेखन - शैली की कक्षाएं
- करेंट अफेयर्स मैगजीन

लाइव / ऑनलाइन कक्षाएं भी उपलब्ध

Scan the QR CODE *to* download **VISION IAS** app

DELHI: 25 जुलाई, **9 AM** | **5** सितंबर, **1 PM**
JAIPUR: 1 सितंबर, **7:30 AM & 4 PM**
JODHPUR: 21 अगस्त **7:30 AM & 4 PM**
LUCKNOW: 22 जून, **9 AM**
BHOPAL: 8 अगस्त, **9 AM**
SIKAR: 4 सितंबर **7:30 AM & 4 PM**

"You are as strong as your Foundation"

FOUNDATION COURSE
GENERAL STUDIES
PRELIMS CUM MAINS 2024

Approach is to build fundamental concepts and analytical ability in students to enable them to answer questions of Preliminary as well as Mains Exam

- Includes comprehensive coverage of all the topics for all the four papers of GS Mains, GS Prelims & Essay
- Access to LIVE as well as Recorded Classes on your personal student platform
- Includes All India GS Mains, GS Prelims, CSAT & Essay Test Series
- Our Comprehensive Current Affairs classes of PT 365 and Mains 365 of year 2024

ONLINE Students

NOTE - Students can watch LIVE video classes of our COURSE on their ONLINE PLATFORM at their homes. The students can ask their doubts and subject queries during the class through LIVE Chat Option. They can also note down their doubts & questions and convey to our classroom mentor at Delhi center and we will respond to the queries through phone/mail.

Live - online / Offline Classes

Scan the QR CODE *to* download **VISION IAS** app

DELHI: 1 SEPT 5 PM | 15 SEPT 9 AM | 30 SEPT 5 PM

AHMEDABAD: 10 July | **SIKAR:** 4 September | **PUNE:** 3 July
CHANDIGARH: 7 August | **BHOPAL:** 17 August| **LUCKNOW:** 7 August
HYDERABAD: 4 Sept | **JODHPUR:** 21 August & 11 September
JAIPUR: 1 September

विषय-सूची

1. राजव्यवस्था एवं शासन (Polity & Governance) 9

1.1. डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 (Digital Personal Data Protection Act, 2023) 9

1.2. भारत के आपराधिक कानूनों में सुधार (Reforming India's Criminal Laws) 13

1.2.1. भारतीय न्याय संहिता, 2023 (Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023) 14

1.2.2. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023)....15

1.2.3. भारतीय साक्ष्य विधेयक, 2023 (Bharatiya Sakshya Bill, 2023) 16

1.3. मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त (नियुक्ति, सेवा शर्तें और पदावधि) विधेयक, 2023 {CEC and Other EC (Appointment, Conditions of Service and Term of Office) Bill, 2023} 17

1.4. चुनाव प्रक्रिया और सुधार के पहलू (Aspects of Election Process and Reform)....19

1.4.1. एकल मतदाता सूची (Common Electoral Roll: CER) 19

1.4.2. चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करते समय गलत घोषणाएं (False Declarations During Filing of Nomination for Elections)....20

1.4.3. मतदान करने और चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु के बीच समानता स्थापित करना (Establishing Parity Between Minimum Age of Voting and Contesting Elections)....21

1.5. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) अधिनियम 2023 {Government of National Capital Territory of Delhi (Amendment) ACT 2023} 22

1.6. अविश्वास प्रस्ताव (No-confidence Motion)....24

1.7. मध्यस्थता विधेयक, 2023 (Mediation Bill, 2023) 25

1.8. सेलिब्रिटिज़, इन्फ्लुएंसर्स और वर्चुअल इन्फ्लुएंसर्स के लिए दिशा-निर्देश (Guidelines for Celebrities, Influencers, and Virtual Influencers)....27

1.9. जन्म और मृत्यु पंजीकरण (संशोधन) अधिनियम, 2023 {Registration of Birth and Death (Amendment) Act, 2023} 29

1.10. संक्षिप्त सुर्ख़ियां (News in Shorts) 31

1.10.1. प्रेस और पत्रिका पंजीकरण (PRP) विधेयक, 2023 {Press and Registration of Periodicals (PRP) Bill, 2023} 31

1.10.2. अधिवक्ता (संशोधन) विधेयक, 2023 {Advocates (Amendment) Bill, 2023} 32

2. अंतर्राष्ट्रीय संबंध (International Relations) 33

2.1. भारत-ग्रीस (India-Greece) 33

2.2. ब्रिक्स (BRICS)....34

2.3. मालाबार: केवल एक सैन्य अभ्यास नहीं (Malabar: Not Just an Exercise) 37

2.4. वैश्विक मूल्य श्रृंखलाएं (Global Value Chains: GVCs) 38
2.5. संक्षिप्त सुर्ख़ियां (News in Shorts) 41
2.5.1. G-20 देशों के डिजिटल अर्थव्यवस्था मंत्रियों की बैठक से संबंधित आउटकम दस्तावेज़ (Outcome Document of G20 Digital Economy Ministers Meeting) 41
2.5.2. बिजनेस 20 (B-20) शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया गया {Business 20 (B20) Summit Held in New Delhi} 41
2.5.3. पनामा नहर (Panama Canal) 42
2.5.4. सुलिना चैनल (Sulina Channel) 42
2.5.5. द स्पिरिट ऑफ कैंप डेविड (The Spirit of Camp David) 42
2.5.6. ईरान में तख्तापलट के 70 साल (70 Years of Coup in Iran) 43
2.5.7. शुद्धिपत्र (Errata) 43

3. अर्थव्यवस्था (Economy) 44

3.1. क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां (Credit Rating Agencies: CRAs) 44
3.2. वृद्धिशील नकद आरक्षित अनुपात (Incremental Cash Reserve Ratio: ICRR) 45
3.3. भारत में स्टार्ट-अप्स (Startups in India) 47
3.4. भारत में CSR व्यय (CSR Spending in India) 49
3.5. स्वयं-सहायता समूह (Self Help Groups: SHGs) 51
3.6. प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (Direct Benefit Transfer: DBT) 53
3.7. आधिकारिक सांख्यिकी पर राष्ट्रीय नीति का मसौदा (Draft National Policy On Official Statistics) 55
3.8. भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम (Bharat New Car Assessment Program: Bharat NCAP) 57
3.9. उड़ान (उड़े देश का आम नागरिक) योजना {UDAN (Ude Desh Ka Aam Naagrik) Scheme} 58
3.10. शहरी अवसंरचना विकास निधि (Urban Infrastructure Development Fund: UIDF) 60
3.11. भारतनेट (Bharatnet) 61
3.12. भारत में महापत्तन की कार्य-प्रणाली (Functioning of Major Ports in India) 63
3.13. लघु सिंचाई योजनाओं पर छठी गणना रिपोर्ट (Sixth Census Report on Minor Irrigation Schemes) 65
3.14. अपतटीय क्षेत्र खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2023 {Offshore Areas Mineral (Development and Regulation) Amendment Act, 2023} 67
3.15. चिकित्सा और आरोग्य/ कल्याण पर्यटन (Medical and Wellness Tourism) 69
3.16. फार्मेसी (संशोधन) अधिनियम, 2023 {Pharmacy (Amendment) Act, 2023} 71
3.17. संक्षिप्त सुर्ख़ियां (News in Shorts) 73

3.17.1. ऋण तक आसान पहुंच के लिए पब्लिक टेक प्लेटफॉर्म (Public Tech Platform for Frictionless Credit) 73
3.17.2. रेलवे की वित्तीय स्थिति पर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) की रिपोर्ट (CAG's Audit Report on Railways Finances) 74
3.17.3. महारत्न और नवरत्न श्रेणी (Maharatna and Navratna Category) 75
3.17.4. ऑनशोरिंग द इंडियन इनोवेशंस टू GIFT-IFSCA पर रिपोर्ट (Report on Onshoring Indian Innovation to GIFT IFSC) 75
3.17.5. मुद्रास्फीति पर अंकुश लगाने के लिए ब्याज दरों में वृद्धि (Rate Hike to Curb Inflation) 76
3.17.6. गोल्डीलॉक्स परिदृश्य (Goldilocks Scenario) 77
3.17.7. UDGAM (अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स- गेटवे टू एक्सेस इन्फॉर्मेशन) पोर्टल {UDGAM (Unclaimed Deposits – Gateway to Access Information) Portal} 77
3.17.8. इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग (IPO) के लिए संशोधित समय-सीमा {Revised Timeline for Initial Public Offering (IPO)} 77
3.17.9. उचित और लाभकारी मूल्य {Fair and Remunerative Price (FRP)} 77
3.17.10. ऑनलाइन विज्ञापन का विनियमन (Regulation of Online Advertisement) 78
3.17.11. अमृत भारत स्टेशन योजना {Amrit Bharat Station Scheme (ABSS)} 78
3.17.12. रुकी हुई आवास परियोजनाएं (Stalled Housing Projects) 79
3.17.13. इंडिया स्मार्ट सिटीज़ पुरस्कार प्रतियोगिता (ISCAC) 2022 {India Smart Cities Awards Contest (ISCAC) 2022} 80
3.17.14. इंश्योरेंस श्योरिटी बॉण्ड्स (Insurance Surety Bonds) 80
3.17.15. रेल-समुद्र-रेल (RSR) परिवहन {Rail-Sea-Rail (RSR) Transportation} 80
3.17.16. "मेरा बिल मेरा अधिकार" योजना (Mera Bill Mera Adhikaar Scheme) 81
3.17.17. हाई प्राइस डे अहेड मार्केट एंड सरप्लस पावर पोर्टल {High Price Day Ahead Market and Surplus Power Portal (Pushp Portal)} 81
3.17.18. 'नमो 108' कमल ('NAMOH 108' Lotus) 81
3.17.19. 'भगवा' अनार' ('Bhagwa' Pomegranate) 81

4. सुरक्षा (Security) 83

4.1. रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (Defense Research and Development Organization: DRDO) 83
4.2. केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (Central Armed Police Forces: CAPFs) 84
4.3. अंतर-सेवा संगठन (कमान, नियंत्रण और अनुशासन) विधेयक, 2023 {Inter-Services Organisation (Command, Control & Discipline) Bill, 2023} 85
4.4. संक्षिप्त सुर्ख़ियां (News in Shorts) 86
4.4.1. मोबाइल उपयोगकर्ता सुरक्षा सुधार (Mobile User Protection Reforms) 86
4.4.2. एकॉस्टिक साइड चैनल अटैक्स {Acoustic Side Channel Attacks (ASCA)} 87
4.4.3. स्पाइक नॉन-लाइन ऑफ साइट (NLOS) एंटी-टैंक गाइडेड मिसाइल {Spike Non-Line of Sight (NLOS) Anti-Tank Guided Missile} 87

4.4.4. स्वाति वेपन लोकेटिंग रडार -माउंटेन {Swathi Weapon Locating Radar Mountains (WLR-M)}.....87
4.4.5. अस्त्र मिसाइल (Astra Missile) 87
4.4.6. 3D-प्रिंटेड बम (3D-Printed Bombs).....88
4.4.7. सैन्य अभ्यास (Military Exercises) 88
5. पर्यावरण (Environment) 89
5.1. वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क कोष (Global Biodiversity Framework Fund: GBFF) 89
5.2. भारतीय हिमालय क्षेत्र में असंधारणीय पर्यटन (Unregulated Tourism in The Indian Himalayan Region) 91
5.3. वाटर ट्रेडिंग (Water Trading) 92
5.4. तटीय जलकृषि प्राधिकरण (संशोधन) अधिनियम, 2023 {Coastal Aquaculture Authority (Amendment) Act, 2023} 95
5.5. कृषि वानिकी (Agroforestry).....97
5.6. संपीडित बायो-गैस (Compressed Bio-Gas: CBG).....99
5.7. ज्वारीय ऊर्जा (Tidal Energy).....101
5.8. संक्षिप्त सुर्ख़ियां (News in Shorts) 103
5.8.1. शहरी नदी प्रबंधन योजना {Urban River Management Plans (URMPS)} 103
5.8.2. फ्लडवॉच मोबाइल एप्लिकेशन (Floodwatch Mobile Application) 104
5.8.3. पारे पर मिनामाता अभिसमय (Minamata Convention on Mercury) 104
5.8.4. प्लास्टिक ओवरशूट डे रिपोर्ट (Plastic Overshoot Day Report).....104
5.8.5. अर्थ ओवरशूट डे (Earth Overshoot Day).....105
5.8.6. बेलेम घोषणा-पत्र (Belem Declaration).....105
5.8.7. डेट-फॉर-नेचर स्वैप्स (Debt-for-Nature Swap) 105
5.8.8. लाल चंदन की लकड़ी के निर्यात संबंधी नीति (Export Policy of Red Sanders Wood).....106
5.8.9. धौलपुर-करौली टाइगर रिज़र्व (Dholpur-Karauli Tiger Reserve: DKTR).....106
5.8.10. IUCN का एकीकृत बाघ पर्यावास संरक्षण कार्यक्रम (ITHCP) या बाघ कार्यक्रम {IUCN's Integrated Tiger Habitat Conservation Programme (ITHCP) or Tiger Program} 107
5.8.11. भारत के पक्षियों की स्थिति रिपोर्ट, 2023 (State of India's Birds 2023' Report).....107
5.8.12. 'अनन्य संरक्षण पहल (ICI)' पर रिपोर्ट {Report on 'Inclusive Conservation Initiative (ICI)}.....108
5.8.13. थारोसॉरस इंडिकस (Tharosaurus Indicus) 109
5.8.14. मिथाइलोटुविमाइक्रोबियम ब्यूरेटेंस 5GB1C (Methylotuvimicrobium Buryatense 5GB1C) 109
5.8.15. जलीय कछुए और स्थलीय कछुए (Turtles and Tortoises) 109
5.8.16. फुजिवारा प्रभाव (Fujiwhara Effect).....110

6. सामाजिक मुद्दे (Social Issues) 111

6.1. अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन (NRF) अधिनियम, 2023 {Anusandhan National Research Foundation (NRF) ACT, 2023}....111

6.2. स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा (NCF-SE) {National Curriculum Framework for School Education (NCF-SE)}....113

6.3. राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (NSAP) {National Social Assistance Programme (NSAP)}....116

6.4. आयुष्मान भारत-प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना (AB-PMJAY) {Ayushman Bharat - Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana (AB-PMJAY)}....118

6.5. जनजातीय स्वास्थ्य (Tribal Health)....120

6.6. भारत में ड्रग्स (मादक पदार्थों) का अत्यधिक सेवन (Drug Abuse in India)....122

6.7. ग्लोबल टोबैको एपिडेमिक, 2023 पर WHO की रिपोर्ट (WHO Report on The Global Tobacco Epidemic, 2023)....124

6.8. संक्षिप्त सुर्ख़ियां (News in Shorts)....125

6.8.1. गर्भ का चिकित्सकीय समापन (MTP) अधिनियम {Medical Termination of Pregnancy (MTP) Act}....125

6.8.2. ग्रामीण भारत में शिक्षा की स्थिति रिपोर्ट (State of Education in Rural India Report)....126

6.8.3. विदेशी शैक्षणिक संस्थानों से प्राप्त योग्यताओं को मान्यता और समकक्षता प्रदान करना (Recognition and Grant of Equivalence To Qualifications from FHEI)....127

6.8.4. छात्रों के आत्महत्या के मामले (Suicide Cases Among Students)....127

6.8.5. डिजिटल स्वास्थ्य पर वैश्विक पहल {Global Initiative on Digital Health (GIDH)}....128

6.8.6. 'डिजिटल इन हेल्थ - अनलॉकिंग वैल्यू फॉर एवरीवन' रिपोर्ट (Digital in Health – Unlocking Value for Everyone Report)....128

7. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी (Science and Technology) 130

7.1. चंद्रयान-3 की सॉफ्ट लैंडिंग (Chandrayaan-3 Soft Landing)....130

7.1.1 अंतरिक्ष की प्रतिस्पर्धा में भारत की स्थिति (India's Race to Space)....131

7.2. सुपरकंडक्टिविटी (Superconductivity)....134

7.3. संक्षिप्त सुर्ख़ियां (News in Shorts)....135

7.3.1. इंडिया स्टैक (India Stack)....135

7.3.2. रेडियोधर्मी जल का निष्कासन (Release of Radioactive Water)....136

7.3.3. ग्रीन हाइड्रोजन मानक (Green Hydrogen Standard)....136

7.3.4. ग्राफीन-ऑरोरा कार्यक्रम (Graphene-Aurora Program)....137

7.3.5. डिजिटल इंडिया RISC-V माइक्रोप्रोसेसर (DIR-V) कार्यक्रम {Digital India RISC-V Microprocessor (DIR-V) Program}....138

7.3.6. फिंगर मिन्यूशिया रिकॉर्ड- फिंगर इमेज रिकॉर्ड (FMR-FIR) पद्धति {Finger Minutiae Record – Finger Image Record (FMR-FIR) Modality}....138
7.3.7. कम-तीखी गंध वाली सरसों (Low-Pungent Mustard)....138
7.3.8. आइंस्टीन क्रॉस (Einstein Cross)....139
7.3.9. अंतरिक्ष मलबा (Space Debris)....139
7.3.10. भू-पर्यवेक्षण (Earth Observation: EO)....140
7.3.11. अग्निबाण सब-ऑर्बिटल टेक्नोलॉजिकल डिमॉन्स्ट्रेटर {Agnibaan Suborbital Technological Demonstrator (SORTED)}....140
7.3.12. DRACO (डेमन्स्ट्रेशन रॉकेट फॉर एजाइल सिस्लुनर ऑपरेशंस) कार्यक्रम {Demonstration Rocket for Agile Cislunar Operations (DRACO) Program}....141
7.3.13. सोलर टेरेस्ट्रियल रिलेशन्स ऑब्जर्वेटरी (STEREO-A) स्पेसक्राफ्ट {Solar Terrestrial Relations Observatory (STEREO-A) Spacecraft}....141
7.3.14. गैलेक्सी ESO 300-16 {Galaxy ESO 300-16}....141
7.3.15. नीराक्षी (Neerakshi)....141
7.3.16. आयुष्मान भारत के माइक्रोसाइट प्रोजेक्ट (Ayushman Bharat Microsite Project)....142
7.3.17. फार्मा-मेडटेक क्षेत्रक में अनुसंधान एवं नवाचार को प्रोत्साहन (PRIP)" योजना {Promotion of Research and Innovation in Pharma Medtech Sector (PRIP)}....142
7.3.18. गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस {Good Manufacturing Practices (GMP)}....143
7.3.19. महामारी से संबंधित स्वास्थ्य, सामाजिक और आर्थिक सुभेद्यता व जोखिम फ्रेमवर्क (FEVR) (FEVR and Risks from Pandemics)....143
7.3.20. रोगाणु-रोधी प्रतिरोध (AMR) और वायु प्रदूषण {Antimicrobial Resistance (AMR) and Air Pollution}....144
7.3.21. G-20 द्वारा रोगाणुरोधी प्रतिरोध (AMR) पर नियंत्रण हेतु वैश्विक पहल का स्वागत (G20 Welcomes Global Initiatives To Curtail AMR)....144
7.3.22. G-20 महामारी कोष (G-20 Pandemic Fund)....145
7.3.23. क्रोमोडोमेन हेलिकेज़ डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन 1 लाइक {Chromodomain Helicase Dna Binding Protein 1 Like (CHD1L)}....145
7.3.24. रेस्पिरेटरी सिंकाइटियल वायरस (Respiratory Syncytial Virus: RSV)....145
7.3.25. नेट एनर्जी गेन (Net Energy Gain: NEG)....145
7.3.26. डीमन कण (Demon Particle)....146
7.3.27. शांति स्वरूप भटनागर (SSB) पुरस्कार {Shanti Swaroop Bhatnagar (SSB) Awards}....146
7.3.28. लूनर कोडेक्स (Lunar Codex)....146
7.3.29. भू-विजन (कृषि-रास्ता) मंच {Bhu-Vision (Krishi-Rastaa) Platform}....147

8. संस्कृति (Culture) 148

8.1. श्री अरबिंदो घोष (Sri Aurobindo Ghosh)....148
8.2. शतरंज विश्व कप 2023 (Chess World Cup 2023)....149

8.3. संक्षिप्त सुर्ख़ियां (News in Shorts) 151
8.4.1. भौगोलिक संकेतक (GI) टैग {Geographical Indication (GI) Tags}.....151
8.4.2. मायलारा पंथ (Mylara Cult) 152
8.4.3. सीताकली लोक कला (Seethakali Folk Art).....152
8.4.4. राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, 2023 (National Film Awards, 2023).....153
9. नीतिशास्त्र (Ethics) 154
9.1. मीडिया एथिक्स और स्व-नियमन (Media Ethics and Self-Regulation).....154
10. सुर्ख़ियों में रही योजनाएं (Schemes in News) 157
10.1. डिजिटल इंडिया कार्यक्रम (Digital India Programme) 157
10.2. स्वामित्व योजना (Svamitva Scheme).....158
परिशिष्ट 1: भारतनेट (Appendix 1: Bharatnet) 160
परिशिष्ट 2: आयुष्मान भारत - प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना (AB-PMJAY) {Appendix 2: Ayushman Bharat - Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana (AB-PMJAY)} 161

नोट:

प्रिय अभ्यर्थियों,

करेंट अफेयर्स को पढ़ने के पश्चात् दी गयी जानकारी या सूचना को याद करना और लंबे समय तक स्मरण में रखना आर्टिकल्स को समझने जितना ही महत्वपूर्ण है। मासिक समसामयिकी मैगज़ीन से अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए, हमने निम्नलिखित नई विशेषताओं को इसमें शामिल किया है:

	विभिन्न अवधारणाओं और विषयों की आसानी से पहचान तथा उन्हें स्मरण में बनाए रखने के लिए मैगज़ीन में बॉक्स, तालिकाओं आदि में विभिन्न रंगों का उपयोग किया गया है।
	पढ़ी गई जानकारी का मूल्यांकन करने और उसे स्मरण में बनाए रखने के लिए प्रश्न एक महत्वपूर्ण उपकरण हैं। इसे सक्षम करने के लिए हम प्रश्नों के अभ्यास हेतु मैगज़ीन में प्रत्येक खंड के अंत में एक स्मार्ट क्विज़ को शामिल कर रहे हैं।
	विषय को सुगमता पूर्वक समझने और सूचनाओं को याद रखने के लिए विभिन्न प्रकार के इन्फोग्राफिक्स को भी जोड़ा गया है। इससे उत्तर लेखन में भी सूचना के प्रभावी प्रस्तुतीकरण में मदद मिलेगी।

सुर्ख़ियों में रहे स्थानों और व्यक्तियों को मानचित्र, तालिकाओं और चित्रों के माध्यम से वस्तुनिष्ठ तरीके से प्रस्तुत किया गया है। इससे तथ्यात्मक जानकारी को आसानी से स्मरण रखने में मदद मिलेगी।

Copyright © by Vision IAS

All rights are reserved. No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without prior permission of Vision IAS.

1. राजव्यवस्था एवं शासन (Polity & Governance)

1.1. डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 (Digital Personal Data Protection Act, 2023)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, भारत के राष्ट्रपति ने डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक (DPDP)[1], 2023 को मंजूरी दी है।

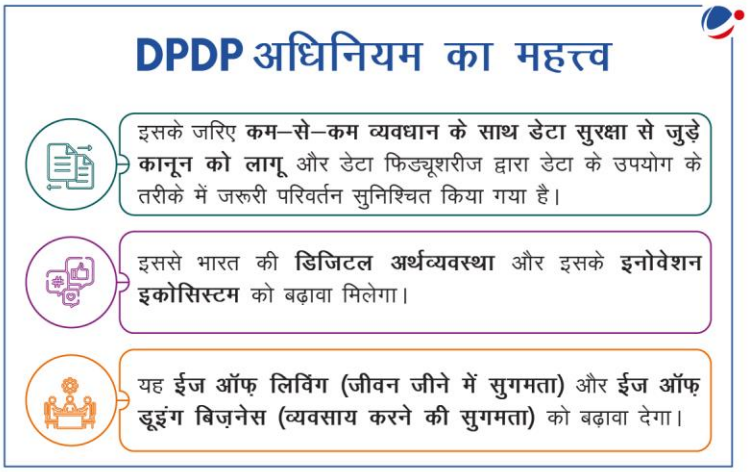

पृष्ठभूमि

- 2017 में, सुप्रीम कोर्ट ने **के. एस. पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ वाद में निजता (Privacy)** को मूल अधिकार के रूप में मान्यता दी थी।
- इसके बाद, **न्यायमूर्ति श्रीकृष्ण की अध्यक्षता वाली समिति** ने 2018 में व्यक्तिगत डेटा संरक्षण (PDP)[2] विधेयक का शुरूआती मसौदा प्रस्तुत किया था। इस समिति का गठन इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (Meity) द्वारा किया गया था।
- बाद में, सरकार ने इस **मसौदे को संशोधित** किया और इसे **व्यक्तिगत डेटा संरक्षण (PDP) विधेयक, 2019** के नाम से संसद में पेश किया। इसके बाद, इस विधेयक को संसद के दोनों सदनों की संयुक्त समिति (JPC) के पास भेजा गया।
- **संसद की संयुक्त समिति ने इस विधेयक में व्यापक बदलाव किए।** समिति द्वारा किए गए बदलावों का हवाला देते हुए 2022 में **सरकार ने PDP विधेयक, 2019 को वापस ले लिया।**
- **MeitY** ने जनता की राय जानने के लिए **DPDP विधेयक, 2022 का एक मसौदा जारी किया।** यह मसौदा विधेयक संसद से पारित होने के बाद **DPDP अधिनियम, 2023** बन गया।

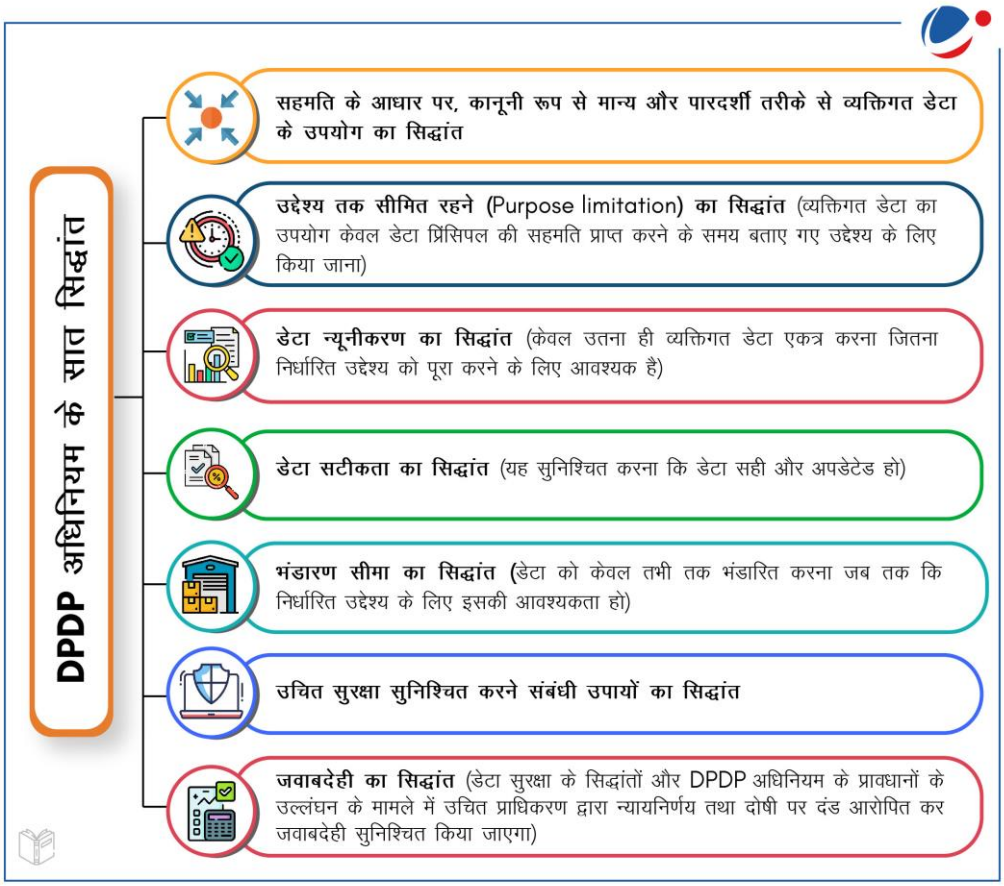

[1] Digital Personal Data Protection Bill

[2] Personal Data Protection

DPDP अधिनियम, 2023 के बारे में

- DPDP अधिनियम का मुख्य उद्देश्य **डिजिटल व्यक्तिगत डेटा की प्रोसेसिंग को विनियमित करना** है। इसमें व्यक्तियों के **व्यक्तिगत डेटा के संरक्षण के अधिकार** को सुनिश्चित करने का प्रावधान किया गया है और **केवल वैध उद्देश्यों के लिए ही डेटा की प्रोसेसिंग** की जाएगी।
- वह डेटा जिसके द्वारा किसी व्यक्ति की पहचान की जा सकती है, **व्यक्तिगत डेटा** कहलाता है। यह अधिनियम **निम्नलिखित प्रावधानों के द्वारा डिजिटल व्यक्तिगत डेटा का संरक्षण करता है:**
  - यह अधिनियम **डेटा प्रोसेसिंग** (अर्थात् व्यक्तिगत डेटा का संग्रहण, भंडारण या कोई और उपयोग) के लिए **डेटा फिड्यूशरी** पर कुछ उत्तरदायित्वों का निर्धारण करता है।
    - **डेटा प्रोसेसिंग** एक प्रक्रिया है जिसमें रॉ डेटा को इकट्ठा किया जाता है और उसे उपयोगी जानकारी में बदल दिया जाता है।
    - डेटा की प्रोसेसिंग करने वाले व्यक्तियों, कंपनियों और सरकारी संस्थाओं को **डेटा फिड्यूशरी** कहा जाता है।
  - यह **डेटा प्रिंसिपल या डेटा स्वामी** (अर्थात् वह व्यक्ति जिससे डेटा संबंधित है) **के अधिकार और कर्तव्य** भी निर्धारित करता है।
  - साथ ही, यह अधिनियम अधिकारों, कर्तव्यों और दायित्वों के **उल्लंघन के लिए वित्तीय दंड** का भी प्रावधान करता है।

अधिनियम के मुख्य प्रावधान

विशेषताएं	विवरण
किस पर लागू होगा (Applicability)	• इसके प्रावधान **भारत में डिजिटल व्यक्तिगत डेटा की 'प्रोसेसिंग' पर लागू होंगे,** जहां: ○ कोई डेटा, डिजिटल (ऑनलाइन) रूप में एकत्र किया गया हो, या ○ कोई डेटा, गैर- डिजिटल (ऑफलाइन) रूप में एकत्र किया गया हो और बाद में उसे डिजिटलीकृत किया गया हो। • इसके प्रावधान **भारत के बाहर** डिजिटल व्यक्तिगत डेटा की प्रोसेसिंग पर भी लागू होंगे, यदि उस प्रोसेसिंग का उद्देश्य डेटा का उपयोग करके **भारत में वस्तुओं या सेवाओं को उपलब्ध कराना** है। • **इस अधिनियम के प्रावधान निम्नलिखित पर लागू नहीं होंगे:** ○ किसी भी **व्यक्तिगत उद्देश्य के लिए प्रोसेस्ड (Processed) व्यक्तिगत डेटा;** ○ यदि **डेटा प्रिंसिपल खुद अपना डेटा सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराता है; या** ○ यदि कोई अन्य व्यक्ति **कानूनी दायित्व के तहत किसी के व्यक्तिगत डेटा को सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराता है।**
सहमति (Consent)	• डेटा प्रिंसिपल द्वारा दी गई सहमति के बाद ही व्यक्तिगत डेटा को **प्रोसेस्ड त किया जा सकता है, वो भी केवल वैध उद्देश्य के लिए।** हालांकि, डेटा प्रिंसिपल को **किसी भी समय अपनी सहमति वापस लेने का अधिकार है।** ○ ऐसे मामले जिनमें सरकार की ओर से कोई लाभ या सेवा प्रदान की जा रही हो, या चिकित्सा आपात जैसी स्थिति आए तो **"वैध उपयोग" के लिए सहमति की आवश्यकता नहीं होगी।** • किसी बालक या दिव्यांग व्यक्ति के मामले में उसके **माता-पिता या कानूनी संरक्षक द्वारा सहमति** प्रदान की जाएगी।
भारतीय डेटा संरक्षण बोर्ड (Data Protection Board of India: DPBI)	• इसमें **केंद्र सरकार द्वारा DPBI के गठन** का प्रावधान किया गया है। • **बोर्ड के प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं:** ○ **नियमों के अनुपालन की निगरानी करना** और उल्लंघन के मामले में जुर्माना लगाना। ○ डेटा उल्लंघन की स्थिति में **आवश्यक उपाय करने के लिए डेटा फिड्यूशरी को निर्देश देना।** ○ **प्रभावित व्यक्तियों द्वारा की गई शिकायतों की सुनवाई करना।** • बोर्ड के सदस्यों को **दो वर्ष के लिए नियुक्त** किया जाएगा और वे **पुनर्नियुक्ति के पात्र** होंगे। • DPBI के किसी निर्णय के विरुद्ध **दूरसंचार विवाद निपटान और अपीलीय अधिकरण (TDSAT)**[3] में अपील की जा सकेगी।

[3] Telecom Disputes Settlement and Appellate Tribunal

डेटा प्रिंसिपल के अधिकार और कर्तव्य (Rights and Duties of Data Principal)	• डेटा प्रिंसिपल के पास निम्नलिखित अधिकार होंगे: ○ डेटा प्रोसेसिंग के बारे में **जानकारी प्राप्त करना,** ○ **व्यक्तिगत डेटा** को सुधारने और उसे हटाने की मांग करना, ○ **एक डेटा प्रिंसिपल को डेटा फिड्यूशरी के पास शिकायत दर्ज कराने का अधिकार होगा,** ○ **मृत्यु या अक्षमता की स्थिति में अधिकारों का प्रयोग करने के लिए किसी व्यक्ति को नामित करने का अधिकार।** • डेटा प्रिंसिपल **द्वारा झूठी या व्यर्थ की शिकायत दर्ज नहीं की जानी चाहिए** और **उसे कोई गलत विवरण नहीं देना चाहिए।** • कर्तव्यों का उल्लंघन करने पर **डेटा प्रिंसिपल पर 10,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा।**
डेटा फिड्यूशरी के दायित्व	• **डेटा फिड्यूशरी (प्रोसेसिंग के उद्देश्य और तरीके को निर्धारित करने वाली इकाई) के निम्नलिखित दायित्व** होंगे; ○ डेटा की **सटीकता** और पूर्णता **सुनिश्चित करना,** ○ डेटा ब्रीच या उल्लंघन को रोकने के लिए **उचित सुरक्षात्मक उपाय करना,** ○ डेटा ब्रीच की स्थिति में **DPBI और प्रभावित व्यक्तियों को सूचित करना,** ○ **उद्देश्य पूरा हो जाने तथा कानूनी उद्देश्यों के लिए इसे बनाए रखने की आवश्यकता नहीं होने पर व्यक्तिगत डेटा को डिलीट कर देना।**
महत्वपूर्ण डेटा फिड्यूशरी (Significant Data Fiduciaries: SDF)	• केंद्र सरकार किसी डेटा फिड्यूशियरी को **महत्वपूर्ण डेटा फिड्यूशियरी** घोषित कर सकती है, यदि: ○ वह अत्यधिक मात्रा में **संवेदनशील व्यक्तिगत डेटा का प्रबंधन** करता है, ○ **डेटा प्रिंसिपल को नुकसान होने का जोखिम** है, और ○ **भारत की संप्रभुता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा, चुनावी लोकतंत्र और लोक-व्यवस्था पर प्रभाव** पड़ने की संभावना है। • SDF के पास **डेटा सुरक्षा अधिकारी और एक स्वतंत्र डेटा ऑडिटर नियुक्त करने** तथा **प्रभाव आकलन करने** जैसे कुछ अतिरिक्त दायित्व भी होंगे।
अधिनियम के तहत दी गई छूट (Exemptions)	• डेटा प्रिंसिपल के अधिकार और डेटा फिड्यूशरी के दायित्व (डेटा सुरक्षा के अतिरिक्त) **निम्नलिखित मामलों में लागू नहीं होंगे:** ○ सुरक्षा, संप्रभुता, लोक व्यवस्था आदि के हित में **अधिसूचित एजेंसियां;** ○ **अनुसंधान, संग्रहण या सांख्यिकीय उद्देश्यों के लिए;** ○ **स्टार्ट-अप्स** या डेटा फिड्यूशरी की **अन्य अधिसूचित श्रेणियों के लिए;** ○ **कानूनी अधिकारों और दावों को लागू करने के लिए;** ○ **न्यायिक या विनियामक संबंधी कार्य करने के लिए;** ○ **अपराधों को रोकना और उनकी जांच करने के लिए;** ○ विदेशी अनुबंध के तहत **गैर-निवासियों (Non-residents) के व्यक्तिगत डेटा को भी भारत में प्रोसेस किया जाएगा।** • इसके अलावा, **केंद्र सरकार** देश की सुरक्षा और लोक व्यवस्था के हित में कुछ **गतिविधियों को अधिनियम के प्रावधानों से छूट** दे सकती है।
बालकों के व्यक्तिगत डेटा की प्रोसेसिंग	• किसी बच्चे के व्यक्तिगत डेटा की प्रोसेसिंग करते समय, **डेटा फिड्यूशरी को निम्नलिखित कार्य नहीं करने चाहिए:** ○ **प्रोसेसिंग संबंधी ऐसा कार्य** जिससे बच्चे के कल्याण पर **कोई हानिकारक प्रभाव पड़ने की संभावना हो**, या ○ **बच्चे पर नजर रखना, व्यवहार संबंधी निगरानी करना या उन्हें लक्षित करके विज्ञापन करना।**
भारत के बाहर व्यक्तिगत डेटा का हस्तांतरण	• यह अधिनियम **सरकार द्वारा प्रतिबंधित देशों को छोड़कर, भारत के बाहर व्यक्तिगत डेटा के हस्तांतरण की अनुमति** देता है।
जुर्माना (Penalties)	• यह अधिनियम कई अपराधों के लिए जुर्माने का प्रावधान करता है जैसे कि- ○ **बच्चों से संबंधित दायित्वों को पूरा न करने पर 200 करोड़ रुपये तक का जुर्माना,** और ○ डेटा उल्लंघन को रोकने के लिए **सुरक्षात्मक उपाय न करने पर 250 करोड़ रुपये तक का जुर्माना।**

अधिनियम की सीमाएं

- **मूल अधिकारों का उल्लंघन:** राज्य को राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे आधारों पर डेटा प्रोसेसिंग संबंधी छूट दी गई है। **इसके कारण जितना आवश्यक है, उससे अधिक डेटा का कलेक्शन (संग्रहण), प्रोसेसिंग और उसका रिटेंशन (बनाए रखना) हो सकता है।** इससे निजता के मूल अधिकार का उल्लंघन हो सकता है।
  - इन छूटों का इस्तेमाल करते हुए सरकारी एजेंसियां राष्ट्रीय सुरक्षा के आधार पर नागरिकों से संबंधित डेटा एकत्र कर सकती हैं। इसकी सहायता से निगरानी के लिए किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत, व्यावसायिक और यहां तक कि सामाजिक जीवन के बारे में संपूर्ण प्रोफाइल बनाई जा सकती है।
- **अपर्याप्त सुरक्षा उपाय:** यह अधिनियम भारत के बाहर व्यक्तिगत डेटा के हस्तांतरण की अनुमति देता है। अलग-अलग देशों में डेटा संरक्षण को लेकर अलग-अलग मानक होते हैं ऐसे में भारत से बहार हस्तांतरित किए गए डेटा का संरक्षण करना चुनौतीपूर्ण कार्य हो सकता है।
- **मुआवजे का प्रावधान नहीं:** इस अधिनियम के तहत सूचना प्रौद्योगिकी (IT) अधिनियम, 2000 की धारा 43A को हटा दिया गया है। इस धारा के तहत **उपयोगकर्ताओं के डेटा के दुरुपयोग के मामले में** कंपनियों को मुआवजा देने के लिए बाध्य किया जा सकता था।
- **शिकायत निवारण के लिए जटिल दृष्टिकोण:** पीड़ित व्यक्तियों के लिए सबसे पहले डेटा फिड्यूशरी के शिकायत निवारण तंत्र से संपर्क करना आवश्यक है।
  - शिकायतों का निपटारा नहीं होने पर उन्हें **भारतीय डेटा संरक्षण बोर्ड** के समक्ष प्रस्तुत किया जा सकता है। इस बोर्ड में भी समाधान नहीं होने पर **TDSAT** में अपील का प्रावधान है।
- **RTI से छूट:** अधिनियम में प्रावधान किया गया है कि **सूचना के अधिकार (RTI) अधिनियम के तहत सार्वजनिक अधिकारियों की व्यक्तिगत जानकारी का खुलासा नहीं किया जाएगा।** यह सार्वजनिक अधिकारियों की परिसंपत्ति, देनदारियों आदि का खुलासा न करके उनके भ्रष्ट आचरण में मदद कर सकता है।
- **अस्पष्ट परिभाषा:** अधिनियम में प्रावधान किया गया है कि डेटा फिड्यूशरी ऐसी कोई भी प्रोसेसिंग नहीं करेगा जिसका बालकों के कल्याण पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है। हालांकि, **हानिकारक प्रभाव की कोई परिभाषा** या ऐसे प्रभाव को निर्धारित करने के लिए **कोई निर्देश नहीं दिए गए हैं।**
- **कुछ अधिकारों के लिए कोई प्रावधान नहीं:** यह अधिनियम डेटा प्रिंसिपल को **डेटा पोर्टेबिलिटी[4] का अधिकार और भुला दिए जाने का अधिकार[5] नहीं** देता है।

आगे की राह

- **सीमा-पार डेटा हस्तांतरण पर नियंत्रण:** डेटा के सीमा-पार हस्तांतरण को नियंत्रित करने के लिए एक तंत्र विकसित करने की आवश्यकता है। यह विशेष रूप से उन देशों के लिए करना आवश्यक है जिनका उल्लेख अधिसूचना द्वारा प्रदान की गई सूची में नहीं किया गया है।
- **डेटा अधिकार: डेटा पोर्टेबिलिटी का अधिकार** और **भुला दिए जाने का अधिकार** दिया जाना चाहिए। ये अधिकार विशेष रूप से उन मामलों में होने चाहिए जहां डेटा का संग्रहण और भंडारण किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा, जीवन, पहचान आदि को नुकसान पहुंचा सकता है।
- **दुरुपयोग को रोकना:** छूट प्रदान करने के लिए एक निर्धारित प्रक्रिया के साथ-साथ भारत की संप्रभुता और अखंडता जैसे शब्दों को भी स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जाना चाहिए।
- **समय अवधि तय करना:** एक बार उद्देश्य पूरा हो जाने पर या डेटा प्रिंसिपल द्वारा व्यक्तिगत डेटा की प्रोसेसिंग के लिए अपनी सहमति वापस लेने के बाद **डेटा को हटाने के लिए एक निश्चित समय-सीमा** तय की जानी चाहिए।

शब्दावली को जानें

- **डेटा पोर्टेबिलिटी का अधिकार:** यह व्यक्तियों को पहले प्रदान किए गए अपने व्यक्तिगत डेटा को स्वयं के उद्देश्यों के लिए अलग–अलग सेवाओं में उपयोग हेतु पुनः प्राप्त करने और पुनः उपयोग करने का अधिकार देता है।
- **भुला दिए जाने का अधिकार:** यह कंटेंट को हटाने या मिटाने का अधिकार है, ताकि आम लोग ऐसे डेटा/ कंटेंट तक नहीं पहुंच सकें।

[4] विभिन्न एप्लिकेशन, प्रोग्राम, कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट या क्लाउड सेवाओं के बीच डेटा को स्थानांतरित करने की क्षमता

[5] Right to be Forgotten

GDPR v/s DPDPA

जनरल डेटा संरक्षण विनियमन (GDPR)	डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण (DPDP) अधिनियम, 2023
DPR निम्नलिखित दो तरीकों से प्रोसेस किए गए व्यक्तिगत डेटा पर लागू होता है: ➤ **स्वचालित तरीकों** (या इलेक्ट्रॉनिक रूप में जानकारी) द्वारा पूरी तरह या आंशिक रूप से प्रोसेस किए गए व्यक्तिगत डेटा पर; ➤ **गैर–स्वचालित तरीके** से प्रोसेस किए गए व्यक्तिगत डेटा पर, जो 'फाइलिंग सिस्टम' (या मैन्युअल फाइलिंग सिस्टम में लिखित रिकॉर्ड के रूप में) का हिस्सा है या बनेगा।	DPDP अधिनियम **डिजिटल व्यक्तिगत डेटा** पर लागू होगा। साथ ही, यह बाद में डिजिटाइज किए जाने वाले **गैर–डिजिटल व्यक्तिगत डेटा** पर भी लागू होगा।
16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के डेटा की प्रोसेसिंग के लिए माता–पिता की सहमति की आवश्यकता होती है। यूरोपीय संघ के सदस्य देश अपने क्षेत्रों के लिए इस आयु को घटाकर 13 वर्ष कर सकते हैं।	**18 वर्ष से कम आयु के बच्चों के डेटा की प्रोसेसिंग के लिए माता–पिता/ अभिभावक की सहमति आवश्यक है।**
डेटा में सेंधमारी की सूचना पर्यवेक्षी प्राधिकरण को **72 घंटों के भीतर दी** जानी चाहिए। साथ ही, प्रभावित डेटा सब्जेक्ट (जिससे डेटा संबंधित है) को भी **सूचना दी जानी चाहिए।**	यह अधिनियम व्यक्तिगत डेटा में हुई सेंधमारी की सूचना देने के लिए **कोई समय–सीमा निर्धारित नहीं करता है।**
GDPR में **अपनी जगह किसी को नामित करने का अधिकार शामिल नहीं है,** हालांकि इसमें **पोर्टेबिलिटी के अधिकार** शामिल हैं। संगठनों के पास डेटा सब्जेक्ट के अनुरोध का **जवाब देने के लिए 30 दिन** का समय होता है।	अधिनियम में **किसी को नामित करने का एक अतिरिक्त अधिकार** शामिल है, जबकि पोर्टेबिलिटी के अधिकार को छोड़ दिया गया है। साथ ही, **डेटा प्रिंसिपल** के अनुरोधों का जवाब देने के लिए समय–सीमा निर्धारित **नहीं** की गई है।
GDPR **डेटा को किसी तीसरे देश में स्थानांतरित करने के लिए विशेष तंत्र/ व्यवस्था** निर्धारित करता है, जैसे– मानक अनुबंध संबंधी प्रावधान और बाध्यकारी कॉर्पोरेट नियम।	इस अधिनियम में व्यक्तिगत डेटा स्थानांतरित करने के लिए **कोई स्थानांतरण तंत्र/ व्यवस्था नहीं है।**
विशेष परिस्थिति में डेटा नियंत्रक और प्रोसेसर, दोनों ही DPO **नियुक्त करने के लिए बाध्य हैं।**	केवल महत्वपूर्ण डेटा फिड्यूशरी (Significant data fiduciary) द्वारा ही DPO की नियुक्ति की जाएगी। यह DPO डेटा संरक्षण बोर्ड के लिए संपर्क बिंदु के रूप में कार्य करेगा।
डेटा नियंत्रक और डेटा प्रोसेसर के लिए यह आवश्यक है कि वे प्रोसेसिंग गतिविधियों के रिकॉर्ड (Record of Processing Activities: ROPA) को बनाए रखें।	इस अधिनियम में ROPA को बनाए रखने हेतु **डेटा फिड्यूशरीज पर कोई दायित्व निर्धारित नहीं** किया गया है।

1.2. भारत के आपराधिक कानूनों में सुधार (Reforming India's Criminal Laws)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, सरकार ने भारत में मौजूदा आपराधिक कानूनों को प्रतिस्थापित करने के लिए लोक सभा में तीन विधेयक पेश किए।

अन्य संबंधित तथ्य

- इन तीन विधेयकों में शामिल हैं:
  - **भारतीय दंड संहिता (IPC)[6], 1860** की जगह **भारतीय न्याय संहिता, 2023**
  - **दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC)[7], 1973** की जगह **भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023**

---

[6] Indian Penal Code

[7] Code of Criminal Procedure

- **भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872** की जगह **भारतीय साक्ष्य विधेयक, 2023**
- इन विधेयकों को स्थायी समिति के पास विचार के लिए भेजा गया है।

इन विधेयकों की आवश्यकता क्यों?

- **न्यायालयों में बड़ी संख्या में लंबित मामलों के निपटान हेतु:** केंद्रीय कानून मंत्री ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और अधीनस्थ न्यायालयों में सम्मिलित रूप से **लगभग 4.7 करोड़ मामले लंबित हैं।**
- **समय पर न्याय प्रदान करने हेतु:** जटिल कानूनी प्रक्रियाओं और संसाधनों की कमी के कारण कई **विचाराधीन कैदी** लंबे समय से जेलों में बंद हैं। जेलों में **ऐसे कैदियों की संख्या लगभग 70%** है।
- **दोषसिद्धि दर में वृद्धि हेतु:** आपराधिक न्याय प्रणाली में निहित अक्षमताओं के कारण **लगभग 50% मामलों में अभियुक्त या अपराधी दोषी सिद्ध नहीं हो पाते हैं।** इन अक्षमताओं में निम्नलिखित शामिल हैं:
  - अपर्याप्त फोरेंसिक जांच,
  - पुलिसिंग संबंधी कमियां,
  - कानून प्रवर्तन पर शक्तिशाली व्यक्तियों का प्रभाव आदि।
- **आपराधिक न्याय प्रणाली के विकास हेतु:** सामाजिक परिवर्तनों से तालमेल बिठाने और उभरती चुनौतियों से निपटने लिए एक विकसित और अनुकूल आपराधिक न्याय प्रणाली की आवश्यकता है।
  - साथ ही, साक्ष्यों को एकत्र करने, उनके भंडारण और प्रस्तुति में आधुनिक तकनीक का उपयोग करने से आपराध के संदर्भ में अलग-अलग आयामों का पता लगाने में सहायता मिलेगी।
- **औपनिवेशिक विरासत को समाप्त करने हेतु:** भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली अभी भी औपनिवेशिक अतीत पर आधारित है। इस कारण इसमें कुछ ऐसे कानून और प्रक्रियाएं मौजूद हैं, जो देश के वर्तमान सामाजिक-आर्थिक और सांस्कृतिक संदर्भ में पूरी तरह से अप्रासंगिक और अनुपयुक्त हैं।

1.2.1. भारतीय न्याय संहिता, 2023 (Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023)

भारतीय दंड संहिता, 1860 (IPC) को भारतीय न्याय संहिता, 2023 से प्रतिस्थापित किया जाएगा। IPC, देश में दंडनीय अपराधों (Criminal offences) के लिए प्रमुख कानून है।

क्या आप जानते हैं?

- चार्टर अधिनियम, 1833 के तहत:
  - विधान परिषद के रूप में एक अखिल भारतीय विधायिका की स्थापना की गई,
  - विधि सदस्य का एक पद (गवर्नर जनरल की परिषद में) सृजित किया गया, और
  - विधि आयोग की नियुक्ति का प्रावधान किया गया।

पृष्ठभूमि

- 1834 में **लॉर्ड थॉमस बैबिंगटन मैकाले** की अध्यक्षता में **प्रथम भारतीय विधि आयोग** का गठन किया गया था। इसका उद्देश्य मौजूदा न्यायालयों के क्षेत्राधिकार, शक्ति एवं नियमों के साथ-साथ पुलिस प्रतिष्ठानों और भारत में लागू कानूनों की जांच करना था।
  - इस आयोग ने 1837 में **भारतीय दंड संहिता (IPC)** का एक **मसौदा** तैयार किया था। यह मसौदा **इंग्लिश कॉमन लॉ** पर आधारित था और इसे औपनिवेशिक हितों को ध्यान में रखकर बनाया गया था।
  - बाद में किए गए संशोधनों और 1857 के विद्रोह के कारण IPC को कानूनी रूप देने में देरी हुई। इसलिए यह **1860 में अधिनियमित हुआ** और **1862 में लागू किया गया।**
- स्वतंत्रता के बाद, इसमें **कई संशोधन** किए गए। इन सभी परिवर्तनों और संशोधनों ने इसे एक **जटिल कानून संहिता** बना दिया।
- **इस नए विधेयक का लक्ष्य है:**
  - **कानून व्यवस्था को मजबूत करना,**
  - **कानूनी प्रक्रियाओं को सरल बनाना,** और
  - **मौजूदा कानूनों को आमजन की वर्तमान स्थिति के लिए प्रासंगिक बनाना।**

विधेयक के मुख्य बिंदुओं पर एक नज़र

- **राजद्रोह (Sedition):** इस विधेयक में राजद्रोह (IPC की धारा 124A) संबंधी अपराध को हटा दिया गया है। इसके बजाय यह निम्नलिखित हेतु **दंड का प्रावधान** करता है:

- **अलगाववादी गतिविधियों, सशस्त्र विद्रोह, या विध्वंसक गतिविधियों** को बढ़ावा देना या बढ़ावा देने का प्रयास करना,
- **अलगाववादी गतिविधियों** से संबंधित भावनाओं को प्रोत्साहित करना, या
- **भारत की संप्रभुता या एकता और अखंडता को खतरे में डालना।**

*इन अपराधों में **शब्दों या संकेतों का आदान-प्रदान करना, इलेक्ट्रॉनिक संचार या वित्तीय साधनों का प्रयोग** करना, आदि शामिल हो सकता है। इन अपराधों के लिए **सात वर्ष तक की कैद या आजीवन कारावास और जुर्माने** का प्रावधान किया गया है।

- **आतंकवाद:** विधेयक में आतंकवाद को एक ऐसे कृत्य के रूप में परिभाषित किया गया है जिसका उद्देश्य **देश की एकता, अखंडता और सुरक्षा को खतरे में डालना, आम जनता को डराना या सार्वजनिक व्यवस्था को बिगाड़ना** है। **आतंकवादी कृत्यों में निम्नलिखित शामिल हैं**:
  - हत्या करने, जीवन के लिए खतरा पैदा करने या भय का संदेश फैलाने के लिए बंदूकों (फायरआर्म्स), बमों, या खतरनाक पदार्थों (जैविक या रासायनिक) का उपयोग करना,
  - संपत्ति को नष्ट करना या आवश्यक सेवाओं को बाधित करना, और
  - गैर-कानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA), 1967 की दूसरी अनुसूची में सूचीबद्ध संधियों में शामिल गतिविधियां, जैसे कि विमान को गैर-कानूनी तरीके से कब्जे में लेना या बंधक बनाना।
- **संगठित अपराध:** यह विधेयक संगठित अपराध को निम्न प्रकार परिभाषित करता है: (i) निरंतर गैर-कानूनी गतिविधि, जैसे- अपहरण, जबरन वसूली, कॉन्ट्रैक्ट लेकर हत्या करना, भूमि पर कब्ज़ा, वित्तीय घोटाला और साइबर अपराध, (ii) हिंसा, धमकी या अन्य गैर-कानूनी तरीकों से अपराध करना (iii) भौतिक या वित्तीय लाभ प्राप्त करने के लिए अपराध करना, और (iv) अपराध सिंडिकेट के सदस्यों के रूप में या उसकी ओर से अकेले या संयुक्त रूप से कार्य करने वाले व्यक्तियों द्वारा अपराध।

संभावित प्रभाव

- **व्यक्ति-निष्ठ व्याख्या (Subjective interpretation):** "आपराधिक गतिविधि" की अस्पष्ट परिभाषाएं उनके अनुचित प्रयोग का कारण बन सकती हैं। साथ ही, ये वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को प्रभावित करने भी का कारण बन सकती हैं। उदाहरण के लिए-
  - **"विध्वंसक गतिविधियों"** में किसी भी प्रकार की आलोचना शामिल हो सकती है, या
  - संपत्ति को नुकसान पहुंचाना और लोगों को उकसाना या डराना जैसी चीजों को "आतंकवादी कृत्य" में शामिल किया गया है।
- **पुलिसिंग संबंधी शक्तियों में वृद्धि:** पुलिस कर्मियों की कार्रवाई करने की विवेकाधीन शक्तियों में वृद्धि हो सकती है। इससे मनमाने ढंग से पुलिस कार्रवाई करने की गुंजाइश बढ़ जाएगी।
- **मौजूदा मुकदमों में विलंब:** यद्यपि यह विधेयक लंबित कार्यवाहियों और मुकदमों पर लागू नहीं होता है, लेकिन न्यायालयों पर इनकी **व्याख्या करने का अतिरिक्त बोझ बढ़ने की संभावना है।** इसके परिणामस्वरूप अपराधों की वास्तविक सुनवाई में विलंब होगा।

1.2.2. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023)

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 से **दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC), 1973** को **प्रतिस्थापित** किया जाएगा। इस संहिता में भारतीय दंड संहिता, 1860 सहित कई अधिनियमों के तहत निर्धारित अपराधों के लिए **गिरफ्तारी (Arrest), अभियोजन (Prosecution)** और **जमानत (Bail)** की प्रक्रिया संबंधी प्रावधान किए गए हैं।

पृष्ठभूमि

- CrPC को **सर्वप्रथम 1882** में **ब्रिटिश संसद द्वारा अधिनियमित** किया गया था। इसके बाद, इसमें कई संशोधन किए गए। सबसे महत्वपूर्ण संशोधन **1898, 1923** और **1955** में किए गए थे।
- भारत के विधि आयोग ने अपनी 41वीं रिपोर्ट में, इस संहिता में व्यापक स्तर पर संशोधन करने हेतु सिफारिश की थी। इसके परिणामस्वरूप **CrPC, 1973** का निर्माण किया गया था।

विधेयक के मुख्य बिंदुओं पर एक नज़र

- **विचाराधीन कैदियों की हिरासत:** इसके तहत यदि पहली बार अपराध करने वाले किसी व्यक्ति ने उस अपराध के लिए निर्धारित अधिकतम कारावास अवधि की **एक-तिहाई अवधि** को हिरासत में बिता लिया है, तो उसे **जमानत पर रिहा** किया जा सकता है।

- यदि किसी आरोपी व्यक्ति ने जांच या सुनवाई के दौरान उस अपराध के लिए **कारावास की अधिकतम अवधि का आधा हिस्सा हिरासत में बिता लिया** है, तो उसे उसके **निजी बॉण्ड** पर रिहा कर दिया जाना चाहिए। यह उन अपराधों पर लागू **नहीं** होता है जिनमें **मृत्यु दंड** की सजा हो सकती है।

- **इलेक्ट्रॉनिक मोड में सुनवाई:** सभी प्रकार की सुनवाई, जांच और कार्यवाही इलेक्ट्रॉनिक मोड में आयोजित की जा सकती है।
- **आरोपी व्यक्ति की मेडिकल जांच:** इसके अंतर्गत कोई भी पुलिस अधिकारी विशेष मामलों, जैसे- बलात्कार में आरोपी व्यक्ति की मेडिकल जांच का अनुरोध कर सकता है।
- **फॉरेंसिक जांच:** यह उन सभी अपराधों के लिए फॉरेंसिक जांच को अनिवार्य बनाता है, जिनके लिए कम-से-कम **सात वर्ष** के कारावास के दंड का प्रावधान है।
  - यदि राज्य के पास फॉरेंसिक सुविधा उपलब्ध नहीं है तो उसे दूसरे राज्य की इस सुविधा का इस्तेमाल करना चाहिए।
- **हस्ताक्षर और उंगलियों की छाप (फिंगरप्रिंट):** यह किसी भी व्यक्ति के हस्ताक्षर, हैंडराइटिंग, उंगलियों की छाप और आवाज के नमूने एकत्र करने की अनुमति प्रदान करता है, चाहे वह व्यक्ति गिरफ्तार किया गया हो अथवा नहीं।
- **कार्यवाहियों के लिए समय-सीमा:** यह विभिन्न कार्यवाहियों, जैसे कि निर्णय देने, पीड़ितों को जांच की प्रगति के संबंध में सूचित करने और आरोप तय करने हेतु समय-सीमा निर्धारित करता है।
- **अपराधी की गैरमौजूदगी में सुनवाई:** यह घोषित अपराधी की गैरमौजूदगी में मुकदमे की सुनवाई करने और फैसला सुनाने का प्रावधान करता है।
  - **घोषित अपराधी (Proclaimed offender)** उस व्यक्ति को कहा जाता है जो कम-से-कम 10 साल की कैद या मौत की सजा वाले अपराध का आरोपी है और न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट समय और स्थान पर मौजूद होने में विफल रहता है।
- **सजा के मामलों में राजनीतिक छूट पर रोक:** इस विधेयक में निम्नलिखित प्रावधान भी किए गए हैं-
  - **मृत्यु दंड** को मात्र **आजीवन कारावास** में बदला जा सकता है, और
  - **आजीवन कारावास** की सजा को **सात वर्ष की कैद से कम नहीं** किया जा सकता है।

संभावित प्रभाव

- **मामलों का शीघ्र निपटान:** विभिन्न न्यायिक कार्यवाहियों और आरोप-पत्रों के निर्धारण हेतु समय-सीमा निर्धारित की गई है। इससे समय पर न्याय प्रदान करने में मदद मिलेगी।
- **प्रौद्योगिकी का एकीकरण:** यह विधेयक अपराधों की फॉरेंसिक जांच तथा परीक्षण और न्यायिक प्रक्रिया में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (ICT) के उपकरणों को शामिल करने हेतु प्रावधान करता है।
- **पीड़ितों के अधिकारों में सुधार:** इसके अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि किसी भी पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज की जा सकती है, चाहे अपराध कहीं भी हुआ हो।
- **जांच प्रक्रिया में निष्पक्षता:** तलाशी और जब्ती प्रक्रिया की अनिवार्य रूप से वीडियो रिकॉर्डिंग किए जाने से पुलिस जांच में निष्पक्षता संबंधी मुद्दों का समाधान हो सकता है।
- **हिरासत की अवधि में वृद्धि:** गिरफ्तार व्यक्ति को पुलिस हिरासत में भेजने की अवधि में वृद्धि की गई है।

1.2.3. भारतीय साक्ष्य विधेयक, 2023 (Bharatiya Sakshya Bill, 2023)

भारतीय साक्ष्य विधेयक, 2023 से **भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872** को **प्रतिस्थापित** किया जाएगा। यह अधिनियम कानूनी कार्यवाहियों में साक्ष्य की स्वीकार्यता हेतु नियमों का प्रावधान करता है।

पृष्ठभूमि

- भारतीय साक्ष्य अधिनियम को 1872 में अधिनियमित किया गया था। इसका उद्देश्य साक्ष्यों से संबंधित कानूनों को समेकित करना था। इन साक्ष्यों के आधार पर ही न्यायालय किसी निष्कर्ष पर पहुंचता है और निर्णय सुनाता है।
- एक मौलिक या प्रक्रियात्मक कानून नहीं होने के कारण साक्ष्य संबंधी कानून **"विशेषण कानून (Adjective law)"** की श्रेणी में आते हैं। विशेषण कानून उन नियमों एवं विनियमों का समूह होता है, जो साक्ष्य, दलील जैसे प्रक्रियात्मक पहलुओं को नियंत्रित करने वाले कानून से संबंधित होते हैं।
- मौजूदा कानून पिछले कुछ दशकों के दौरान देश में हुई **प्रौद्योगिकीय उन्नति के अनुरूप नहीं** है।

विधेयक के मुख्य बिंदुओं पर एक नज़र

- **साक्ष्य के रूप में इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रिकॉर्ड की स्वीकार्यता:** इसके अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रिकॉर्ड का कानूनी प्रभाव कागजी रिकॉर्ड के समान ही होगा।
    - इसके तहत **इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का दायरा बढ़ाया गया है** ताकि इसमें सेमीकंडक्टर मेमोरी या किसी कम्युनिकेशन डिवाइस, जैसे कि स्मार्टफोन, लैपटॉप में स्टोर की गई सूचना को शामिल किया जा सके।
    - इसमें **ई-मेल, सर्वर लॉग, स्मार्टफोन, लोकेशन संबंधी साक्ष्य और वॉइस मेल** के रिकॉर्ड भी शामिल होंगे।
- **मौखिक साक्ष्य:** मौखिक साक्ष्य के अंतर्गत जांच के दौरान किसी तथ्य के संबंध में गवाहों द्वारा न्यायालय के समक्ष दिए गए बयान शामिल हैं। इस विधेयक के तहत **इलेक्ट्रॉनिक रूप से दी गई** किसी भी **सूचना** को मौखिक साक्ष्य माना जाएगा।
- **संयुक्त सुनवाई (Joint trials):** संयुक्त सुनवाई का तात्पर्य, **एक ही अपराध के लिए एक से अधिक व्यक्तियों पर मुकदमा चलाने से है।** संयुक्त सुनवाई में, यदि किसी एक आरोपी द्वारा किया गया कबूलनामा, दूसरे आरोपी को भी प्रभावित करता है, साबित हो जाता है, तो इसे दोनों के खिलाफ कबूलनामा माना जाएगा।

शब्दावली को जानें

- **मौलिक विधि (Substantive Law)**: ये कानून वास्तव में कॉमन, सांविधिक, संवैधानिक और न्यायिक निर्णयों में उल्लेख किए गए सिद्धांतों से उत्पन्न होते हैं। इसके कुछ उदाहरण हैं– दंड विधि, संपत्ति कानून आदि।
- **प्रक्रिया विधि (Procedural Law)**: यह विधि अधिकारों को लागू करने या इनके उल्लंघन की स्थिति में उपचारात्मक उपायों का तरीका निर्धारित करती है और अभियोजन संबंधी तंत्र का उल्लेख करती है। इसके कुछ उदाहरण हैं– सिविल प्रक्रिया संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता आदि।

संभावित प्रभाव

- **इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य के प्रयोग में वृद्धि होगी:** इससे त्रुटिपूर्ण दोषसिद्धि के मामलों में कमी आ सकती है। साथ ही, मामलों की जांच में तेजी लाने में मदद मिल सकती है।
- **निजता संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं:** इससे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की जब्ती और उनमें संग्रहित संवेदनशील जानकारी तक पहुंच के कारण निजता के उल्लंघन संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं।

निष्कर्ष

आपराधिक न्याय प्रणाली में सुधारों की संभावना, इसे प्रभावी ढंग से लागू करने की क्षमता के साथ-साथ इसके तालमेल पर भी निर्भर करती है। आपराधिक कानून में सुधारों की सफलता तभी सुनिश्चित होगी, जब यह **शुरुआत, निर्माण, कार्यान्वयन दृष्टिकोण और नियमित निरीक्षण** जैसे कठिन चरणों से गुजरेगी।

1.3. मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त (नियुक्ति, सेवा शर्तें और पदावधि) विधेयक, 2023 {CEC and Other EC (Appointment, Conditions of Service and Term of Office) Bill, 2023}

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, केंद्र सरकार ने राज्य सभा में "मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त (नियुक्ति, सेवा शर्तें और पदावधि) विधेयक, 2023" पेश किया।

अन्य संबंधित तथ्य

- यह विधेयक **चुनाव आयोग (चुनाव आयुक्तों की सेवा शर्तें और कार्य संचालन) अधिनियम[8], 1991** को **निरस्त** करता है।
- इस विधेयक का उद्देश्य **मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC)** और अन्य **चुनाव आयुक्तों (ECs)** की **नियुक्ति, सेवा शर्तों** और **पदावधि** को विनियमित करना है।
    - इसमें **चुनाव आयोग के कार्य संचालन** और उससे संबंधित या उसके अधीन आने वाले विषयों के लिए **प्रक्रिया को स्थापित** करने का प्रयास किया गया है।

CEC और EC की नियुक्ति की वर्तमान प्रक्रिया

- **अनुच्छेद 324** के अनुसार, चुनाव आयोग में एक मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) और उतने ही अन्य चुनाव आयुक्त (ECs) होते हैं, जितने राष्ट्रपति समय-समय पर निर्धारित करता है।

[8] Election Commission (Conditions of Service of Election Commissioners and Transaction of Business) Act

- **अनूप बर्णवाल बनाम भारत संघ वाद** में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि जब तक कोई कानून नहीं बनाया जाता है, तब तक भारत का राष्ट्रपति CEC एवं ECs की नियुक्ति एक समिति की सलाह पर करेगा। इस समिति में निम्नलिखित शामिल होंगे:
    - **प्रधान मंत्री,**
    - **लोक सभा में विपक्ष के नेता (LoP),** और यदि कोई **LoP** नहीं है, तो लोक सभा में संख्या की दृष्टि से सबसे बड़े विपक्षी दल का नेता, तथा
    - **भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI)**
- सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला आने से पहले तक, CEC और ECs की नियुक्ति केंद्र सरकार की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती थी।

विधेयक के मुख्य बिंदुओं पर एक नज़र

अधिनियम की मुख्य विशेषताएं	**विवरण**
नियुक्ति	• CEC और अन्य ECs की नियुक्ति **राष्ट्रपति द्वारा एक चयन समिति की सिफारिश पर की जाएगी।**
चयन समिति (Selection Committee)	• इसमें शामिल होंगे: ○ **अध्यक्ष: प्रधान मंत्री,** ○ **सदस्य: लोक सभा में विपक्ष का नेता,** और ○ **प्रधान मंत्री द्वारा नामित सदस्य के रूप में संघ सरकार का एक कैबिनेट मंत्री** • यदि लोक सभा में विपक्ष के नेता को आधिकारिक मान्यता नहीं मिली है, तो **लोक सभा में सरकार के विपक्ष में सबसे बड़े एकल दल का नेता विपक्ष का नेता समझा जाएगा।**
खोजबीन समिति (Search Committee)	• इसकी अध्यक्षता **कैबिनेट सचिव** द्वारा की जाएगी। इसमें **दो अन्य सदस्य होंगे,** जो केंद्र सरकार में **सचिव स्तर** के अधिकारी होंगे। उनके पास चुनाव से संबंधित मामलों का ज्ञान और अनुभव होना चाहिए। • यह समिति CEC और अन्य ECs की नियुक्ति के लिए चयन समिति के विचार हेतु **पांच व्यक्तियों का एक पैनल** तैयार करेगी। • **चयन समिति,** खोजबीन समिति द्वारा पैनल में शामिल किए गए व्यक्तियों के आलावा **किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर भी विचार कर सकती है।**
CEC और ECs की योग्यता	• ऐसा व्यक्ति जो भारत सरकार के **सचिव के पद के समकक्ष रैंक पर है या ऐसे पद पर रह चुका है।** ○ ऐसे व्यक्ति के पास अनिवार्य तौर पर चुनाव के प्रबंधन और चुनाव कराने का ज्ञान एवं अनुभव होना चाहिए।
पदावधि/ कार्यकाल	• CEC और अन्य ECs पद ग्रहण करने की तिथि से **छह वर्ष की अवधि के लिए या 65 वर्ष की आयु तक,** जो भी पहले हो, पद पर बने रहेंगे। • CEC और अन्य ECs **पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र नहीं** होंगे। • **जब किसी EC को CEC के रूप में नियुक्त** किया जाएगा, तो उसका कार्यकाल EC और CEC के रूप में **कुल मिलाकर छह वर्ष से अधिक नहीं होगा।**
वेतन एवं भत्ते	• CEC और अन्य ECs के वेतन, भत्ते और सेवा शर्तें **कैबिनेट सचिव के समान होंगी।**
पद से हटाना और त्याग-पत्र	• संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत **CEC को उसके पद से उसी रीति से हटाया जा सकता है जिस रीति से सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाया जाता है।** ○ यदि संसद के दोनों सदन एक ही सत्र में CEC को हटाने के लिए प्रस्ताव पारित करते हैं तो राष्ट्रपति एक आदेश जारी कर उसे पद से हटा देता है। • **CEC को उसके पद से हटाए जाने का प्रस्ताव निम्नलिखित तरीके से पारित किया जाना चाहिए:** ○ **प्रत्येक सदन द्वारा अपनी कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा,** तथा ○ उपस्थित और मतदान करने वाले **सदस्यों के कम-से-कम दो-तिहाई बहुमत द्वारा।** • **किसी EC को केवल CEC की सिफारिश के आधार पर ही पद से हटाया जा सकता है।** सरल शब्दों में, संविधान में CEC को उसके पद से हटाने के लिए व्यापक प्रावधान है, जबकि ECs को केवल CEC की सिफारिश के आधार पर ही हटाया जा सकता है।
कार्य संचालन (अर्थात् काम-काज)	• चुनाव आयोग के सभी कार्य **सर्वसम्मति** से किए जाएंगे। यदि CEC और अन्य ECs की राय में किसी **विषय पर मतभेद है, तो निर्णय बहुमत के आधार पर किया जाएगा।**

विधेयक से जुड़ी चिंताएं

- **सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ:** प्रस्तावित कानून में **भारत के मुख्य न्यायाधीश को चयन प्रक्रिया से बाहर करने का प्रावधान है।** इस प्रकार यह **अनूप बर्णवाल बनाम भारत संघ वाद** में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए आदेश को पलटने का प्रयास करता है।
- **निष्पक्षता या तटस्थता:** प्रस्तावित चयन समिति की संरचना में **सत्तारूढ़ दल का वर्चस्व हो सकता है।**
- **पात्रता मानदंड:** विधेयक चयन समिति को यह अधिकार देता है कि वह **खोजबीन समिति की सिफारिशों पर विचार किए बिना CEC/ EC के रूप में किसी भी व्यक्ति को नियुक्त कर सकती है।** यदि ऐसा होता है तो पूरी 'खोज' प्रक्रिया निरर्थक हो जाएगी।
- **CEC/ ECs की स्वतंत्रता:** भारतीय निर्वाचन आयोग (ECI) को राजनीतिक कार्यपालिका के नियंत्रण में लाना स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव आयोग की अवधारणा के विपरीत है।

आगे की राह

- **EC को पद से हटाना:** संविधान के **अनुच्छेद 324(5)** में संशोधन किया जाना चाहिए। इस संशोधन से **अन्य दो चुनाव आयुक्तों को हटाने की प्रक्रिया को मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने की प्रक्रिया के समान बनाया जाना चाहिए।** इस प्रकार, पद से हटाने के मामले में ECI के सभी सदस्यों को समान संवैधानिक संरक्षण मिल जाएगा।
- **बहु-हितधारक दृष्टिकोण:** समिति के दायरे का विस्तार करने और नियुक्ति प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए कुछ आवश्यक कदम उठाए जाने चाहिए।
    - इसके लिए समिति में **प्रमुख न्यायविदों, भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI), स्वतंत्र विशेषज्ञों, नागरिक समाज के सदस्यों** आदि को शामिल किया जा सकता है।
- **वरिष्ठता का सिद्धांत:** विधि आयोग द्वारा सिफारिश की गई है कि चुनाव आयुक्त की पदोन्नति वरिष्ठता के आधार पर होनी चाहिए, जब तक कि तीन सदस्यीय समिति, लिखित रूप में दर्ज कारणों के आधार पर, किसी चुनाव आयुक्त को अयोग्य न पाए।
- **व्यापक परामर्श:** विधेयक को अंतिम रूप देने से पहले, सरकार को विपक्षी दलों, कानूनी विशेषज्ञों और हितधारकों से व्यापक स्तर पर विचार-विमर्श करना चाहिए।

1.4. चुनाव प्रक्रिया और सुधार के पहलू (Aspects of Election Process and Reform)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, कार्मिक, लोक शिकायत, विधि एवं न्याय विभाग से संबंधित संसदीय स्थायी समिति ने **"चुनाव प्रक्रिया के विशिष्ट पहलुओं और उनमें सुधार[9]"** पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है।

अन्य संबंधित तथ्य

- इस रिपोर्ट के अंतर्गत भारत में **चुनावों** के महत्त्व और **लोकतांत्रिक शासन, राजनीतिक प्रतिनिधित्व एवं सामाजिक प्रगति पर उनके प्रभाव का विश्लेषण किया गया है।**
- इसमें चुनाव से संबंधित **विभिन्न पहलुओं की जांच** की गई है। इन पहलुओं में निम्नलिखित शामिल हैं:
    - **सामान्य अथवा एकल मतदाता सूची के जरिए मतदाताओं की भागीदारी और व्यापक प्रतिनिधित्व;**
    - **उम्मीदवारी के लिए नामांकन के दौरान पारदर्शिता एवं जवाबदेही;** तथा
    - **चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु।**

1.4.1. एकल मतदाता सूची (Common Electoral Roll: CER)

सरकार मतदाता सूची को एकल बनाकर और उसे व्यापक डेटाबेस में समेकित करके दोहराव की समस्या को दूर कर सकती है तथा चुनावी प्रक्रिया को सुव्यवस्थित कर सकती है।

[9] Specific aspects of the election process and their reform

वर्तमान प्रावधान

- भारत में दो प्रकार की मतदाता सूचियां तैयार की जाती हैं, अर्थात् **सामान्य मतदाता सूची** (General electoral rolls) और **पृथक मतदाता सूची** (Separate electoral rolls)।
    - **सामान्य मतदाता सूची** को भारतीय निर्वाचन आयोग (ECI) द्वारा तैयार और प्रबंधित किया जाता है।
    - **पृथक मतदाता सूची** को राज्य निर्वाचन आयोग (ECI) द्वारा तैयार किया जाता है।
- **भारतीय निर्वाचन आयोग (ECI): संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत ECI,** भारत में **संघ और राज्य स्तर पर होने वाले चुनावों,** जैसे- लोक सभा, राज्य सभा, राज्य विधान सभाओं आदि का संचालन करता है।
- **राज्य निर्वाचन आयोग (SEC): अनुच्छेद 243K(1) के तहत,** स्थानीय निकायों (पंचायत और नगर पालिका) में निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए प्रत्येक राज्य में SEC का गठन किया गया है।

CER को तैयार करने में आने वाली बाधाएं

- **स्थायी मतदाता सूची का अभाव:** विधान सभा या संसदीय चुनावों के विपरीत स्थानीय निकाय चुनाव की मतदाता सूची एक स्थायी रिकॉर्ड नहीं है और अक्सर इसे हर चुनाव आयोजित होने से पहले नए सिरे से तैयार किया जाता है।
    - **इससे मतदाता सूची को तैयार करने में लगने वाले श्रम का दोहराव होता है।**
- **चुनावी क्षेत्रों का परिसीमन और उसका समय:** विधान सभा और संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के लिए काफी लंबे समय के बाद परिसीमन किया जाता है। यह आमतौर 15 से 20 वर्षों में एक बार होता है। दूसरी तरफ, स्थानीय निकायों का परिसीमन अक्सर चुनाव से पहले किया जाता है।
    - समय-समय पर परिसीमन किए जाने से देश में **निष्पक्ष राजनीतिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित** होता है।
- **संवैधानिक चुनौती:** केंद्र सरकार और ECI द्वारा प्रस्तावित CER को लागू करना **वर्तमान में अनुच्छेद 325 के दायरे से बाहर** है। यह अनुच्छेद संसद और राज्य विधान-मंडलों के चुनावों के लिए **अलग-अलग मतदाता सूची के प्रयोग को अनिवार्य बनाता है।**

रिपोर्ट में की गई प्रमुख सिफारिशों पर एक नज़र

- ECI को मौजूदा नियमों में कोई भी बदलाव करने तथा एकल मतदाता सूची को लागू करने से पहले **सभी कारकों पर विचार एक व्यापक योजना तैयार करनी चाहिए।**
- ECI को CER तैयार करने से पहले **संवैधानिक प्रावधानों पर विचार करना चाहिए और संघवाद के सिद्धांतों का पालन करना चाहिए।**
- ECI और विधायी विभाग को **परिसीमन प्रक्रिया के प्रभावों की,** विशेष रूप से दुर्गम भू-भागों में **जांच करने** हेतु एक साथ मिलकर कार्य करना चाहिए।
- निर्वाचन आयोग और विधायी विभाग द्वारा **राज्यों को** अपनी स्वयं की मतदाता सूची बनाते समय **ECI की मतदाता सूची के प्रयोग को प्रोत्साहित करने के लिए सहयोग करना** चाहिए। ऐसा तब तक कर सकते हैं जब तक संवैधानिक और वैधानिक प्रावधानों में बदलाव नहीं होता।
- ECI को एक **विधिक प्रावधान या वैकल्पिक तंत्र स्थापित करना चाहिए, जिससे यह सुनिश्चित हो कि आधार संख्या प्राप्त गैर-नागरिक CER में शामिल न हो पाएं।**

1.4.2. चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करते समय गलत घोषणाएं (False Declarations During Filing of Nomination for Elections)

लोकतांत्रिक प्रक्रिया की सत्यनिष्ठा सुनिश्चित करने के लिए यह आवश्यक है कि सरकार चुनावी उम्मीदवारों को झूठी/ गलत घोषणाओं या शपथ-पत्रों को दाखिल करने से रोकने हेतु कठोर कदम उठाए।

वर्तमान प्रावधान

- **निर्वाचनों का संचालन नियम[10], 1961** के अनुसार, **चुनाव में उम्मीदवारों** के लिए उनकी **संपत्ति, देनदारियों, शिक्षा** आदि के बारे में जानकारी देते हुए एक शपथ-पत्र (फॉर्म 26) दाखिल करना अनिवार्य है।
- झूठी जानकारी देना कानून का उल्लंघन है तथा यह **RPA की धारा 125A के तहत एक दंडनीय अपराध** है।

[10] Conduct of Elections Rules

समस्याएं

- झूठे शपथ-पत्र मतदाताओं को भ्रमित कर उनकी पसंद को प्रभावित करते हैं। इसलिए, ये चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्षता के लिए भी हानिकारक होते हैं।

रिपोर्ट में की गई प्रमुख सिफारिशों पर एक नज़र

- सरकार को **शपथ-पत्रों के लिए सत्यापन प्रक्रिया** शुरू करनी चाहिए। साथ ही, नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए किसी भी गलत डेटा के बारे में तुरंत निर्वाचन आयोग को सूचित किया जाना चाहिए।
- RPA[11], 1951 में 'झूठी घोषणा/ शपथ-पत्र' को **स्पष्ट रूप से परिभाषित** किया जाना चाहिए।
- झूठा/ गलत शपथ-पत्र दाखिल करने पर RPA, 1951 की धारा 125A के तहत सजा को छह माह से बढ़ाकर दो वर्ष किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त, अपराध की गंभीरता के आधार पर जुर्माना भी लगाया जाना चाहिए।
  - हालांकि, यह जुर्माना **केवल विशेष मामलों** में ही लगाया जाना चाहिए, इसे छोटी गलतियों पर नहीं लगाया जाना चाहिए।
- **अयोग्यता संबंधी मामलों का शीघ्र समाधान किया जाना चाहिए,** क्योंकि लंबी मुकदमेबाजी कानूनी प्रावधानों के इच्छित उद्देश्य को कमजोर कर देती है।

1.4.3. मतदान करने और चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु के बीच समानता स्थापित करना (Establishing Parity Between Minimum Age of Voting and Contesting Elections)

विधायिका में युवा प्रतिनिधित्व महत्वपूर्ण है, क्योंकि वे युवाओं के मुद्दे जोर-शोर से उठाते हैं, युवाओं की चिंताओं का समाधान करते हैं और राजनीतिक संवाद के स्वरूप में बदलाव लाकर सरकार के अंदर और बाहर, दोनों स्तरों पर होने वाले विचार-विमर्शों को सही दिशा देते हैं।

वर्तमान प्रावधान

- वर्तमान में चुनाव लड़ने की आयु:
  - **लोक सभा** (अनुच्छेद 84) और **विधान सभा** (अनुच्छेद 173) के लिए चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु **25 वर्ष** है।
  - **राज्य सभा (अनुच्छेद 84)** और **विधान परिषद** (अनुच्छेद 173) के लिए चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु **30 वर्ष** है।

संबंधित समस्याएं/ मुद्दे

- **लोक सभा में केवल 2.2 प्रतिशत सांसदों की ही आयु 30 वर्ष से कम है।**
- **भारत में मतदान की न्यूनतम आयु (18 वर्ष) और चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु (25 वर्ष)** के बीच समानता नहीं है। इसके कारण, राजनीतिक क्षेत्र में भारत की युवा आबादी की भागीदारी कम है।
- ECI के अनुसार, 18 वर्ष के युवाओं से इन उत्तरदायित्वों के निर्वहन के लिए आवश्यक अनुभव और परिपक्वता की अपेक्षा करना सही नहीं है।

रिपोर्ट में की गई प्रमुख सिफारिशों पर एक नज़र

- **विधान सभा** चुनाव लड़ने वालों के लिए न्यूनतम आयु को **कम करने का सुझाव** दिया गया है।
  - चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु को कम करने से युवाओं को लोकतंत्र में भाग लेने का समान अवसर मिलेगा।
- युवाओं को राजनीतिक भागीदारी के लिए आवश्यक ज्ञान और कौशल प्रदान करने हेतु **व्यापक नागरिक शिक्षा कार्यक्रम**[12] को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
- **निर्णय-निर्माण की प्रक्रियाओं में युवाओं की अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु** सरकारों, राजनीतिक दलों और युवा संगठनों को **मिलकर कार्य** करना चाहिए।

निर्वाचन संबंधी सुधार के बारे में और अधिक जानकारी के लिए दिए गए QR कोड को स्कैन करें।

वीकली फोकस #58: निर्वाचन संबंधी सुधार: प्रभावी लोकतंत्र का एक दृष्टिकोण

[11] Representation of the People Act/ लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम

[12] Comprehensive civic education programs

1.5. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) अधिनियम 2023 {Government of National Capital Territory of Delhi (Amendment) ACT 2023}

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, संसद द्वारा पारित किए गए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (GNCTD) (संशोधन) विधेयक, 2023 को राष्ट्रपति का अनुमोदन प्राप्त हो गया है। अब यह विधेयक अधिनियम बन गया है।

अन्य संबंधित तथ्य

- GNCTD (संशोधन) अधिनियम, **राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली (संशोधन) अध्यादेश, 2023 को प्रतिस्थापित** करता है।
- यह **अध्यादेश दिल्ली के उप-राज्यपाल (L-G) को दिल्ली सरकार की तुलना में अधिक अधिकार** प्रदान करता है। इस अध्यादेश को **GNCTD बनाम भारत संघ (2023) मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद जारी** किया गया था।
    - न्यायालय के समक्ष यह प्रश्न था कि क्या दिल्ली में सिविल सेवाओं और सिविल सेवकों पर नियंत्रण दिल्ली सरकार अर्थात मुख्यमंत्री का होगा अथवा L-G का। ध्यातव्य है कि दिल्ली सरकार का मुखिया निर्वाचित मुख्यमंत्री होता है, जबकि L-G को राष्ट्रपति नियुक्त करता है।
    - सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया था कि **लोक व्यवस्था, भूमि और पुलिस को छोड़कर** दिल्ली सरकार के पास राजधानी की **अधिकांश सेवाओं पर पूर्ण नियंत्रण है**। ध्यातव्य है कि दिल्ली में **लोक व्यवस्था, भूमि और पुलिस सेवाओं** के मामले में केंद्र सरकार को विशेषाधिकार प्राप्त है।
- वर्ष 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया था कि **L-G के पास स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने की शक्तियां नहीं हैं।** वह मंत्रिपरिषद की **सहायता और परामर्श** पर कार्य करने के लिए बाध्य है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCT) दिल्ली की शासन-व्यवस्था

- **केंद्र शासित प्रदेश (UT) के रूप में वर्गीकरण:** राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 के तहत **दिल्ली को एक UT के रूप में वर्गीकृत** किया गया है। ध्यातव्य है कि केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन का प्रावधान संविधान के **अनुच्छेद 239** के तहत किया गया है।
    - इस अनुच्छेद में यह उल्लेख किया गया है कि UTs का प्रशासन **सीधे राष्ट्रपति या राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासक द्वारा किया जाएगा।**
- **विशेष दर्जा: एस. बालाकृष्णन समिति** की सिफारिशों के बाद **69वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1991** द्वारा दिल्ली को विशेष दर्जा प्रदान किया गया था। साथ ही, इसे **राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली (NCTD)** के रूप में नामित किया गया था।
    - इस संशोधन द्वारा संविधान में **अनुच्छेद 239AA** को जोड़ा गया और दिल्ली को **विधान सभा एवं मंत्रिपरिषद** से युक्त एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया।
    - **उप-राज्यपाल (L-G) को दिल्ली के प्रशासक** के रूप में नामित किया गया। वह दिल्ली सरकार की मंत्रिपरिषद की सहायता और परामर्श से कार्य करता है।
- **दिल्ली विधान सभा की शक्तियां:** दिल्ली विधान सभा के पास **पुलिस, लोक व्यवस्था और भूमि को छोड़कर राज्य सूची एवं समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाने** की शक्ति है। साथ ही, दिल्ली सरकार को समान विषयों पर कार्यकारी शक्तियां भी प्राप्त हैं।
    - संसद दिल्ली से संबंधित **राज्य और समवर्ती सूची के सभी विषयों** पर कानून बना सकती है।
- **GNCTD अधिनियम:** GNCTD अधिनियम, 1991 के तहत दिल्ली विधान सभा और दिल्ली सरकार के काम-काज के लिए रूपरेखा तैयार की गई है।
    - इसके तहत विधान सभा की शक्तियों, L-G की विवेकाधीन शक्तियों और सरकार के काम-काज के संबंध में L-G को जानकारी प्रदान करने के मुख्यमंत्री के कर्तव्य को निर्धारित किया गया है।

दिल्ली की शासन व्यवस्था में चुनौतियां

- **अस्पष्ट स्थिति: अनुच्छेद 239 के साथ अनुच्छेद 1 को पढ़ने पर** यह स्पष्ट होता है कि UTs पूर्णतया राष्ट्रपति द्वारा शासित होंगे। हालांकि, दिल्ली की विशेष स्थिति प्रशासनिक प्रक्रिया में अस्पष्टता पैदा करती है।
- **राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की उपस्थिति:** राष्ट्रपति, संसद, सुप्रीम कोर्ट, अलग-अलग संवैधानिक पदाधिकारी, विदेशी राजनयिक मिशन, अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां आदि दिल्ली में स्थित हैं।

- इसलिए, NCT दिल्ली के प्रशासन और शासन में उच्चतम संभव राष्ट्रीय मानकों को बनाए रखने की आवश्यकता होती है।

- **राष्ट्रीय प्रतिष्ठा:** दिल्ली के संबंध में लिया गया कोई भी निर्णय संपूर्ण देश को प्रभावित करता है। इससे **राष्ट्रीय गौरव, देश की छवि, विश्वसनीयता और प्रतिष्ठा के प्रभावित होने** की संभावना होती है।
- **निर्णय लेने में देरी:** L-G और निर्वाचित सरकार के बीच असहमति के कारण निर्णय लेने में देरी होती है। इससे **शासन में अक्षमताएं और अनिश्चितताएं** पैदा होती हैं।

अधिनियम के मुख्य प्रावधान

- **राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण (NCCSA):** इस अधिनियम में **NCCSA** के गठन का प्रावधान किया गया है। इसका उद्देश्य **सेवाओं से संबंधित कुछ मामलों पर दिल्ली के L-G को सिफारिशें** करना है।

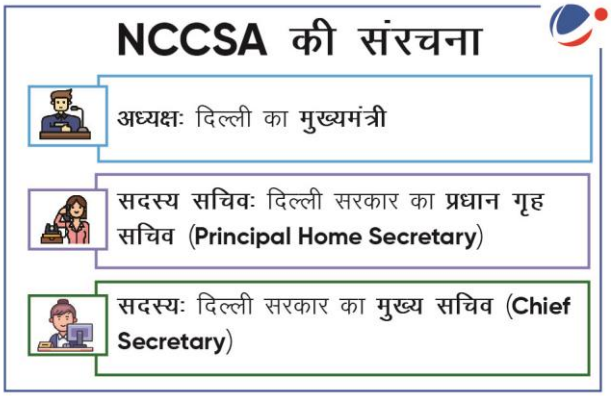

- **NCCSA की कार्यप्रणाली:** NCCSA में **अध्यक्ष के रूप में दिल्ली का मुख्यमंत्री** तथा सदस्य के रूप में दिल्ली सरकार का **प्रधान गृह सचिव** और दिल्ली सरकार का **मुख्य सचिव** होगा। ध्यातव्य है कि प्रधान गृह सचिव और मुख्य सचिव दोनों की **नियुक्ति केंद्र सरकार करेगी।**
  - इस प्राधिकरण के सभी निर्णय **उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत** के आधार पर लिए जाएंगे।
- **L-G की शक्तियां:** ऐसे मामलें, जिनमें L-G पूर्णतया अपने विवेक से कार्य कर सकता है, निम्नलिखित हैं:
  - ऐसे मामले जो **दिल्ली विधान सभा की विधायी क्षमता से बाहर** हैं, किंतु उन्हें L-G को सौंपा गया है, या
  - ऐसे मामले, जिनमें **L-G** को कानून द्वारा **अपने विवेक से कार्य** करना होता है,
  - ऐसे मामले जहां L-G को **कोई न्यायिक या अर्द्ध-न्यायिक कार्य करने की आवश्यकता** होती है।
- **L-G को प्रमुखता:** यह कानून L-G के **विवेकाधिकार का विस्तार** करता है। इसके तहत वह **NCCSA की सिफारिशों को स्वीकार** कर सकता है या उन्हें **पुनर्विचार** के लिए वापस भेज सकता है।
  - L-G और NCCSA के बीच मतभेद होने की स्थिति में, L-G का निर्णय अंतिम होगा।
- **मंत्रियों द्वारा मामलों का निपटान:** कुछ विशेष मामलों में आदेश जारी करने से पहले दिल्ली सरकार के मंत्रियों को मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव के माध्यम से **उन मामलों को L-G की राय हेतु उसके समक्ष प्रस्तुत** करना होगा। ये मामले निम्नलिखित से संबंधित हो सकते हैं-
  - दिल्ली में शांति व्यवस्था,
  - दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार, सुप्रीम कोर्ट या अन्य राज्य सरकारों के बीच संबंध,
  - विधान सभा सत्र को बुलाना, सत्रावसान एवं विघटन, तथा
  - ऐसे मामले जिन पर L-G को अपने विवेकाधिकार से आदेश देना है।
- **सचिवों के कर्तव्य:** संबंधित विभाग के सचिवों को ऐसे मामले, जो दिल्ली सरकार के लिए विवाद का कारण बन सकते हैं **L-G, मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव के संज्ञान में लाने होंगे।**

इस अधिनियम से संबंधित प्रमुख समस्याएं

- **केंद्र सरकार को शक्तियां:** यह कानून केंद्र सरकार को **दिल्ली में अधिकारियों के स्थानांतरण और पदस्थापन पर नियंत्रण प्रदान** करता है। यह **NCT दिल्ली सरकार बनाम भारत संघ वाद, 2023** में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए निर्णय के विपरीत है।
  - NCSSA की बैठक मुख्यमंत्री की उपस्थिति के बिना भी बुलाई जा सकती है, क्योंकि कोरम अथवा गणपूर्ति की संख्या मात्र **दो सदस्य** ही निर्धारित की गई है।
- **जवाबदेही की त्रिस्तरीय श्रृंखला: NCSSA को अधिकारियों के स्थानांतरण और पदस्थापन पर अधिकार प्रदान करने से जवाबदेही की त्रिस्तरीय श्रृंखला खंडित हो सकती है।**
  - सुप्रीम कोर्ट के अनुसार, लोकतांत्रिक सरकार जवाबदेही की त्रिस्तरीय श्रृंखला पर टिकी है:
    - सिविल सेवक मंत्रियों के प्रति जवाबदेह होते हैं,

    - मंत्री विधायिका के प्रति जवाबदेह होते हैं, और
    - विधायिका की जवाबदेही मतदाताओं के प्रति होती है।
  - यह कानून पहली श्रृंखला का खंडन करता है। इससे **संसदीय लोकतंत्र के सिद्धांत** का उल्लंघन हो सकता है, जो कि मूल ढांचा सिद्धांत का एक भाग है।
- **सामूहिक उत्तरदायित्व का उल्लंघन:** विभागीय सचिव संबंधित मंत्री से परामर्श किए बिना विशिष्ट मामलों को सीधे L-G, मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव के संज्ञान में लाएंगे।
- **L-G के विवेकाधिकार में वृद्धि:** अनुच्छेद 239AA के अनुसार, L-G जिन मामलों में अपने विवेकाधिकार से कार्य कर सकता है उन्हें छोड़कर, अन्य मामलों में मंत्रिपरिषद की सहायता और परामर्श से कार्य करेगा। इस अधिनियम के प्रावधान L-G की विवेकाधीन और अन्य प्रभावी शक्तियों का विस्तार करते हैं।
- **विवादास्पद मामलों के संबंध में स्पष्टता न होना:** इस कानून में उन मामलों को L-G के संज्ञान में लाने का प्रावधान किया गया है, जिनके कारण GNCTD और केंद्र सरकार के मध्य विवाद उत्पन्न हो सकता है। हालांकि, इस कानून में उन विवादास्पद मामलों को परिभाषित नहीं किया गया है।

आगे की राह

यह ध्यान में रखते हुए कि दिल्ली की प्रशासन प्रणाली लंबे समय से परिवर्तनशील रही है, इसे अधिक स्थायी प्रणाली बनाने के लिए निम्नलिखित विचारों को व्यवहार में लाया जा सकता है-

- **अलग-अलग मॉडल:** अन्य देशों में **राजधानी शहरों के प्रशासन के लिए अलग-अलग मॉडल** मौजूद हैं। दिल्ली के लिए एक मॉडल अपनाने हेतु इनका अध्ययन किया जा सकता है। इनमें निम्नलिखित शामिल हैं:
  - **संघीय जिले (Federal district) के रूप में राजधानी-** अबुजा, ब्राजीलिया, कैनबरा, वाशिंगटन डी.सी. आदि। इन शहरों में संघीय नियंत्रण का अलग-अलग स्तर देखा जा सकता है।
  - **शहर-राज्य के रूप में राजधानी-** बर्लिन, ब्रसेल्स, ब्यूनस आयर्स आदि। यहां सिटी गवर्नमेंट (नगरीय प्रशासन) राज्य के कार्य भी करता है।
  - **राज्य में एक शहर के रूप में राजधानी-** बर्न, ओटावा आदि। यहां राजधानी राज्य सरकार के अधीन एक नगर पालिका होती है।
  - **एक पूर्ण राज्य के रूप में राजधानी-** मेक्सिको सिटी।
- **निर्णयन का विकेंद्रीकरण:** निर्वाचित नगरपालिका परिषदों और क्षेत्रीय सरकार के साथ एक **दो-स्तरीय महानगरीय प्राधिकरण** का गठन किया जा सकता है। ऑस्ट्रेलिया में **सिडनी महानगरीय क्षेत्र** को 31 स्थानीय सरकारों में विभाजित किया गया है, जिनमें राज्य सरकार समन्वयक की भूमिका निभाती है।
- **कार्यक्षेत्र का सीमांकन:** केंद्र सरकार के कार्यालयों और उनके अनुषंगी कार्यालयों को केंद्रीय प्रशासन के अधीन किया जा सकता है, जबकि शेष NCT को दिल्ली राज्य के कार्यक्षेत्र के अधीन रहने दिया जा सकता है।
- **प्रवर्तनकारी शक्तियां:** नगरपालिकाओं को सिविल अनुपालन के लिए प्रवर्तनकारी शक्तियां प्रदान की जा सकती हैं, जिनका प्रयोग **सामुदायिक पुलिस अधिकारियों** के माध्यम से किया जा सकता है। वहीं दिल्ली पुलिस आपराधिक मामलों का निपटान कर सकती है।

"संघवाद: दिल्ली की विशेष स्थिति"" के बारे में और अधिक जानकारी के लिए कृपया जनवरी, 2023 की मासिक समसामयिकी देखें।

1.6. अविश्वास प्रस्ताव (No-confidence Motion)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, संसद के मानसून सत्र में केंद्र सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया।

अविश्वास प्रस्ताव के बारे में

- **अविश्वास प्रस्ताव:** यह एक **विधायी प्रस्ताव है।** इसे केवल **लोक सभा** में ही पेश किया जाता है। इसके द्वारा **विपक्ष सरकार के बहुमत और शासन करने की क्षमता को चुनौती** दे सकता है।
  - संसदीय लोकतंत्र में, कोई सरकार तभी सत्ता में रह सकती है जब उसके पास प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन अर्थात लोक सभा में बहुमत हो। इसका अर्थ है कि यदि अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है, तो मौजूदा सरकार गिर जाती है।
  - अविश्वास प्रस्ताव केवल **लोक सभा में उस सदन के किसी सांसद द्वारा ही लाया** जा सकता है।

- **संवैधानिक अनुच्छेद/ लोक सभा में कार्य संचालन के नियम:**
  - भारतीय संविधान के **अनुच्छेद 75(3)** में इस नियम का वर्णन किया गया है कि **मंत्रिपरिषद लोक सभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी।**
  - **लोक सभा के 'प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमों' के नियम 198** में मंत्रिपरिषद में अविश्वास प्रस्ताव के संबंध में प्रावधान किए गए हैं।
- **अविश्वास प्रस्ताव का आधार:** अविश्वास प्रस्ताव के लिए कोई आधार निर्धारित करने की आवश्यकता नहीं है।
  - यहां तक कि जब नोटिस में आधारों का उल्लेख किया जाता है और सदन में उन्हें पढ़ा जाता है, तब भी वे अविश्वास प्रस्ताव का हिस्सा नहीं होते हैं।
- **भाषण: जब तक सदन द्वारा प्रस्ताव पेश करने की अनुमति नहीं दी जाती, तब तक प्रस्ताव के समर्थन में कोई भी भाषण नहीं दिया जा सकता है।**
- **दोबारा नया प्रस्ताव:** एक अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होने और सदन द्वारा उसे अस्वीकार कर दिए जाने के बाद उसी सत्र में दूसरा अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता है।

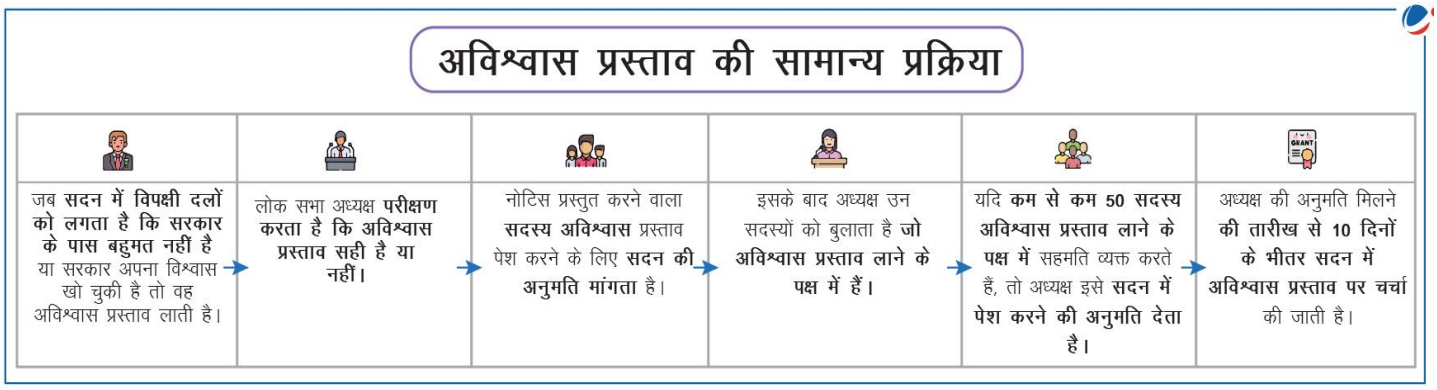

अविश्वास प्रस्ताव से संबंधित महत्वपूर्ण प्रभाव

- **राजनीतिक शून्यता:** अविश्वास प्रस्ताव के पारित होने पर मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ता है, जिससे राजनीतिक शून्यता की स्थिति पैदा हो सकती है।
- **प्रशासनिक चुनौती:** राजनीतिक कार्यकारिणी को अचानक हटाने से प्रशासनिक भ्रम और नीतिगत अनिश्चितता की स्थिति उत्पन्न हो सकती है।
- **संसदीय दक्षता:** राजनीतिक उद्देश्यों से लाए गए अविश्वास प्रस्ताव संसद में समय के इष्टतम उपयोग को प्रभावित (समय बर्बाद) करते हैं। उदाहरण के लिए, मौजूदा प्रस्ताव समेत संसद में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा करने में कुल 456 घंटे व्यय किए गए हैं।
- **राजकोष पर बोझ:** अविश्वास प्रस्ताव के पारित हो जाने के बाद यदि कोई अन्य दल बहुमत साबित नहीं कर पाता है, तो आम चुनाव कराने का बोझ अंतत: नागरिकों को ही वहन करना पड़ता है।

निष्कर्ष

भारत के संसदीय इतिहास का पहला अविश्वास प्रस्ताव **तीसरी लोक सभा** में पेश किया गया था, जिस पर लोक सभा में चर्चा हुई थी। तब से अब तक संसद में कुल 26 अविश्वास प्रस्तावों पर चर्चा हो चुकी है। इनमें से 25 अविश्वास प्रस्तावों को अस्वीकार कर दिया गया है। वर्ष 1979 में केवल एक बार अविश्वास प्रस्ताव के कारण सरकार को इस्तीफा देना पड़ा था। यह रिकॉर्ड सरकार को चुनौती देने के अवसर की व्यापकता और साथ ही, भारत की लोकतांत्रिक प्रणाली की स्थिरता को भी दर्शाता है।

1.7. मध्यस्थता विधेयक, 2023 (Mediation Bill, 2023)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, संसद के दोनों सदनों ने **मध्यस्थता विधेयक, 2023** पारित कर दिया है। इसका उद्देश्य भारत में मध्यस्थता को वैकल्पिक विवाद समाधान (ADR) के एक अधिमान्य तरीके के रूप में बढ़ावा देना है।

मध्यस्थता विधेयक, 2023 के बारे में

- **मध्यस्थता को परिभाषित करता है:** मध्यस्थता (मध्यकता) एक ऐसी प्रक्रिया होगी, जिसमें **मध्यस्थता, मुकदमा-पूर्व मध्यस्थता, ऑनलाइन मध्यस्थता, सामुदायिक मध्यस्थता, सुलह या समान अर्थ की कोई पदावली शामिल हो।**

- इसके तहत, संबंधित पक्ष तीसरे व्यक्ति की सहायता से अपने विवाद के **सौहार्दपूर्ण समाधान तक पहुंचने** का प्रयास करते हैं। इस **तीसरे व्यक्ति को मध्यस्थ** कहा जाता है।

- **मुकदमेबाजी से पहले स्वैच्छिक मध्यस्थता:** संबंधित पक्षों से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने सिविल या वाणिज्यिक विवादों का न्यायालय या किसी अधिकरण के पास जाने से पहले मध्यस्थता के जरिए समाधान करने का प्रयास करें।
- **मध्यस्थता के लिए अनुपयुक्त विवाद:** केंद्र सरकार ऐसे विवादों की सूची में संशोधन कर सकती है। **इस सूची में निम्नलिखित विवाद शामिल हैं:**
  - नाबालिगों या मानसिक रूप से अस्वस्थ लोगों से संबंधित विवाद,
  - दांडिक (क्रिमिनल) अपराध के अभियोजन से जुड़े विवाद,
  - तीसरे पक्ष के अधिकारों को प्रभावित करने वाले विवाद आदि।
- **प्रादेशिक क्षेत्राधिकार:** जब तक संबंधित पक्ष किसी अन्य तरीके से या **ऑनलाइन मोड में मध्यस्थता के लिए सहमत न हों,** तब तक मध्यस्थता, संबंधित क्षेत्राधिकार वाले न्यायालय या सक्षम क्षेत्राधिकार वाले अधिकरण के तहत होगी।
- **मध्यस्थता किए जाने की समय-सीमा:** इसे **120 दिनों** के भीतर पूरा किया जाना चाहिए। इसके अलावा, इस समय-सीमा को **पक्षों की सहमति से 60 दिनों** तक बढ़ाया जा सकता है।
  - एक पक्ष **दो सत्रों के बाद मध्यस्थता से हट** सकता है।
  - न्यायालय से संबंधित मध्यस्थता **सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट्स द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार की जानी चाहिए।**
- **भारतीय मध्यस्थता परिषद (MCI) की स्थापना:** इसके निम्नलिखित उद्देश्य हैं-
  - मध्यस्थता को बढ़ावा देना,
  - भारत को घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता के लिए एक मजबूत केंद्र के रूप में स्थापित करना और
  - मध्यस्थों के पंजीकरण के लिए नियम बनाना।
  - **MCI में निम्नलिखित शामिल होंगे-**
    - **एक अध्यक्ष,**
    - **दो पूर्णकालिक सदस्य-** मध्यस्थता या ADR का अनुभव रखने वाले हों,
    - **एक अंशकालिक सदस्य-** जिसमें विधि सचिव या व्यय सचिव शामिल होगा, और
    - **तीन पदेन सदस्य।**
- **मध्यस्थता सेवा प्रदाताओं को परिभाषित करता है:** यह मध्यस्थता सेवा प्रदाताओं को **MCI द्वारा मध्यस्थता करने के लिए अधिकृत निकाय या संगठन** के रूप में परिभाषित करता है।
  - **विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987** के तहत गठित प्राधिकरण भी मध्यस्थता कर सकता है।
- **सामुदायिक मध्यस्थता का आयोजन:** इसके तहत **तीन मध्यस्थों के एक पैनल** द्वारा किसी क्षेत्र के निवासियों के बीच शांति और सद्भाव को प्रभावित करने वाले विवादों का समाधान किया जा सकता है।
- **प्रवर्तनीयता:** मध्यस्थता द्वारा किए गए समझौते न्यायालय के निर्णयों के समान ही **बाध्यकारी और प्रवर्तनीय** होंगे।
  - हालांकि, मध्यस्थता के फैसले को **90 दिनों के भीतर सक्षम न्यायालय में चुनौती** दी जा सकती है।
  - मध्यस्थता द्वारा किए गए समाधान को **धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार, छद्मरूपण (impersonation) और मध्यस्थता के लिए अनुपयुक्त विवाद** के आधार पर चुनौती दी जा सकती है।

वैकल्पिक विवाद समाधान (ADR) के बारे में

- ADR **उन अलग-अलग तरीकों के बारे में बताता है, जिनका उपयोग करके लोग बिना किसी सुनवाई के विवादों का समाधान कर सकते हैं। ADR तंत्र में मध्यस्थता के अलावा निम्नलिखित शामिल हैं:**
  - **माध्यस्थम (Arbitration):** वह प्रक्रिया है, जिसमें पक्षों की सहमति से विवाद को एक या एक से अधिक मध्यस्थों के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है जो विवाद पर **बाध्यकारी** निर्णय देते हैं।
  - **सुलह (Conciliation):** यह एक **गैर-बाध्यकारी** प्रक्रिया है। इसमें एक निष्पक्ष तीसरा पक्ष होता है, जिसे सुलहकर्ता कहते हैं। सुलहकर्ता विवाद के **पारस्परिक रूप से संतोषजनक सहमत समाधान** तक पहुंचने में विवाद के पक्षों की सहायता करता है।
  - **बातचीत या समझौता-वार्ता (Negotiation):** यह एक **गैर-बाध्यकारी** प्रक्रिया है। इसमें विवाद का बातचीत के जरिए समाधान निकालने के उद्देश्य से विवाद के पक्षों के बीच वार्ता शुरू की जाती है। इस वार्ता में किसी तीसरे पक्ष द्वारा हस्तक्षेप नहीं किया जाता है।

- **भारत में ADR को बढ़ावा देने के लिए उठाए गए अन्य कदम**
  - **भारतीय मध्यस्थता परिषद की स्थापना के लिए मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 तथा मध्यस्थता और सुलह (संशोधन) अधिनियम, 2019 पारित** किए गए हैं।
  - **विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987** लागू किया गया है।
  - संस्थागत मध्यस्थता की सुविधा हेतु **NDIAC** की स्थापना के लिए **नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र (NDIAC) अधिनियम, 2019** पारित किया गया है।
  - **वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 वाणिज्यिक विवादों के निपटान** के लिए वाणिज्यिक न्यायालयों का प्रावधान करता है।

मध्यस्थता विधेयक की आवश्यकता क्यों?

- **समर्पित अधिनियम का अभाव:** वर्तमान में मध्यस्थता के अलग-अलग पहलुओं को विनियमित करने वाला कोई व्यापक कानून नहीं है।
- **न्यायालय के बोझ में कमी:** विधि और न्याय मंत्रालय के अनुसार अलग-अलग न्यायालयों में 5.02 करोड़ मामले लंबित हैं। इस संख्या को कम करने के लिए मध्यस्थता विधेयक एक महत्वपूर्ण कदम है।
- **सौहार्दपूर्ण समाधान:** मध्यस्थता विवाद के अलग-अलग पक्षों के बीच सौहार्दपूर्ण संबंधों को बनाए रखने में सहयोग करता है। साथ ही, यह भविष्य में होने वाले किसी भी विवाद की संभावना को भी कम करता है।
- **सिंगापुर कन्वेंशन की प्रतिबद्धता को पूरा करना:** यह **मध्यस्थता से उत्पन्न अंतर्राष्ट्रीय समाधान समझौतों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन**[13] के हस्ताक्षरकर्ता के रूप में भारत की प्रतिबद्धता के भी अनुरूप है। इस कन्वेंशन को **मध्यस्थता पर सिंगापुर कन्वेंशन** भी कहा जाता है।
- **मध्यस्थता की लागत में कमी करना:** यह विधेयक ऑनलाइन मध्यस्थता की अवधारणा प्रस्तुत करता है। इससे वादियों की यात्रा संबंधी लागत में कमी हो सकती है।
- **समय की बचत:** न्यायालयों की तुलना में लोग कम समय में अपने विवादों का समाधान कर सकते हैं।

विधेयक से संबंधित चिंताएं

- **ऑनलाइन मध्यस्थता:** नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार, भारत के केवल 55% लोगों को इंटरनेट तक पहुंच प्राप्त है और केवल 27% के पास ही इसके लिए आवश्यक उपकरण हैं।
- **पूर्व-अनुमोदन:** मध्यस्थता परिषद को अपने आवश्यक कार्यों से संबंधित नियम जारी करने से पहले केंद्र सरकार से पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता होती है।
  - इससे **हितों के टकराव** में वृद्धि होगी, क्योंकि भारत में सर्वाधिक वाद सरकार से संबंधित है, अर्थात सरकार देश में सबसे बड़ी वादी है।
- **अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता का मुद्दा:** यह भारत के बाहर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता के परिणामस्वरूप होने वाले निपटान समझौतों को लागू करने का प्रावधान नहीं करता है।
- **यह गोपनीयता के उल्लंघन की स्थिति में कोई दंड/ दायित्व निर्धारित नहीं करता है।**

आगे की राह

- **सरकार से संबंधित विवादों को शामिल करना:** स्थायी समिति ने सिफारिश की थी कि सरकार से संबंधित विवादों को भी इस विधेयक में शामिल किया जाना चाहिए।
- **गोपनीयता संबंधी समझौता:** किसी मध्यस्थता की शुरुआत के साथ ही गोपनीयता के किसी भी संभावित उल्लंघन को रोकने के लिए एक औपचारिक समझौता भी किया जाना चाहिए।
  - साथ ही, **गोपनीयता के उल्लंघन की स्थिति में दंड/ दायित्व का प्रावधान भी किया जाना चाहिए।**
- **मध्यस्थता के लिए अनुपयुक्त विवादों की सूची से कुछ विवादों को हटाना:** मुकदमेबाजी से पहले मध्यस्थता के माध्यम से ही अधिकतम विवादों का निपटान सुनिश्चित किया जाना चाहिए। इसके लिए इस सूची में विवादों की संख्या को कम किए जाने की आवश्यकता है।

1.8. सेलिब्रिटिज़, इन्फ्लुएंसर्स और वर्चुअल इन्फ्लुएंसर्स के लिए दिशा-निर्देश (Guidelines for Celebrities, Influencers, and Virtual Influencers)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, **भारतीय विज्ञापन मानक परिषद (ASCI)**[14] **ने डिजिटल मीडिया में इन्फ्लुएंसर्स द्वारा किए जाने वाले विज्ञापनों हेतु व्यापक दिशा-निर्देश** जारी किए हैं।

[13] United Nations Convention on International Settlement Agreements Resulting from Mediation

अन्य संबंधित तथ्य

- ये दिशा-निर्देश **'भ्रामक विज्ञापनों और भ्रामक विज्ञापनों के समर्थन की रोकथाम दिशा-निर्देश, 2022'** का विस्तार हैं।
- **उपभोक्ता मामलों का विभाग** सक्रिय रूप से इन दिशा-निर्देशों की निगरानी और कार्यान्वयन करेगा। यह विभाग **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अधीन** है।
- नए दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने पर इन्फ्लुएंसर्स को **उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019** के तहत दंडित किया जा सकता है।

सेलिब्रिटिज़, इन्फ्लुएंसर्स और वर्चुअल इन्फ्लुएंसर्स के लिए प्रमुख प्रावधान

- **सभी के लिए दिशा-निर्देश:**
  - **प्रकटीकरण: विज्ञापनदाता** और **इन्फ्लुएंसर** के बीच **सभी भौतिक संबंधों (जैसे- मौद्रिक या अन्य पारितोषिक, निःशुल्क उत्पाद आदि) का खुलासा करना अनिवार्य है।**
    - इसका उल्लेख **ईमानदारी एवं स्पष्ट** रूप से किया जाना चाहिए, ताकि एक **औसत उपभोक्ता को भी इसके बारे में स्पष्ट जानकारी प्राप्त** हो सके।
    - **विज्ञापन, प्रायोजित, सहभागिता और भुगतान युक्त प्रचार** (Paid Promotion) जैसी शब्दावलियों का प्रयोग किया जा सकता है। इन्हें **हैशटैग या हेडलाइन टेक्स्ट** के रूप में दर्शाया जाना चाहिए।
  - **यथोचित उत्तरदायित्व:** विज्ञापनकर्ताओं (Endorsers) को **गहन समीक्षा करने** और यह सुनिश्चित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है कि वे विज्ञापन में किए गए दावों को **प्रमाणित करने** की स्थिति में हैं।
    - उन्हें किसी **उत्पाद या सेवा** का विज्ञापन करने से पहले उसका **उपयोग या अनुभव** करना होगा।
    - इन्फ्लुएंसर को **झूठे, भ्रामक या अतिरंजित दावे करने से बचना** चाहिए।
- **स्वास्थ्य से संबंधित इन्फ्लुएंसर के लिए:**
  - **प्रमाणीकरण के बारे में बताना:** प्रमाणित चिकित्सकों और स्वास्थ्य एवं फिटनेस विशेषज्ञों को जानकारी साझा करते समय या प्रचार करते समय यह बताना होगा कि वे प्रमाणित स्वास्थ्य/फिटनेस विशेषज्ञ एवं चिकित्सा व्यवसायी हैं।
  - **डिस्क्लेमर:** विज्ञापनकर्ताओं को यह सुनिश्चित करना होगा कि दर्शक उनकी (विज्ञापनकर्ताओं) पुष्टि को पेशेवर चिकित्सा सलाह, निदान या उपचार के विकल्प के रूप में नहीं देखें।

'भ्रामक विज्ञापनों और भ्रामक विज्ञापनों के समर्थन की रोकथाम दिशा-निर्देश, 2022

- **मुख्य दिशा-निर्देश:**
  - **सरोगेट विज्ञापनों पर रोक: उन वस्तुओं या सेवाओं के लिए कोई सरोगेट विज्ञापन नहीं किया जाएगा**, जिनका विज्ञापन निषिद्ध या प्रतिबंधित है। जैसे अल्कोहल ब्रांड सोडा/ संगीत का विज्ञापन करते हैं।
  - **बच्चों को लक्षित करने पर प्रतिबंध: बच्चों की अनुभवहीनता का फायदा उठाने वाले** विज्ञापनों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।
  - **जुर्माना:** इन दिशा-निर्देशो का उल्लंघन होने पर **उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019** और कानून के अन्य प्रासंगिक प्रावधानों के तहत जुर्माना लगाया जा सकता है।
    - **केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण** (CCPA)[15] विनिर्माताओं, विज्ञापनदाताओं और विज्ञापनकर्ताओं पर **10 लाख रुपये** तक का जुर्माना लगा सकता है। इसके बाद के उल्लंघनों के लिए **50 लाख रुपये** तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।

- **फिनफ्लुएंसर (Finfluencers) के लिए:**
  - **पंजीकरण: भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI)** में पंजीकरण के बाद ही वे बैंकिंग, वित्तीय सेवाओं और बीमा (BFSI) जैसे विषयों पर **निवेश संबंधी सलाह** दे सकते हैं।

[14] Advertising Standards Council of India

[15] Central Consumer Protection Authority

- **अन्य वित्तीय** इन्फ्लुएंसर के पास भी **उचित प्रमाण-पत्र** होने चाहिए, **जैसे कि भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI) से प्राप्त लाइसेंस।**

इन दिशा-निर्देशों की आवश्यकता क्यों?

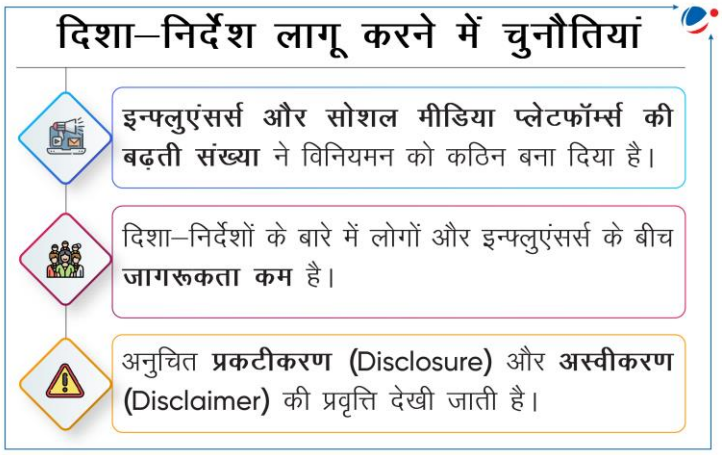

- **ये उपभोक्ताओं के निर्णयन को प्रभावित करते हैं:** लोग सेलिब्रिटिज़, इन्फ्लुएंसर और वर्चुअल इन्फ्लुएंसर पर विश्वास करते हैं। वे जो कुछ भी कहते हैं या जिस चीज का प्रचार करते हैं, लोग उनका अनुसरण करने लगते हैं।
  - इसके **वित्तीय क्षति, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आदि नकारात्मक परिणाम** हो सकते हैं।
  - इससे **चुनने के अधिकार, सूचना के अधिकार और हानिकारक उत्पादों एवं सेवाओं के विरुद्ध रक्षोपाय के अधिकार** का उल्लंघन होता है।
- **इन्फ्लुएंसर के प्रभाव क्षेत्र का विस्तार: सोशल इन्फ्लुएंसर के बाजार का तीव्र प्रसार हो रहा है।** वर्ष 2025 तक इसका मूल्य लगभग 2,800 करोड़ रुपये तक हो सकता है।
  - **प्रचार गतिविधियों** के लिए सोशल मीडिया का उपयोग निरंतर बढ़ रहा है। साथ ही, **ASCI** ने बताया है कि उसके पास जिन विज्ञापनों के खिलाफ शिकायत की गई है, उनमें से लगभग 30% इन्फ्लुएंसर द्वारा किए गए उल्लंघन से जुड़े मामले हैं।
  - लोगों के पास सेलिब्रिटिज़ (उदाहरण के लिए किसी क्रिकेटर) के बारे में पर्याप्त जानकारी हो सकती है, किन्तु उन्हें इन्फ्लुएंसर के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं होती है।
- **सेलिब्रिटिज और इन्फ्लुएंसर के लिए स्पष्टता:** ये दिशा-निर्देश सेलिब्रिटिज और इन्फ्लुएंसर की **उनके सामाजिक उत्तरदायित्व को समझने में सहायता करेंगे।** साथ ही, ये निर्देश उन्हें उनका अनुसरण करने वाले उपभोक्ताओं के प्रति अधिक संवेदनशील भी बनाएंगे।
- **भ्रामक मार्केटिंग:** अर्थात यह सूचित किए बिना विज्ञापन करना कि यह एक विज्ञापन है।
  - इसके अलावा, वे स्वयं के बैंकिंग, वित्तीय सेवाओं व बीमा (BFSI), स्वास्थ्य एवं पोषण उत्पादों तथा सेवाओं के क्षेत्र में विशेषज्ञ होने का दावा करते हैं, लेकिन वास्तविकता इससे अलग हो सकती है।

निष्कर्ष

ये दिशा-निर्देश उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने में सहायता करेंगे। साथ ही, ये भ्रामक विज्ञापनों पर रोक लगाकर विज्ञापनों में पारदर्शिता लाएंगे। इसके अलावा, ये उपभोक्ताओं को प्रचार सामग्री की पहचान करने और उत्पादों या सेवाओं पर सोच-विचार कर निर्णय लेने में मदद करेंगे।

1.9. जन्म और मृत्यु पंजीकरण (संशोधन) अधिनियम, 2023 {Registration of Birth and Death (Amendment) Act, 2023}

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, **जन्म और मृत्यु पंजीकरण (संशोधन) अधिनियम, 2023** पारित किया गया है। यह **जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969** को संशोधित करेगा।

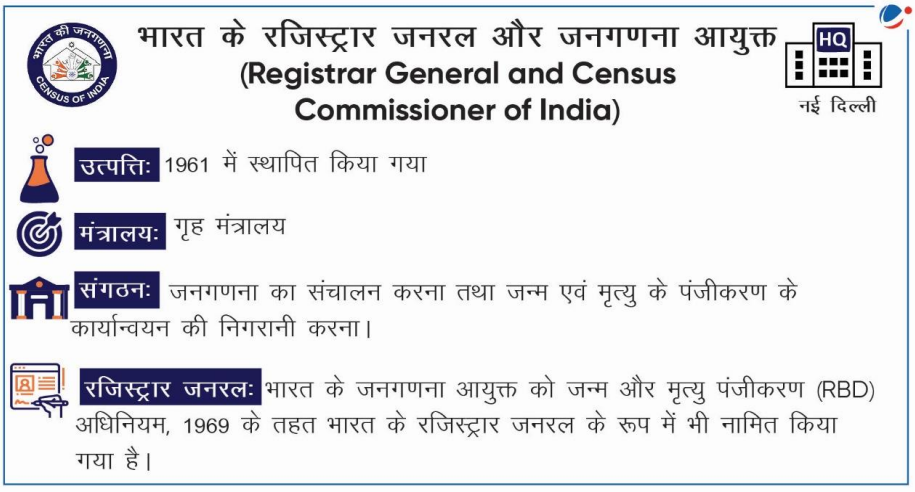

पृष्ठभूमि

- **जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के मुख्य उपबंधों पर एक नज़र**
  - यह भारत में **जन्म और मृत्यु के विनियमन और पंजीकरण** का प्रावधान करता है।

- यह इस अधिनियम के कार्यान्वयन हेतु **भारत के रजिस्ट्रार जनरल (RGI)** की नियुक्ति का प्रावधान करता है। इसकी नियुक्ति **केंद्र सरकार** द्वारा की जाएगी।
- इस अधिनियम को **राज्य, जिला और स्थानीय** स्तर पर लागू करने हेतु क्रमशः **मुख्य रजिस्ट्रार, जिला रजिस्ट्रार और रजिस्ट्रार** की नियुक्ति की जाएगी। इनकी नियुक्ति **राज्य सरकार** द्वारा की जाएगी।
- इसमें रजिस्ट्रार को जन्म और मृत्यु की **रिपोर्ट** सौंपने के लिए कुछ विशेष लोगों (जैसे अस्पताल में **प्रभारी चिकित्सा अधिकारी**) की व्यवस्था का भी प्रावधान किया गया है।
- यह **रजिस्टर से किसी भी व्यक्ति के जन्म या मृत्यु से संबंधित प्रमाण प्राप्त करने** की सुविधा प्रदान करता है।
- घर में होने वाले/ वाली जन्म या मृत्यु के संबंध में, **घर के मुखिया** का यह कर्तव्य है कि वह RGI को इसकी रिपोर्ट दे। यदि जन्म या मृत्यु किसी **अस्पताल में होता/ होती** है, तो इसकी रिपोर्टिंग के लिए उस अस्पताल का **प्रभारी चिकित्सा अधिकारी** उत्तरदायी होता है।
- **बच्चे के नाम के बिना** भी जन्म प्रमाण-पत्र प्राप्त किया जा सकता है।

- जन्म और मृत्यु का पंजीकरण **समवर्ती सूची के अंतर्गत** आता है।
- वर्ष 2019 तक, राष्ट्रीय स्तर पर जन्म और मृत्यु के आकड़ों का पंजीकरण स्तर क्रमशः 93% व 92% था।
- **वर्ष 1969** के अधिनियम को अभी तक **संशोधित नहीं किया गया था,** इसलिए निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए नया संशोधन लाया गया है:
  - सामाजिक परिवर्तन एवं तकनीकी प्रगति के साथ तालमेल बनाए रखने तथा इस अधिनियम को और अधिक नागरिक-अनुकूल बनाने हेतु।
  - लोक सेवाओं और सामाजिक लाभों का कुशल एवं पारदर्शी वितरण सुनिश्चित करने हेतु।

जन्म और मृत्यु (संशोधन) अधिनियम, 2023 के मुख्य उपबंधों पर एक नज़र

- **जन्म और मृत्यु का डेटाबेस:** इस अधिनियम में यह उपबंध किया गया है कि **भारत का रजिस्ट्रार जनरल (RGI) पंजीकृत जन्म और मृत्यु का एक राष्ट्रीय डेटाबेस बनाए रखेगा।**
  - पंजीकृत जन्म एवं मृत्यु के आंकड़ों को राष्ट्रीय डेटाबेस के साथ साझा करने का दायित्व **मुख्य रजिस्ट्रार और रजिस्ट्रार** को सौंपा गया है।
  - **राज्य स्तर** पर मुख्य रजिस्ट्रार **भी एक ऐसा ही डेटाबेस** बनाए रखेगा।
- **इलेक्ट्रॉनिक प्रमाण-पत्र:** अधिनियम के तहत जन्म एवं मृत्यु के प्रमाण-पत्रों के डिजिटल पंजीकरण और इलेक्ट्रॉनिक वितरण का प्रावधान किया गया है।
- **आधार से लिंक करना:** जन्म पंजीकरण के मामले में **माता-पिता और सूचना देने वाले का आधार नंबर दर्ज किया जाएगा।**
- **कनेक्टिंग डेटाबेस:** अधिनियम के तहत यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रीय डेटाबेस को **जनसंख्या रजिस्टर, मतदाता सूची, राशन कार्ड** जैसे अन्य डेटाबेस तैयार करने या बनाए रखने वाले अन्य अधिकारियों को उपलब्ध कराया जा सकता है।
- **जन्म प्रमाण-पत्र का उपयोग:** जन्म से संबंधित जानकारी का उपयोग **शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश, मतदाता सूची तैयार करने, सरकारी पद पर नियुक्ति** सहित अन्य उद्देश्यों के लिए किया जाएगा।
- **अपील प्रक्रिया:** रजिस्ट्रार या जिला रजिस्ट्रार द्वारा की गई **किसी भी कार्रवाई या आदेश से असहमत कोई भी व्यक्ति** क्रमशः जिला रजिस्ट्रार या मुख्य रजिस्ट्रार के पास अपील कर सकता है।

इस अधिनियम से संबंधित चिंताएं:

- **यह मूल अधिकार के विरुद्ध है।**
  - **जन्म प्रमाण-पत्र के बिना स्कूल में प्रवेश न देना** अनुच्छेद 21A के तहत शिक्षा के मूल अधिकार का उल्लंघन हो सकता है।
  - किसी व्यक्ति के डेटा को डेटाबेस से लिंक करने के लिए उस व्यक्ति की सहमति की आवश्यकता नहीं है। यह उपबंध **निजता के अधिकार** के खिलाफ है।

- **आयु संबंधी एकमात्र निर्णायक प्रमाण:** यदि किसी व्यक्ति के पास जन्म प्रमाण-पत्र नहीं है, तो इस अधिनियम में आयु के संबंध में वैकल्पिक प्रूफ या सबूत प्रदान करने का प्रावधान नहीं किया गया है।
- **निगरानी की स्थिति:** जन्म और मृत्यु की सूचनाओं को एक केंद्रीकृत डेटाबेस तक पहुंचने से पहले अनेक नामित अधिकारियों से होकर गुजरना होता है। इससे डेटा के अनेक लोगों के सामने प्रकट होने की संभावना उत्पन्न होती है।

निष्कर्ष

अपने कार्यान्वयन के दौरान यह अधिनियम, ई-गवर्नेंस में मदद करेगा। यद्यपि, अधिनियम के तहत डेटाबेस को डेटा के व्यवस्थित संग्रह (जिसे सामान्यतः एक कंप्यूटर नेटवर्क द्वारा इलेक्ट्रॉनिक रूप में संग्रहीत और एक्सेस किया जाएगा) के रूप में परिभाषित किया गया है; फिर भी उपर्युक्त मुद्दों से निपटने के लिए सरकार द्वारा गोपनीयता और निगरानी से संबंधित मजबूत कानून लाने की आवश्यकता है।

1.10. संक्षिप्त सुर्ख़ियां (News in Shorts)

1.10.1. प्रेस और पत्रिका पंजीकरण (PRP) विधेयक, 2023 {Press and Registration of Periodicals (PRP) Bill, 2023}

- प्रेस और पत्रिका पंजीकरण (PRP) विधेयक, 2023 राज्य सभा में पेश किया गया। इस विधेयक का उद्देश्य **प्रेस और पुस्तक पंजीकरण (PRB) अधिनियम, 1867** को प्रतिस्थापित करना है। यह अधिनियम **देश में प्रिंट और प्रकाशन उद्योग के पंजीकरण को शासित** करता है।
- **विधेयक के मुख्य प्रावधान**
  - केंद्र सरकार **देश में एक प्रेस रजिस्ट्रार जनरल (PRG)** को नियुक्त कर सकती है। साथ ही, **PRG को पंजीकरण प्रमाण-पत्र को निलंबित/ रद्द** करने का अधिकार दे सकती है।
  - यह **आतंकवादी या गैर-कानूनी गतिविधियों से जुड़े अपराधों के दोषी व्यक्तियों को पत्रिकाएं प्रकाशित करने से प्रतिबंधित** करता है।
  - PRB अधिनियम 1867 के तहत उल्लिखित **कुछ कृत्यों को अपराध की श्रेणी से हटा** दिया गया है। उदाहरण के लिए, आपराधिक मामलों की अनुचित घोषणा आदि।
  - **भारतीय प्रेस परिषद के अध्यक्ष की अध्यक्षता में एक अपीलीय बोर्ड (प्रेस और पंजीकरण अपीलीय बोर्ड) का प्रावधान** किया गया है।
    - यह बोर्ड PRG द्वारा **पंजीकरण देने से इनकार करने, जुर्माना लगाने या पंजीकरण के निलंबन/ रद्द करने** के खिलाफ अपीलों की सुनवाई करेगा।
  - **किताबों** (जो पहले PRP अधिनियम, 1867 के अधीन थी) को **PRB विधेयक, 2023 के दायरे से बाहर** कर दिया गया है। इसका कारण यह है कि एक विषय के रूप में पुस्तकों का प्रबंधन शिक्षा मंत्रालय द्वारा किया जाता है।
- **विधेयक का महत्त्व:**
  - पत्रिकाओं की **पंजीकरण प्रक्रिया को सरल** बनाता है। साथ ही, प्रेस एवं पत्रिकाओं के गवर्नेंस में **पारदर्शिता** सुनिश्चित करने का प्रयास करता है।
  - **मीडिया की स्वतंत्रता को बनाए** रखता है।
  - विशेष रूप से छोटे और मध्यम स्तर के प्रकाशकों के लिए **ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस** को बेहतर बनाता है।

PRB अधिनियम 1867 के बारे में

- इसे वायसराय **लॉर्ड जॉन लॉरेंस** के कार्यकाल के दौरान पारित किया गया था।
- 1867 के अधिनियम ने सरकारों को **प्रेस को नियंत्रित करने, पुस्तक प्रकाशन को विनियमित करने तथा वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाने** में मदद की थी।

1.10.2. अधिवक्ता (संशोधन) विधेयक, 2023 {Advocates (Amendment) Bill, 2023}

- राज्य सभा में अधिवक्ता (संशोधन) विधेयक, 2023 को पारित कर दिया है। इस विधेयक के जरिए **'टाउटिंग' के कृत्य** को दंडनीय बनाया गया है। साथ ही, विधि व्यवसायी अधिनियम, 1879 के कुछ अप्रचलित प्रावधानों को निरस्त करने के भी उपबंध किए गए हैं।
- **विधेयक के प्रावधान**
  - विधेयक में प्रावधान किया गया है कि **प्रत्येक हाई कोर्ट और जिला न्यायाधीश** टाउट्स की सूची तैयार और प्रकाशित कर सकते हैं।
  - **टाउट्स** की सूची में नामित ऐसे व्यक्तियों को न्यायालय परिसर में प्रवेश करने से वर्जित किया जाएगा।
    - टाउट एक प्रकार का ब्रोकर होता है, जो क्लाइंट को भुगतान के बदले वकील उपलब्ध करवाता है।

QUIZ **SMART QUIZ**	विषय की समझ और अवधारणाओं के स्मरण की अपनी क्षमता के परीक्षण के लिए आप हमारे ओपन टेस्ट ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर **राजव्यवस्था** से संबंधित स्मार्ट क्विज़ का अभ्यास करने हेतु इस QR कोड को स्कैन कर सकते हैं।	

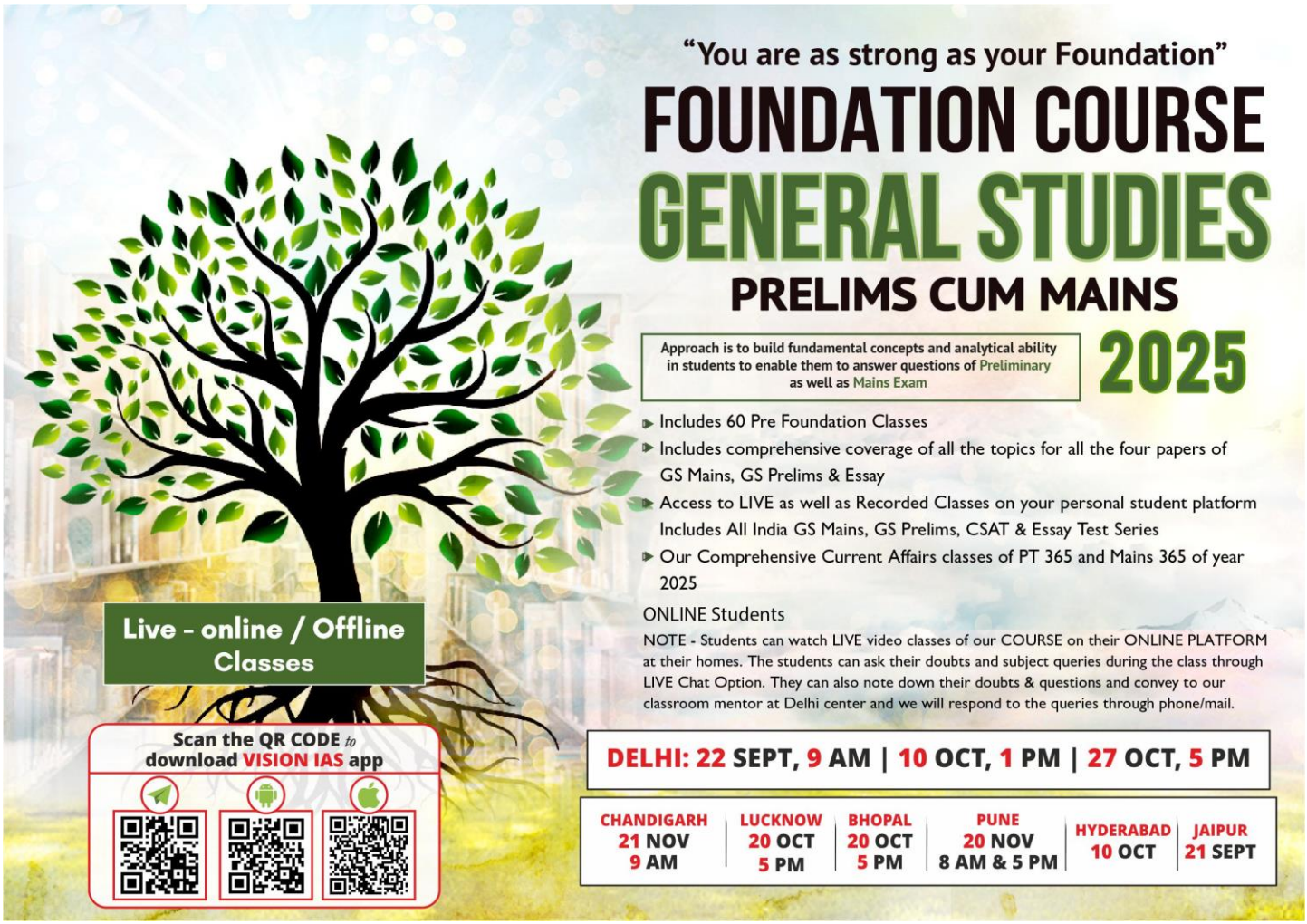

2. अंतर्राष्ट्रीय संबंध (International Relations)

2.1. भारत-ग्रीस (India-Greece)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, चार दशकों में पहली बार किसी भारतीय प्रधान मंत्री ने ग्रीस की राजकीय यात्रा की।

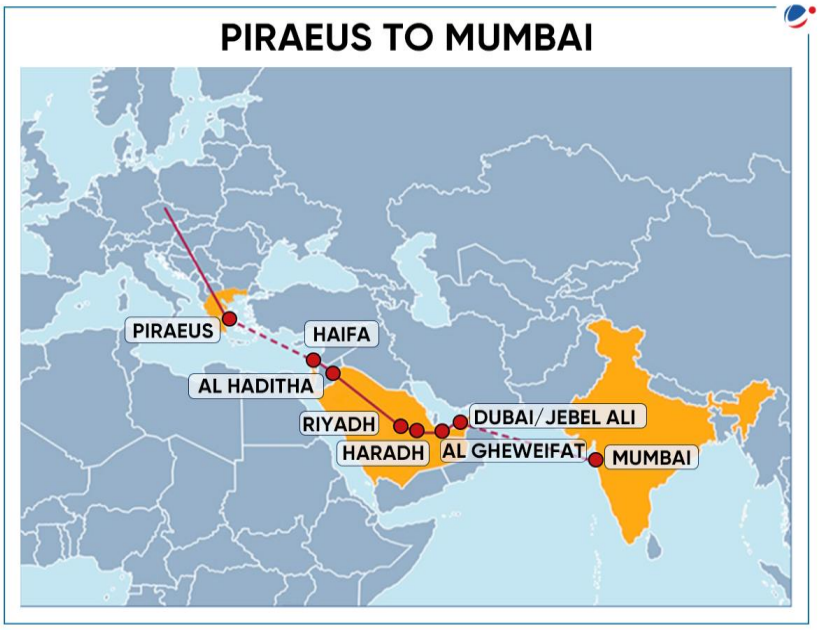

अन्य संबंधित तथ्य

- भारत व ग्रीस, दोनों देशों ने अपने द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने तथा राजनीतिक, रक्षा एवं आर्थिक क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को और अधिक मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की है।
- इस यात्रा के दौरान भारतीय प्रधान मंत्री को ग्रीस के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान **"द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर"** से सम्मानित किया गया।
- **प्रधान मंत्री की यात्रा के मुख्य परिणाम:**
  - भारत ने **अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA) में ग्रीस का स्वागत** किया। साथ ही, भारत ने कहा कि वह **आपदा-रोधी अवसंरचना के लिए गठबंधन (CDRI)**[16] में ग्रीस के शामिल होने के प्रति आशान्वित है।
  - दोनों देश **प्राचीन स्थलों के संरक्षण और सुरक्षा में संयुक्त प्रयासों को बढ़ावा देने, तथा यूनेस्को के भीतर सहयोग को मजबूत करने** पर सहमत हुए हैं।
  - इसके अलावा, दोनों देशों के बीच कार्यबल के मुक्त आवागमन को सुविधाजनक बनाने के लिए **आवागमन और प्रवासन साझेदारी समझौते (MMPA)**[17] को शीघ्र अंतिम रूप देने पर सहमति बनी।

भारत के लिए ग्रीस का महत्त्व

- **वैश्विक मंचों पर समर्थन:** ग्रीस ने **परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह (NSG) में भारत की सदस्यता और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता के दावे का समर्थन** किया है।
- **भू-राजनीतिक: ग्रीस और आर्मेनिया के साथ भारत के संबंध** एक उभरती हुई **तुर्की-पाकिस्तान-अज़रबैजान सैन्य धुरी** के संदर्भ में महत्वपूर्ण हैं। इन संबंधों के जरिए भारत इस क्षेत्र में चीन की बढ़ती **उपस्थिति को प्रतिसंतुलित** कर सकता है।
  - उल्लेखनीय है कि तुर्की-पाकिस्तान-अज़रबैजान सैन्य धुरी को सामान्यतः **ग्री ब्रदर्स** के रूप में जाना जाता है।
- **भू-सामरिक:** ग्रीस की सीमा **भूमध्य सागर** से लगती है, जो तीन महाद्वीपों अर्थात् **एशिया, अफ्रीका और यूरोप में फैला** हुआ है। इस प्रकार **ग्रीस के साथ भारत के मजबूत संबंध भूमध्यसागरीय क्षेत्र में भारत की पहुंच को बढ़ाने** में मदद कर सकते हैं।
  - भूमध्यसागरीय क्षेत्र भारत की **हिंद-प्रशांत नीति** के लिए भी महत्वपूर्ण है।
- **यूरोपीय बाजार तक पहुंच:** भारत ग्रीस के **पीरियस बंदरगाह के माध्यम से मुंबई और यूरोपीय मुख्य भूमि के बीच एक मल्टी-मॉडल लिंक स्थापित** करने पर विचार कर रहा है।
  - इससे यूरेशियाई बाजारों में भारतीय वस्तुओं की तेजी से शिपमेंट संभव हो सकेगी।
  - यह G20 शिखर सम्मेलन 2023 में नव घोषित **भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारे** का भी हिस्सा है (इस गलियारे का विवरण करेंट अफेयर्स के सितंबर, 2023 अंक में प्रकाशित किया जाएगा)।

---

[16] Coalition for Disaster Resilient Infrastructure

[17] Mobility and Migration Partnership Agreement

- **ऊर्जा केंद्र:** भूमध्यसागरीय क्षेत्र में **तेल (1.7 बिलियन बैरल) और गैस (112 ट्रिलियन क्यूबिक फीट)** के विशाल भंडार मौजूद हैं। इन संसाधनों के जरिए भारत अपनी बढ़ती ऊर्जा मांग को पूरा कर सकता है और अपनी ऊर्जा सुरक्षा में वृद्धि कर सकता है।
    - ग्रीस में सूर्यातप की प्रचुर मात्रा और इसकी मजबूत पवन ऊर्जा क्षमता विद्युत उत्पादन के लिए पर्याप्त अप्रयुक्त अवसर प्रस्तुत करती है।
- **रक्षा और सुरक्षा:** ग्रीस का रक्षा व्यय 2019 में 5 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। यह 2022 में बढ़कर 8.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया था। इस प्रकार यह **भारत के रक्षा निर्यात के लिए एक संभावित बाजार** सिद्ध हो सकता है।
    - इसके अलावा, भारत और ग्रीस ने **भूमध्य सागर में संयुक्त नौसैनिक अभ्यास** में भी भाग लिया है। साथ ही, इस वर्ष बहुराष्ट्रीय वायु सेना अभ्यास **INIOCHOS-23** में भी भाग लिया था।

भारत-ग्रीस संबंधों से जुड़ी चिंताएं

- **द्विपक्षीय संबंधों की कमी:** दोनों देशों के मध्य पिछले चार दशकों से उच्च स्तरीय वार्ता की अनुपस्थिति के परिणामस्वरूप **मजबूत रणनीतिक संबंध विकसित नहीं** हो पाए हैं।
- **चीन की उपस्थिति:** चीनी स्वामित्व वाली शिपिंग कंपनी COSCO/ कॉस्को की पीरियस बंदरगाह में लगभग 60% हिस्सेदारी है। यह कंपनी बंदरगाह के माध्यम से भारत की कनेक्टिविटी परियोजनाओं और व्यापार के अवसरों में बाधा उत्पन्न कर सकती है।
- **कम व्यापार और निवेश:** ग्रीस के साथ भारत के व्यापार संबंधों को सीमित व्यावसायिक अवसरों, अपर्याप्त निवेश एवं पूंजी प्रवाह, निर्यात को बढ़ावा देने में सक्षम उद्यमों की कमी जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।

आगे की राह

- **संबंधों को मजबूत करना:** ग्रीस और साइप्रस दोनों यूरोपीय संघ के सदस्य देश हैं। ये देश यूरोपीय संघ और भारत के बीच एक सेतु के रूप में कार्य कर सकते हैं। अत: इन देशों के साथ द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए भारत को तत्काल कदम उठाने की आवश्यकता है।
- **विकासात्मक सहयोग:** भारत अपनी लाइन ऑफ क्रेडिट का विस्तार कर सकता है। इसके अलावा, चीन की उपस्थिति से निपटने के लिए भारत अपनी सॉफ्ट पावर और प्रवासी भारतीयों की मदद ले सकता है। साथ ही, चीन की ऋण जाल कूटनीति का विकल्प प्रदान कर सकता है।
- **पर्यटन को बढ़ावा देना:** दोनों देश संयुक्त विपणन अभियानों और बेहतर हवाई संपर्क सहित पर्यटन को बढ़ाने के प्रयासों पर सहयोग कर सकते हैं।
    - ग्रीस भारतीयों के बीच एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल के रूप में उभर रहा है।
- **समुद्री सहयोग:** सूचना साझाकरण और संयुक्त नौसैनिक अभ्यास सहित समुद्री सुरक्षा पर सहयोग को आगे बढ़ाया जाना चाहिए।

भारत-ग्रीस संबंधों के अन्य पहलू

- **ऐतिहासिक संबंध:** चाणक्य की कृति **अर्थशास्त्र** के अनुसार, मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त के दरबार में मेगस्थनीज नामक ग्रीक राजदूत था।
    - मौर्य साम्राज्य और ग्रीस के मध्य व्यापारिक संबंधों का **प्रमाण** उत्खनन में प्राप्त **सिक्कों** और **साहित्यिक स्रोतों** से मिलता है। ऐसा माना जाता है कि **गांधार कला भी भारतीय और यूनानी (ग्रीस/ ग्रीक) तत्वों** का मिश्रण है।
- **राजनीतिक:** भारत तथा ग्रीस के बीच राजनयिक संबंध 1950 में स्थापित हुए थे। **ग्रीस ने 1950 में दिल्ली** और **भारत ने 1978 में एथेंस में अपना दूतावास** खोला था।
- **विज्ञान और प्रौद्योगिकी:** दोनों पक्षों ने **विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पर समझौते की पुष्टि** की है। इस समझौते का उद्देश्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में समानता और परस्पर लाभ के आधार पर सहयोग को बढ़ाना तथा एक-दूसरे को समर्थन प्रदान करना है।

2.2. ब्रिक्स (BRICS)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, दक्षिण अफ्रीका द्वारा **जोहान्सबर्ग में 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन** किया गया। यह शिखर सम्मेलन 2019 में कोविड-19 महामारी के बाद व्यक्तिगत भागीदारी से किया गया पहला सम्मेलन था।

अन्य संबंधित तथ्य

- दक्षिण अफ्रीका द्वारा शिखर सम्मेलन के लिए चुना गया विषय था- **"ब्रिक्स और अफ्रीका: पारस्परिक रूप से तेज़ संवृद्धि, सतत विकास तथा समावेशी बहुपक्षवाद के लिए साझेदारी" (BRICS and Africa: Partnership for Mutually Accelerated Growth, Sustainable Development and Inclusive Multilateralism)।**
- दक्षिण अफ्रीका ने इस सम्मेलन में ब्रिक्स के स्थायी सदस्यों के अलावा, **अफ्रीकी संघ (AU) के सभी 55 सदस्यों तथा एशिया, दक्षिण अमेरिका और लघु द्वीपीय राष्ट्रों के लगभग 20 अन्य नेताओं** को भी आमंत्रित किया, जो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से इतर अन्य वैश्विक सत्रों या मंचों पर **ग्लोबल साउथ का प्रतिनिधित्व** कर रहे थे।

ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के परिणाम

- **ब्रिक्स का विस्तार:** ब्रिक्स ने **अर्जेंटीना, मिस्र, इथियोपिया, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात** को संगठन का पूर्ण सदस्य बनने के लिए आमंत्रित किया है।
  - ये देश **1 जनवरी, 2024** से ब्रिक्स के आधिकारिक रूप से पूर्ण सदस्य बन जाएंगे।
- **जोहान्सबर्ग-II घोषणा:** यह वैश्विक आर्थिक, वित्तीय और राजनीतिक मामलों पर ब्रिक्स देशों के महत्वपूर्ण दृष्टिकोणों को शामिल करता है।
- **तीन स्तंभ:** ब्रिक्स सदस्यों ने **पारस्परिक रूप से लाभकारी ब्रिक्स सहयोग को निम्नलिखित तीन स्तंभों के तहत मजबूत** करने के लिए स्वयं को प्रतिबद्ध किया है-
  - **राजनीतिक और सुरक्षा,**
  - **आर्थिक और वित्तीय, तथा**
  - **सांस्कृतिक और लोगों के बीच परस्पर सहयोग।**
- **रणनीतिक साझेदारी बढ़ाना:** ब्रिक्स देशों ने **वैश्विक शांति को बढ़ावा देने, अधिक प्रतिनिधित्वकारी एवं निष्पक्ष अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था का निर्माण करने, एक मजबूत और सुधार से प्रेरित बहुपक्षीय प्रणाली की स्थापना करने तथा संधारणीय विकास एवं समावेशी संवृद्धि** जैसे क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करते हुए रणनीतिक साझेदारी को बढ़ाने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है।
- **स्थानीय मुद्राओं में व्यापार:** ब्रिक्स देशों के वित्त मंत्रियों और/या केंद्रीय बैंक के गवर्नरों को **स्थानीय मुद्राओं, भुगतान साधनों और प्लेटफॉर्म्स के मुद्दे** पर विचार करने का कार्य सौंपा गया।
- **संयुक्त राष्ट्र सुधारों पर जोर:** पहली बार एक वक्तव्य में कहा गया कि ब्रिक्स देश सुरक्षा परिषद सहित संपूर्ण **संयुक्त राष्ट्र में व्यापक सुधार** का समर्थन करते हैं।

भारत के प्रस्ताव

- **अंतरिक्ष सहयोग:** भारतीय प्रधान मंत्री ने एक **ब्रिक्स अंतरिक्ष अन्वेषण संघ** की स्थापना का आह्वान किया। यह संघ वैश्विक कल्याण के लिए अंतरिक्ष अनुसंधान और मौसम की निगरानी पर ध्यान केंद्रित करेगा।
  - ब्रिक्स पहले से ही **ब्रिक्स उपग्रह समूह** पर कार्य कर रहा है।

- **G20 में शामिल करना:** भारत ने **सभी ब्रिक्स देशों और अफ्रीकी संघ को G20 की स्थायी सदस्यता देने का प्रस्ताव** प्रस्तुत किया।
- **ब्रिक्स को भविष्य के लिए तैयार करना:** भारत ने ब्रिक्स को भविष्य की आवश्यकताओं के लिए तत्पर संगठन बनाने हेतु **शिक्षा, कौशल विकास और प्रौद्योगिकी** के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने का आह्वान किया।
    - भारत ने अपनी विकास यात्रा में एक-दूसरे का पूरक बनने के लिए कौशल मानचित्रण के प्रयोग का भी प्रस्ताव रखा।
- **भारत द्वारा समर्थित अन्य प्रस्ताव-**
    - ब्रिक्स के पांचों देशों के बीच **बड़ी बिल्ली प्रजाति के संरक्षण** की कोशिशों को बढ़ावा देना,
    - ब्रिक्स बिजनेस फोरम के दौरान **लचीली आपूर्ति श्रृंखला** बनाने की वकालत की गई,
    - **पारंपरिक चिकित्सा के लिए एक कोष** का निर्माण करना आदि।

ब्रिक्स के विस्तार का महत्त्व

- **भू-राजनीतिक और भू-आर्थिक विस्तार:** यह विस्तार ब्रिक्स के भीतर भू-राजनीतिक और आर्थिक एजेंडे के बीच बढ़ते सहयोग का प्रतीक है।
    - शामिल किए गए देश विश्व के महत्वपूर्ण व्यापार चोकपॉइंट्स (जैसे- स्वेज नहर और होर्मुज जलसंधि तथा बाब-अल मंदेब जलसंधि) के पास अवस्थित **प्रमुख वैश्विक तेल उत्पादक** देश हैं।
- **अवसंरचनात्मक संपर्क:** ब्रिक्स के विस्तार से आर्थिक और लोगों के बीच आपसी संपर्क के नए आयाम खुलेंगे।
    - **भारत, ईरान और रूस** पहले से ही **अंतर्राष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारा** विकसित कर रहे हैं।
- **अफ्रीका का विकास:** दो अफ्रीकी देशों को शामिल करने से **अफ्रीकी महाद्वीपीय मुक्त व्यापार क्षेत्र** के माध्यम से अफ्रीकी देशों के **एकीकरण, विकास और समृद्धि** को बढ़ावा देने के लिए चल रहे प्रयासों को मजबूती मिलेगी।
- **वैश्विक शांति:** मध्य पूर्व के 4 प्रमुख देशों- **मिस्र, ईरान, संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब** के शामिल होने से ब्रिक्स को बढ़त मिली है, क्योंकि अतीत में ये देश एक-दूसरे के विरोधी रहे हैं।
- **बहुपक्षीय प्रणाली में सुधार:** ब्रिक्स बहुपक्षवाद की वर्तमान प्रणाली (जहां पश्चिमी शक्तियां प्रमुख भूमिका निभाती हैं) में सुधार के एजेंडे को आगे बढ़ाएगा।

विस्तार एवं अन्य सुधारों के साथ ब्रिक्स के समक्ष उभरती चुनौतियां

- **मूल उद्देश्य का कमजोर होना:** ब्रिक्स का तेजी से विस्तार समूह के मूल उद्देश्य को कमजोर कर सकता है। विशेषकर तब, जब यह अनुभव किया जाने लगा है कि चीन समूह में अपना प्रभुत्व स्थापित करने का प्रयास कर रहा है।
    - **चीन कारक:** कई देशों का मानना है कि ब्रिक्स का विस्तार अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के बारे में चीन के दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने के लिए एक राजनीतिक कूटनीति है।
- **भारत के हितों को संतुलित करना:** जैसे-जैसे ब्रिक्स एक आर्थिक समूह से बढ़कर अधिक कूटनीतिक और राजनीतिक समूह बनता जा रहा है, भारत के लिए क्वाड, शंघाई सहयोग संगठन तथा इंडो-पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क के साथ संतुलन बनाना अधिक कठिन हो सकता है।
- **भू-राजनीतिक आयाम:** ऐसी संभावना है कि भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव के कारण ब्रिक्स समूह के अलग-अलग देशों के बीच भी तनाव बढ़ सकता है। इसके कारण सार्क की तरह ब्रिक्स का भी संचालन मुश्किल हो सकता है।
    - **मिस्र और इथियोपिया** के बीच **नील नदी के प्रबंधन को लेकर विवाद** जारी है।
    - हालांकि, **चीन** की मध्यस्थता वाले एक समझौते से तनाव कम हुआ है, लेकिन फिर भी **सऊदी अरब और ईरान** मध्य पूर्व में क्षेत्रीय प्रभुत्व के लिए ऐतिहासिक प्रतिद्वंद्वी बने हुए हैं।
- **सदस्यता हेतु कोई स्पष्ट मानदंड नहीं:** ब्रिक्स की सदस्यता हेतु स्पष्ट रूप से परिभाषित मानदंड सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध नहीं है।
- **ब्रिक्स देशों के बीच व्यापार में कठिनाइयां:** ईरान पर लगे प्रतिबंधों के कारण ब्रिक्स के सदस्यों के बीच व्यापार को बढ़ाना और अधिक कठिन हो सकता है। ज्ञातव्य है कि **रूस और ईरान** दोनों अब स्विफ्ट प्रणाली से बाहर हैं।
- **लघुपक्षवाद (Minilateralism) को बढ़ावा:** ब्रिक्स समूह के विस्तार के साथ हम "लघुपक्षवाद" की एक नई लहर देख रहे हैं। लघुपक्षवाद राजनयिक सहभागिता की एक शैली है, जो समान विचारधारा वाले राष्ट्रों के छोटे और मध्यम आकार के गठबंधन को प्रमुखता देती है।
    - लघुपक्षवाद अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की एक अवधारणा है। इसमें समस्याओं से निपटने या पारस्परिक लक्ष्यों को आगे बढ़ाने के लिए सहयोग करने वाले राष्ट्रों के छोटे समूह एक साथ आते हैं।
    - लघुपक्षवाद के साथ एक समस्या यह है कि इससे **वैश्विक सामूहिक कार्रवाई के साधनों** के और भी अधिक नष्ट होने का खतरा बढ़ सकता है। यह वैश्विक सामूहिक कार्रवाई वर्तमान में मानवता के समक्ष विद्यमान व्यापक खतरों से निपटने हेतु अत्यंत आवश्यक है।

भारत को इन घटनाक्रमों पर कैसे प्रतिक्रिया देनी चाहिए?

- **संतुलन स्थापित करना:** भारत को पश्चिमी शक्तियों, विशेषकर अमेरिका के साथ अपने संबंधों को रणनीतिक रूप से संतुलित करने की आवश्यकता है। इसका कारण यह है कि विस्तारित ब्रिक्स में **ईरान** भी शामिल हो गया है, जो अमेरिका द्वारा प्रतिबंधित है।
  - हालांकि, यह विस्तार **भारतीय हितों को आगे बढ़ा** सकता है। इसके अलावा, ब्रिक्स समूह के विस्तार से भारत उन देशों के समूह के साथ अधिक संलग्न हो सकेगा, जिनके साथ वह संबंधों का विस्तार करने का इच्छुक है।
- **चीनी प्रभाव को प्रतिसंतुलित करना:** भारत को अपनी **आर्थिक कूटनीति और रूस एवं ईरान के साथ अपने संबंधों के जरिए** ब्रिक्स समूह में चीन के रणनीतिक प्रभाव को संतुलित करने की आवश्यकता है।
- **ब्रिक्स के माध्यम से ग्लोबल साउथ के साथ जुड़ाव:** ब्रिक्स के विस्तार का अर्थ है भारत का बढ़ता प्रभाव और ग्लोबल साउथ की समस्याओं पर सहयोग का अतिरिक्त अवसर प्राप्त होना।
- **भारतीय भुगतान प्रणालियां:** भारत को भारतीय भुगतान तंत्र एवं प्रणालियों के माध्यम से सदस्य देशों की राष्ट्रीय मुद्राओं में ब्रिक्स देशों के बीच व्यापार को संस्थागत बनाने पर जोर देना चाहिए।
  - यह अप्रत्यक्ष रूप से रुपये के अंतर्राष्ट्रीयकरण के विचार को भी प्रोत्साहित करेगा।
- **ऊर्जा सुरक्षा:** ब्रिक्स में **सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात** जैसी प्रमुख तेल उत्पादक मध्य-पूर्वी शक्तियों के शामिल होने से भारत के लिए ऊर्जा विविधीकरण तथा बेहतर ऊर्जा मूल्य निर्धारण के अवसर बढ़ सकते हैं।
- **सदस्यता संबंधी मानदंड को परिभाषित करना:** ब्रिक्स की सदस्यता के लिए स्पष्ट मानदंड निर्धारित करने से ब्रिक्स के भावी सदस्यों के संबंध में भारत की चिंताओं को कम करने में मदद मिलेगी।

निष्कर्ष

ब्रिक्स एक **बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था का पक्षधर** है, जो न्यायसंगत है और अंतर्राष्ट्रीय कानून एवं संयुक्त राष्ट्र चार्टर के सिद्धांतों पर आधारित है।

2.3. मालाबार: केवल एक सैन्य अभ्यास नहीं (Malabar: Not Just an Exercise)

सुर्ख़ियों में क्यों?

भारत, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया ने पहली बार **सिडनी (प्रशांत महासागर)** के तट पर मालाबार नौसैनिक अभ्यास आयोजित किया। इससे पहले, यह **हिंद महासागर** में आयोजित किया जाता था।

क्वाड के संयोजन में आयोजित इस सैन्य अभ्यास का इतिहास

- **1992:** मालाबार नौसैनिक अभ्यास की शुरुआत 1992 में **भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका** के बीच द्विपक्षीय अभ्यास के रूप में हुई थी।
- **2007:** पहली बार इस अभ्यास में **ऑस्ट्रेलिया, जापान और सिंगापुर** भी शामिल हुए।
  - इसी वर्ष **अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत क्वाड 1.0** (चतुर्पक्षीय सुरक्षा वार्ता) में एकजुट हुए।
- **2008:** क्वाड 1.0 पर चीन के विरोध के कारण **ऑस्ट्रेलिया और उसके बाद जापान** इस सैन्य अभ्यास तथा क्वाड से बाहर हो गए।
- **2015: जापान** मालाबार अभ्यास में **स्थायी** भागीदार बना।
- **2020:** क्वाड के पुनरुद्धार (क्वाड 2.0) के बाद **ऑस्ट्रेलिया** इसमें फिर से शामिल हुआ।
  - **चीन कारक** क्वाड 1.0 की असफलता का महत्वपूर्ण कारण था। हालांकि, एक दशक बाद ही **चीन कारक** वह धुरी बनता जा रहा है, जिसके चारों ओर क्वाड 2.0 विकसित होने का प्रयास कर रहा है।

2007 के बाद से निम्नलिखित कारकों ने क्वाड की चीन विरोधी विचारधारा को और अधिक प्रोत्साहित किया है-

- भूमि व समुद्री विवादों के माध्यम से चीन का बढ़ता प्रभुत्व,
- इसकी वन बेल्ट, वन रोड (OBOR) पहल को लेकर संदेहास्पद दृष्टिकोण तथा
- OBOR से संबंधित ऋण जाल कूटनीति।

मालाबार अभ्यास और संबंधित घटनाओं का भू-राजनीतिक महत्त्व

- **रणनीतिक अभिसरण:** इस नौसैन्य अभ्यास को मालाबार तट से बंगाल की खाड़ी की ओर स्थानांतरित करना तथा पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र और बंगाल की खाड़ी क्षेत्र के बीच बारी-बारी से अभ्यास आयोजित करना 'हिंद-प्रशांत' में प्रतिभागियों के बीच एक रणनीतिक अभिसरण का संकेत देता है।

- **शक्ति संतुलन:** OBOR, लॉजिस्टिक्स बेस, ऋण जाल कूटनीति आदि के माध्यम से हिंद-प्रशांत क्षेत्र में चीन की बढ़ती उपस्थिति इस क्षेत्र में शक्ति संतुलन को बिगाड़ रही है।
    - यह सैन्य अभ्यास शक्ति संतुलन को **विस्तृत प्रशांत क्षेत्र की ओर झुकाता** है। साथ ही, कुछ मायनों में यह चीन की बढ़ती शक्ति के खिलाफ प्रतिक्रिया में एक महत्वपूर्ण सैन्य अभ्यास के रूप में भी कार्य करता है।
- **हिंद-प्रशांत क्षेत्र में सामान्य स्थिरता:** क्वाड और मालाबार अभ्यास को एक **स्थायी हिंद-प्रशांत गठबंधन** के निर्माण की दिशा में एक बड़े कदम के रूप में देखा जाना चाहिए।
- **वैश्विक हितों की रक्षा करना:** हिंद-प्रशांत में अमेरिकी प्रभाव के कमजोर होने के साथ-साथ अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में बढ़ती अस्थिरता से ग्लोबल कॉमन्स (पर्यावरण, बाह्य अंतरिक्ष आदि) की सुरक्षा के समक्ष एक महत्वपूर्ण मुद्दा प्रकट हो गया है। क्वाड और मालाबार इस संबंध में मदद कर सकते हैं।
- **नियम-आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था:** क्वाड देशों ने कानून के शासन, अंतर्राष्ट्रीय समुद्र में पोत परिवहन की स्वतंत्रता और सभी राष्ट्रों की क्षेत्रीय अखंडता व संप्रभुता को आवश्यक रूप से बनाए रखने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की है।
- **विश्वास और सैन्य सहयोग स्थापित करना:** हिंद महासागर क्षेत्र में प्रमुख शक्तियों के बीच नौसैनिक सहयोग को सीमित सफलता मिली है। साथ ही, उनके बीच प्रतिस्पर्धी हितों के कारण रणनीतिक अविश्वास का स्तर अभी भी काफी अधिक बना हुआ है।
    - मालाबार सैन्य अभ्यास इस मुद्दे का समाधान करने के लिए की गई अन्य पहलों में से एक है। ऐसी अन्य पहलें हैं- **हिंद महासागर रिम एसोसिएशन (IORA) और हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी (IONS)।**

भारत के लिए इन घटनाओं का महत्त्व

- **मजबूत समुद्री व्यवस्था का विकास:** एक अनुकूल समुद्री व्यवस्था को नौसैनिक शक्ति क्षमताओं द्वारा रेखांकित करने की आवश्यकता है। इसमें **समुद्री-नियंत्रण** (विमान वाहक/ सतह पोत) और **समुद्री-अवरोध** (पनडुब्बी, जल के नीचे ड्रोन इत्यादि) क्षमताएं शामिल हैं।
    - मालाबार अभ्यास उपर्युक्त क्षमताओं में और वृद्धि करने में मदद करता है। साथ ही, समुद्री वाणिज्यिक यातायात के लिए पोत परिवहन मार्गों की सुरक्षा करता है तथा नौवहन चोकपॉइंटस पर नियंत्रण प्रदान करता है।
- **राष्ट्रीय सैन्य क्षमताएं:** हालांकि, क्वाड के वर्तमान उद्देश्य किसी भी सैन्य सहयोग में आधारभूत बने रहेंगे, लेकिन इसके सदस्यों को चीन को प्रतिसंतुलित करने के लिए एक-दूसरे की आर्थिक, तकनीकी व सैन्य क्षमताओं के निर्माण हेतु सक्रिय रूप से सहयोग करना चाहिए।
- **भारत की सागर/SAGAR नीति को मजबूत करना:** 'सागर/SAGAR' (क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास') पहल देश के राष्ट्रीय हितों की रक्षा के साथ-साथ क्षेत्र की सुरक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण है।
    - इस प्रकार के सैन्य अभ्यास इस नीति को सक्षम बनाने में मदद कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, प्राकृतिक आपदाओं के दौरान सूचना साझा करना, खोज एवं बचाव के मामले में क्षमता बढ़ाना इत्यादि।
- **आर्थिक महत्त्व:** जैसे-जैसे भारत की अर्थव्यवस्था बढ़ रही है, वैसे-वैसे इसके व्यापक समुद्री हितों में भी वृद्धि हो रही है। इस प्रकार, अब भारत द्वारा निकटवर्ती समुद्री क्षेत्र से आगे बढ़ने की आवश्यकता प्रकट होने लगी है।
    - **जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका** पर्याप्त पूंजी एवं आर्थिक सहायता के लिए तत्पर दिखाई पड़ते हैं।

निष्कर्ष

सतही तौर पर 'मालाबार अभ्यास' केवल भारत की समुद्री सुरक्षा चिंताओं का समाधान करता हुआ प्रतीत होता है। किंतु, "मालाबार सैन्य अभ्यास श्रृंखला" के विकास को भू-राजनीति के हिंद-प्रशांत क्षेत्र की ओर स्थानांतरित होने के मापक के रूप में देखा जा सकता है।

2.4. वैश्विक मूल्य श्रृंखलाएं (Global Value Chains: GVCs)

सुर्ख़ियों में क्यों?

भारत की G-20 अध्यक्षता के तहत G-20 देशों के व्यापार और निवेश मंत्रियों ने **वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं (GVCs) की पहचान** करने पर सहमति व्यक्त की है। साथ ही, **G-20 जेनेरिक फ्रेमवर्क फॉर मैपिंग GVCs** को अपनाया गया है।

GVCs क्या हैं?

- **परिभाषा:** GVCs में जटिल उत्पादन नेटवर्क शामिल होते हैं। ये नेटवर्क **लागत अनुकूलन और उत्पादन दक्षता** प्राप्त करने के लिए कई फर्मों एवं देशों में विस्तृत होते हैं।
- **अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से अलग:** पारंपरिक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में केवल दो देश (एक निर्यातक देश और एक आयातक देश) शामिल होते हैं। इसके विपरीत, GVC आधारित व्यापार में कई देशों की सीमाओं को पार करना पड़ता है।
- **GVC में भागीदारी:** इसके तहत देश **बैकवर्ड या फॉरवर्ड लिंकेज** में शामिल होकर GVC में भाग ले सकते हैं:
    - **बैकवर्ड GVC भागीदारी** तब होती है, जब **कोई देश घरेलू उत्पादन के लिए दूसरे देश से प्राप्त इनपुट का उपयोग** करता है।
    - **फॉरवर्ड GVC भागीदारी** तब होती है, जब **कोई देश इनपुट की आपूर्ति करता है और जिसका उपयोग दूसरे देश में उत्पादन** के लिए किया जाता है।
- **GVC का वर्तमान वितरण:** एशिया, यूरोप और उत्तरी अमेरिका के कुछ देशों ने पिछले 30 वर्षों में **GVC** के विस्तार को बढ़ावा दिया है।
    - **यूरोप क्षेत्रीय रूप से सर्वाधिक एकीकृत क्षेत्र है।** इसमें वैश्विक संपर्कों की तुलना में क्षेत्रीय संबंध चार गुना अधिक सघन हैं।
    - **दक्षिण एशिया, मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका सबसे कम एकीकृत** क्षेत्र हैं।

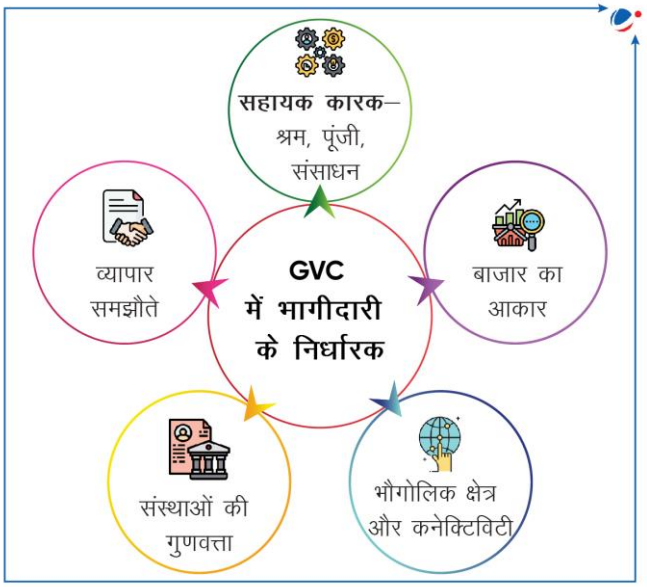

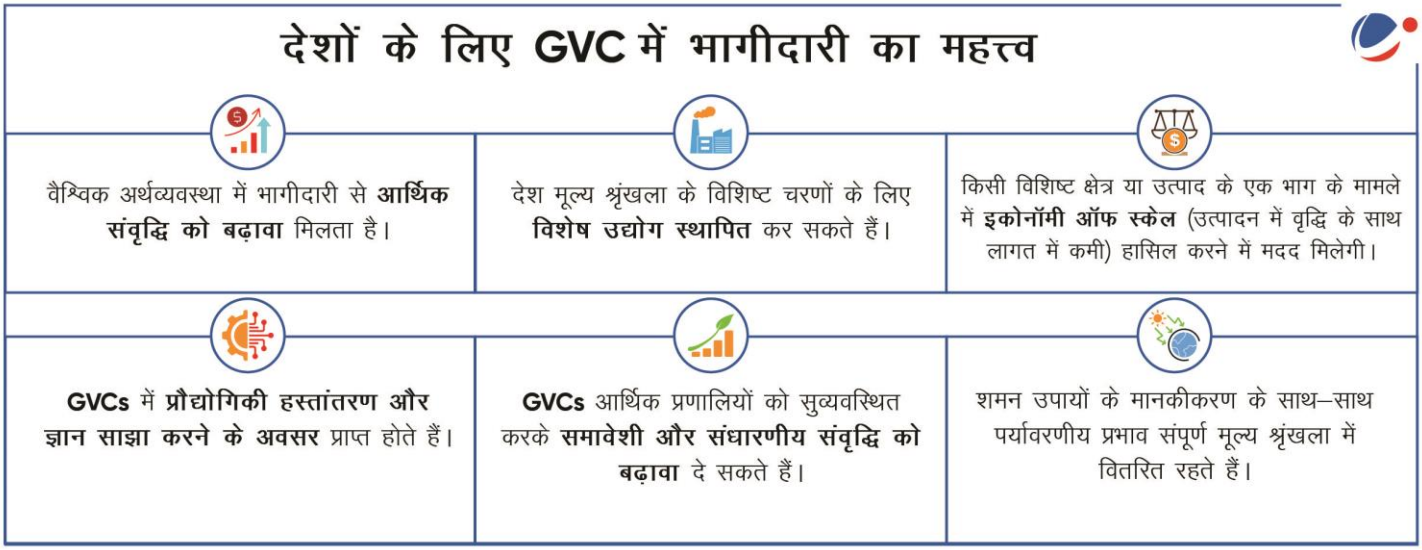

GVC भागीदारी से संबंधित जोखिम और चुनौतियां

- **आर्थिक अंतराल:** इससे अलग-अलग देशों के बीच आर्थिक अंतराल बढ़ने का जोखिम उत्पन्न हो सकता है। इसका कारण यह है कि GVC भागीदारी से होने वाला लाभ सभी देशों के भीतर और उनके मध्य समान रूप से वितरित नहीं हो पाता है।
    - उदाहरण के लिए, GVCs में भाग लेने वाले कुछ **विकासशील देश लंबे समय में स्वयं को कम-मूल्य-वर्धित (Low-value-added) गतिविधियों तक सीमित** अनुभव कर सकते हैं।
- **बाह्य आघातों का जोखिम:** GVC में भागीदारी से स्थानीय अर्थव्यवस्था के लिए जोखिम बढ़ता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यह जरूरी नहीं कि इन बाह्य आघातों से निपटने के लिए उनके पास पर्याप्त क्षमता हो।

- हालिया उदाहरणों से पता चलता है कि GVCs की बढ़ती जटिलता से निर्भरता में वृद्धि हो रही है। साथ ही, व्यवधानों से जुड़ी सुभेद्यताओं को भी बढ़ावा मिल रहा है।

- **मुद्रास्फीति लिंकेज:** GVCs मूल्य निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इसका अर्थ है कि **मुद्रास्फीति के किसी देश से उसके प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष व्यापारिक भागीदारों तक फैलने की अधिक संभावना** होती है।
- **GVC भागीदारी के बीच अंतराल:** GVC भागीदारी के मामले में **विकासशील और विकसित देशों की क्षमता के बीच एक महत्वपूर्ण अंतर** मौजूद है।
  - GVC में भागीदारी आंशिक रूप से **वैश्विक उत्पादन को आकर्षित करने के लिए देशों की क्षमता** पर निर्भर करती है। इसमें विदेशी उद्यमों और घरेलू कंपनियों (विशेष रूप से MSMEs) के बीच संबंधों को प्रोत्साहित करना तथा उनमें तेजी लाना शामिल है।
- **MSMEs से संबंधित चुनौतियां:** दुनिया भर में (विशेष रूप से विकासशील देशों में) MSMEs को कई महत्वपूर्ण बाधाओं का सामना करना पड़ता है। इसमें **स्थानीय बाजारों में वैश्विक फर्मों का प्रवेश तथा संबद्ध प्रतिस्पर्धा** का होना शामिल है।

G-20 जेनेरिक फ्रेमवर्क फॉर मैपिंग GVCs

यह निम्नलिखित निर्माण खंडों पर आधारित एक **स्वैच्छिक और गैर-बाध्यकारी जेनेरिक मैपिंग फ्रेमवर्क है:**

- **डेटा:** GVC रेसिलिएंस फ्रेमवर्क समय पर **उच्च गुणवत्ता वाले क्षेत्रीय डेटा एकत्र करने और स्वेच्छा से फर्म-स्तरीय डेटा प्रदान करने** पर आधारित होना चाहिए।
- **विश्लेषण:** GVCs की जटिलता के कारण **मॉडल्स और संकेतकों के उपयोग** की आवश्यकता होती है, जो ऐसे GVC डेटा से महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि प्रदान कर सकते हैं।
- **प्रतिनिधित्व:** GVC रेसिलिएंस फ्रेमवर्क में उन्नत तकनीकों का उपयोग किया जाना चाहिए। ये उपयोगकर्ता के अनुकूल तरीके से डेटा का विश्लेषण करके अंतर्निहित पैटर्न उपलब्ध कराते हैं।

इन निर्माण खंडों को शामिल करके G-20 जेनेरिक फ्रेमवर्क, GVC रेसिलिएंस के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्रकों और उत्पादों की पहचान करने में मदद कर सकता है।

GVC में भागीदारी के लिए क्या रणनीति होनी चाहिए?

- **विश्वास का निर्माण:** विश्वास ही मजबूत और अनुकूलन योग्य वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला की कुंजी है। **गुणवत्तापूर्ण बुनियादी ढांचा** व्यापारिक साझेदारों के बीच इस भरोसे को बढ़ावा देता है, उपभोक्ता मांगों को पूरा करता है तथा निजी क्षेत्रक के सहयोग को सुविधाजनक बनाता है।
  - उदाहरण के लिए- **गुणवत्तापूर्ण भौतिक और डिजिटल लॉजिस्टिक्स अवसंरचना को सुनिश्चित करने के लिए लॉजिस्टिक्स क्षेत्रक की घरेलू निगरानी को बढ़ाया** जाना चाहिए।
- **अंतरसंचालनीयता को प्रोत्साहित करना:** अलग-अलग देशों के बीच **मानकों और प्रोटोकॉल की अंतरसंचालनीयता** के लिए आवश्यक है कि आपूर्ति श्रृंखलाओं को ठीक से संचालित करने की अनुमति दी जाए। ये मानक **सुरक्षा, गुणवत्ता और क्षमता** के लिए सर्वोत्तम पद्धतियों को समाहित करते हैं।
- **सुभेद्यताओं की पहचान करना:** GVCs के **भीतर छिपी सुभेद्यताओं की पहचान करना और बाह्य आघातों के प्रभाव को कम करने के लिए लोचशील रणनीतियां विकसित** करना महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए, प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहन (PLI) योजना जैसी योजनाओं के माध्यम से **स्थानीय उद्योगों की क्षमताओं का विकास** करना इत्यादि।
- **स्पष्ट कानूनी फ्रेमवर्क:** पारदर्शिता और ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने वाले कानूनी फ्रेमवर्क की स्थापना की सुविधा प्रदान करना; तकनीकी प्रगति के साथ तालमेल बनाए रखना आदि।
  - इसके अलावा, अनुबंध प्रवर्तन को मजबूत करना; बौद्धिक संपदा अधिकारों की रक्षा करना और मानक व्यवस्थाओं में सुधार करना।
- **निवेश को बढ़ावा देना:** संधारणीय और समावेशी GVCs के लिए निवेश की आवश्यकता होती है। पूंजी का सतत प्रवाह देशों के मध्य आर्थिक संबंधों को बदल देता है और इसे GVCs में प्रभावी ढंग से एकीकृत करता है।
- **वैश्विक व्यापार में MSMEs को एकीकृत करना:** विशेष रूप से विकासशील देशों में MSMEs मूल्य श्रृंखला में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हालांकि, अक्सर उनके पास **लक्षित बाजारों के लिए सभी प्रासंगिक जानकारी एकत्र करने और उसका विश्लेषण करने के लिए आवश्यक संसाधनों की कमी** होती है।

2.5. संक्षिप्त सुर्ख़ियां (News in Shorts)

2.5.1. G-20 देशों के डिजिटल अर्थव्यवस्था मंत्रियों की बैठक से संबंधित आउटकम दस्तावेज़ (Outcome Document of G20 Digital Economy Ministers Meeting)

आउटकम दस्तावेज़ की मुख्य विशेषताएं

प्राथमिकता वाले क्षेत्र	घोषित/ अपनाई गई पहलें
डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर (DPI)	• **DPI की प्रणालियों के लिए G20 फ्रेमवर्क-** यह DPI के विकास, उपयोग और गवर्नेंस के लिए एक **स्वैच्छिक व सुझाया गया फ्रेमवर्क है।** ○ DPI का तात्पर्य साझा **डिजिटल बिल्डिंग ब्लॉक्स के एक सेट से है, जैसे एप्लीकेशंस, सिस्टम्स और प्लेटफॉर्म्स। ये इंटरऑपरेबल ओपन स्टैंडर्ड्स या स्पेसिफिकेशंस** द्वारा संचालित होते हैं। ○ भारत में आमतौर पर उपयोग किए जाने वाले DPIs को सामूहिक रूप से **इंडिया स्टैक** के नाम से जाना जाता है।
डिजिटल अर्थव्यवस्था में सुरक्षा	• डिजिटल अर्थव्यवस्था में रक्षा, सुरक्षा, लचीलापन और विश्वास को बढ़ावा देने में **व्यवसायों की सहायता करने के लिए G20 उच्च-स्तरीय सिद्धांत (HLPs)।** ○ इन्हें **G20 के सदस्य देशों द्वारा विकसित और कार्यान्वित पद्धतियों, रणनीतियों व साधनों** से लिया गया है। • **बच्चों और युवाओं की साइबर शिक्षा एवं साइबर जागरूकता से संबंधित G20 टूलकिट।** इसका उद्देश्य बच्चों की निजता और व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा करना, बच्चों की गरिमा को बनाए रखना और उनके अधिकारों का सम्मान सुनिश्चित करना है।
डिजिटल स्किलिंग	• **डिजिटल अपस्किलिंग और रीस्किलिंग कार्यक्रमों को डिजाइन करने एवं पेश करने के लिए G20 टूलकिट।** इसका उद्देश्य भविष्य के लिए तैयार कार्यबल के निर्माण की दिशा में रणनीतियों का बेहतर आकलन करने और सुधार करने में मदद करना है। • **डिजिटल कौशलों की सीमा-पारीय तुलना की सुविधा के लिए G20 रोडमैप।** यह नौकरी की भूमिकाओं, डिजिटल कौशल और संबंधित क्रेडेंशियल्स पर एक आम सहमति बनाने पर लक्षित है।

2.5.2. बिजनेस 20 (B-20) शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया गया {Business 20 (B20) Summit Held in New Delhi}

- इस शिखर सम्मेलन का शीर्षक है- **R.A.I.S.E {Responsible (उत्तरदायित्व), Accelerated (त्वरित), Innovative (नवोन्मेषी), Sustainable (संधारणीय) तथा Equitable Businesses (न्यायसंगत व्यवसाय)} है।**
- B-20 की स्थापना **2010** में वैश्विक व्यापार समुदाय के साथ **आधिकारिक G-20 संवाद मंच** के रूप में की गई थी।
  - यह दुनिया भर से **नीति निर्माताओं, व्यापारिक दिग्गजों और विशेषज्ञों को B-20 इंडिया कम्युनिकेशन पर विचार-विमर्श व चर्चा** करने के लिए आमंत्रित करता है।
- **मुख्य सिफारिशें/ नीतिगत कार्रवाइयां:**

क्षेत्र	सिफारिशें/ नीतिगत कार्रवाइयां
वैश्विक आर्थिक सुधार	• ग्लोबल पब्लिक गुड्स के लिए वित्त उपलब्ध करवाने और SDG के वित्त-पोषण अंतराल को समाप्त करने के लिए **ग्लोबल SDG एक्सेलरेशन फंड (GSAF)** का गठन करना चाहिए। ○ GSAF को एक **वैश्विक बहु-दाता कोष** के रूप में प्रस्तावित किया गया है। इसमें **G-20 के सदस्य देश और GDP के हिसाब से शेष दस सबसे बड़े देश** एक निश्चित पूंजी का आवंटन एवं योगदान करेंगे।
लोचशील वैश्विक व्यापार और निवेश के लिए समावेशी वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाएं (GVCs)	• हरित, संधारणीय और चक्रीय व्यवसाय मॉडल की ओर **FDI प्रवाह को सुगम बनाना चाहिए।** • कम प्रतिनिधित्व वाले क्षेत्रकों के लिए **प्रतिस्पर्धात्मक लाभ के साथ अनुकूल अवसरों की पहचान** करनी चाहिए।
आर्थिक सशक्तीकरण के लिए वित्तीय समावेशन	• लघु व्यवसायों की उचित संसाधनों तक पहुंच को सक्षम बनाने के लिए उन्हें इन्क्यूबेशन/ मेंटरशिप सहायता प्रदान करनी चाहिए।

डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन	• डिजिटल साक्षरता के लिए एकीकृत मानक और मापन का निर्धारण करना चाहिए।
प्रौद्योगिकी, नवाचार और अनुसंधान एवं विकास	• सीमा-पार सहयोग के लिए एक मंच के रूप में **वर्चुअल डिजिटल लैब और लाइब्रेरी की स्थापना** करनी चाहिए। • जल संरक्षण आदि पर ध्यान देने के साथ-साथ अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने के लिए **'काउंसिल फॉर अर्थ ऑब्जर्वेशन'** की स्थापना करनी चाहिए।
कार्य, कौशल और गतिशीलता का भविष्य	• **सार्वभौमिक श्रम सूचना प्रबंधन प्रणाली विकसित** करनी चाहिए। यह रोजगार के रुझान, नौकरी संबंधी रिक्तियों आदि पर केंद्रीकृत डेटा प्रदान करेगी।
ऊर्जा, जलवायु परिवर्तन और संसाधन दक्षता	• **सामंजस्यपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय कार्बन बाजार** का विकास करना चाहिए।

2.5.3. पनामा नहर (Panama Canal)

- सूखे से प्रभावित पनामा नहर में **नौ-परिवहन बाधित** हुआ।
- पनामा नहर एक **मानव निर्मित जलमार्ग है। यह अटलांटिक और प्रशांत महासागर को आपस में जोड़ता** है।
  - यह जलयानों को दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के दक्षिणी सिरे पर स्थित **केप हॉर्न का चक्कर लगाने वाली लंबी और जोखिम भरी यात्रा** से बचाता है।
  - पनामा नहर **170 देशों के लगभग 2,000 बंदरगाहों के लिए संपर्क मार्ग** उपलब्ध कराती है।
  - पनामा **उत्तर और दक्षिण अमेरिका** को आपस में जोड़ने वाला एक **स्थलडमरूमध्य (Isthmus)** है।
- स्थलडमरूमध्य **भूमि की एक संकीर्ण पट्टी** होती है। यह पट्टी **दो बड़े भू-भागों को आपस में जोड़ती है।** उदाहरण के लिए, **स्वेज नहर का निर्माण स्वेज स्थलडमरूमध्य** पर किया गया है।
  - इसके विपरीत, **दो बड़े जल निकायों को आपस में जोड़ने वाले संकीर्ण जलमार्ग को जलडमरूमध्य (Strait)** कहा जाता है।
    - उदाहरण के लिए- **भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ने वाला जिब्राल्टर जलडमरूमध्य।**
- **वैश्विक व्यापार में जलडमरूमध्य और स्थलडमरूमध्य की भूमिका:**
  - **महत्वपूर्ण व्यापार लिंक:** वैश्विक व्यापार का लगभग **12 प्रतिशत** स्वेज नहर से होकर गुजरता है।
  - इससे **समय और लागत की बचत** होती है।
  - **वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला:** ड्राई बल्क कंटेनर आदि के आवागमन में मदद मिलती है।
  - **सामरिक महत्त्व:** पनामा नहर का महत्त्व केवल आर्थिक लाभों तक ही सीमित नहीं है। यह इस क्षेत्र में राष्ट्रीय सुरक्षा, रक्षा क्षमताओं और लॉजिस्टिक संबंधी लचीलेपन की सुविधा भी प्रदान करती है। **संयुक्त राज्य अमेरिका इसका सबसे बड़ा लाभ प्राप्तकर्ता है।**

2.5.4. सुलिना चैनल (Sulina Channel)

- सुलिना चैनल **डेन्यूब नदी की एक सहायक** नदी है। यह **यूक्रेन के प्रमुख बंदरगाहों को काला सागर से जोड़ती** है।
  - **चिलिया, सुलिना और सेंट जॉर्ज** डेन्यूब डेल्टा में प्रमुख चैनल हैं।
  - इन तीनों में से, केवल **सुलिना चैनल** ही माल परिवहन के लिए **पर्याप्त गहरा और चौड़ा है।**
  - यह पूरी तरह से **रोमानिया के अंतर्गत** आता है। रोमानिया **उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन (NATO/ नाटो)** का सदस्य है।
- रूस द्वारा काला सागर अनाज समझौते से हटने के बाद **डेन्यूब डेल्टा ने यूक्रेन को एक वैकल्पिक मार्ग प्रदान** किया है।

2.5.5. द स्पिरिट ऑफ कैंप डेविड (The Spirit of Camp David)

- **संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान और दक्षिण कोरिया** के नेताओं ने 'द स्पिरिट ऑफ कैंप डेविड' शीर्षक से एक संयुक्त वक्तव्य जारी किया है।
  - शिखर सम्मेलन का आयोजन **चीन की बढ़ती शक्ति और उत्तर कोरिया से परमाणु खतरों** के सामने एकता प्रदर्शित करने के लिए किया गया था।

- **संयुक्त वक्तव्य के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर:**
  - संकट के समय एक-दूसरे से **तुरंत परामर्श** करना;
  - **वार्षिक बहु-क्षेत्रीय त्रिपक्षीय अभ्यास आयोजित** करना;
  - लोचशील और समावेशी आपूर्ति-श्रृंखला संवर्धन (RISE) के लिए साझेदारी बनाना;
  - **प्रतिवर्ष त्रिपक्षीय शिखर सम्मेलन** आयोजित करना आदि।

2.5.6. ईरान में तख्तापलट के 70 साल (70 Years of Coup in Iran)

- **वर्ष 1953** में अमेरिका द्वारा प्रायोजित **तख्तापलट में ईरान के तत्कालीन प्रधान मंत्री को अपदस्थ** कर दिया गया था।
- यह तख्तापलट **सोवियत संघ की ओर ईरान के झुकाव और कच्चे तेल के ईरानी स्रोत से वंचित हो जाने** की अमेरिकी आशंकाओं की वजह से किया गया था।
- ऐसा माना जाता है कि **देश के प्रमुख शिया धर्मगुरु** ने इस तख्तापलट का समर्थन किया था। तख्तापलट के बाद **शाह मोहम्मद रज़ा पहलवी** सत्तारूढ़ हुए थे।
- इस तख्तापलट ने **1979 की इस्लामी क्रांति को भी प्रेरित** किया था।
  - इस क्रांति ने मोहम्मद रज़ा पहलवी (शाह) को ईरान से भागने के लिए मजबूर कर दिया था। इसके बाद **अयातुल्लाह रुहोल्लाह खुमैनी** ने उस धर्मतंत्र की स्थापना की, जिसका अब भी देश पर शासन है।

2.5.7. शुद्धिपत्र (Errata)

- जून, 2023 मासिक समसामयिकी के टॉपिक 2.1 "भारत-यू.एस. संबंध" में एक टाइपोग्राफिक त्रुटि के कारण, यह गलत उल्लेख किया गया था कि "अमेरिका की राजकीय यात्रा 1969 में की गई थी"।
- सही जानकारी यह है कि "इससे पहले, यू.एस.ए. ने आधिकारिक तौर पर केवल 2 भारतीय नेताओं की मेजबानी की है: 1963 में राष्ट्रपति एस. राधाकृष्णन, और 2009 में प्रधान मंत्री मनमोहन सिंह। भारत के पहले प्रधान मंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 1949 में पहली बार अमेरिका की यात्रा की थी।

3. अर्थव्यवस्था (Economy)

3.1. क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां (Credit Rating Agencies: CRAs)

सुर्ख़ियों में क्यों?

क्रेडिट रेटिंग एजेंसी **'मूडीज'** ने भारत की **Baa3 रेटिंग** की पुष्टि की है और भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर **"स्थिर"** दृष्टिकोण बनाए रखा है।

अन्य संबंधित तथ्य

- कुछ अन्य शोधों के अनुसार, **जलवायु परिवर्तन के प्रभाव** और **2030 के दशक तक तापमान में वृद्धि के कारण भारत की सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग में गिरावट** आ सकती है।
  - ऐसा **हरित निवेश में कमी** आने से होगा। इससे **उधार लेना और भी महंगा हो जाएगा** (अधिक ब्याज दर की वजह से), जिससे कर्ज का बोझ भी बढ़ जाएगा।
- **सॉवरेन या संप्रभु रेटिंग** के जरिए **देशों की ऋण चुकाने की क्षमता** या **कर्ज चुकाने के पिछले रिकॉर्ड का आकलन** किया जाता है। निवेशक किसी देश में निवेश करते समय उस देश की **ऋण चुकाने की क्षमता (Creditworthiness)** को मुख्य पैमाने के रूप में इस्तेमाल करते हैं।
- क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों से मिलने वाली रेटिंग का असर **66 ट्रिलियन डॉलर से अधिक के संप्रभु ऋण (Sovereign debt)** पर पड़ता है। ऐसे में वे **वैश्विक पूंजी** के लिए गेटकीपर के रूप में कार्य करती हैं।
- वर्तमान में, **तीन प्रमुख क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों {स्टैंडर्ड एंड पूअर्स (S&P), मूडीज और फिच}** ने भारत को **निवेश-ग्रेड की रेटिंग** प्रदान की हुई है।
  - किसी सरकार की **ऋण चुकाने की क्षमता** का आकलन करने के लिए **कई मानदंड** होते हैं। इनमें से कुछ मुख्य **मानदंड निम्नलिखित हैं:**
    - **राजनीतिक जोखिम, कर व्यवस्था, राष्ट्रीय मुद्रा की वैल्यू,** और **श्रम कानून;**
    - **संप्रभु जोखिम** (जहां किसी देश का केंद्रीय बैंक अपने विदेशी मुद्रा विनियमों को बदल सकता है) आदि।

वैश्विक रेटिंग एजेंसियों की ओर से भारत की संप्रभु रेटिंग से जुड़े मुद्दे

- **दशकों से चली आ रही गड़बड़ी:** हाल ही में, जहां S&P और फिच ने भारत को **'BBB-'** रेटिंग दी थी, वहीं मूडीज ने **'Baa3'** रेटिंग दी है। ये रेटिंग न्यूनतम संभव **निवेश ग्रेड** के सूचक हैं।
  - आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 में इस ओर ध्यान आकर्षित करते हुए कहा गया था कि सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग के इतिहास में सिवाय **चीन** और **भारत** के, कभी भी **दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था को निवेश ग्रेड की सबसे निचली रेटिंग (BBB-/ Baa3) प्रदान नहीं की गई।**

- **संरचनात्मक मुद्दे:** रेटिंग में **"जारीकर्ता-भुगतान (Issuer-pays)" मॉडल** की त्रुटिपूर्ण व्यवस्था देखी जाती है। इसके तहत कई संस्थाएं **रेटिंग एजेंसियों को कुछ अन्य कार्यों/ सेवाओं के लिए भुगतान** भी करती हैं। इससे अक्सर **हितों का टकराव** पैदा होता है। परिणामस्वरुप ऐसी संस्थाओं की रेटिंग करते समय पूर्वाग्रह देखने को मिलता है।
  - **जारीकर्ता-भुगतान मॉडल** के तहत एक कंपनी अपनी वित्तीय स्थिति की जांच कराने और क्रेडिट रिपोर्ट जारी करने के लिए **क्रेडिट रेटिंग एजेंसी को भुगतान** करती है।
- **रेटिंग जारी करते समय भारतीय अर्थव्यवस्था की बुनियादी स्थितियों पर विचार नहीं किया जाता है।** ऋण भुगतान करने की भारत की क्षमता और मंशा निम्नलिखित तथ्यों से स्पष्ट हो जाती है:
  - भारत ने कभी भी **संप्रभु ऋण पर डिफॉल्ट नहीं किया** है।
  - भारत का **विदेशी मुद्रा भंडार** बेहतर स्थिति में है। जुलाई 2023 तक, भारत का **विदेशी मुद्रा भंडार 607 बिलियन अमेरिकी डॉलर** का था।

- देश की GDP[18] की तुलना में विदेशी ऋण का **अनुपात लगभग 19-20% है,** जो कम है।
- भारत **FDI[19] के सबसे बड़े प्राप्तकर्ताओं में से एक** है। साथ ही, यह **विदेशी पोर्टफोलियो निवेश (FPI)[20]** आकर्षित करने के मामले में भी अग्रणी देशों में शामिल है।

- **संप्रभु क्रेडिट रेटिंग जारी करने में पूर्वाग्रह और मनमानापन:** यह स्थिति विशेष रूप से **कम रेटिंग वाले देशों** के साथ देखी जाती है। इस तथ्य को **आर्थिक सर्वेक्षण** में भी रेखांकित किया जा चुका है।
  - आर्थिक सर्वेक्षण में रेखांकित एक अध्ययन के अनुसार, क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों ने 1999 से 2010 तक **विकसित देशों की मैक्रो-इकोनॉमिक स्थितियों को दरकिनार करते हुए उन्हें उच्च रेटिंग** दी थी।
- **क्रेडिट रेटिंग की प्रो-साइक्लिकल प्रकृति:** प्रो-साइक्लिकल प्रकृति के कारण अर्थव्यवस्था में तात्कालिक परिवर्तन से रेटिंग में भी परिवर्तन आ जाता है। इसमें अर्थव्यवस्था की दीर्घकालिक मजबूत स्थिति की उपेक्षा कर दी जाती है। इसका अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। इससे विकासशील देशों में FPI अंतर्वाह (इक्विटी और ऋण) प्रभावित होता है, जिससे अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचता है तथा आर्थिक संकट और गंभीर हो जाता है।
- **वैश्विक क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों का विनियमन नहीं होना:** क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां रेटिंग देने के निर्णय पर कैसे पहुंचती हैं, इसके बारे में अधिक जानकारी देने वाले **पारदर्शी तंत्र का अभाव** है।

भारत में, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (SEBI/ सेबी) **"सेबी (क्रेडिट रेटिंग एजेंसी) विनियम, 1999"** के तहत **सभी क्रेडिट रेटिंग फर्मों को विनियमित** करता है।

- **भारत में निम्नलिखित सात क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां हैं:**
  - क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विसेज ऑफ इंडिया लिमिटेड (CRISIL);
  - क्रेडिट एनालिसिस एंड रिसर्च (CARE) लिमिटेड;
  - इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ऑफ इंडिया लिमिटेड (ICRA);
  - एक्राइट रेटिंग्स एंड रिसर्च;
  - ब्रिकवर्क रेटिंग्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड;
  - इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड; तथा
  - इंफोमेरिक्स वैल्यूएशन एंड रेटिंग प्राइवेट लिमिटेड।
- **ये एजेंसियां निम्नलिखित कार्य करती हैं?**
  - ये समय पर जानकारी उपलब्ध कराकर और निष्पक्ष राय देकर **बाजार भागीदारों को सशक्त** करती हैं,
  - **वित्तीय बाजार के विकास और उसे अधिक कुशल बनाने** में मदद करती हैं,
  - किसी **व्यक्ति या कंपनी की ऋण चुकाने की क्षमता का मूल्यांकन और आकलन** करती हैं, आदि।

आगे की राह

- **क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों को भी विनियमन के दायरे में लाना चाहिए:** एक **वैश्विक "सुपर-विनियामक"** की स्थापना से रेटिंग एजेंसियों की विनियमन से संबंधित चिंताओं को दूर किया जा सकता है।
  - वैश्विक विनियामक में **उभरते बाजार और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं (EMDEs)[21]** का पर्याप्त प्रतिनिधित्व होना चाहिए। यह राष्ट्रीय विनियामकों के कार्यों में पूरक की भूमिका निभाएगा।
- **विनियमन में क्रेडिट रेटिंग पर निर्भरता को कम करना:** पूंजी आवश्यकताओं को निर्धारित करने के लिए एक ऐसे तंत्र की आवश्यकता है, जो **रेटिंग की प्रो-साइक्लिकलिटी प्रकृति और इसके दुष्प्रभावों को कम कर सके।**
- **दीर्घकालिक रेटिंग:** रेटिंग एजेंसियों को अधिक स्पष्ट दीर्घकालिक क्रेडिट विश्लेषण करने के लिए बाध्य किया जाना चाहिए। ऐसा इसलिए, क्योंकि अर्थव्यवस्था की तात्कालिक स्थिति के आधार पर की गई रेटिंग भ्रामक हो सकती है।
- **क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों की पद्धतियों में अधिक पारदर्शिता लाना:** संप्रभु क्रेडिट रेटिंग पद्धति को अधिक पारदर्शी, कम-से-कम सब्जेक्टिव और अर्थव्यवस्था की बुनियादी स्थिति को बेहतर रूप से दर्शाने वाला बनाया जाना चाहिए **(आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21)।**

3.2. वृद्धिशील नकद आरक्षित अनुपात (Incremental Cash Reserve Ratio: ICRR)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने **बैंकों को 10% का वृद्धिशील नकद आरक्षित अनुपात (ICRR) बनाए रखने का निर्देश** दिया है।

---

[18] Gross Domestic Product/ सकल घरेलू उत्पाद

[19] Direct Foreign Investment/ प्रत्यक्ष विदेशी निवेश

[20] Foreign Portfolio Investment

[21] Emerging Market and Developing Economies

नकद आरक्षित अनुपात (CRR) और वृद्धिशील नकद आरक्षित अनुपात (ICRR)

- **CRR:** बैंकों को अपनी कुल जमा राशि का एक निश्चित प्रतिशत RBI के पास नकद के तौर पर रखना पड़ता है, जिसे CRR कहा जाता है। बैंकों के लिए अपनी **NDTL अर्थात् नेट डिमांड और टाइम लायबिलिटी**[22] का एक निश्चित प्रतिशत RBI के पास CRR के रूप में बनाए रखना आवश्यक है।
    - **RBI अधिनियम, 1934** के अनुसार, सभी **अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों** (जिनमें सार्वजनिक और निजी क्षेत्रक के बैंक, विदेशी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक तथा सहकारी बैंक शामिल हैं) के लिए **CRR बनाए रखना अनिवार्य है।**
- **ICRR:** ICRR वस्तुतः नकद आरक्षित अनुपात (CRR) के समान है। इसमें बैंकों को अपने धन का एक निश्चित हिस्सा RBI के पास अलग रखना पड़ता है। **इस राशि पर उन्हें कोई ब्याज नहीं मिलता है।** RBI के पास CRR के अलावा ICRR को भी लागू करने का विकल्प है।
    - उदाहरण के लिए- 2000 के नोटों के बंद होने के कारण RBI ने बैंकों को 19 मई, 2023 से 28 जुलाई, 2023 के बीच उनकी जमा राशि में वृद्धि होने पर 10% का ICRR बनाए रखने का आदेश दिया था। इसका तात्पर्य यह है कि बैंकों को **CRR और ICRR, दोनों को RBI के पास बनाए रखना** था।

शब्दावली को जानें

- **निवल मांग और मीयादी देयताएं (Net Demand and Time Liabilities: NDTL)**: यह किसी बैंक की डिमांड और टाइम लायबिलिटीज या ODTL तथा सार्वजनिक क्षेत्रक के या किसी और बैंक में उसके द्वारा रखी गई परिसंपत्तियों के रूप में जमा राशि के बीच के अंतर को दर्शाता है। (**NDTL = डिमांड लायबिलिटीज + टाइम लायबिलिटीज + ODTL – दूसरे बैंकों के जमा**)

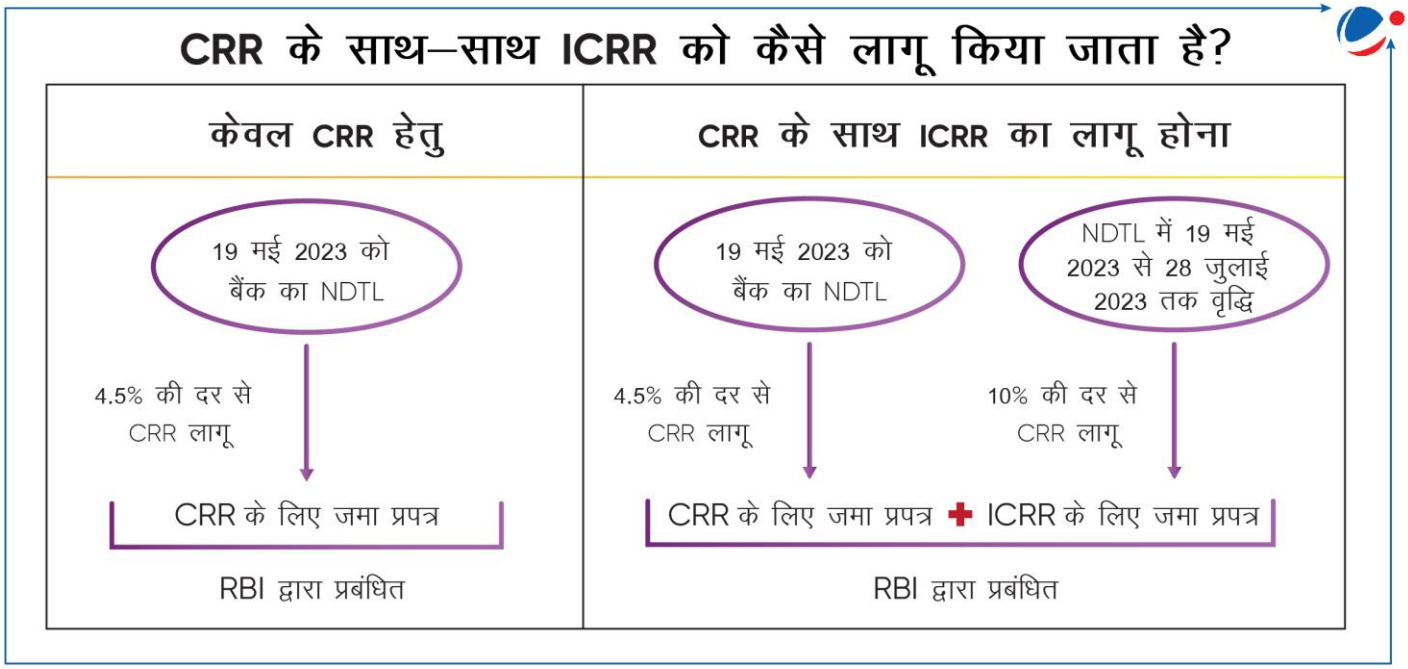

ICRR की आवश्यकता क्यों?

- **तरलता में हुई वृद्धि को संभालने के लिए:** हाल ही में **सरकारी व्यय में बढ़ोतरी, विदेशी निवेश में वृद्धि, 2000 रुपये के नोट की वापसी** आदि कारणों से **अर्थव्यवस्था में तरलता में वृद्धि** दर्ज की गई है।
    - एक अनुमान के अनुसार, ICRR के जरिए अर्थव्यवस्था से **20,000 करोड़ से 40,000 करोड़ रुपये** की राशि वापस RBI के पास आ जाएगी।

शब्दावली को जानें

- **बैंक रन:** किसी बैंक या अन्य वित्तीय संस्थान के दिवालिया होने के डर से जब बड़ी संख्या में उसके ग्राहक **अपनी जमा राशि निकालने लगते हैं** तो इसे **बैंक रन** कहते हैं।

[22] Net Demand and Time Liabilities/ निवल मांग और मियादी देयता

- **मुद्रास्फीति पर नियंत्रण: CPI**[23] आधारित भारत की **खुदरा मुद्रास्फीति जून के 4.9% की तुलना में जुलाई 2023 में बढ़कर 7.5%** हो गई थी। इसे नियंत्रण में लाने के लिए **सख्त मौद्रिक नीति अपनाने की आवश्यकता** है।
- **बैंकिंग लचीलापन:** CRR में वृद्धि से **'नकदी का बफर'** बनता है। इससे आर्थिक संकट के समय बैंकों को सुरक्षित रखने में मदद मिलती है। इस बफर का उपयोग बाहरी या आंतरिक आर्थिक आघातों से निपटने में किया जा सकता है।
  - उदाहरण के लिए- ICRR **बैंक रन के संभावित खतरे से सुरक्षा** प्रदान करता है।
- **ऋण वितरण में कमी:** तरलता में कमी से बैंकों की ऋण देने की क्षमता में कमी आती है।
  - ऋण वितरण में कमी से, वस्तुओं और सेवाओं की मांग में कमी आएगी। इससे **अर्थव्यवस्था में कुल/ समग्र मांग कम** हो जाएगी।

निष्कर्ष

RBI के अनुसार ICRR केवल अस्थायी उपाय है। यह व्यापक प्रभाव डाले बिना **अर्थव्यवस्था में अधिशेष तरलता की स्थिति से निपटने का एक तरीका** है। लंबी अवधि में, अधिशेष तरलता से निपटने के लिए कई अन्य उपाय भी लागू किए जाने चाहिए।

तरलता प्रबंधन के अन्य उपाय

- **स्थायी जमा सुविधा (Standing Deposit Facility: SDF):** इसके तहत RBI बैंकों को कोई सरकारी प्रतिभूति दिए बिना उनसे तरलता (जमा) अवशोषित कर लेता है।
- **रेपो और रिवर्स रेपो दरों में बदलाव:** इन दरों में बदलाव से **बैंकों में जमा राशि पर मिलने वाली ब्याज दर के साथ-साथ ऋण देने की दरों पर भी प्रत्यक्ष प्रभाव** पड़ता है।
- **खुला बाजार परिचालन (Open Market Operation: OMO):** RBI द्वारा **सरकारी प्रतिभूतियों (बॉण्ड्स) की बिक्री या खरीद** को खुला बाजार परिचालन कहा जाता है।
- **अर्थोपाय अग्रिम (Ways and Means Advances: WMA):** यह केंद्र और राज्य सरकारों को **अस्थायी तौर पर ऋण** देने की एक सुविधा है।

3.3. भारत में स्टार्ट-अप्स (Startups in India)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, वाणिज्य संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने **"भारत को लाभ पहुंचाने के लिए स्टार्ट-अप इकोसिस्टम"**[24] शीर्षक से रिपोर्ट पेश की।

[23] Consumer Price Index/ उपभोक्ता मूल्य सूचकांक

[24] Ecosystem of Startups to Benefit India

स्टार्ट–अप्स को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई पहलें

स्टार्ट–अप इंडिया	वित्त–पोषण हेतु अन्य साधन	स्टार्ट–अप्स को सुविधा प्रदान करने वाले प्लेटफॉर्म
• इसे 2016 में शुरू किया गया था। • इसे वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा प्रशासित किया जाता है। • इसके तहत SIDBI के साथ स्टार्ट–अप इंडिया इन्वेस्टर कनेक्ट पोर्टल बनाया गया है।	• स्टार्ट–अप इंडिया सीड फंड स्कीम (SISFS), 2021 • स्टार्ट–अप्स के लिए फंड ऑफ फंड्स स्कीम (FFS), 2016 • स्टार्ट–अप्स के लिए क्रेडिट गारंटी योजना (CGSS), 2022	• 2016 में विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (DST) द्वारा नवाचारों के विकास तथा उपयोग के लिए राष्ट्रीय पहल (निधी / NIDHI); • 2018 में रक्षा मंत्रालय द्वारा रक्षा **उत्कृष्टता के लिए नवाचार (iDEX);** • MeitY स्टार्ट–अप हब (MSH); • राष्ट्रीय कृषि विकास योजना– कृषि और संबद्ध क्षेत्रकों के कायाकल्प के लिए लाभकारी दृष्टिकोण (RKVY-RAFTAAR), 2017

स्टार्ट-अप्स का प्रभाव

- **रोजगार के अवसरों को बढ़ावा:** लगभग **47 प्रतिशत स्टार्ट-अप्स टियर 2 और टियर 3** शहरों से संबंधित हैं। ये **युवाओं को रोजगार के अवसर** प्रदान करते हैं।
- **महिला सशक्तीकरण:** इनमें से **लगभग 47 प्रतिशत** मान्यता प्राप्त स्टार्ट-अप्स में **कम-से-कम एक महिला निदेशक** है।
- **अनुसंधान और विकास में वृद्धि:** स्टार्ट-अप्स **नए विचारों और नवाचारों को बढ़ावा** देते हैं। उदाहरण के लिए- **डीप टेक स्टार्ट-अप** (इस आर्टिकल के अंत में बॉक्स देखें)।
- **प्रौद्योगिकी के लोकतंत्रीकरण और समावेशिता को बढ़ावा:** फिनटेक स्टार्ट-अप्स अब दूरदराज के क्षेत्रों तक पहुंच रहे हैं, उदाहरण के लिए- **पेटीएम** आदि।
- **नए निवेश को आकर्षित करते हैं:** स्टार्ट-अप्स ने विदेशी निवेश लाने के लिए **बहुराष्ट्रीय निगमों को आकर्षित** किया है।

डेटा बैंक

- दुनिया का **तीसरा सबसे बड़ा स्टार्ट–अप इकोसिस्टम** भारत में है।
- भारत में **2016 में 428 स्टार्ट–अप्स** थे, जबकि **2023 में 98,000** स्टार्ट–अप्स हैं।
- भारत में मई 2023 तक **108 यूनिकॉर्न (जिनका वैल्यूऐशन 1 बिलियन डॉलर से अधिक हो) थे।**

भारत के स्टार्ट-अप इकोसिस्टम में विद्यमान मुद्दे/ चुनौतियां

- **कृषि पर कम फोकस:** कुल मान्यता प्राप्त स्टार्ट-अप्स में से केवल **5.18%** ही कृषि क्षेत्रक से संबद्ध हैं।
- **कम संख्या में IPR[25]:** स्टार्ट-अप्स द्वारा दायर पेटेंट आवेदनों में से केवल 11% को ही पेटेंट प्रदान किया गया है।
- **फ़्लिपिंग (किसी अन्य देश में पंजीकरण):** आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 में स्टार्ट-अप्स में फ़्लिपिंग की बढ़ती प्रवृत्ति को रेखांकित किया गया है। इसमें **विदेशी ऋण तक अधिक पहुंच, एंजेल टैक्स के जोखिम को समाप्त करना, बेहतर IP सुरक्षा** आदि को इसका मुख्य कारण बताया गया है।
  - **फ़्लिपिंग** एक भारतीय कंपनी के संपूर्ण स्वामित्व को एक विदेशी कंपनी को हस्तांतरित करने की प्रक्रिया है। यह आम तौर पर एक भारतीय कंपनी के स्वामित्व वाली **सभी बौद्धिक संपदाओं और डेटा के हस्तांतरण** के साथ होता है।
- **आयकर छूट का कम उपयोग:** आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80-IAC के तहत, **केवल 1% मान्यता प्राप्त स्टार्ट-अप्स को ही पात्रता प्रमाण-पत्र** प्राप्त हुआ है।
  - यह धारा मान्यता प्राप्त स्टार्ट-अप्स को **लगातार तीन साल तक लाभ अर्जन की स्थिति में 100% कर छूट** की अनुमति देती है।
- **अवसंरचनात्मक समर्थन की कमी:** विशेष रूप से हार्डवेयर उत्पादों से संबंधित स्टार्ट-अप्स के लिए **पर्याप्त और विशिष्ट परीक्षण मानकों का अभाव** है।
- **वित्त-पोषण की अनिश्चितता:** एंजेल निवेशकों और उद्यम पूंजी फर्मों से स्टार्ट-अप्स को वित्त-पोषण स्टार्ट-अप्स द्वारा **प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट** प्रदान किए जाने के बाद ही उपलब्ध होता है।

[25] बौद्धिक संपदा अधिकार/ Intellectual Property Rights

रिपोर्ट में की गई सिफारिशें

- **एडवांस प्रौद्योगिकियों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना:** उदाहरण के लिए- **इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT), डेटा एनालिटिक्स** आदि से उत्पादकता में सुधार होगा, संसाधनों का अधिकतम उपयोग संभव हो सकेगा और कृषि कार्यों में निर्णय लेने की क्षमता में वृद्धि होगी।
- **महिला उद्यमियों पर केंद्रित कोष की स्थापना:** यह पूंजी तक निर्बाध पहुंच सुनिश्चित करेगा।
- **विनियामक/ कानूनी ढांचे में छूट:** यह छूट गैर-सूचीबद्ध भारतीय स्टार्ट-अप्स की **प्रत्यक्ष विदेशी लिस्टिंग को सक्षम करने और रिवर्स फ़्लिपिंग** के लिए कदम उठाने हेतु दी जानी चाहिए।
- **आयकर अधिनियम, 1961 में संशोधन:** यह कदम इसलिए उठाया जाना चाहिए, ताकि केवल शेयरों की बिक्री के समय ही **एम्प्लॉयी स्टॉक ऑप्शन प्लान्स (ESOPs) पर कर** लगाया जा सके न कि अनुमानित लाभ पर।
- **डायनेमिक टेस्टिंग और प्रमाणन मानक:** ये अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम पद्धतियों के अनुसार स्थापित किए जाने चाहिए।
- **प्रतिभा की कमी को पूरा करना:** कस्टमाइज्ड पाठ्यक्रमों का सृजन करने के लिए **उद्योगों को शैक्षणिक संस्थानों के साथ सहयोग** करने हेतु प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।
- **साझेदारी को प्रोत्साहित करना:** स्टार्ट-अप्स और अनुसंधान संस्थानों के बीच **सहयोगी नवाचार को बढ़ावा** दिया जाना चाहिए और **अनुसंधान एवं विकास साझेदारी** स्थापित की जानी चाहिए।

संबंधित सुर्ख़ियां: राष्ट्रीय डीप टेक स्टार्ट-अप नीति (National Deep Tech Startup Policy: NDTSP), 2023 का मसौदा जारी किया गया

- **डीप टेक स्टार्ट-अप:** एक डीप टेक स्टार्ट-अप आम तौर पर एक नया समाधान तैयार करता है। यह वैज्ञानिक या अभियांत्रिकी विषय के अंतर्गत **नए ज्ञान के आधार पर या कई क्षेत्रों से ज्ञान का इस्तेमाल कर समाधान** तैयार करता है।
  - इनमें से अधिकांश **बिजनेस-टू-बिजनेस (B2B) मॉडल** पर काम करते हैं। यह दर्शाता है कि वे अपना ध्यान **उद्यमी ग्राहकों (Enterprise clients)** पर केंद्रित करते हैं। साथ ही, ये विशेष औद्योगिक आवश्यकताओं के अनुरूप तकनीकी समाधान भी प्रदान करते हैं।
- **मसौदा NDTSP, 2023 के मुख्य बिंदुओं पर एक नज़र:**
  - मूलभूत और नवीन समाधान हेतु **वैज्ञानिक अनुसंधान में निवेश** करना।
  - **बौद्धिक संपदा प्रणाली** को मजबूत करना।
  - अत्याधुनिक और दोहरे उपयोग वाली प्रौद्योगिकियों के विकास के लिए एक इकोसिस्टम बनाने हेतु **सार्वजनिक/ निजी उद्योगों विशेषकर MSMEs एवं स्टार्ट-अप्स की भागीदारी को प्रोत्साहित** करना।
  - शैक्षणिक संस्थानों और अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठानों में **फ्रंटियर साइंटिफिक इंफ्रास्ट्रक्चर (FSI) की स्थापना** करना।
  - अलग-अलग **डीप टेक डोमेन में रेगुलेटरी सैंडबॉक्स** की स्थापना की जाएगी।

3.4. भारत में CSR व्यय (CSR Spending in India)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, **कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय** ने CSR[26] व्यय पर आंकड़े जारी किए हैं।

[26] Corporate Social Responsibility/ कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व

कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) क्या है?

- CSR एक **व्यवसाय मॉडल** है जो कंपनियों को अपने **हितधारकों और जनता के प्रति सामाजिक रूप से जवाबदेह** होने में मदद करता है। इसका उद्देश्य **परोपकारी या धर्मार्थ प्रकृति के सामाजिक लक्ष्यों में योगदान** करना है। सरल शब्दों में, जब कॉर्पोरेट संस्थाएँ सामाजिक भलाई में अपना योगदान देती हैं तो उसे CSR कहा जाता है।
    - कंपनियां CSR संबंधी अपनी गतिविधियों का स्वयं विनियमन करती हैं। यह समुदायों और समाज के कल्याण में योगदान देने के लिए कंपनियों की जवाबदेही एवं प्रतिबद्धता को व्यक्त करता है।
- भारत में CSR का फ्रेमवर्क **कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135** और **कंपनी (CSR नीति) नियमावली, 2014** में दिया गया है।
    - **कंपनी अधिनियम की अनुसूची VII** में उन कार्यों/ गतिविधियों की सूची दी गई है, जिन्हें कंपनियां अपनी CSR नीतियों में शामिल कर सकती हैं।
    - भारत ऐसा पहला देश है, जिसने निर्दिष्ट कंपनियों के लिए CSR को कानूनी रूप से अनिवार्य बनाया है।
    - कुछ शर्तों को पूरी करने वाली कंपनियों को लगातार पिछले तीन वित्तीय वर्षों में अर्जित अपने **औसत निवल लाभ का 2 प्रतिशत CSR गतिविधियों पर व्यय** करना होता है।

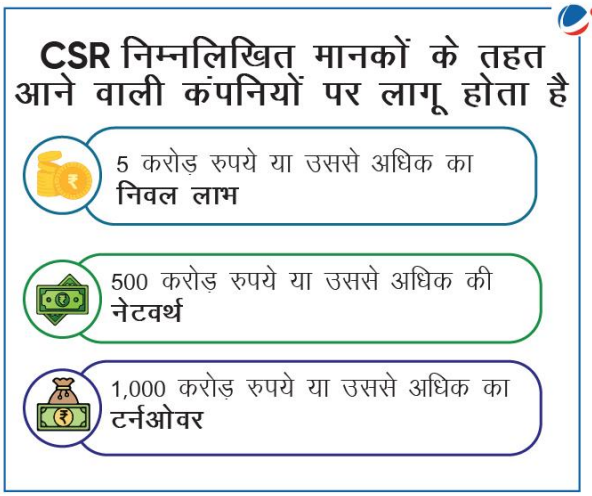

- **CSR का निम्नलिखित महत्त्व है:**
    - यह कंपनियों के **सामाजिक योगदान में सहायता** करता है,
    - कंपनियों की **सकारात्मक ब्रांड छवि** को बढ़ावा देता है, और
    - **धन के न्यायसंगत वितरण** के सिद्धांतों को कायम रखता है।

भारत में CSR व्यय से संबंधित समस्याएं

- **उचित कार्यान्वयन का अभाव:** अधिनियम के प्रावधानों के तहत निर्धारित CSR फंड से होने वाले व्यय की प्रभावी तरीके से निगरानी नहीं की जा रही है। उदाहरण के लिए- कॉर्पोरेट्स की स्थानीय कार्यान्वयन एजेंसियों में पारदर्शिता संबंधी कमियां मौजूद हैं।
- **विनियामक दायित्व से बचने पर ध्यान देना:** अधिकांश कंपनियों के लिए, CSR के प्रति दृष्टिकोण केवल इससे संबंधित नियमों के पालन तक ही सीमित है। यह दृष्टिकोण कंपनियों में CSR संबधी दीर्घकालिक योजना के विकास में बाधा पैदा करता है।

- **भौगोलिक पूर्वाग्रह:** KPMG की एक रिपोर्ट के अनुसार, कंपनियां अपने CSR फंड का अधिकांश हिस्सा आर्थिक रूप से विकसित राज्यों अर्थात् महाराष्ट्र, कर्नाटक आदि में व्यय करती हैं।
- **कम खर्च:** KPMG के अनुसार, देश की 100 सबसे बड़ी कंपनियों में से 52 कंपनियां CSR गतिविधियों पर अनिवार्य 2% खर्च करने में विफल रहीं हैं।
- **CSR गतिविधियों में सामुदायिक भागीदारी का अभाव:** अक्सर यह देखा गया है कि स्थानीय समुदाय कंपनियों की CSR गतिविधियों में कम ही भाग लेते हैं और अपना योगदान भी कम ही देते हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि स्थानीय समुदायों के पास CSR के बारे में या तो बहुत कम या बिल्कुल भी जानकारी नहीं होती है।
- **सुव्यवस्थित NGO की अनुपलब्धता:** कंपनियों को समुदाय की वास्तविक जरूरतों की पहचान करने में मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। गैर-सरकारी संगठन (NGOs) कंपनियों व समुदायों के बीच एक सेतु के रूप में कार्य करके और परियोजनाओं को सुव्यवस्थित करके इस अंतराल को समाप्त किया जा सकता है।

CSR व्यय और इसकी दक्षता में सुधार के लिए क्या किया जा सकता है?

- **बॉटम-अप दृष्टिकोण:** CSR व्यय की योजना को स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप बनाया जा सकता है। उदाहरण के लिए- CSR फंड का इस्तेमाल कुटीर उद्योगों में निवेश करने के लिए किया जा सकता है। इससे रोजगार के अवसर सृजित होंगे, जिससे शहर की ओर पलायन में कमी आएगी।
- **सामाजिक कल्याण को प्राथमिकता देना:** CSR व्यय का सबसे अधिक उपयोग सामाजिक और आर्थिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए किया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए- खनन और लघु वनोपज की बिक्री से होने वाले लाभ का न्यायसंगत पुनर्वितरण सुनिश्चित करना।
- **प्रदर्शन प्रबंधन और कार्यक्रम मूल्यांकन:** इसके अंतर्गत CSR परियोजनाओं की नियमित निगरानी, टीमों का विकास और स्थानीय समुदायों पर प्रभाव का नियमित आकलन शामिल है।
- **विविधीकरण:** CSR व्यय को विकासात्मक प्राथमिकताओं के अनुसार विविधीकृत किया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए- कृषि के आधुनिकीकरण में निवेश करना चाहिए।
- **SDG के साथ संरेखण:** कंपनियां अपने लक्ष्यों और CSR खर्च को SDGs के साथ जोड़ कर देख सकती हैं। उदाहरण के लिए- लैंगिक समानता, टिकाऊ उपभोग आदि।
- **मीडिया की भूमिका:** मीडिया सफल CSR पहलों के उत्तम उदाहरणों को उजागर करने में मदद कर सकता है। यह कंपनियों की चल रही विविध CSR पहलों के बारे में स्थानीय आबादी में जागरूकता का प्रसार करेगा और उन्हें संवेदनशील बनाएगा।

3.5. स्वयं-सहायता समूह (Self Help Groups: SHGs)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, सरकार द्वारा घोषणा की गई कि **'लखपति दीदी' योजना के तहत 2 करोड़ महिलाओं** को कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। इस योजना का उद्देश्य **महिलाओं को सूक्ष्म-उद्यम (Micro-enterprises) शुरू करने के लिए प्रोत्साहित** करना है।

लखपति दीदी योजना के बारे में

- **उद्देश्य: ग्रामीण SHG से जुड़ी महिलाओं को प्रति वर्ष कम-से-कम 1 लाख रुपये कमाने** में सक्षम बनाना।
  - वर्ष 2021 में, **ग्रामीण विकास मंत्रालय ने 'लखपति SHG महिला' पहल शुरू** की थी।
  - यह पहल **महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास दृष्टिकोण** पर आधारित है।
- **शामिल की गई गतिविधियां:**
  - महिलाओं को **प्लंबिंग, LED बल्ब बनाने तथा ड्रोन के संचालन और उसकी मरम्मत** करने जैसे कौशल प्रदान किए जाएंगे।

स्वयं-सहायता समूह (SHG) के बारे में

- SHG गांव-आधारित **अनौपचारिक वित्तीय मध्यवर्ती समिति** होती है। यह आमतौर पर 10-20 स्थानीय महिलाओं से मिलकर बनी होती है।
- यह प्रकृति में **स्वैच्छिक** होती है।
- आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार, भारत में लगभग **12 मिलियन SHGs** कार्यरत हैं। इनमें से 88 प्रतिशत SHGs की सभी सदस्य महिलाएं हैं।
- भारत में SHG की सफलता के कुछ उदाहरणों में- केरल में **कुदुम्बश्री,** बिहार में **जीविका**, महाराष्ट्र में **महिला आर्थिक विकास महामंडल, लद्दाख में लूम्स** आदि शामिल हैं।

महिलाओं को सशक्त बनाने में SHG की भूमिका

- **आर्थिक क्षेत्र:**
  - **उद्यमशीलता की संस्कृति को बढ़ावा देना:** ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाली महिलाओं के **कौशल में सुधार करके,** यह उन्हें विविध उद्यम संबंधी गतिविधियों में शामिल होने में सक्षम बनाता है।
  - **वित्त प्रदान करना:** SHG व्यवसायों को चालू रखने के लिए **सूक्ष्म ऋण** प्रदान करता है। साथ ही, **व्यापक उद्यमशीलता** और **निर्णय निर्माण कौशल विकसित** करने के लिए अपने सदस्यों हेतु एक सक्षमकारी परिवेश सृजित करता है।
  - **श्रम बल में भागीदारी:** आर्थिक सर्वेक्षण 2023-23 के अनुसार **2018-19** में ग्रामीण महिला श्रम बल भागीदारी दर (FLFPR), **19.7%** थी, जो **2020-21 में बढ़कर 27.7%** हो गई है।
  - SHG **ग्रामीण और शहरी भारत के बीच मौजूद अंतराल को भी समाप्त** कर रहे हैं।
- **सामाजिक क्षेत्र:**
  - SHGs **मजबूत सामाजिक नेटवर्क** स्थापित करने और **स्थानीय संस्थाओं को सशक्त बनाने में** योगदान दे रहे हैं। इस प्रकार ये **सामाजिक पूंजी** को बढ़ाने में अपना योगदान दे रहे हैं।
  - SHG की मदद से महिलाओं की स्थिति बेहतर हुई है। उदाहरण के लिए- **पारिवारिक निर्णय लेने में उनकी भागीदारी बढ़ी है,** आदि।
  - ये राष्ट्रीय लक्ष्यों को पूरा करने में भी सहायक सिद्ध हो रहे हैं, जैसे-
    - **SDG 5 -** लैंगिक समानता को प्राप्त करना;
    - **SDG 16 -** शांति, न्याय व मजबूत संस्थान आदि।
  - **आपदा और अन्य विपदापूर्ण परिस्थितियों के दौरान:** कोविड-19 महामारी के दौरान SHGs ने मास्क, सैनिटाइजर और सुरक्षात्मक उपकरणों के उत्पादन में आगे बढ़कर नेतृत्व किया था।
- **राजनीतिक क्षेत्र:**
  - कई SHGs ने **अपने अधिकारों की वकालत करना** शुरू कर दिया है। साथ ही, ये **दबाव समूहों** के माध्यम से अपनी **आजीविका को बनाए रखते हुए** राजनीतिक भागीदारी में कदम भी रख रहे हैं।

SHGs को बढ़ावा देने हेतु प्रमुख पहलें

पहल	वर्ष / एजेंसी	प्रमुख विशेषताएं
स्वयं सहायता समूह – बैंक लिंकेज कार्यक्रम (SHG-BLP)	1992 / राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड)	SHGs को बैंकों से जोड़ा गया।
दीनदयाल अंत्योदय योजना – राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (DAY-NRLM)	2011 में NRLM के रूप में / ग्रामीण विकास मंत्रालय	गरीब ग्रामीण महिलाओं को SHGs से जोड़ना और उनको लगातार बढ़ावा तथा सहायता प्रदान करना। वर्ष 2015 में इसका नाम बदलकर DAY-NRLM कर दिया गया।
स्टार्ट–अप ग्राम उद्यमिता कार्यक्रम (SVEP)	2016/ DAY-NRLM के तहत उप–योजना	गैर–कृषि क्षेत्रकों में ग्रामीण स्तर पर उद्यम स्थापित करने में SHGs को सहायता प्रदान करना।
महिला किसान सशक्तीकरण परियोजना (MKSP)	2011/ DAY-NRLM के तहत उप–योजना	कृषि में शामिल महिलाओं की भागीदारी और उत्पादकता को बढ़ाने के लिए सुनियोजित निवेश करके उन्हें मजबूत बनाना। साथ ही, ग्रामीण महिलाओं के लिए कृषि–आधारित आजीविका का निर्माण करना और उसे बनाए रखना।
दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (DDU-GKY)	2014/ DAY-NRLM के तहत उप–योजना	15 से 35 वर्ष की आयु के सबसे गरीब युवाओं को कौशल प्रदान करना।

SHGs द्वारा सामना की जाने वाली चुनौतियां/ मुद्दे

- **वित्त की कम उपलब्धता:** SHGs को धन उपलब्ध कराने में निजी बैंकों का योगदान **सार्वजनिक क्षेत्रक के बैंकों और सरकारी वित्त-पोषण तंत्र की तुलना में कम** है।
- **सहयोग का अभाव:** SHGs के सदस्यों के लिए अक्सर **एकजुटता बनाए रखना मुश्किल** होता है, क्योंकि **वे अलग-अलग पृष्ठभूमि (जाति, धर्म आदि) से आते** हैं।
- **पितृसत्ता का प्रचलन:** कई मामलों में, महिलाओं को व्यवसाय के लिए केवल एक प्रतिनिधि के रूप में शामिल किया जाता है, जबकि वास्तविक कार्य पुरुष सदस्यों द्वारा किया जाता है।
- **SHG की सीमित परिभाषा:** SHG का भविष्य में विस्तार करना एक चुनौती बन सकता है, क्योंकि **एक SHG में 20 से अधिक सदस्य नहीं हो सकते हैं।**
- **खराब मार्केटिंग: बहुत अच्छे उत्पाद** और **टीम होने के बावजूद** भी, उनका बाजार में संपर्क बेहतर नहीं होता है। इससे वे अपने उत्पाद को बाजार में ज्यादा मात्रा एवं अच्छी कीमतों पर नहीं बेच पाते हैं।
- **अन्य मुद्दे: व्यवसाय के कोर मूल्यों** के बारे में समझ का अभाव, अल्पकालिक लाभ पर फोकस, कमजोर प्रबंधन ढांचा आदि।

आगे की राह

- **नीति निर्माण:** SHGs की गतिविधियों का समर्थन करने के लिए एक बेहतर नीति तैयार की जानी चाहिए और उसका उचित कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जाना चाहिए। इससे वे अपनी आजीविका को बनाए रख सकेंगे।
- **लैंगिक रूप से समावेशी:** महिला उद्यमियों के लिए पर्याप्त बुनियादी ढांचे का विकास सुनिश्चित करना, उन्हें प्रशिक्षण प्रदान करना एवं लालफीताशाही को दूर करना, आदि।
- **क्षमता विकास:** कृत्रिम बुद्धिमत्ता जैसी उभरती व्यावसायिक गतिविधियों पर विशेष प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए।
- **वित्त-पोषण तंत्र में सुधार:** SHGs को CSR समर्थन, अंतर्राष्ट्रीय फंडिंग और बहुपक्षीय बैंक से समर्थन की सुविधा प्रदान की जानी चाहिए।

3.6. प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (Direct Benefit Transfer: DBT)

सुर्ख़ियों में क्यों?

केंद्रीय वित्त मंत्रालय के अनुसार, सरकार ने **प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT)** को अपनाकर 2014 से 2023 तक करदाताओं के 2.73 लाख करोड़ रुपये बचाए हैं। DBT के तहत लक्षित लाभार्थियों को सीधे उनके बैंक खाते में धन भेजकर वित्तीय लाभ प्रदान किया जाता है।

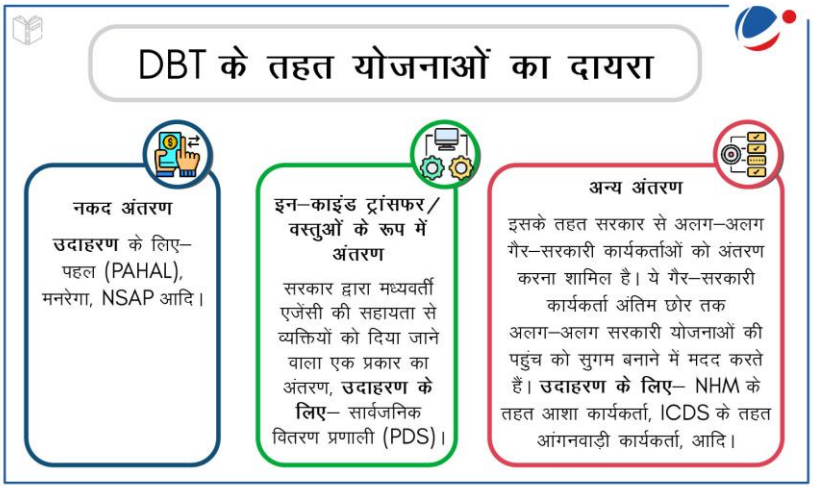

DBT के बारे में

- **उद्देश्य:** केंद्र सरकार द्वारा **लाभार्थियों को आवंटित धन के वितरण में पारदर्शिता लाना और हेर-फेर की गुंजाइश को समाप्त** करना।
- **शुरुआत:** इसे **2013** में देश के चुनिंदा जिलों में शुरू किया गया था। बाद में इसे 2014 में पूरे देश में लागू कर दिया गया था।
- **नोडल एजेंसी:** DBT मिशन और उससे संबंधित मामलों को मंत्रिमंडल सचिवालय में **सचिव (समन्वय और लोक शिकायत)** के अधीन रखा गया है।
  - लोगों को धन का भुगतान **लोक वित्त प्रबंधन प्रणाली (PFMS)**[27] के माध्यम से किया जाता है।
- **आधार की अनिवार्यता:** DBT योजनाओं में **आधार अनिवार्य नहीं** है।

[27] Public Finance Management System

- चूंकि, आधार एक विशिष्ट पहचान प्रदान करता है और इच्छित लाभार्थियों को लक्षित करने में उपयोगी है, इसलिए **आधार को प्राथमिकता** दी जाती है तथा लाभार्थियों को **आधार रखने के लिए प्रोत्साहित** किया जाता है।

- **DBT को सक्षम बनाने वाले घटक:**
  - **JAM (जन-धन, आधार और मोबाइल) ट्रिनिटी:** JAM त्रयी की सहायता से लाभ अंतरण में रिसाव की समस्या समाप्त हो गई है, लक्षित लोगों तक योजना का लाभ पहुंचने लगा है। साथ ही, इससे नकदी रहित और समयबद्ध ढंग से लाभ का हस्तांतरण संभव हो पाया है।
  - **बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट्स (BC) इंफ्रास्ट्रक्चर:** बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट्स यह सुनिश्चित करते हैं कि लाभार्थियों को समय पर, उनके घर पर ही और पूरा पैसा ट्रांसफर किया जाए।
  - **भुगतान बैंक:** इसके चलते देश के दूर-दराज के इलाकों में वित्तीय सेवाओं के विस्तार में वृद्धि हुई है।
  - **मोबाइल मनी:** पहचान के लिए आधार का उपयोग करके मोबाइल प्लेटफॉर्म पर **कैशलेस लेन-देन हेतु एक व्यापक इकोसिस्टम विकसित** करना।

DBT का प्रभाव

- **शीघ्र धन अंतरण:** DBT ने धोखाधड़ी की संभावना को कम करते हुए सुरक्षित रूप से धन और सूचना के प्रवाह को तेज कर दिया है। साथ ही, सरकार से लाभार्थी को **धन हस्तांतरित करने की लागत** भी कम हो गई है।
  - उल्लेखनीय है कि DBT की सहायता से **पी.एम. आवास योजना** और **LPG पहल योजना** जैसी योजनाओं को सफलतापूर्वक लागू किया गया है।
- **भ्रष्टाचार में कमी:** इससे पात्र लाभार्थियों की पहचान करने में मदद मिली है।
  - इसने सरकारी अधिकारियों सहित बिचौलियों की आवश्यकता को समाप्त कर दिया है।
  - लाभार्थी फंड्स पाने के लिए अपने आधार से लिंक बैंक खाते का इस्तेमाल कर रहे हैं। इससे सब्सिडी के दोहराव से बचने में मदद मिली है।
- **वित्तीय समावेशन:** इसने लोगों को बैंक खाते खोलने के लिए प्रोत्साहित किया है।
- **बेहतर निगरानी:** सरकार योजनाओं से जुड़े नागरिकों और लाभार्थियों दोनों की एक साथ **निगरानी करने** तथा उन तक पहुंचने में सक्षम बनी है।
- **सशक्त नागरिक:** DBT ने लोगों को सरकार की अन्य ई-गवर्नेंस सेवाओं का लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित किया है।

DBT के कार्यान्वयन में चुनौतियां

- **लाभार्थियों की पहचान:** उदाहरण के लिए- कथित तौर पर पी.एम.-किसान (PM-KISAN) निधि के तहत पात्रता संबंधी जटिल मानदंडों के कारण, अपात्र लाभार्थियों को भी करोड़ों की धनराशि वितरित कर दी गई थी।
  - पहचान और नामांकन के बाद डेटाबेस प्रबंधन की भी चुनौती है।
- **अनुपालन और परिचालन संबंधी मुद्दे:** आधार से संबंधित त्रुटियां (जैसे कि फिंगरप्रिंट मिसमैच), फील्ड स्तर पर डेटा एंट्री ऑपरेटरों का अपर्याप्त प्रशिक्षण आदि लेन-देन में विफलता का कारण बनते हैं।
- **कम वित्तीय समावेशन:** अधिकतर ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों, अनुसूचित जनजातियों आदि की बैंक खातों तक कम पहुंच होती है, जिसके कारण DBT का लाभ सभी तक नहीं पहुंच पाता है।
- **डिजिटल विभाजन और निरक्षरता:** सबसे गरीब 20 प्रतिशत परिवारों में से केवल 2.7 प्रतिशत के पास कंप्यूटर तक पहुंच और 8.9 प्रतिशत के पास इंटरनेट सुविधाएं हैं **(ऑक्सफैम इंडिया की रिपोर्ट "भारत असमानता रिपोर्ट 2022: डिजिटल डिवाइड")।**
- **अन्य:** उन लाभार्थियों के लिए **शिकायत निवारण तंत्र** प्रभावी तरीके से कार्य नहीं करता है, जो DBT, डेटा सुरक्षा, निजता के उल्लंघन जैसी समस्याओं का सामना करते हैं।

आगे की राह

- **शिकायत निवारण तंत्र:** प्रधान मंत्री कार्यालय (PMO) द्वारा एक समुचित ग्राहक शिकायत निवारण तंत्र की व्यवस्था करनी चाहिए तथा उसका समन्वय करना चाहिए।
- **बेहतर समन्वय और सहभागिता:** सभी हितधारकों, जैसे- मंत्रालय, जिसने योजना शुरू की है; नोडल बैंक और NPCI[28] प्रणाली के बीच बेहतर समन्वय एवं सहभागिता की आवश्यकता है।

[28] National Payments Corporation of India/ भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम

- **महिला एजेंट्स को बढ़ावा देना:** महिला लाभार्थियों तक पहुंच में सुधार के लिए क्षेत्र में महिला एजेंट्स की संख्या बढ़ाने पर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए।
- भारतनेट (ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी से संबंधित) **जैसी डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पहल को बढ़ावा** देना चाहिए।

3.7. आधिकारिक सांख्यिकी पर राष्ट्रीय नीति का मसौदा (Draft National Policy On Official Statistics)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI)[29] ने **"आधिकारिक सांख्यिकी पर राष्ट्रीय नीति (NPOS)"** का संशोधित मसौदा तैयार किया है।

अन्य संबंधित तथ्य

- यह नीति **नवीनतम तकनीकों** के उपयोग को बढ़ावा देती है। साथ ही, यह **आधुनिक डेटा संग्रह और सूचना के समय पर प्रसार की दिशा में एक रोडमैप** तैयार करती है।
- यह नीति **आधिकारिक सांख्यिकी पर संयुक्त राष्ट्र के मौलिक सिद्धांतों (UNFPOS)[30]** का समर्थन करती है। भारत ने **2016** में UNFPOS को अपनाया था।
- **आधिकारिक सांख्यिकी (Official Statistics) की परिभाषा:** UNFPOS के अनुसार, आधिकारिक सांख्यिकी में **सरकारी एजेंसियों द्वारा एकत्रित आंकड़े** शामिल होते हैं। ये आंकड़े **सांख्यिकी सर्वेक्षणों, प्रशासनिक व पंजीकरण रिकॉर्ड्स और नियमित रूप से प्रकाशित किए जाने वाले अन्य दस्तावेजों** से एकत्र किए जाते हैं।

भारत में आधिकारिक सांख्यिकी प्रणाली की वर्तमान स्थिति

- **केंद्र सरकार की भूमिका:** भारत में आधिकारिक सांख्यिकी प्रणाली को केंद्रीय स्तर पर केंद्रीय मंत्रालयों के बीच क्षैतिज रूप में विभाजित किया गया है। वहीं दूसरी ओर, इसे केंद्र और राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों (UTs) के बीच लंबवत रूप से विभाजित किया गया है।
  - राष्ट्रीय स्तर पर, **MoSPI** देश में सांख्यिकीय प्रणाली के एकीकृत विकास की योजना बनाने के लिए **नोडल एजेंसी** है।
- **राज्य सरकार की भूमिका:** राज्यों में आधिकारिक सांख्यिकी प्रणाली आम तौर पर राज्य सरकार के विभागों के मध्य क्षैतिज रूप से विकेंद्रीकृत होती है।
  - शीर्ष स्तर पर, **आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय (DES)[31]** राज्य/ केंद्र शासित प्रदेशों में सांख्यिकीय गतिविधियों का समन्वय करता है।

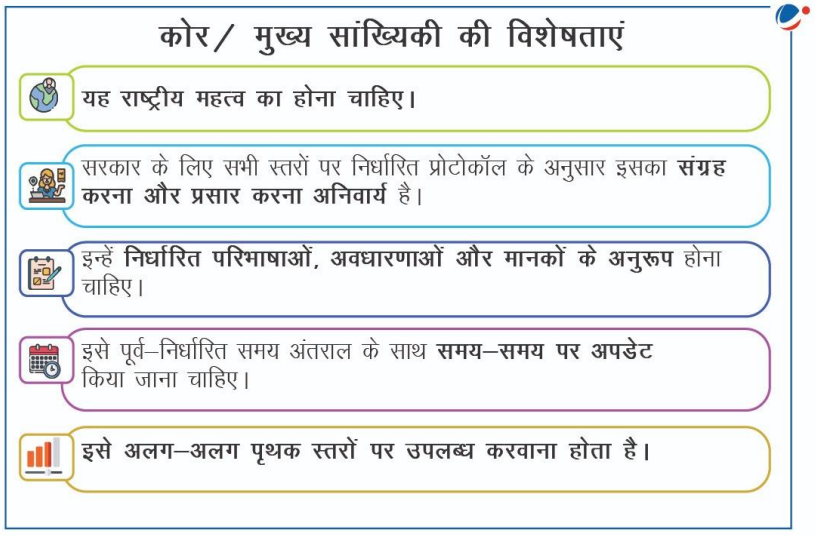

- **राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग (National Statistical Commission: NSC):** यह **सांख्यिकीय मामलों पर एक शीर्ष सलाहकारी निकाय है।** केंद्र सरकार ने 2006 में NSC का गठन किया था। इसे **सी. रंगराजन आयोग** की सिफारिशों के आधार पर गठित किया गया था।
- **सातवीं अनुसूची में स्थान:** 'सांख्यिकी' विषय **संघ सूची (सूची-I) की प्रविष्टि 94** और **समवर्ती सूची (सूची-III) की प्रविष्टि 45** में शामिल है।

[29] Ministry of Statistics & Programme Implementation

[30] United Nations Fundamental Principles of Official Statistics

[31] Directorates of Economics & Statistics

- **कानून:** सांख्यिकी से संबंधित विशेष कानूनों के तहत संबंधित सांख्यिकीय गतिविधियों का संचालन किया जाता है। इन कानूनों में **जनगणना अधिनियम 1948; जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969;** तथा **सांख्यिकी संग्रह अधिनियम[32], 2008** शामिल हैं।

NPOS की आवश्यकता और महत्त्व

- **डेटा गुणवत्ता में सुधार:** सर्वेक्षणों में नवाचार को अपनाने, उत्तर देने वालों (Respondent) के बोझ में कमी करने, प्रशासनिक आंकड़ों के दक्षतापूर्ण उपयोग और निरंतर निगरानी से डेटा की गुणवत्ता में सुधार होगा।
- **डिजिटल रूपांतरण:** NPOS समकालीन डिजिटल-संचालित सांख्यिकीय रूपांतरणों का समर्थन करती है। ये रूपांतरण डेटा संग्रह, संकलन (Compilation), प्रोसेसिंग, भंडारण, एकीकरण, विश्लेषण और प्रसार जैसी गतिविधियों में क्रांतिकारी बदलाव लाएगी।
  - इसमें **उभरती हुई प्रमुख तकनीकों,** जैसे- बिग डेटा एनालिटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI)/ मशीन लर्निंग (ML), ब्लॉकचेन आदि को अपनाया जाएगा।
- **जनता के विश्वास में वृद्धि:** निम्नलिखित कदमों से आधिकारिक आंकड़ों में जनता का विश्वास बढ़ेगा और परिणामस्वरूप, सरकार पर लोगों का भरोसा बढ़ेगा।
  - गुणवत्तापूर्ण डेटा का समय पर जारी होना।
  - नागरिक वर्ग की भागीदारी एवं सूचनाओं तक पहुंच।
  - उपयोगकर्ताओं के फीडबैक।

नीति में उल्लिखित मुख्य पहलें/ महत्वपूर्ण क्षेत्र

- **एकीकृत डेटा प्रणाली (IDS) का निर्माण:** IDS (MoSPI के नेतृत्व में) द्वारा **डेटासेट्स को बिना किसी बाधा के आपस में जोड़ा** जाएगा। इसके अलावा, यह राष्ट्रीय और राज्य/ UTs स्तर पर डेटा उत्पन्न करने वाली विभिन्न प्रणालियों के बीच ताल-मेल सुनिश्चित करेगा। इसमें निम्नलिखित विशेषताएं शामिल होंगी:
  - **डिजिटल सर्वेक्षण प्लेटफ़ॉर्म:** कंप्यूटर की सहायता से इंटरव्यू और ऑनलाइन डेटा इंटरचेंज के लिए।
  - **डेटा वेयरहाउस:** एक मेटाडेटा रिपॉजिटरी के साथ-साथ डेटा की प्राप्ति, भंडारण, प्रसंस्करण, विश्लेषण आदि के लिए।
  - **अत्याधुनिक आउटपुट सिस्टम:** डेटा तक बेहतर पहुंच और डेटा के सरल प्रसार के लिए।
  - **नवाचार केंद्र:** आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और मशीन लर्निंग (ML) जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों के इस्तेमाल के लिए।
- **कोर आधिकारिक सांख्यिकी:** मुख्य सांख्यिकीय उत्पादों, जैसे- सकल घरेलू उत्पाद, मूल्य सूचकांक, SDGs आदि को **कोर सांख्यिकी** के रूप में डिजाइन किया जाएगा।
  - **आठ डोमेंस/ क्षेत्रों** के लिए कोर सांख्यिकी की एक सूची तैयार की गई है।
- **सर्वेक्षण हेतु नवाचार:** NPOS के तहत अलग-अलग सर्वेक्षणों के नियोजन और विकास को एक नई दिशा देने का प्रयास किया गया है। इसका उद्देश्य डेटा उपलब्धता में विद्यमान कमियों की पहचान करना, दोहराव से बचना और निर्धारित समय सीमा को बनाए रखते हुए सर्वेक्षणों के परिणामों को जारी करना है।
- **आधिकारिक सांख्यिकी की गुणवत्ता में वृद्धि:** यह नीति निम्नलिखित को प्रोत्साहित करती है
  - सांख्यिकी की समय-समय पर समीक्षा और उनमें शामिल चरणों का दस्तावेजीकरण,
  - डेटा उत्पादों को नीति आयोग के 'डेटा गवर्नेंस क्वालिटी इंडेक्स' के अनुरूप करना, और
  - एडवांस तकनीकी उपकरणों का उपयोग।
- **सांख्यिकीय समन्वय को बढ़ाना:** इसमें केंद्रीय मंत्रालयों और राज्यों/ UTs हेतु एक संस्थागत तंत्र की स्थापना करने का उपबंध किया गया है। इसका उद्देश्य सांख्यिकीय सलाहकारों की सहायता से MoSPI के साथ समन्वय करना है।

[32] Collection of Statistics Act

- **सांख्यिकीय अधिकारियों की क्षमता का विकास:** विभिन्न गतिविधियों/ योजनाओं को वित्त-पोषित कर सांख्यिकीय अधिकारियों की क्षमता का विकास किया जाएगा। इसमें प्रशिक्षण, बुनियादी ढांचे का विस्तार, जन जागरूकता का कार्य, सांख्यिकीय पेशेवरों को अंतर्राष्ट्रीय पद्धतियों से अवगत कराना आदि शामिल हैं।

निष्कर्ष

NPOS भरोसेमंद, सामयिक और विश्वसनीय सामाजिक-आर्थिक डेटा प्रदान करने हेतु एक मजबूत तथा आधुनिक ढांचा प्रदान करेगा। इसके अलावा, यह डेटा द्वारा संचालित शासन और निर्णयन-प्रणाली शुरू करने में भी मदद करेगा।

3.8. भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम (Bharat New Car Assessment Program: Bharat NCAP)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH)[33] ने वाहनों के दुर्घटनाग्रस्त होने की स्थिति में सेफ्टी टेस्ट के लिए एक स्वदेशी स्टार-रेटिंग प्रणाली शुरू की है।

अन्य संबंधित तथ्य

- इस प्रणाली के तहत भारतीय कार विनिर्माता **फाइव स्टार रेटिंग (एक से पांच स्टार)** स्केल पर अपने वाहनों का क्रैश सेफ्टी टेस्ट और सुरक्षा का आकलन करवा सकते हैं। यह रेटिंग **ऑटोमोटिव इंडस्ट्री स्टैंडर्ड (AIS)-197** के अनुरूप है।
  - **AIS-197** में **समग्र मूल्यांकन पद्धति, वाहन चयन की प्रक्रिया, अलग-अलग टेस्ट और उनके आकलन** से संबंधित प्रोटोकॉल शामिल हैं।
- यह प्रणाली **ग्लोबल न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम (Global NCAP)** पर आधारित है। यह ग्लोबल प्रोग्राम संयुक्त राष्ट्र के मोटर वाहन सुरक्षा मानकों को दुनिया भर में सार्वभौमिक रूप से अपनाने को बढ़ावा देता है।
  - ग्लोबल-NCAP **'टुवर्ड्स जीरो फाउंडेशन'** की एक प्रमुख परियोजना है। यह फाउंडेशन यूनाइटेड किंगडम में पंजीकृत एक चैरिटी संस्था है।

भारत NCAP के मुख्य बिंदु

- **किस पर लागू होगा:** यह प्रणाली ऐसे यात्री वाहनों पर लागू होगी, जिनमें ड्राइवर सीट के अलावा आठ (8+1) से अधिक सीटें नहीं हों और वाहन का कुल वजन 3,500 किलोग्राम से अधिक नहीं हो। साथ ही, ये वाहन भारत में विनिर्मित या भारत में बिकने वाले होने चाहिए।
  - इस कार्यक्रम के तहत **दहन इंजन वाहनों के साथ-साथ सी.एन.जी. और इलेक्ट्रिक वाहनों** का परीक्षण भी किया जा सकता है।
- **टेस्ट प्रोटोकॉल:** इसके अंतर्गत **एडल्ट ऑक्युपेंट सेफ्टी (AOP), चाइल्ड ऑक्युपेंट सेफ्टी (COP)** और कार में लगाई गई **सेफ्टी असिस्ट टेक्नोलॉजी** का आकलन किया जाएगा।
  - **इसके लिए तीन टेस्ट किए जाएंगे:** फ्रंटल इम्पैक्ट टेस्ट, साइड इम्पैक्ट टेस्ट और साइड पोल इम्पैक्ट टेस्ट।
  - आकलन के आधार पर, AOP और COP के लिए **दो अलग-अलग** स्टार रेटिंग प्रदान की जाएगी।
  - पोल इम्पैक्ट टेस्ट केवल 3 स्टार और उससे अधिक रेटिंग प्राप्त करने वाली कारों का किया जाएगा।
- **टेस्ट का प्रारूप:** वैसे तो यह टेस्ट **स्वैच्छिक** प्रकृति का है, लेकिन कार विनिर्माताओं को प्रोत्साहित किया जाएगा कि वे AIS-197 मानदंडों के अनुरूप अपने वाहन मॉडल का सेफ्टी टेस्ट करवाएं।
  - भारत NCAP की टीम रैंडम सैंपलिंग के जरिए **वाहन मॉडल के बेस वैरिएंट का चयन** करेगी।
  - इस योजना के तहत वाहनों के सेफ्टी टेस्ट का कार्य **ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया (ARAI)** को सौंपा गया है। ARAI पुणे और चाकन में स्थित अपनी प्रयोगशालाओं में वाहनों का टेस्ट करेगी।
  - हालांकि, यह सेफ्टी टेस्ट स्वैच्छिक है, परंतु सरकारी एजेंसी कुछ मामलों में किसी विशेष मॉडल का चुनाव सेफ्टी टेस्ट के लिए कर सकती है, जैसे-

[33] Ministry of Road Transport and Highways

- लोकप्रिय वाहन मॉडल के बेस वैरिएंट (न्यूनतम 30,000 यूनिट्स की बिक्री) की टेस्टिंग।
- MoRTH बाजार के फीडबैक के आधार पर या **सार्वजनिक सुरक्षा के हित** में किसी **मॉडल की टेस्टिंग की सिफारिश** कर सकता है।

महत्त्व

- **सड़क सुरक्षा:** यह प्रणाली उपभोक्ताओं को कार खरीदने से पहले **सोच-समझकर निर्णय** लेने में मदद करेगी। इससे सुरक्षित कारों की मांग को बढ़ावा मिलेगा।
- **प्रौद्योगिकी:** इससे विनिर्माण प्रकियाओं को हालिया सड़क सुरक्षा नियमों के अनुरूप बनाने में मदद मिलेगी। इन नियमों में **अनिवार्य ड्यूल फ्रंट एयरबैग्स**, **एंटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टम** और **रिवर्स पार्किंग सेंसर** आदि शामिल हैं।
- **लागत प्रभावी:** विदेशों में होने वाले ऐसे सेफ्टी टेस्ट की लागत (2.5 करोड़ रुपये) है, जबकि भारत NCAP के तहत होने वाले **टेस्ट की लागत** कम (लगभग 60 लाख रुपये) होगी।
- **प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा:** इससे वैश्विक बाजार में भारतीय कारों के **निर्यात** में वृद्धि होगी।

निष्कर्ष

भारत NCAP के लागू होने से सड़क दुर्घटनाओं से होने वाली मौतें और घायलों की सख्या को कम करने तथा स्वास्थ्य देखभाल सेवा और बीमा क्षेत्रक पर दबाव को कम करने में मदद मिलेगी। साथ ही, सड़क दुर्घटनाओं के कारण होने वाली मौतों और घायलों के कारण उत्पन्न मानसिक क्षति को कम करने से सकारात्मक सामाजिक प्रभाव को बढ़ावा मिलेगा।

नोट: सड़क सुरक्षा के बारे में और अधिक जानकारी के लिए कृपया जून, 2023 की मासिक समसामयिकी देखें।

3.9. उड़ान (उड़े देश का आम नागरिक) योजना {UDAN (Ude Desh Ka Aam Naagrik) Scheme}

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, **उड़ान (उड़े देश का आम नागरिक)** योजना पर **नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG)** की ऑडिट रिपोर्ट संसद में प्रस्तुत की गई।

उड़ान योजना के बारे में

- **उड़ान एक क्षेत्रीय कनेक्टिविटी** योजना है।
- **उद्देश्य:** देश के दूर-दराज वाले व अपनी क्षमता से कम उपयोग वाले **हवाई अड्डों से वहनीय यात्रा** और **बेहतर कनेक्टिविटी** को बढ़ावा देना।
  - इसका उद्देश्य **क्षेत्रीय एयर-कनेक्टिविटी** के लिए **मांग-आधारित तंत्र** स्थापित करना है।
- **आरंभ:** इसे **राष्ट्रीय नागर विमानन नीति (NCAP)[34], 2016** के उद्देश्य को पूरा करने के लिए 2017 में दस वर्षों के लिए शुरू किया गया था।
  - इस नीति में **राजकोषीय सहायता** और **बुनियादी ढांचे के विकास** के जरिए क्षेत्रीय हवाई कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए एक **रीजनल कनेक्टिविटी योजना (RCS)** बनाई गई है।
- **मंत्रालय:** नागर विमानन मंत्रालय (MoCA)
- **कार्यान्वयन एजेंसी:** भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (AAI)

[34] National Civil Aviation Policy

- **प्रमुख विशेषताएं:**
  - **रियायतें:** केंद्र और राज्य सरकारें एयरलाइंस और एयरपोर्ट ऑपरेटर्स को रियायतें प्रदान करती हैं।
  - **व्यवहार्यता अंतराल वित्तपोषण (Viability Gap Funding: VGF):** RCS मार्गों पर विमान सेवाएं संचालित करने के लिए एयरलाइन ऑपरेटर्स को VGF के जरिए वित्तीय सहायता दी जाती है।
  - **क्षेत्रीय हवाई कनेक्टिविटी फंड (RCF):** इसे क्षेत्रीय मार्गों पर वायु परिवहन के लिए रियायतें/ VGF प्रदान करने हेतु सभी घरेलू उड़ानों पर **प्रति प्रस्थान लेवी या शुल्क द्वारा वित्त-पोषित** किया जाएगा।
  - **बजटीय सहायता:** एयरपोर्ट्स/ हेलीपोर्ट्स/ वाटर ऐरोड्रम्स के विकास/ पुनरुद्धार के लिए सरकार द्वारा बजटीय सहायता प्रदान की जाएगी।

भारत में क्षेत्रीय हवाई कनेक्टिविटी की आवश्यकता/ महत्त्व

क्षेत्र	महत्त्व
क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देना	इससे टियर–II और टियर–III शहरों में हवाई अड्डों के लिए कई नई उड़ानें शुरू करने से लोगों की विकास संबंधी आकांक्षाएं पूरी होंगी। साथ ही, इससे **अवसंरचना के मामले में क्षेत्रीय असमानता भी कम** होगी।
मोबिलिटी और एक्सेसिबिलिटी	इससे विशेष रूप से दुर्गम क्षेत्रों, जैसे– पूर्वोत्तर भारत आदि में लोगों के लिए आवागमन आसान हो जाएगा।
विकास का चालक	इससे प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) आदि की सहायता से निवेश जैसी विकासात्मक गतिविधियां सुगम बनेंगी।
आपदा प्रबंधन	इससे त्वरित कार्रवाई एवं राहत बचाव करना संभव होगा।
सांस्कृतिक आदान–प्रदान और पर्यटन	इससे स्वदेश दर्शन जैसी पहलों को बढ़ावा देने में अतिरिक्त सहायता मिलेगी।

योजना के क्रियान्वयन से जुड़ी प्रमुख समस्याएं

- **हेलीपोर्ट की पहचान:** MoCA/ AAI द्वारा क्षमता के आधार पर सक्षम हेलीपोर्ट की पहचान करने का कोई प्रयास नहीं किया गया है।
  - वायु परिवहन के लिए अधिकांश हेलीपोर्ट्स की पहचान हेलीकॉप्टर ऑपरेटर्स द्वारा पेश किए गए प्रस्तावों के आधार पर ही की गई है।
- **नियमों का अभाव:** MoCA ने RCF लेवी के संग्रह और वितरण को विनियमित करने के लिए कोई नियम नहीं बनाए हैं।
  - इसके अलावा, एयरलाइन ऑपरेटर्स पर RCF लेवी संबंधी दावे दायर करने में भी RCF ट्रस्ट की ओर से देरी हुई है।
  - RCF लेवी की वसूली में देरी होने पर **कोई दंडात्मक प्रावधान नहीं** किए गए हैं।
- **प्रावधानों का अनुपालन नहीं करना: क्षेत्रीय कनेक्टिविटी सलाहकार बोर्ड** ने ऑपरेटर्स द्वारा स्व-प्रमाणन के आधार पर AAI के VGF दावों को स्वीकार करने का निर्णय लिया था। स्व-प्रमाणन की वजह से योजना के **विभिन्न प्रावधानों का अनुपालन नहीं** किया गया।
  - शुरू किए गए 371 मार्गों में से केवल 30% (112 मार्गों) ने ही **तीन साल की पूर्ण रियायत अवधि पूरी** की है।
- **बड़ी बनाम छोटी एयरलाइंस कंपनियां:** चूंकि छोटी एयरलाइंस को बड़ी एयरलाइंस के साथ प्रतिस्पर्धा करनी पड़ती है, ऐसे में संसाधनों की कमी झेल रही छोटी एयरलाइंस को नुकसान उठाना पड़ता है।
  - **अधिकांश स्मॉल एयरलाइंस उन मार्गों पर सेवाएं दे रही हैं, जिनमें पर्याप्त यात्री नहीं होते हैं।**
- **परिचालन की उच्च लागत:** ईंधन, रखरखाव आदि की बढ़ती लागत के कारण, एयरलाइन ऑपरेटर्स क्षेत्रीय मार्गों पर विमान सेवा चलाने में रुचि नहीं लेते हैं।

आगे की राह (CAG की सिफारिश)

- **व्यवहार्यता:** लंबे समय तक **विमान सेवाएं जारी रखने** के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए **मार्गों की व्यवहार्यता** का आकलन करना चाहिए। क्षमता से कम उपयोग वाले हवाई अड्डों की पहचान में भी यही तरीका अपनाना चाहिए।
  - पुनरुद्धार/ विकास के लिए हवाई अड्डों की पहचान हेतु एक बेहतर तंत्र तैयार किया जाना चाहिए।

- **निगरानी:** एयरलाइंस द्वारा एकत्र की गई **RCF लेवी की निगरानी** के लिए एक तंत्र स्थापित करना चाहिए। साथ ही, यह सुनिश्चित करना चाहिए कि यात्रियों से एकत्र की गई राशि सरकार को भेजी जाने वाली राशि से अधिक न हो।
- **दंडात्मक प्रावधान को जोड़ना:** मानक संचालन प्रक्रिया के मसौदे के अनुसार RCF लेवी के दावों का तुरंत निपटान किया जाना चाहिए। साथ ही, **एयरलाइंस से बकाया** लेवी की वसूली में देरी के लिए **दंडात्मक प्रावधान** जोड़े जा सकते हैं।
- **VGF का समाधान करना:** VGF को **स्व-प्रमाणन के आधार पर वितरित करने के बजाय** एयरपोर्ट ऑपरेटर्स के पास उपलब्ध उड़ान डेटा के आधार पर एयरलाइंस द्वारा वसूले गए VGF दावों की पुष्टि करने के लिए एक उपयुक्त तंत्र तैयार करना चाहिए।

3.10. शहरी अवसंरचना विकास निधि (Urban Infrastructure Development Fund: UIDF)

सुर्ख़ियों में क्यों?

राष्ट्रीय आवास बैंक (NHB) ने 10,000 करोड़ के परिव्यय से **शहरी अवसंरचना विकास निधि (UIDF)** का संचालन शुरू कर दिया है।

अन्य संबंधित तथ्य

- **केंद्रीय बजट 2023-24 में UIDF की स्थापना की घोषणा** की गई थी।
- इसके वित्त-पोषण के लिए PSL[35] लक्ष्यों को प्राप्त करने में विफल रहने पर जो राशि बच जाती है, उसका इस्तेमाल किया जाएगा।
- इसे **ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि (RIDF)** की तर्ज पर स्थापित किया गया है।

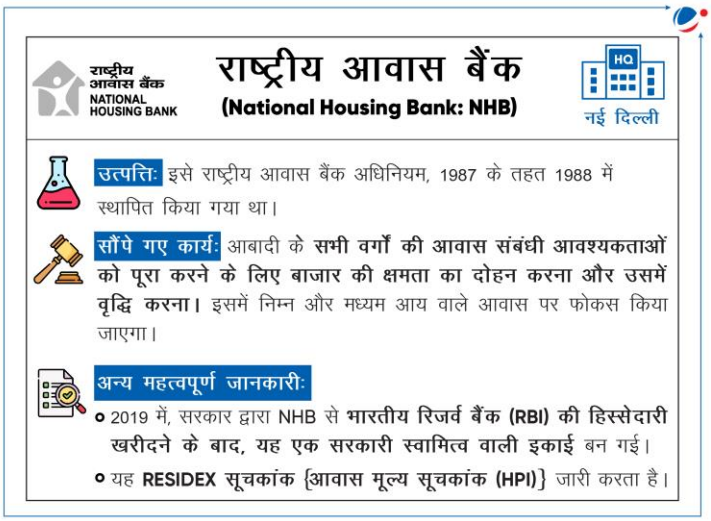

शहरी अवसंरचना विकास निधि (UIDF) के बारे में

- **उद्देश्य:** अवसंरचना के निर्माण के लिए **वित्त-पोषण का एक स्थिर और अनुमानित स्रोत प्रदान करके** राज्य सरकारों/ केंद्र शासित प्रदेशों के प्रयासों को आगे बढ़ाना।
  - UIDF के फंड्स का उपयोग करते समय राज्यों को इस बात के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा कि वे उचित उपयोगकर्ता शुल्क लगाएं और **15वें वित्त आयोग के अनुदानों के साथ-साथ मौजूदा योजनाओं से प्राप्त संसाधनों का लाभ उठाएं।**
- **कवरेज (जनगणना 2011 के अनुसार शहरों की जनसंख्या):**
  - **459 टियर 2 शहर** (जनसंख्या 1 लाख से 9,99,999 के बीच)
  - **580 टियर 3 शहर** (जनसंख्या 50,000 से 99,999 के बीच)
- **फंड्स का आवंटन:** प्रत्येक राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश के पात्र शहरों की जनसंख्या के आधार पर फंड आवंटित किया जाएगा।
  - **ऐसे फंड्स पर ब्याज दर बैंक दर से 1.5 प्रतिशत कम होगी।**
- **अनुमति प्राप्त गतिविधियां: आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय** के मिशनों एवं कार्यक्रमों से जुड़ी गतिविधियों को इसमें शामिल किया जाएगा।
  - **सीवरेज और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, जलापूर्ति एवं स्वच्छता** जैसी बुनियादी सेवाओं तथा **प्रभाव-उन्मुख परियोजनाओं को प्राथमिकता** दी जाएगी।
  - परियोजना प्रस्ताव का **न्यूनतम और अधिकतम आकार क्रमशः 5 करोड़ रुपये तथा 100 करोड़ रुपये** होगा, जबकि **पूर्वोत्तर व पहाड़ी राज्यों के लिए न्यूनतम आकार 1 करोड़ रुपये होगा।**
- **नोडल एजेंसी:** संबंधित राज्यों का **वित्त विभाग।**

ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि (RIDF) के बारे में

- **स्थापना:** इसे **1995-96** में स्थापित किया गया था।
- **उद्देश्य: ग्रामीण बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का वित्त-पोषण** करना।
- **प्रबंधनकर्ता: राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (NABARD/ नाबार्ड)**
- **वित्त-पोषण तंत्र:** जब घरेलू वाणिज्यिक बैंक कृषि के लिए निर्धारित **PSL लक्ष्यों को पूरा नहीं कर पाते हैं तो, वे शेष PSL राशि का RIDF में योगदान करते हैं।**

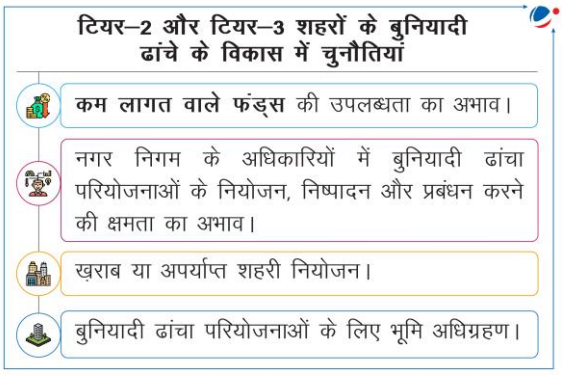

[35] Priority Sectors Lending/ प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रक को ऋण

- **अन्य बिंदु :**
  - इस फंड का उपयोग **प्रशासनिक खर्चों और रखरखाव के लिए नहीं** किया जा सकता है।
  - इसमें आवास, विद्युत और दूरसंचार, रोलिंग स्टॉक (बसें व ट्राम), शहरी परिवहन, स्वास्थ्य तथा शिक्षा संस्थान शामिल नहीं होंगे।
  - मूल ऋण राशि[36] **सात वर्षों के भीतर पांच समान वार्षिक किस्तों में चुकानी** होगी। इसमें **दो साल की अधिस्थगन अवधि (Moratorium period)** का भी उपबंध किया गया है।
  - **राज्यों द्वारा लिया गया उधार संविधान के अनुच्छेद 293(3) द्वारा शासित होगा।** तात्पर्य यह है कि राज्य एक वित्तीय वर्ष के दौरान बाजार और वित्तीय संस्थानों से उधार लेने की निर्धारित क्षमता के भीतर ही उधार ले सकते हैं।

UIDF की आवश्यकता/ प्रासंगिकता

- **सतत विकास लक्ष्यों (SDG) को प्राप्त करना:** SDG-11 में शहरों और मानव बस्तियों को **समावेशी, सुरक्षित, लोचशील तथा टिकाऊ बनाने** का प्रावधान शामिल है।
- **नगर-नियोजन को बढ़ावा देना:** राज्यों को नगर-नियोजन में सुधार करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।
- **बुनियादी ढांचे में सुधार:** इससे उन्हें लघु और मध्यम आकार के उद्यमों तथा वस्त्रों आदि के **मुख्य उत्पादकों के लिए महत्वपूर्ण केंद्र बनने में मदद** मिलेगी।
  - UIDF के तहत आने वाले शहर **देश के लॉजिस्टिक्स और आपूर्ति श्रृंखला नेटवर्क में नोडल बिंदु** हैं।

टियर-2 और टियर-3 शहरों की अवसंरचना के विकास के लिए अन्य पहलें

- स्मार्ट सिटी मिशन (2015);
- अमृत (कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन), 2015;
- **अन्य:** राष्ट्रीय विरासत शहर विकास और संवर्धन योजना (हृदय/HRIDAY), 2015 आदि।

- **शहरी भीड़ को कम करना:** 2011 की जनगणना के अनुसार, **भारत की 40% शहरी आबादी** टियर-2 और टियर-3 शहरों में रहती है। इसके बहुत तेज गति से बढ़ने का अनुमान है।
  - वर्तमान में, **ग्रामीण और दूरदराज के अन्य क्षेत्रों** से लोग सीधे मुंबई, दिल्ली जैसे **महानगरीय शहरों की ओर पलायन करते हैं।** टियर-2 और टियर-3 शहरों का विकास इस तरह के प्रवास को अपनी ओर आकर्षित करेगा।
- **अन्य:** विकास कार्यों के लिए **नगर निगमों को पर्याप्त संसाधन उपलब्ध कराना,** रोजगार के अवसर पैदा करना, **संतुलित क्षेत्रीय विकास** करना आदि।

निष्कर्ष

UIDF टियर-2 और टियर-3 शहरों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। यह भारत में शहरीकरण की समग्र गुणवत्ता को बढ़ाने में मदद करेगा। इसलिए, सभी हितधारकों को इसके कार्यान्वयन में प्रभावी भूमिका निभाने की आवश्यकता है।

3.11. भारतनेट (Bharatnet)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, केंद्र सरकार ने भारतनेट परियोजना के आधुनिकीकरण के लिए 1.39 लाख करोड़ रुपये की मंजूरी दी है।

अन्य संबंधित तथ्य

- इस परियोजना के क्रियान्वयन की रणनीति में बदलाव किया जा रहा है। साथ ही, इसके क्रियान्वयन लिए **ग्राम-स्तरीय उद्यमियों (VLEs)[37] के जरिए लास्ट माइल फाइबर कनेक्शन** प्रदान किया जा रहा है।
  - VLEs **50:50 के अनुपात में राजस्व-साझाकरण के आधार पर घरों तक फाइबर कनेक्शन** पहुंचाएंगे। VLEs को उद्यमी के नाम से जाना जाता है।
- इस अपग्रेड की सहायता से, **सरकार अगले दो वर्षों में सभी 6,40,000 गांवों को फाइबर कनेक्शन से जोड़ने की प्रक्रिया को तेज करना** चाहती है।
- फाइबर अवसंरचना को **घर तक पहुंचाने का खर्च सरकार वहन** करेगी।

[36] Principal loan amount

[37] Village Level Entrepreneurs

- **ग्रामीण उद्यमियों** की केवल **घरेलू कनेक्शन के रख-रखाव और परिचालन** की जिम्मेदारी होगी। वे **उपभोक्ता की शिकायतों, जैसे- फाइबर के कटने आदि का निवारण** भी करेंगे।

- भारतनेट परियोजना के लिए, यह **केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृत तीसरा पैकेज** है।
  - 2017 में मंत्रिमंडल ने पहले दो चरणों के लिए वित्तीय सहायता को मंजूरी दी थी।
  - 2021 में, मंत्रिमंडल ने **PPP मॉडल के तहत लास्ट माइल कनेक्टिविटी** के लिए **अधिक धन** आवंटित किया था। इसके बावजूद यह परियोजना भागीदारों को आकर्षित करने में विफल रही है।

भारतनेट (BharatNet): प्रमुख तथ्य

प्रकार	उद्देश्य	क्रियान्वयन एजेंसी	वित्त–पोषण
केंद्रीय क्षेत्रक की योजना (संचार मंत्रालय के अंतर्गत)	ग्राम पंचायतों को **ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी** प्रदान करना	**भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क** (2022 में BSNL के साथ इसका विलय कर दिया गया)	**यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लीगेशन फंड (USOF)**

भारतनेट योजना के बारे में अधिक विवरण के लिए इस डॉक्यूमेंट के अंत में परिशिष्ट देखें।

भारतनेट का महत्त्व

डेटा बैंक

- **58%** – ग्रामीण टेली–घनत्व (अक्टूबर 2022)
- **816 मिलियन** ब्रॉडबैंड कनेक्शन (सितंबर 2022)
- **61वां रैंक**– नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स में भारत की 61वीं रैंकिंग (2022 में)

- **ग्रामीण भारत का आधुनिकीकरण:** यह परियोजना **बैंकिंग, डाकघर जैसी बुनियादी अवसंरचनाओं को डिजिटल बनाकर** देश के ग्रामीण क्षेत्रों का आधुनिकीकरण करेगी।
- **कृषि क्षेत्रक:** यह किसानों को **जागरूक बनाने में मदद** करेगी। उदाहरण के लिए- कीटनाशकों के प्रयोग के बारे में ऑनलाइन प्रशिक्षण।
- **बेहतर चिकित्सा सुविधाएं:** ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रत्येक परिवार तक चिकित्सा सेवा पहुंचाने में मदद करेगी।
- **शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार:** छात्रों को ऑनलाइन माध्यम से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलेगी। साथ ही, इससे **दीक्षा (DIKSHA) जैसी सरकारी योजनाओं का** ग्रामीण क्षेत्रों में **विस्तार** भी होगा।
- **ई-कॉमर्स की पहुंच:** ग्राम-स्तरीय ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी से ई-कॉमर्स की पहुंच को बढ़ाने में मदद मिलेगी। उदाहरण के लिए- सरकार द्वारा शुरू की गई **ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स** पहल।
- **रोजगार:** भारतनेट के विस्तार कार्यक्रम से लगभग 2.50 लाख रोजगार के अवसर पैदा होंगे।

यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड (USOF)

- इसे **भारतीय टेलीग्राफ (संशोधन) अधिनियम, 2003** के तहत स्थापित किया गया है।
- **इसे 5% यूनिवर्सल सर्विस लेवी** लगाकर स्थापित किया गया है। यह लेवी सभी टेलीकॉम फंड ऑपरेटर्स से उनके **समायोजित सकल राजस्व (AGR)**[38] पर वसूली जाती है।
- इसका उद्देश्य देश के **ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण एवं वहनीय मोबाइल तथा डिजिटल सेवाएं** प्रदान करना है।

भारतनेट को लागू करने में चुनौतियां

- **परियोजना में देरी:** पहले इस परियोजना को 2019 तक पूरा करना था, लेकिन अभी भी इस पर काम जारी है।
- **बुनियादी सहायक अवसंरचना की कमी:** ग्राम पंचायत में सुरक्षित स्थान और विद्युत आपूर्ति जैसी सहायक अवसंरचनाओं की कमी के कारण समस्या का सामना करना पड़ता है।
- **परियोजना की उच्च लागत:** परियोजना के समय से पूरा होने में देरी के कारण लागत काफी बढ़ गई है।
  - उदाहरण के लिए- 2020-21 और 2021-22 के बीच एक किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर केबल (OFC) बिछाने की लागत दोगुनी हो गई है।

[38] Adjusted Gross Revenue

- **कम उपयोग:** मार्च 2022 तक, अपेक्षित गांवों में से **केवल 27% को ही नेटवर्क कनेक्टिविटी** प्राप्त हुई थी।
- **सेवा की गुणवत्ता (QoS):** लाइन में बार-बार खराबी, कनेक्शन बंद होने तथा **सर्विस और रिपेयरिंग** हेतु ग्रामीण अधिकारियों की शिकायतों एवं अनुरोधों की संख्या बढ़ती ही जा रही है।
- **BSNL की कमजोर प्रशासनिक क्षमता:** पिछले कुछ वर्षों में **BSNL को अधिक घाटे का सामना** करना पड़ा है। निर्णय लेने में देरी और **लालफीताशाही के कारण इस संस्था की आलोचना** की जाती रही है।
- **निजी क्षेत्रक की कम भागीदारी:** वर्ष 2022 में आयोजित नीलामी में एक भी बोली प्राप्त नहीं हुई और अंततः निविदा रद्द करनी पड़ी। निजी क्षेत्रक को भारतनेट के परिचालन और अपग्रेडिंग के लिए **कम आर्थिक प्रोत्साहन दिया जा रहा था, जबकि जिम्मेदारियां अधिक** थीं।

आगे की राह

- भारतनेट परियोजना के कार्यान्वयन और उपयोगिता को बढ़ाने के लिए **पंचायती राज संस्थाओं की भागीदारी बढ़ाने की जरुरत** है।
- **परियोजना के कार्यान्वयन की दक्षता में सुधार:** परियोजना की दक्षता बढ़ाने के लिए बेहतर प्रशासनिक ढांचे और गवर्नेंस की आवश्यकता है।
- निवेश, अवसंरचना और परियोजना के संचालन में **निजी क्षेत्रक की अधिक भागीदारी की आवश्यकता** है।
- **जागरूकता बढ़ाना:** भारतनेट ग्रामीण आबादी के बीच इतना लोकप्रिय नहीं है। साथ ही, इसे निजी **क्षेत्रक के ब्रॉडबैंड सेवा-प्रदाताओं से प्रतिस्पर्धा का सामना** करना पड़ता है।

3.12. भारत में महापत्तन की कार्य-प्रणाली (Functioning of Major Ports in India)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, **परिवहन, पर्यटन और संस्कृति विभाग से संबंधित संसदीय स्थायी समिति** ने **"देश में महापत्तनों की कार्य-प्रणाली[39]" पर 352वीं रिपोर्ट पेश** की है।

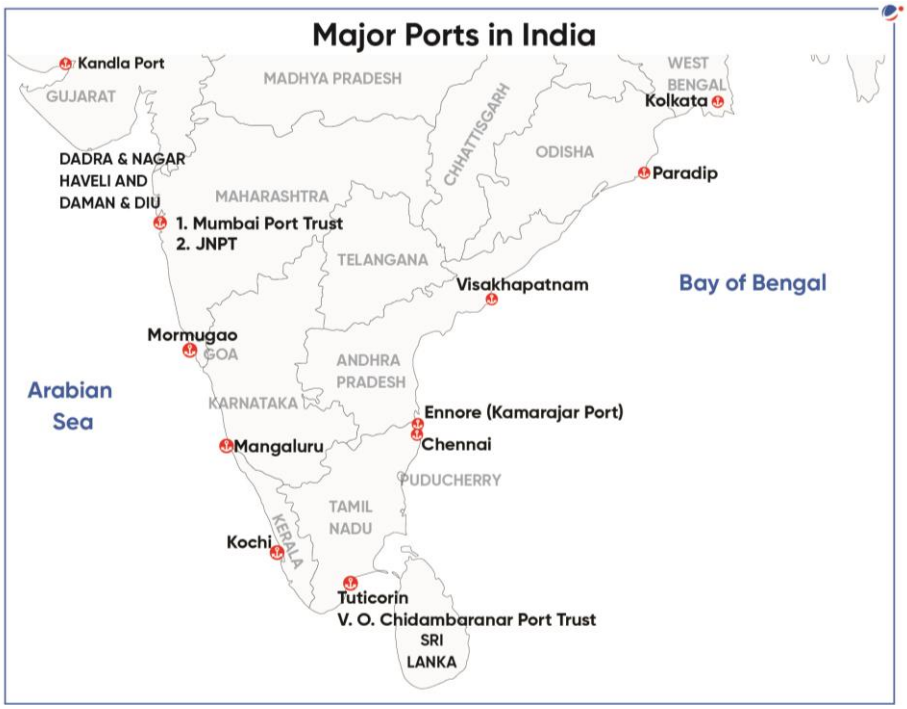

भारत में पत्तन (Ports)

- भारत में पत्तन को सामान्य तौर पर **दो श्रेणियों में वर्गीकृत** किया गया है। यह वर्गीकरण उनके द्वारा **संभाले जाने वाले यातायात के आधार पर किया गया है:**
  - **महापत्तन या प्रमुख पत्तन (Major Ports):** ये केंद्र सरकार के प्रत्यक्ष प्रशासनिक नियंत्रण में हैं। यह संविधान की **7वीं अनुसूची** में संघ सूची का विषय है।
  - **गौण पत्तन (Minor Ports):** ये संबंधित राज्यों के **'राज्य समुद्री बोर्ड' (State Maritime Board)** के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। यह समवर्ती सूची का विषय है।
- देश में **12 महापत्तन** और लगभग **213 अन्य पत्तन** हैं।
- महापत्तनों की कार्य-प्रणाली को प्रशासित करने वाले दो प्रमुख कानून हैं:
  - **महापत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 2021** (Major Port Authorities Act,2021); और
  - **भारतीय पत्तन अधिनियम (Indian Ports Act)**

[39] Functioning of Major Ports in the Country

भारत में पत्तनों का प्रदर्शन

- **टर्न अराउंड टाइम (TRT):** भारतीय पत्तनों पर टर्नअराउंड समय **94 घंटे (वित्त वर्ष 2013-14) से घटकर 52 घंटे (वित्त वर्ष 2023-24)** हो गया है।
  - पत्तन पर जहाज के आगमन और प्रस्थान के बीच बिताए गए समय को **टर्न अराउंड टाइम** कहा जाता है।
- **यातायात:** भारतीय पत्तनों पर कंटेनर यातायात में लगातार वृद्धि देखी जा रही है। यह **555 मिलियन टन (वित्त वर्ष 2013-14) से बढ़कर 796 मिलियन टन (वित्त वर्ष 2023-24)** हो गया है।
- **कार्गो:** पिछले कुछ वर्षों से महापत्तनों पर कार्गो हैंडलिंग में लगातार वृद्धि दर्ज की जा रही है। **पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष 10% की वृद्धि** दर्ज की गई है।
- **ऑपरेटिंग या संचालन अनुपात (Operating Ratio):** कमाए गए प्रत्येक रुपये के बदले खर्च किए गए रुपये को ऑपरेटिंग अनुपात कहा जाता है। भारत के महापत्तनों का ऑपरेटिंग अनुपात 2020-21 के 53 रुपये से घटकर 48 रुपये हो गया है। इसका मतलब है कि प्रत्येक 100 रुपये की कमाई पर 48 रुपये खर्च किए गए।

महापत्तनों की कार्य प्रणाली में चुनौतियां

- **वित्तीय बाधाएं:** पेंशन और अन्य देनदारियों की वजह से भारत में महापत्तनों को वित्तीय संकट का सामना करना पड़ता है। उदाहरण के लिए- मुंबई पत्तन पर 13,000 करोड़ रुपये की पेंशन फंड देनदारी है।
- **क्षमता का समुचित उपयोग नहीं:** महापत्तनों की कुल क्षमता के केवल 49% (लगभग) का ही उपयोग किया जा रहा है। इससे संसाधनों की बर्बादी होती है।
- **ट्रांसशिपमेंट हब की कमी:** भारतीय पत्तन **केवल 25% भारतीय ट्रांसशिपमेंट** कार्गो को संभालते हैं। इससे भारत बड़े पैमाने पर राजस्व अर्जित करने के अवसरों को खो रहा है।
- **कनेक्टिविटी संबंधी चुनौतियां:** कुछ पत्तनों को व्यस्त रेल यातायात और मल्टी-मॉडल परिवहन कनेक्टिविटी की कमी की वजह से समस्या का सामना करना पड़ता है। इससे माल ढुलाई पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।
- **अवसंरचना संबंधी कमियां:** अवसंरचना की कमी की वजह से कई भारतीय पत्तनों की क्षमता कम है और कई पत्तन अपनी पूरी क्षमता का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं।
  - **कार्गो की निकासी में समस्या:** रेलवे रैक कम उपलब्ध होने की वजह से पत्तनों से वस्तुओं की आवाजाही प्रभावित होती है।
  - **मेगा पोर्ट्स (Mega Ports) की कमी:** केवल 5 महापत्तनों और 2 अन्य पत्तनों की क्षमता 100 MTPA[40] से अधिक है।
- **प्रशुल्क या टैरिफ संरचना सख्त होना:** निजी पत्तनों के विपरीत, सरकार के स्वामित्व वाले महापत्तन सख्त टैरिफ संरचना के कारण अधिक कार्गो आकर्षित करने में असमर्थ रहे हैं।

क्या आप जानते हैं?

> भारत का **सबसे पुराना प्रमुख पत्तन कोलकाता पत्तन** है, जिसे अब **श्यामा प्रसाद मुखर्जी पत्तन** (एकमात्र प्रमुख नदी पत्तन) कहा जाता है।

> **मुंबई पत्तन** भारत का **सबसे बड़ा प्राकृतिक पत्तन और बंदरगाह है।**

> तमिलनाडु में **कामराजार पत्तन** या एन्नोर पत्तन एक **कंपनी के रूप में पंजीकृत एकमात्र निगमित पत्तन है।**

पत्तन के कार्य-प्रणाली में सुधार के लिए किए गए प्रयास

- **समग्र निगरानी:** परियोजनाओं की नियमित निगरानी और पत्तनों के वित्तीय तथा कार्य-प्रणाली के प्रदर्शन के लिए **सागरमंथन डैशबोर्ड** विकसित किया गया है।
- **रियल-टाइम ट्रैकिंग:** बेहतर यातायात प्रबंधन हेतु जहाजों पर रियल टाइम जानकारी देने के लिए **सागर सेतु ऐप** शुरू किया गया है।
- **व्यापार सुविधा: राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स पोर्टल (NLP)** (समुद्री) नामक राष्ट्रीय समुद्री सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म शुरू किया गया है। यह आयातकों, निर्यातकों और सेवा प्रदाताओं के बीच व्यापार को सुगम बनाता है।
- **पत्तन के प्रदर्शन संकेतकों की निगरानी:** सभी महापत्तनों के मुख्य प्रदर्शन संकेतकों (जैसे कि टर्नअराउंड टाइम) की निगरानी के लिए **सागर उन्नति** डैशबोर्ड शुरू किया गया है।

[40] Million Tonnes Per Annum

- **कनेक्टिविटी में सुधार:** बेहतर कनेक्टिविटी के लिए **सागरमाला परियोजना** के तहत **101 सड़क और 90 रेल कनेक्टिविटी परियोजनाएं** शुरू की गई हैं।
- **साइबर सुरक्षा:** कई पहलें शुरू की गई हैं:
  - परिसंपत्ति प्रबंधन प्रणालियों की स्थापना,
  - सभी स्तरों पर मल्टी-फैक्टर सत्यापन, और
  - सूचना-प्रौद्योगिकी सुरक्षा नीति का कार्यान्वयन।
- **पत्तनों का डिजिटलीकरण: पोत यातायात प्रबंधन प्रणाली, एंटरप्राइज़ बिजनेस सिस्टम (पत्तन संचालन और संबद्ध प्रणाली)** और **ऑनलाइन RFID (रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन) प्रणाली** जैसे कदम उठाए गए हैं।

पत्तनों की दक्षता में सुधार हेतु की गई सिफारिशें

- **एकीकृत योजना:** पत्तन विकास की योजना बनाते समय, **स्थानीय अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण, औद्योगिक क्लस्टर का विकास और कनेक्टिविटी** को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए।
- **पत्तन का आधुनिकीकरण:** महापत्तनों को अपनी उत्पादकता बढ़ाने के लिए **ओल्ड बर्थ्स (जहाज ठहराने का स्थान) से पुराने और अप्रचलित उपकरणों को हटाकर आधुनिक उपकरणों लगाने हेतु निवेश** करना चाहिए।
- **पत्तनों का मशीनीकरण:** सरकार को **पत्तनों के मशीनीकरण से संबंधित 31 परियोजनाओं को प्राथमिकता** देनी चाहिए।
- **PPP निवेश में वृद्धि:** सभी महापत्तनों को**मैरीटाइम इंडिया विजन (MIV)** के तहत अपने PPP निवेश लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कदम उठाने चाहिए, ताकि उत्पादकता और प्रतिस्पर्धा में सुधार लाया जा सके।
  - मैरीटाइम इंडिया विजन के तहत भारत में वैश्विक मानक पत्तन विकसित करने के लिए विश्व स्तरीय मेगा पोर्ट, **ट्रांसशिपमेंट हब विकसित करने** और पत्तनों की अवसंरचनाओं के आधुनिकीकरण जैसी पहलों की पहचान की गई है।
- **पत्तन आधारित औद्योगिकीकरण: उद्योगों/ सुविधाओं की स्थापना** के लिए सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) आधार पर निजी निवेशकों को पत्तन की भूमि पट्टे पर दी जानी चाहिए। इससे तटीय अर्थव्यवस्था और पत्तन के राजस्व में वृद्धि होगी।
- **कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना:** समर्पित रेल फ्रेट कॉरिडोर की सहायता से लिंकेज के साथ-साथ आंतरिक इलाकों में **जल/ रेल/ सड़क द्वारा कनेक्टिविटी** स्थापित करने की आवश्यकता है।
- **पोर्ट कम्युनिटी सिस्टम (PCS) का व्यापक कार्यान्वयन:** PCS पत्तन क्षेत्रक के लिए शुरू किया गया एक **केंद्रीकृत वेब एप्लिकेशन** है। यह पत्तन समुदाय के सदस्यों और हितधारकों के लिए सिंगल विंडो के रूप में कार्य करता है।

पोर्ट कनेक्टिविटी के बारे में और अधिक जानकारी के लिए दिए गए QR कोड को स्कैन करें।
वीकली फोकस #49: पोर्ट कनेक्टिविटी: दुनिया की ओर भारत का मार्ग

3.13. लघु सिंचाई योजनाओं पर छठी गणना रिपोर्ट (Sixth Census Report on Minor Irrigation Schemes)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, जल शक्ति मंत्रालय ने **लघु सिंचाई योजनाओं पर छठी गणना रिपोर्ट** जारी की है।

शब्दावली को जानें
- **कृषि योग्य कमान क्षेत्र (Cultivable Command Area: CCA):** यह किसी सिंचाई योजना के तहत **भौतिक रूप से सिंचित** और **खेती के लिए उपयुक्त क्षेत्र** होता है।

लघु सिंचाई के बारे में

- भारत में सिंचाई परियोजनाओं को तीन श्रेणियों अर्थात् **प्रमुख, मध्यम** और **लघु सिंचाई**[41] में वर्गीकृत किया गया है।

[41] Major, Medium and Minor Irrigation

- **प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं:** 10,000 हेक्टेयर से अधिक का **कृषि योग्य कमान क्षेत्र (CCA)**[42]
- **मध्यम सिंचाई परियोजनाएं:** 2,000 हेक्टेयर से अधिक लेकिन 10,000 हेक्टेयर से कम का CCA
- **लघु सिंचाई परियोजनाएं:** 2,000 हेक्टेयर या उससे कम का CCA

- लघु सिंचाई परियोजनाओं में **सतही और भूजल दोनों तरह के जल स्रोतों** को शामिल किया जाता है, वहीं **प्रमुख तथा मध्यम परियोजनाओं में** अधिकतर **सतही जल संसाधनों का दोहन** किया जाता है।
- लघु सिंचाई (MI) क्षेत्रक संबंधी योजनाएं **समग्र रूप से राज्य सरकारों द्वारा कार्यान्वित की जाती हैं। इसके अतिरिक्त राज्यों की स्वयं की राज्य-विशिष्ट लघु सिंचाई योजनाएं** होती हैं।
- केंद्र प्रायोजित योजना, **'लघु सिंचाई सांख्यिकी का युक्तिकरण' (RMIS)**[43] की शुरुआत 1987-88 में की गई थी।
  - हालांकि, यह योजना बाद में **केंद्रीय क्षेत्रक** की एक **योजना "जल संसाधन सूचना प्रणाली का विकास" (DWRIS)**[44] का हिस्सा बन गई।
  - RMIS योजना का मुख्य उद्देश्य **प्रभावी योजना और नीति निर्माण के लिए लघु सिंचाई (MI) क्षेत्रक में एक व्यापक तथा विश्वसनीय डेटाबेस का निर्माण** करना है।
- छठी गणना (Census) **जल शक्ति मंत्रालय की केंद्र प्रायोजित योजना "सिंचाई गणना" (Irrigation Census)** के तहत की गई है।
  - लघु सिंचाई योजनाओं की **पहली गणना सन्दर्भ वर्ष 1986-87 के साथ** की गई थी। इस गणना की रिपोर्ट **नवंबर 1993 में प्रकाशित** की गई थी।
  - सिंचाई और कृषि क्षेत्रक में **प्रभावी नियोजन तथा नीति-निर्माण के लिए गणना** करना जरूरी है।

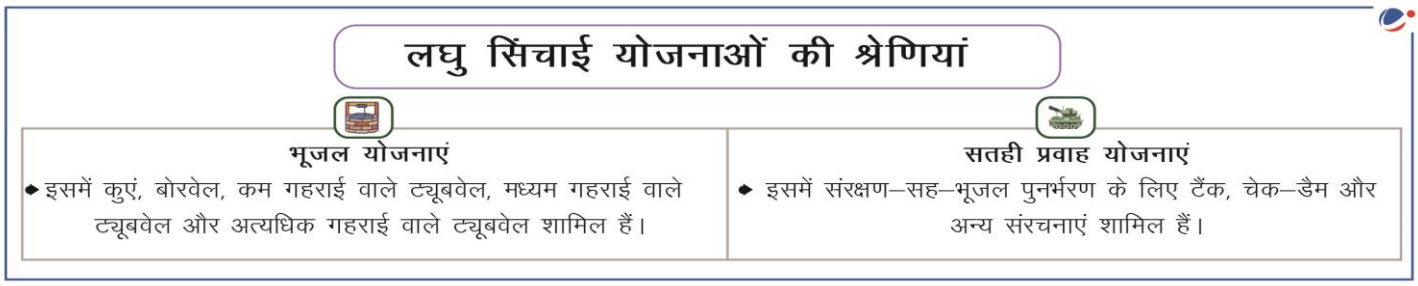

- **लघु सिंचाई योजनाओं का महत्व**
  - सतही लघु सिंचाई परियोजनाएं तैयार कर **भूजल का पुनर्भरण** (Groundwater recharge) किया जाता है।
  - ये लागत प्रभावी होती हैं, इसलिए **लघु और सीमांत किसान** अपने खेतों में इसका उपयोग कर सकते हैं।
  - राज्यों द्वारा विद्युत, मशीनरी आदि पर सब्सिडी के रूप में **सरकारी सहायता** प्रदान की जा रही है।
  - पिछले कुछ वर्षों में उन्नत जल वितरण उपकरणों के प्रयोग से लघु सिंचाई में **जल उपयोग दक्षता में सुधार** आया है। इससे **जल की बर्बादी में भी कमी आई** है।

रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर

- **जल निकायों की पहली गणना:** इसे जल निकायों के लिए एक **राष्ट्रीय डेटाबेस विकसित करने के उद्देश्य से छठी लघु सिंचाई योजनाओं के सहयोग** से किया गया है। गणना के लिए **संदर्भ वर्ष के रूप में 2017-18** का इस्तेमाल किया गया है।
- **भारत में लघु सिंचाई योजनाएं:**
  - देश के 695 जिलों में **23.14 मिलियन लघु सिंचाई योजनाएं** विद्यमान हैं।
  - **94.8%** लघु सिंचाई योजनाएं **भूजल आधारित** हैं, जबकि शेष 5.2% **सतही जल आधारित योजनाएं** हैं।

---

[42] Cultivable Command Area

[43] Rationalization of Minor Irrigation Statistics

[44] Development of Water Resources Information System

- **उत्तर प्रदेश (17.2%) में सबसे अधिक** लघु सिंचाई योजनाएं हैं। इसके बाद **महाराष्ट्र (15.4%), मध्य प्रदेश (9.9%) और तमिलनाडु (9.1%)** का स्थान हैं।
- **MI योजनाओं में कुओं की हिस्सेदारी सबसे अधिक** है। इसके बाद **कम गहरे ट्यूबवेल्स, मध्यम गहरे ट्यूबवेल्स और गहरे ट्यूबवेल्स** का स्थान है।

- पांचवीं गणना की तुलना में छठी गणना में **लघु सिंचाई योजनाओं में 1.42 मिलियन की वृद्धि दर्ज की गई है**।
- **लघु सिंचाई योजनाओं का स्वामित्व: 96.6 निजी स्वामित्व** के अधीन हैं जबकि **3.4% सार्वजनिक स्वामित्व** के अधीन हैं।
  - व्यक्तिगत स्वामित्व वाली सभी योजनाओं में से **18.1% का स्वामित्व महिलाओं** के पास है।
- **योजनाओं का उपयोग: 97% सिंचाई योजनाएं 'उपयोग में' हैं,** जबकि 2.1% और 0.9% क्रमशः 'अस्थायी रूप से उपयोग में नहीं' और 'स्थायी रूप से उपयोग में नहीं' हैं।

लघु सिंचाई योजनाओं से संबंधित मुद्दे

- लघु सिंचाई योजनाओं से **भूजल का बड़े पैमाने पर दोहन** होता है। इसके चलते कई पर्यावरणीय और भूवैज्ञानिक दुष्प्रभाव उत्पन्न होते हैं।
- गैर-जलोढ़ मृदा क्षेत्रों में **ट्यूब-वेल प्रौद्योगिकी** का उपयोग तकनीकी रूप से व्यवहार्य नहीं है। भारतीय भूमि का लगभग 70% हिस्सा गैर-जलोढ़ क्षेत्र है।
- **लघु सिंचाई योजनाओं का निजी स्वामित्व** के अधीन होना, एक प्रकार से जल जैसे साझा संसाधन के वितरण को प्रभावित करता है।
- **जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों के कारण सूखे जैसी अनिश्चितताओं का खतरा अधिक** होता है, क्योंकि लघु सिंचाई योजनाओं की जलाशय क्षमता कम होती है।

निष्कर्ष

राज्य और जिला-स्तरीय नीतियों के कार्यान्वयन के जरिए **भूजल के दोहन को रोकने की आवश्यकता** है। इसके अलावा, लघु सिंचाई परियोजनाओं को पंचायतों और मनरेगा जैसी योजनाओं के तहत लागू करके **सामुदायिक स्वामित्व में बढ़ोतरी** करना भी लाभदायक होगा।

3.14. अपतटीय क्षेत्र खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2023 {Offshore Areas Mineral (Development and Regulation) Amendment Act, 2023}

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, राष्ट्रपति ने **अपतटीय क्षेत्र खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2023** को मंजूरी दी है।

अन्य संबंधित तथ्य

- इसके जरिए **अपतटीय क्षेत्र खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 2002** में संशोधन किया जाएगा।
  - यह भारत के **प्रादेशिक जल, महाद्वीपीय मग्न तट, अनन्य आर्थिक क्षेत्र (EEZ)**[45] और **अन्य समुद्री क्षेत्रों** में **खनिज संसाधनों के विकास तथा विनियमन का प्रावधान** करता है।
- **अपतटीय खनिज संसाधनों** को "संघ" द्वारा नियंत्रित और विनियमित किया जाता है।
  - 200 मीटर से अधिक की गहराई पर गहरे समुद्र तल से **खनिज भंडार को प्राप्त करने** की प्रक्रिया **अपतटीय खनन** कहलाती है।
  - मुख्य भूमि से समुद्र की ओर (समुद्र में बहुत दूर नहीं) स्थित समुद्री क्षेत्र को **अपतटीय क्षेत्र (Offshore areas)** कहते हैं।

अधिनियम में किए गए मुख्य बदलाव

क्षेत्र	अपतटीय क्षेत्र खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 2002	अपतटीय क्षेत्र खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2023
लाइसेंस	पूर्व-परीक्षण, अन्वेषण और उत्पादन[46] के लिए **अलग-अलग लाइसेंस।**	अन्वेषण के साथ-साथ उत्पादन का अधिकार देने के लिए एक **समग्र लाइसेंस (Composite licence)।**

[45] Exclusive Economic Zone

[46] Reconnaissance, exploration, and production

वैधता	उत्पादन पट्टा (Production lease) **30 वर्ष की अवधि के लिए** दिया जाता है, जिसे आगे 20 वर्ष के लिए नवीनीकृत किया जा सकता है।	समग्र लाइसेंस के तहत **उत्पादन पट्टा 50 वर्ष के लिए वैध होगा।**
नीलामी की प्रक्रिया	प्रशासनिक आवंटन के तहत **रियायतें प्रदान करने का प्रावधान** है।	यह **प्रतिस्पर्धात्मक बोली द्वारा निजी क्षेत्रक को दो प्रकार के परिचालन अधिकार (Operating rights)** प्रदान करता है, जैसे- **उत्पादन पट्टा** और **समग्र लाइसेंस।**
आरक्षित क्षेत्रों में खनन	**यह विधेयक सरकार को उन अपतटीय क्षेत्रों को आरक्षित करने** की अनुमति देता है जो किसी परिचालन अधिकार के तहत नहीं आते हैं।	**यह प्रशासनिक प्राधिकारी** को अनुमति देता है कि वह सरकार या सरकारी कंपनी को एक समग्र लाइसेंस या उत्पादन पट्टा दे सकता है।

2023 के अधिनियम में किए गए नए प्रावधान

- **परमाणु खनिजों का खनन: केवल सरकार या सरकारी कंपनियों** को ही अन्वेषण, उत्पादन और समग्र लाइसेंस दिए जाएंगे।
- **अपतटीय क्षेत्र खनिज ट्रस्ट (Offshore Areas Mineral Trust):** यह **भारत के लोक लेखा** के तहत फंड्स का प्रबंधन करेगा। यह फंड **गैर-व्यपगत (Non-lapsable)** प्रकृति का होगा।
  - इस फंड का उपयोग अपतटीय क्षेत्रों में अन्वेषण आदि के साथ-साथ अन्य उद्देश्यों की पूर्ती के लिए किया जाएगा।

संशोधन की आवश्यकता क्यों?

- **अपतटीय खनिज संपदा का उपयोग करने के लिए:** अब तक अपतटीय क्षेत्रों में किसी भी प्रकार की खनन गतिविधि नहीं की गई है।
  - ऐसा मुख्य रूप से पिछले अधिनियम में **परिचालन अधिकारों** को आवंटित करने में **पारदर्शी कानूनी ढांचे के अभाव** के कारण हुआ है।
- **निजी क्षेत्रक की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए:** पहले के अधिनियम में नीलामी हेतु **प्रतिस्पर्धी बोली का प्रावधान नहीं** था। नए अधिनियम के चलते निजी क्षेत्रक अन्वेषण और खनन के लिए **आवश्यक विशेषज्ञता तथा प्रौद्योगिकी** उपलब्ध कराएगा।
- **खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 के अनुरूप:** खान और खनिज अधिनियम ने खनिज बेल्ट आदि की नीलामी सुनिश्चित करके **तटवर्ती खनिज संपदा के प्रभावी उपयोग में मदद की** है।

अधिनियम से संबंधित चिंताएं

- **पर्यावरणीय प्रभाव:**
  - इससे तट के किनारे समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र (कोरल पारिस्थितिकी तंत्र सहित) के लिए संकट बढ़ेगा।
    - **खनन नोड्यूल से समुद्री तल को भारी नुकसान** होगा, जिससे **प्रजातियों के विलुप्त होने की संभावना** उत्पन्न हो सकती है।
  - साथ ही, निष्कर्षण गतिविधियों के कारण **ध्वनि और समुद्री प्रदूषण भी बढ़ सकता** है।
- **सामाजिक-आर्थिक प्रभाव:**
  - बड़ी निजी इकाइयों की भागीदारी के कारण **समुद्र पर निर्भर लोगों की आजीविका खतरे में पड़ जाएगी।** यह **विशेषकर मछुआरों को प्रभावित** करेगा।

भारत की अपतटीय खनिज संपदा

भौगोलिक स्थिति

- भारत की लगभग **7,517 किलोमीटर** लंबी तटरेखा **नौ तटीय राज्यों,** चार केंद्र शासित प्रदेशों और **1,382 द्वीपों की सीमा को शामिल करती** है।
- भारत का **EEZ** 20 लाख वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्र में फैला हुआ है।

खनिज संसाधन (भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार)

- गुजरात और महाराष्ट्र के तटों पर EEZ के भीतर **चूना मिट्टी (Lime mud),**
- केरल तट पर **निर्माण में प्रयोग की जाने वाली रेत,**
- ओडिशा, आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु और महाराष्ट्र के आंतरिक-शेल्फ और मध्य-शेल्फ में **भारी खनिज प्लेसर भंडार (Heavy mineral placer deposits),**
- पूर्वी और पश्चिमी महाद्वीपीय मार्जिन में **फॉस्फाइट,**
- अंडमान सागर और लक्षद्वीप सागर में **पॉलिमेटेलिक फेरोमैंगनीज (Fe-Mn) नोड्यूल** और क्रस्ट।

- **आर्थिक व्यवहार्यता:**
  - अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों (Cutting-edge Technologies) पर निर्भरता के कारण **तटवर्ती खनिजों की तुलना में अपतटीय खनिजों को निकालना महंगा** होगा।
- **सरकारी इकाइयों को विशेषाधिकार:**
  - यह अधिनियम केंद्र द्वारा आरक्षित खनिज वाले क्षेत्रों में **सरकार या सरकारी कंपनी या निगम को प्रतिस्पर्धी बोली के बिना** परिचालन अधिकार प्रदान करता है।

निष्कर्ष

अपतटीय क्षेत्र खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2023 **देश के विशाल तथा खनिज-समृद्ध अपतटीय क्षेत्रों** को खनन के लिए उपलब्ध कराएगा। इन क्षेत्रों से खनिजों के निष्कर्षण के परिणामस्वरूप भारत के रणनीतिक हितों की भी पूर्ति होगी। इसके अलावा, यह देश को अपने **प्रादेशिक जल में एक मजबूत आधार भी प्रदान करेगा।**

3.15. चिकित्सा और आरोग्य/ कल्याण पर्यटन (Medical and Wellness Tourism)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, गृह मंत्रालय ने **वीजा की एक नई श्रेणी, आयुष वीजा (AYUSH Visa)** बनाने की घोषणा की है। यह आयुष चिकित्सा प्रणालियों के तहत इलाज के लिए भारत आने वाले विदेशी नागरिकों को सुविधा प्रदान करेगा। साथ ही, यह भारत में चिकित्सा और आरोग्य (या कल्याण) पर्यटन को आसान बनाएगा।

अन्य संबंधित तथ्य

- वीजा मैनुअल के मेडिकल वीजा के तहत एक नया अध्याय, **आयुष वीजा** शामिल किया गया है। यह भारतीय चिकित्सा प्रणालियों के तहत उपचार से संबंधित है।
  - इसी प्रकार, वीजा मैनुअल, 2019 के विभिन्न अध्यायों में **आवश्यक संशोधन** किए गए हैं।
- इससे भारत में **मेडिकल वैल्यू ट्रैवल** को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही, **यह पारंपरिक भारतीय चिकित्सा को वैश्विक बनाने के हमारे प्रयास को मजबूत करेगा।**
- **आयुष (AYUSH) 'आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी'** (AYUSH)[47] के लिए एक संक्षिप्त शब्द है। हालांकि, इसमें अन्य पारंपरिक और गैर-पारंपरिक स्वास्थ्य देखभाल प्रणालियां, जैसे- सोवा रिग्पा आदि भी शामिल हैं।

डेटा बैंक

- ग्लोबल वेलनेस टूरिज्म के अनुसार, भारत वेलनेस टूरिज्म में **56 मिलियन यात्राओं** के साथ **7वें स्थान** पर है।
- आयुष आधारित हेल्थकेयर और वेलनेस अर्थव्यवस्था के 2025 तक 70 बिलियन डॉलर तक बढ़ने का अनुमान है।

चिकित्सा और आरोग्य पर्यटन के बारे में

- **चिकित्सा पर्यटन** एक ऐसा पद है, जिसका उपयोग स्वास्थ्य सेवाओं की तलाश के लिए **अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों की आवाजाही का वर्णन करने के लिए** किया जाता है।
  - आमतौर पर ऐसे यात्रियों द्वारा मांगी जाने वाली सेवाओं में **ऐच्छिक (Elective) सर्जरी, जटिल सर्जरी** आदि शामिल होती हैं।

[47] Ayurveda, Yoga and Naturopathy, Unani, Siddha and Homeopathy

- **आरोग्य पर्यटन (Wellness Tourism)** वस्तुतः किसी व्यक्ति के कल्याण को बनाए रखने या उसे बढ़ाने से जुड़ी यात्रा है। इसमें अवकाश या व्यवसाय के लिए यात्रा करते समय शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक या पर्यावरणीय 'आरोग्यता' को ध्यान में रखा जाता है।
- चिकित्सा और आरोग्य पर्यटन **'वेलनेस इकोनॉमी'** का हिस्सा हैं।
- पर्यटन मंत्रालय ने **चिकित्सा और आरोग्य पर्यटन के लिए एक राष्ट्रीय रणनीति तथा रोडमैप** तैयार किया है।
  - इसके उद्देश्य निम्नलिखित हैं-
    - **एक संस्थागत ढांचा प्रदान करना,**
    - **चिकित्सा और आरोग्य पर्यटन के लिए परिवेश** को मजबूत करना, तथा
    - एक ब्रांड विकसित करना तथा गुणवत्ता आश्वासन सुनिश्चित करना।
  - **इस रणनीति के प्रमुख स्तंभों में निम्नलिखित शामिल हैं:**
    - एक ऑनलाइन **मेडिकल वैल्यू ट्रैवल (MVT)** पोर्टल स्थापित करके **डिजिटलीकरण को सक्षम करना।**
    - **MVT के लिए पहुंच में वृद्धि करना,** आदि।
  - संस्थागत ढांचे के लिए **राष्ट्रीय चिकित्सा और आरोग्य पर्यटन संवर्धन बोर्ड**[48] का गठन करना।

भारत के लिए चिकित्सा और आरोग्य पर्यटन का महत्त्व

- **आरोग्यता और वैकल्पिक इलाज की मांग:** भारत आयुष के तहत उपचार हेतु मेडिकल वैल्यू ट्रैवलर्स (MVTs) को आकर्षित करने की मजबूत स्थिति में है।
- **विकसित देशों में लंबी प्रतीक्षा अवधि देखने को मिलती है।**
- **अविकसित चिकित्सा सुविधाओं वाले देशों में इसकी मांग है।**
- **बेहतर कनेक्टिविटी:** यह चिकित्सा और आरोग्य पर्यटन के लिए बेहतर अवसर प्रदान करती है।
  - धर्मशाला जैसे छोटे शहरों को जोड़ने वाली **क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना- 'उड़ान (UDAN)'**।
- **वृद्ध आबादी वाले देशों से मांग:** भारत ऐसी आबादी की जरूरतों को पूरा करने में सक्षम है।
- **कई अन्य** कारक भी भारत को एक चिकित्सा और आरोग्य पर्यटन गंतव्य के रूप में बढ़ावा देते हैं:
  - **उपचार की कम लागत, उच्च गुणवत्ता वाली चिकित्सा देखभाल, संचार में आसानी** आदि।

भारत में चिकित्सा और आरोग्य पर्यटन के समक्ष चुनौतियां

- मलेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर जैसे देशों से **क्षेत्रीय प्रतियोगिता** देखने को मिलती है।
- **अंतर्राष्ट्रीय मान्यता की कमी:** भारत में अभी भी JCI[49] द्वारा **मान्यता प्राप्त अस्पतालों की संख्या अपेक्षाकृत कम** है।
  - **JCI,** संयुक्त राज्य अमेरिका में अवस्थित एक गैर-लाभकारी अंतर्राष्ट्रीय प्रत्यायन संगठन (Accreditation organisation) है। यह स्वास्थ्य देखभाल कंपनियों, सेवाओं और कार्यक्रमों को प्रमाणित करता है।
    - JCI मानकों को **अंतर्राष्ट्रीय स्तर** पर रोगी सुरक्षा और देखभाल की गुणवत्ता के लिए एक अग्रणी स्वास्थ्य सेवा प्रत्यायन कार्यक्रम के रूप में **मान्यता प्राप्त** है।
- **बीमाकर्ता द्वारा 'विदेशी चिकित्सा देखभाल' कवर नहीं किया जाना:** ऐसे अधिकांश चिकित्सा देखभाल बीमा में कवर नहीं की जाती है, जिससे 'मेडिकल वैल्यू ट्रैवल' कम आकर्षक हो जाता है।
- **कुशल जनशक्ति की कमी:** कुशल जनशक्ति को नियुक्त करना और उन्हें बनाए रखना वेलनेस इंडस्ट्री के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती है।
- **बिचौलियों द्वारा शोषण:** चिकित्सा पर्यटन सुविधा प्रदाता संगठित और मान्यता प्राप्त नहीं हैं, इसलिए ऐसा शोषण देखने को मिलता है।
- **समान शुल्क संरचना का अभाव:** विदेशी रोगियों की बिलिंग में पारदर्शिता की कमी है और रोगियों को रेफर करने वाले हॉस्पिटल अधिक पैसे की मांग करते हैं।

---

[48] National Medical and Wellness Tourism Promotion Board

[49] Joint Commission International/ संयुक्त आयोग अंतर्राष्ट्रीय

आगे की राह

- चिकित्सा उपकरणों के आयात में **छूट/ प्रोत्साहन** दिया जाना चाहिए।
- **चिकित्सा और आरोग्य पर्यटन कूटनीति** पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए। साथ ही, **प्रवासी भारतीयों को आकर्षित** किया जाना चाहिए।
- **सहायक बुनियादी ढांचे का विकास:** बेहतर सुविधाएं प्रदान करने हेतु लास्ट-माइल कनेक्टिविटी महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए- ऐसे क्षेत्रों में उड़ान योजना (UDAN scheme) का विस्तार करना, जहां प्रमुख आयुष केंद्र स्थित हैं।
- अस्पतालों और आरोग्य केंद्रों का **मजबूत विनियमन** सुनिश्चित किया जाना चाहिए, ताकि शोषण, अधिक शुल्क की वसूली आदि से बचा जा सके।
- **हितधारकों के बीच लिंकेज और समझ स्थापित करने की आवश्यकता है,** ताकि विभिन्न हितधारकों की भूमिका तथा जिम्मेदारियों को समझा जा सके। साथ ही, इस क्षेत्रक को बढ़ावा देने के लिए साझेदारी बनाने की भी आवश्यकता है।

सरकार द्वारा की गई पहलें

- **बाजार विकास सहायता (Market Development Assistance: MDA) योजना:** MDA योजना के तहत चिकित्सा/ आरोग्य पर्यटन सेवा प्रदाताओं और केंद्रों को सहायता प्रदान की जाती है।
- **राष्ट्रीय आयुष मिशन:** इसे 2014 में आरंभ किया गया था। इसने **भारत की पारंपरिक चिकित्सा प्रणालियों को संरक्षित करने** और बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। साथ ही, इस मिशन ने **मुख्यधारा की स्वास्थ्य सेवा प्रणाली में पारंपरिक चिकित्सा प्रणालियों के एकीकरण** में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
- **आयुष में सूचना, शिक्षा और संचार (IEC) को बढ़ावा देना:** यह आरोग्य मेलों, आयुर्वेद पर्व और योग फेस्ट/ उत्सव आदि के आयोजन की सहायता से किया जा सकता है।
- **अस्पतालों और स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड (National Accreditation Board for Hospitals & Healthcare Providers: NABH):** यह भारतीय गुणवत्ता परिषद का एक घटक बोर्ड है। इसे स्वास्थ्य देखभाल संगठनों के लिए प्रत्यायन कार्यक्रम स्थापित करने और संचालित करने के लिए स्थापित किया गया है।

संबंधित सुर्ख़ियां: प्रथम 'WHO पारंपरिक चिकित्सा वैश्विक शिखर सम्मेलन'

हाल ही में, **विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO)** और **आयुष मंत्रालय** ने गुजरात के गांधीनगर में प्रथम 'WHO पारंपरिक चिकित्सा वैश्विक शिखर सम्मेलन' आयोजित किया। इसकी थीम थी- **"सभी के लिए स्वास्थ्य और कल्याण की ओर[50]"।**

- इस शिखर सम्मेलन का उद्देश्य **साक्ष्य-आधारित पारंपरिक, पूरक और एकीकृत चिकित्सा (TCIM)[51] की क्षमता का दोहन करना** है।
- WHO ने **"गुजरात घोषणा-पत्र"** के रूप में निम्नलिखित लक्ष्यों के साथ इस सम्मेलन का **आउटकम दस्तावेज** जारी किया:
  - **स्वदेशी ज्ञान, जैव विविधता और TCIM** हेतु वैश्विक प्रतिबद्धताओं की पुष्टि,
  - सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज (UHC) और **स्वास्थ्य से संबंधित सभी सतत विकास लक्ष्यों के समर्थन में साक्ष्य-आधारित TCIM हस्तक्षेप** तथा दृष्टिकोण को आगे लागू करने के प्रयासों को बढ़ाना,
  - वैश्विक, क्षेत्रीय, राष्ट्रीय और सामुदायिक स्तरों पर **अधिक राजनीतिक तथा वित्तीय प्रतिबद्धताओं की वकालत करना,**
  - **बहु-क्षेत्रीय, बहु-विषयक और बहु-हितधारक सहयोग को बढ़ाना।**
  - वैज्ञानिक रूप से सिद्ध **TCIM प्रथाओं तथा उत्पादों के उत्पादन, विनियमन और औपचारिक उपयोग में तेजी लाना।**
  - **स्वदेशी लोगों** के साथ पूर्ण भागीदारी और परामर्श सुनिश्चित करना।

3.16. फार्मेसी (संशोधन) अधिनियम, 2023 {Pharmacy (Amendment) Act, 2023}

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, **फार्मेसी (संशोधन) अधिनियम, 2023** लागू किया गया। इसका उद्देश्य फार्मेसी अधिनियम, 1948 को केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के लिए भी लागू करना है।

[50] Towards health and well-being for all

[51] Traditional, complementary and integrative medicine

फार्मेसी (संशोधन) विधेयक, 2023 के बारे में

- **पंजीकरण:** इससे अब जम्मू और कश्मीर फार्मेसी अधिनियम, 2011 के तहत पंजीकृत फार्मासिस्ट को फार्मेसी अधिनियम, 1948 के तहत फार्मासिस्ट के रूप में पंजीकृत माना जाएगा।

फार्मेसी अधिनियम, 1948 के बारे में

- यह **फार्मेसी के पेशे और फार्मा प्रैक्टिस को विनियमित करने के लिए प्रावधान** प्रदान करता है।
- भारत में फार्मा प्रैक्टिस करने हेतु इस अधिनियम के तहत **पंजीकरण कराना अनिवार्य** है।
- इस अधिनियम के तहत '**फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया**', 'स्टेट फार्मेसी काउंसिल' और 'जॉइंट स्टेट फार्मेसी काउंसिल' की स्थापना की गई है।
  - **फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया** देश में फार्मेसी शिक्षा के विनियमन का काम देखती है।
- इसमें नामांकित फार्मासिस्ट के नाम को **रजिस्टर से हटाने का भी प्रावधान** है। हालांकि, फार्मासिस्ट 30 दिनों के भीतर इसके खिलाफ अपील कर सकता है।
- पंजीकृत फार्मासिस्ट होने का **झूठा दावा करने जैसे अपराधों हेतु** इसके तहत **दंड निर्धारित** किए गए हैं।
- जब भी केंद्र सरकार को यह लगे कि केंद्रीय परिषद इस अधिनियम के किसी भी प्रावधान का अनुपालन नहीं कर रही है, तब वह **जांच आयोग की नियुक्ति** कर सकती है।

भारत का फार्मेसी क्षेत्रक

- भारतीय फार्मास्यूटिकल्स उद्योग **वैश्विक फार्मास्यूटिकल्स क्षेत्रक में एक प्रमुख भूमिका** निभाता है।
- भारतीय फार्मास्युटिकल उद्योग के **प्रमुख क्षेत्रकों** में निम्नलिखित शामिल हैं:
  - **जेनेरिक दवाएं,**
  - **ओवर-द-काउंटर (OTC) दवाएं,**
  - **थोक दवाएं** व टीके,
  - अनुबंध अनुसंधान एवं विनिर्माण,
  - बायोसिमिलर और बायोलॉजिक्स।
- भारत दुनिया में **कम लागत वाले टीकों के सबसे बड़े आपूर्तिकर्ताओं में से एक** है।

डेटा बैंक

- भारतीय फार्मास्युटिकल उद्योग **मात्रा के आधार** पर विश्व में **तीसरे स्थान** पर है।
- भारत, **वैश्विक वैक्सीन** का 60 प्रतिशत उत्पादन करता है।
- डिप्थीरिया, टेटनस और पर्टुसिस (DPT) तथा बैसिलस कैलमेट–गुएरिन (BCG) टीकों के मामले में WHO की जरूरत के 70 प्रतिशत भाग की आपूर्ति भारत करता है।
- खसरे के टीके के मामले में WHO की जरूरत के 90 प्रतिशत की आपूर्ति भारत करता है।
- **मात्रा के आधार पर, जेनेरिक दवाओं** की वैश्विक आपूर्ति में भारत की हिस्सेदारी **20 प्रतिशत** है।

फार्मास्युटिकल क्षेत्रक से जुड़े मुद्दे

- **भारत** अपनी फार्मा आवश्यकताओं के लिए चीन पर **अधिक निर्भर है**, जैसे- थोक दवाओं या APIs का आयात।
- **घरेलू रूप से उत्पादित APIs की उच्च लागत:** भारत में उत्पादित API चीन में उत्पादित API की तुलना में लगभग 20% महंगा है।
- **API की कीमतों में भारी वृद्धि:** कई कारणों से API की कीमतों में भारी वृद्धि होती है:
  - मुद्रास्फीति,
  - कच्चे तेल के कारण प्रमुख प्रारंभिक सामग्रियों[52] और सॉल्वैंट्स की कीमतों में वृद्धि, तथा
  - माल ढुलाई की लागत के कारण।

[52] Key starting materials

- **R&D का अभाव:** R&D पर किए गए खर्च से बहुत कम रिटर्न प्राप्त होता है। ऐसे में फार्मा कंपनियां अपने R&D में अधिक राशि का निवेश करने में संकोच करती हैं।
- **नकली उत्पाद/ नकली दवाएं:** एसोचैम (ASSOCHAM) के अनुसार, भारत में घरेलू दवाओं के बाजार में नकली दवाओं का हिस्सा लगभग 25% है।
- **बौद्धिक संपदा:** पेटेंट की सुरक्षा और उसका क्रियान्वयन एक जटिल तथा महंगी प्रक्रिया हो सकती है। इसके अलावा, पेटेंट उल्लंघन का खतरा भी एक निरंतर चिंता का विषय है।

आगे की राह

- **निर्यात बाजार का विस्तार:** संयुक्त राज्य अमेरिका के अलावा चीन और जापान जैसे नए भौगोलिक क्षेत्रों में विकास तथा विस्तार करने की आवश्यकता है।
- **एक अनुसंधान परिवेश तैयार** किया जाना चाहिए। इसके लिए तीन आयामों में हस्तक्षेप की आवश्यकता होगी।
  - **लक्षित विनियामक और कर हस्तक्षेप,**
  - **नैदानिक परीक्षणों को सुव्यवस्थित करना,**
  - **स्वास्थ्य-तकनीक से जुड़े स्टार्ट-अप्स का समर्थन करना।**
- **एक मुख्य शैक्षणिक संस्थान का गठन:** वैश्विक प्रतिभा को आकर्षित करने में सक्षम और अच्छी तरह से वित्त-पोषित अनुसंधान संस्थान नवाचार के चक्र को शुरू करने के लिए महत्वपूर्ण होता है।
- **फार्मास्यूटिकल्स के लिए एक स्वतंत्र मंत्रालय का गठन:** इस तरह के मंत्रालय को आयुष मंत्रालय या नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की तर्ज पर तैयार किया जा सकता है।

सरकार द्वारा उठाए गए कदम

- **स्कीम फॉर स्ट्रेंदेनिंग फार्मास्यूटिकल्स इंडस्ट्रीज (SPI)** के साथ निम्नलिखित 3 उप-योजनाएं;
  - सामान्य सुविधाओं के लिए फार्मास्युटिकल उद्योग को सहायता (APICF)
  - फार्मास्युटिकल प्रौद्योगिकी उन्नयन सहायता योजना (PTUAS)
  - फार्मास्युटिकल संवर्धन और विकास योजना (PPDS)
- **फार्मा क्षेत्रक के लिए उत्पादन-से-संबद्ध प्रोत्साहन (PLI) योजनाएं**
  - महत्वपूर्ण प्रारंभिक सामग्री (KSM)/ ड्रग इंटरमीडिएट्स (DI) और APIs के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए PLI योजना।
  - फार्मास्यूटिकल्स के लिए PLI योजना।
- बल्क ड्रग पार्क्स की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करके **बल्क ड्रग पार्क्स को बढ़ावा देना।**
- **गैर-योजनाबद्ध हस्तक्षेप:**
  - **चिकित्सा उपकरण क्षेत्रक** में 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI)।
  - **फार्मा क्षेत्रक** में ग्रीनफील्ड परियोजनाओं में स्वचालित मार्ग के तहत 100% FDI की अनुमति है, जबकि ब्राउनफील्ड परियोजनाओं के लिए 74% तक FDI की अनुमति है।
  - मेडटेक उद्योग की प्रमुख समस्याओं के समाधान हेतु **राष्ट्रीय चिकित्सा उपकरण संवर्धन परिषद**[53] की स्थापना की गई है।

3.17. संक्षिप्त सुर्ख़ियां (News in Shorts)

3.17.1. ऋण तक आसान पहुंच के लिए पब्लिक टेक प्लेटफॉर्म (Public Tech Platform for Frictionless Credit)

- RBI ने ऋण तक आसान पहुंच बनाने के लिए एक ऑनलाइन पब्लिक टेक प्लेटफॉर्म का पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है।

[53] National Medical Devices Promotion Council

- **इस प्लेटफार्म के बारे में:**
  - यह एक ओपन आर्किटेक्चर, **ओपन एप्लिकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस (API) और मानकों से युक्त एक एंड-टू-एंड प्लेटफॉर्म** होगा। इससे वित्तीय क्षेत्र के सभी भागीदार **'प्लग एंड प्ले' मॉडल** में निर्बाध रूप से आपस में जुड़ सकते हैं।
  - यह **आधार e-KYC, राज्य सरकारों से भूमि रिकॉर्ड, उपग्रह डेटा, पैन सत्यापन आदि जैसी सेवाओं तक पहुंच को** सक्षम बनाएगा।
  - इसे RBI की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी 'रिजर्व बैंक इनोवेशन हब' (RBIH) द्वारा विकसित किया जा रहा है।
  - **यह पायलट परियोजना ऋण/ क्रेडिट के निम्नलिखित प्रकारों पर केंद्रित है:**
    - **प्रति उधारकर्ता 1.6 लाख रुपये तक का किसान क्रेडिट कार्ड ऋण,**
    - **डेयरी ऋण,**
    - **MSME ऋण** (संपार्श्विक के बिना),
    - भाग लेने वाले बैंकों के माध्यम से **व्यक्तिगत ऋण** और **गृह ऋण।**
  - यह पायलट परियोजना **मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र** के चुनिंदा जिलों में लागू की जा रही है।

- वर्तमान में, **ऋण मूल्यांकन के लिए आवश्यक डेटा सरकार और खाता संघटक (Account Aggregators)** जैसे विभिन्न संगठनों के पास रहता है।
  - इससे नियम-आधारित ऋण वितरण में **बाधा** आती है।

3.17.2. रेलवे की वित्तीय स्थिति पर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) की रिपोर्ट (CAG's Audit Report on Railways Finances)

- हाल ही में, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG)[54] ने भारतीय रेलवे की वित्तीय स्थिति पर अपनी ऑडिट रिपोर्ट जारी की है।
- **रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नज़र:**
  - 2020-21 की तुलना में 2021-22 के दौरान **रेल यातायात से सकल प्राप्तियों में 36.02 प्रतिशत की वृद्धि** हुई है।
    - रेलवे की आय में प्रमुख योगदान माल ढुलाई का था।
  - 2021-22 के दौरान रेलवे के **पूंजीगत व्यय में 22.61 प्रतिशत की वृद्धि** हुई है।
    - पूंजीगत व्यय की सहायता से नई परिसंपत्तियों का सृजन, परिचालन से बाहर हो चुकी परिसंपत्तियों का समय पर बदलाव और नवीनीकरण जैसे कार्य किए जाते हैं।
  - **परिचालन अनुपात (Operating Ratio: OR):** यह 2020-21 के 97.45 प्रतिशत की तुलना में **2021-22 में 107.39 प्रतिशत** था।
    - उच्चतर 'परिचालन अनुपात' अधिशेष (Surplus) उत्पन्न करने की कम क्षमता को इंगित करता है। दूसरे शब्दों में, उच्चतर 'परिचालन अनुपात' की स्थिति में कम लाभ प्राप्त होता है।
  - **कुल परिचालन व्यय का लगभग 75.47 प्रतिशत** हिस्सा स्टाफ लागत, पेंशन भुगतान और रोलिंग स्टॉक के लीज किराए में खर्च किया जाता है।
  - **यात्री किराये पर क्रॉस-सब्सिडी** देने के लिए माल ढुलाई से प्राप्त लाभ का उपयोग किया जाता है।

[54] Comptroller and Auditor General

- **मूल्यह्रास आरक्षित निधि (Depreciation Reserve Fund)** के लिए कम प्रावधान किए जाने के परिणामस्वरूप 'थ्रो फॉरवर्ड' कार्यों में विलंब हुआ है।
  - "मूल्यह्रास आरक्षित निधि" एक वित्तीय उपाय है जो किसी व्यवसाय या संगठन के लिए मूल्यह्रास की सामान्य प्रक्रिया के दौरान उपयोग होता है।
  - अधिक पुरानी परिसंपत्तियों के नवीनीकरण और बदलाव को 'थ्रो-फॉरवर्ड' कहा जाता है।

- **प्रमुख सिफारिशें:**
  - **यात्री परिचालन की लागत का गंभीर विश्लेषण** करते हुए नुकसान को कम करने हेतु जरूरी कदम उठाने की आवश्यकता है।
  - माल ढुलाई से प्राप्त आय को बढ़ाने के लिए **माल ढुलाई बास्केट में विविधता** लाने हेतु कदम उठाए जा सकते हैं।
  - **आंतरिक राजस्व बढ़ाने के लिए आवश्यक कदम** उठाने की आवश्यकता है।
  - रेलवे प्रशासन को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि **सभी अस्वीकृत व्यय प्राथमिकता के आधार पर नियमित किए जाएं।**
  - **व्यय के गलत वर्गीकरण के मामलों को कम करने के लिए आंतरिक नियंत्रण तंत्र को मजबूत** किया जाना चाहिए। साथ ही, प्रमुख नियंत्रण अधिकारियों के स्तर पर अधिक जिम्मेदारी को बढ़ावा देने के लिए निवारक प्रतिबंध लगाए जाने चाहिए।

3.17.3. महारत्न और नवरत्न श्रेणी (Maharatna and Navratna Category)

- केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रक के दो उद्यमों (CPSEs) को महारत्न और नवरत्न श्रेणी में अपग्रेड किया गया है। **ये दो CPSEs हैं: ऑयल इंडिया लिमिटेड** और **ONGC विदेश लिमिटेड।** ऑयल इंडिया लिमिटेड पहले एक नवरत्न कंपनी थी, अब इसे **महारत्न** का दर्जा दिया गया है। ONGC विदेश लिमिटेड पहले एक मिनीरत्न कंपनी थी, अब इसे **नवरत्न** का दर्जा दिया गया है।
  - CPSEs को मुख्य रूप से **महारत्न, नवरत्न, मिनीरत्न I और मिनीरत्न II** श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है।
  - **लोक उद्यम विभाग** सभी CPSEs के लिए **नोडल विभाग** है।

दर्जा	महारत्न	नवरत्न	मिनीरत्न
पात्रता मानदंड	**1.** पहले से **नवरत्न का दर्जा होना** चाहिए, **2. भारतीय स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध** होना चाहिए, **3. पिछले तीन वर्षों तक औसत वार्षिक टर्नओवर:** 25,000 करोड़ रुपये होना चाहिए; **4. पिछले तीन वर्षों तक औसत वार्षिक नेटवर्थ:** 15,000 करोड़ रुपये होनी चाहिए; **5. पिछले तीन वर्षों तक औसत वार्षिक निवल लाभ (कर भुगतान के बाद):** 5,000 करोड़ रुपये होना चाहिए; **6. विश्व के अन्य देशों में भी महत्वपूर्ण उपस्थिति होनी चाहिए।**	**1.** CPSEs जो **मिनीरत्न-I और अनुसूची 'A'** में हैं। **2. पिछले 5 में से 3 वर्षों में 'उत्कृष्ट' या 'बहुत अच्छी'** रेटिंग प्राप्त की हो; **3. छह प्रदर्शन संकेतकों** में कुल स्कोर **60 या उससे अधिक** का हो। इन प्रदर्शन संकेतकों में निवल लाभ, नेटवर्थ, सेवाओं की लागत, प्रति शेयर आय (EPS) आदि शामिल हैं।	**मिनीरत्न श्रेणी-I का दर्जा:-** • पिछले **3 वर्षों में लगातार लाभ** कमाया हो; • **कर-पूर्व लाभ 3 वर्षों में से कम-से-कम एक वर्ष में 30 करोड़ रुपये** या उससे अधिक हो; • **पॉजिटिव नेटवर्थ** की स्थिति होनी चाहिए। **मिनीरत्न श्रेणी-II का दर्जा:-** • **पिछले 3 साल** से लगातार **मुनाफा कमाया हो;** • **पॉजिटिव नेटवर्थ** की स्थिति होनी चाहिए। • सरकार को देय किसी भी **ऋण के पुनर्भुगतान/ब्याज भुगतान में चूक नहीं** हुई हो। • **बजटीय सहायता या सरकारी गारंटी पर निर्भर नहीं हो।**

3.17.4. ऑनशोरिंग द इंडियन इनोवेशंस टू GIFT-IFSCA पर रिपोर्ट (Report on Onshoring Indian Innovation to GIFT IFSC)

- ऑनशोरिंग द इंडियन इनोवेशंस टू GIFT-IFSCA पर **विशेषज्ञों की समिति (CoE) ने अपनी रिपोर्ट सौंपी** है।
- CoE का उद्देश्य **फ्लिपिंग के कारणों को समझना और भविष्य में स्टार्ट-अप्स के अन्य देशों में जाने से रोकने के लिए सुझाव** देना है।
  फ़्लिपिंग एक **भारतीय कंपनी के संपूर्ण स्वामित्व को एक विदेशी कंपनी को हस्तांतरित** करने की प्रक्रिया है। उदाहरण के लिए- कई भारतीय स्टार्ट-अप्स के स्वामित्व को सिंगापुर की कंपनियों को हस्तांतरित किया गया है।

- समिति ने विदेश चले गए स्टार्ट-अप्स को वापस **GIFT सिटी (गुजरात) में स्थित IFSC में वापस लौटने के लिए प्रोत्साहित** करने की भी सिफारिश की है।
- CoE का गठन **अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (IFSCA)** ने किया था।

- **अमेरिका और चीन** के बाद भारत दुनिया का **तीसरा सबसे बड़ा स्टार्ट-अप इकोसिस्टम** वाला देश बन गया है।
- **एक संस्था को स्टार्ट-अप माना जाएगा:**
  - किसी भी संस्था को उसके पंजीकरण की तारीख से **10 वर्ष तक** ही स्टार्ट-अप माना जाएगा। साथ ही, इस तरह की संस्था को भारत में प्राइवेट लिमिटेड कंपनी (कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत) या सीमित देयता भागीदारी यानी LLP (LLP अधिनियम, 2008 के तहत) के रूप में पंजीकृत होना अनिवार्य है।
  - पंजीकरण के बाद से किसी भी वित्तीय वर्ष में **वार्षिक कारोबार (टर्नओवर) 100 करोड़ रुपये से अधिक नहीं** होना चाहिए।
- **भारतीय स्टार्ट-अप के विकास के संचालक:**
  - **उपभोग-संचालित विकास:** क्रय शक्ति समता के मामले में भारत विश्व की **तीसरी** सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। इसके अतिरिक्त, **सकल घरेलू उत्पाद में उपभोग व्यय की हिस्सेदारी 70 प्रतिशत** है।
  - **भारत में उच्च-कौशल वाली तकनीकी प्रतिभा** मौजूद है।
- **फ्लिपिंग के कारण:**
  - अन्य देशों में बेहतर विनियामक परिवेश मौजूद है,
  - **स्टार्ट-अप की बेहतर वैल्यूएशन की संभावना** बढ़ती है,
  - विदेशी पूंजी बाजार तक पहुंच प्राप्त होती है आदि।
- **भारत पर प्रभाव:**
  - उद्यमी-प्रतिभा का पलायन होता है;
  - **भारत की जगह विदेशी अर्थव्यवस्थाओं में मूल्य सृजन** होता है;
  - भारत को **कर राजस्व की हानि** होती है आदि।

रिपोर्ट में की गई सिफारिशें

- पेटेंट और ट्रेडमार्क देने में देरी के लिए **समीक्षा समिति** गठित की जानी चाहिए।
- GIFT-IFSC में स्टार्ट-अप की लिस्टिंग के लिए लागू शर्तों से छूट प्रदान की जानी चाहिए।
- विवाद समाधान के लिए **विशेष अदालत/मध्यस्थता निकाय** का गठन किया जाना चाहिए।

3.17.5. मुद्रास्फीति पर अंकुश लगाने के लिए ब्याज दरों में वृद्धि (Rate Hike to Curb Inflation)

- वित्त मंत्री के अनुसार, मुद्रास्फीति पर अंकुश लगाने के लिए ब्याज दरों में वृद्धि सर्वोत्तम विकल्प नहीं है, बल्कि यह रिकवरी को नुकसान पहुंचा सकती है।
- भारत की **"मुद्रास्फीति-लक्ष्यीकरण"** व्यवस्था के तहत अर्थव्यवस्था में **प्रचलित ब्याज दर को बढ़ाकर या घटाकर मुद्रास्फीति को लक्षित स्तर** पर लाया जाता है।
  - ऐसा माना जाता है कि **ब्याज दरों में वृद्धि** से आर्थिक गतिविधियों में कमी आती है और इससे **मुद्रास्फीति में भी गिरावट** आती है।
  - **ब्याज दरों में कमी** से आर्थिक गतिविधियों में वृद्धि होती है और इससे **मुद्रास्फीति में भी बढ़ोतरी** होती है।
- खुदरा मुद्रास्फीति को 2-6 प्रतिशत के दायरे में रखने का काम पूर्णतया **भारतीय रिज़र्व बैंक का है।**
  - हालांकि, RBI की सख्त मौद्रिक नीति के बावजूद भी **खुदरा मुद्रास्फीति 7.4 प्रतिशत से अधिक** हो गई है।
  - यदि, मौद्रिक नीति को और सख्त किया जाता है, तो इससे **सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में गिरावट आ सकती है और बेरोजगारी में वृद्धि** हो सकती है।
- **मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने में RBI की असमर्थता के कारण**
  - **आपूर्ति-मांग में अप्रत्याशित और अल्पकालिक असंतुलन** RBI की मौद्रिक नीति के दायरे से बाहर है।
  - वाइट फ्लाइट डिजीज और असमान मानसून वितरण जैसे **घरेलू कारकों ने सब्जियों की कीमतों को बढ़ाया है।**
  - **भू-राजनीतिक अनिश्चितताओं** के कारण वस्तुओं की **आपूर्ति में बाधा** पैदा हुई है। इससे **दुनिया भर में मुद्रास्फीति बढ़** रही है।

- इस स्थिति में सरकार मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए मौद्रिक नीति के पूरक के रूप में **राजकोषीय उपायों का उपयोग** कर सकती है। इन उपायों में निम्नलिखित शामिल हैं:
    - **बाजार में वस्तुओं की आपूर्ति बढ़ाना,** जैसे टमाटर और प्याज को सब्सिडीकृत दरों पर बेचना, बाजार में गेहूं और चीनी का स्टॉक जारी करना आदि।
    - **पेट्रोल और डीजल पर कर को कम करना।**

3.17.6. गोल्डीलॉक्स परिदृश्य (Goldilocks Scenario)

- किसी अर्थव्यवस्था में गोल्डीलॉक्स परिदृश्य एक ऐसी आदर्श स्थिति का सूचक है, **जिसमें संवृद्धि दर स्थिर गति (Steady growth)** से बढ़ती है।
    - इसमें **आर्थिक संवृद्धि दर न तो इतनी उच्च (तीव्र) होती है, जो मुद्रास्फीति में वृद्धि कर दे और न ही इतनी कम (मंद) होती है, जो स्लोडाउन (आर्थिक सुस्ती) का कारण बने।**
- **गोल्डीलॉक्स परिदृश्य के अंतर्गत प्रमुख विशेषताएं:**
    - बेरोजगारी की निम्न दर;
    - स्थिर सकल घरेलू उत्पाद (GDP) संवृद्धि दर;
    - अपेक्षाकृत कम खुदरा मुद्रास्फीति और निम्न ब्याज दरें।
- गोल्डीलॉक्स चरण आमतौर पर **अस्थायी प्रकृति** का होता है। इसे अर्थव्यवस्था में प्रतिकूल आघातों के बाद, रिकवरी और संवृद्धि की अवधि के दौरान देखा जाता है।

3.17.7. UDGAM (अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स- गेटवे टू एक्सेस इन्फॉर्मेशन) पोर्टल {UDGAM (Unclaimed Deposits – Gateway to Access Information) Portal}

- **RBI** ने एक केंद्रीकृत वेब पोर्टल UDGAM लॉन्च किया है।
- **उद्देश्य:** यह बैंक ग्राहकों को एक ही स्थान पर अलग-अलग बैंकों में अपनी **दावा नहीं की गई (Unclaimed) जमा राशि का पता लगाने में** सक्षम बनाएगा।
    - **दावा नहीं की गई जमा राशि:** ऐसे बचत/ चालू खातों में **शेष राशि जो 10 वर्षों से संचालन में** नहीं है या परिपक्वता की तारीख से **10 वर्षों के भीतर दावा नहीं की गई सावधि जमा** की राशि।
- यह पोर्टल अपने ग्राहकों को कुशलतापूर्वक बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए डिजिटल प्रगति का उपयोग करके **वित्तीय समावेशन** को बढ़ावा देगा।

3.17.8. इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग (IPO) के लिए संशोधित समय-सीमा {Revised Timeline for Initial Public Offering (IPO)}

- भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (SEBI/ सेबी) ने कंपनियों की **IPO लिस्टिंग की समय सीमा छह दिन से घटाकर तीन दिन** कर दी है। इसे T+6 की जगह T+3 कर दिया गया है।
    - IPO का तात्पर्य **प्राथमिक बाजार में जनता को प्रतिभूतियों की बिक्री** से है।
    - यह कंपनियों के लिए **धन जुटाने के सबसे बड़े स्रोत के रूप** में कार्य करता है।
- सेबी का नया कदम IPO जारीकर्ताओं के लिए ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ाएगा। साथ ही, यह कंपनियों को पूंजी और तरलता तक त्वरित पहुंच प्रदान करेगा।
- संशोधित **T+3 दिन की समय सीमा 1 दिसंबर, 2023 से अनिवार्य** हो जाएगी।

3.17.9. उचित और लाभकारी मूल्य {Fair and Remunerative Price (FRP)}

- वित्त मंत्रालय ने **सहकारी चीनी मिल्स को पिछले गन्ना मूल्य भुगतान का दावा करने में सक्षम बनाने वाले नियम** अधिसूचित किए हैं।
- अधिसूचना में **किसानों को 2015-16 से पहले के केंद्र के उचित और लाभकारी मूल्य (FRP) से अधिक का भुगतान करने की बात** कही गई है। इसका **"व्यावसायिक व्यय"** के रूप में भुगतान किया जाना चाहिए।

- यह **आयकर अधिनियम की धारा 155 में संशोधन** करके किया गया है। इस कदम से चीनी मिलों को **लगभग 10,000 करोड़ रुपये की राहत** मिलने की उम्मीद है।
- अब तक, सहकारी समितियों को ही **2016-17 आकलन वर्ष से किए गए भुगतान के लिए व्यावसायिक व्यय के रूप में इस तरह के भुगतान का दावा** करने की अनुमति थी।

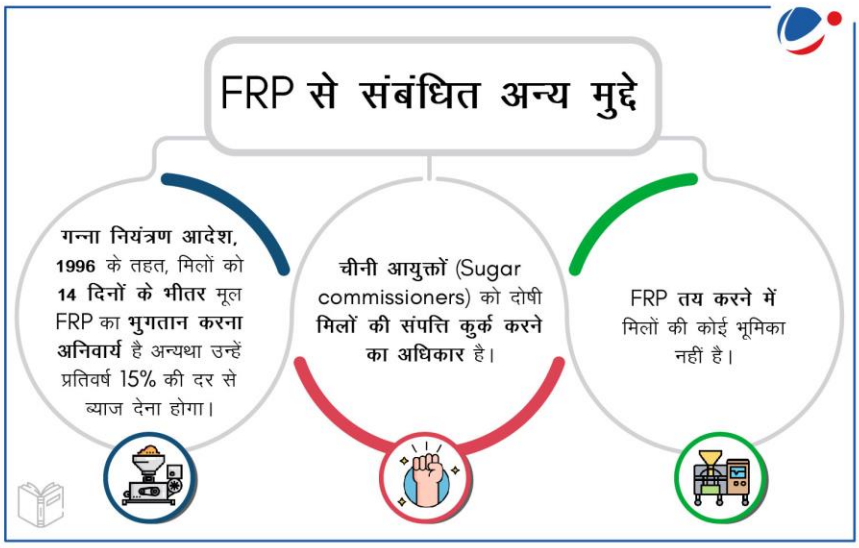

- **FRP वह न्यूनतम मूल्य है,** जिसका मिल मालिकों द्वारा **गन्ना किसानों को भुगतान** करना अनिवार्य है।
  - यह **आवश्यक वस्तु अधिनियम (ECA), 1955 के तहत जारी गन्ना (नियंत्रण) आदेश, 1966** द्वारा शासित होता है।
  - इसकी घोषणा उत्पादन लागत के आधार पर **कृषि लागत और मूल्य आयोग** की सिफारिशों पर की जाती है।
- सहकारी मिलें आमतौर पर किसानों को **अंतिम गन्ना मूल्य का भुगतान** करती हैं। यह **केंद्र के FRP से अधिक** होता है। ऐसा **राज्य परामर्शी मूल्य (आमतौर पर FRP से अधिक) और किसान संघों की मांग** के कारण किया जाता है।

3.17.10. ऑनलाइन विज्ञापन का विनियमन (Regulation of Online Advertisement)

- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने **ऑनलाइन विज्ञापनों के विनियमन के लिए सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय (I&B) को प्रशासनिक प्राधिकार** सौंपा है।
  - इसके लिए **कार्य आवंटन (Allocation of Business: AoB) नियम, 1961** में संशोधन किया गया है।
- **पहले से ही सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ऑनलाइन विज्ञापन पर नजर रख रहा** था। मंत्रालय ने 2022 में सर्कुलर जारी करके टीवी चैनलों के साथ-साथ ओ.टी.टी. प्लेटफॉर्म्स को भी "सट्टेबाजी और जुए" वाली कंपनियों के विज्ञापनों का प्रचार न करने की सलाह दी थी।
- इससे पहले, ऑनलाइन गेमिंग कंटेंट और विज्ञापनों के विनियमन **का कार्य मुख्य रूप से MeitY द्वारा और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000** के तहत किया जाता था।

3.17.11. अमृत भारत स्टेशन योजना {Amrit Bharat Station Scheme (ABSS)}

- प्रधान मंत्री ने अमृत भारत स्टेशन योजना (ABSS) के तहत 508 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास की आधारशिला रखी।
- अमृत भारत स्टेशन योजना (ABSS) को **रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास** के लिए लॉन्च किया गया है। इस योजना के तहत **रेलवे स्टेशनों पर अत्याधुनिक सार्वजनिक परिवहन तथा विश्व-स्तरीय सुविधाएं** प्रदान की जाएंगी।
  - यह **लंबी अवधि के लिए मास्टर प्लानिंग पर आधारित** है। साथ ही, मास्टर प्लान का कार्यान्वयन **रेलवे स्टेशन की जरूरतों के अनुसार** होगा।
  - स्टेशनों को स्टेशन के चारों ओर केंद्रित **समग्र शहरी विकास के लिए एकीकृत दृष्टिकोण के आधार पर 'सिटी सेंटर'** के रूप में विकसित किया जाएगा।
  - **स्टेशन भवनों का डिजाइन स्थानीय संस्कृति, विरासत और वास्तुकला** से प्रेरित होगा।
- **आधुनिकीकरण के लिए भारतीय रेलवे द्वारा की गई पहलें:**
  - **ट्रेन का आधुनिकीकरण:** स्वदेशी रूप से विकसित वंदे भारत रेलगाड़ियां, विस्टाडोम कोच, अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त स्मार्ट कोच, मालगाड़ियों की गति में वृद्धि जैसी पहलों से रेलगाड़ियों का आधुनिकीकरण किया जाएगा।
  - **सिग्नलिंग और सुरक्षा प्रणालियां:** इनमें ट्रैकिंग के लिए रियल टाइम इंफॉर्मेशन सिस्टम (RTIS), लिंक हॉफमैन बुश (LHB) कोच, स्वदेशी रूप से विकसित ट्रेन टक्कर बचाव प्रणाली- कवच, इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम जैसी नई विशेषताएं शामिल हैं।

- **जलवायु परिवर्तन से निपटना:** डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर (DFCs) की स्थापना, सभी रेलवे पटरियों के विद्युतीकरण का कार्य पूरा करके 2030 तक रेलवे को शून्य कार्बन उत्सर्जक संस्था बनाना जैसी पहलों से इस लक्ष्य की प्राप्ति की जाएगी।
- **अन्य पहलें:**
  - ब्रॉड गेज पर सभी मानव रहित लेवल क्रॉसिंग को समाप्त कर दिया जाएगा,
  - स्टेशनों पर वाई-फाई सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी,
  - एक स्टेशन एक उत्पाद योजना शुरू की जाएगी आदि।

3.17.12. रुकी हुई आवास परियोजनाएं (Stalled Housing Projects)

- रुकी हुई आवास परियोजनाओं पर गठित समिति ने **आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (MoHUA)** के समक्ष अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की।
- इस समिति का गठन **केंद्रीय सलाहकार परिषद (CAC)** की सिफारिश पर MoHUA ने किया था।
  - CAC का गठन **रियल एस्टेट (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016** (RERA 2016) के तहत किया गया था। इस परिषद का अध्यक्ष **आवासन और शहरी कार्य मंत्री** है।

- **रिपोर्ट के मुख्य बिंदु**
  - **लगभग 4.12 लाख आवासीय इकाइयां निर्माणाधीन हैं, जिनका मूल्य** 4.08 लाख करोड़ रुपये हैं। इनमें से **44 प्रतिशत इकाइयां राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली** से संबंधित हैं।
  - परियोजनाओं के अवरुद्ध रहने का मुख्य कारण **वित्तीय व्यवहार्यता की कमी** है। इसकी वजह से परियोजनाओं की लागत में वृद्धि हो जाती है और इनके पूरा होने में देरी होती है।
  - परियोजना से जुड़ी समस्याओं का समाधान करने से अधिक आवासीय इकाइयों का निर्माण संभव हो सकेगा तथा आर्थिक संवृद्धि को भी गति मिलेगी।
- **रिपोर्ट में की गई प्रमुख सिफारिशें**
  - **रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण (RERA) के तहत अनिवार्य पंजीकरण:** यह हाउसिंग डेवलपर्स को उनके कार्यों और घर खरीदारों के साथ किए गए वादों के प्रति **जवाबदेह बनाने** के लिए जरूरी है।
  - **पुनर्सुधार पैकेज:** रुकी हुई परियोजनाओं को वित्तीय रूप से व्यवहार्य बनाने के लिए **राज्य सरकारों** द्वारा पुनर्सुधार पैकेज प्रदान किया जाना चाहिए।
  - **रुकी हुई परियोजनाओं का वित्त-पोषण करना:** इसे प्राथमिकता देनी चाहिए। साथ ही, **किफायती एवं मध्यम आय वर्गीय आवास हेतु विशेष विंडो (स्वामी/ SWAMIH) कोष** का उपयोग करना चाहिए।
  - **रुकी हुई परियोजनाओं का समाधान:**
    - सभी हितधारकों (डेवलपर्स, फाइनेंसर, भूमि प्राधिकरण आदि) को "हेयरकट' की प्रक्रिया अपनानी चाहिए। हेयरकट के तहत किसी लेनदार को जितना बकाया/ अपेक्षित धन प्राप्त करना होता है, वह उससे कम धन प्राप्त करने के लिए सहमत हो जाता है।
    - वित्त-पोषण आकर्षित करने के लिए परियोजनाओं की आंतरिक रिटर्न दर में सुधार करना चाहिए।
    - भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता जैसी न्यायिक कार्रवाई को केवल "अंतिम उपाय" के रूप में अपनाना चाहिए।

3.17.13. इंडिया स्मार्ट सिटीज़ पुरस्कार प्रतियोगिता (ISCAC) 2022 {India Smart Cities Awards Contest (ISCAC) 2022}

- ISCAC का आयोजन **आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा स्मार्ट सिटी मिशन के तहत** किया जाता है।
- ISCAC उन शहरों, परियोजनाओं और नवीन विचारों को मान्यता देता है तथा पुरस्कृत करता है, **जो 100 स्मार्ट शहरों में संधारणीय विकास को बढ़ावा दे रहे हैं। साथ ही, समावेशी, न्यायसंगत, स्वस्थ और सहयोगी शहरों के विकास को प्रोत्साहित** कर रहे हैं।
  - ISCAC के **2018, 2019 और 2020 में तीन संस्करण** हो चुके हैं।
- **शीर्ष 3 स्मार्ट सिटी:** इंदौर, सूरत और आगरा।
- **शीर्ष 3 राज्य:** मध्य प्रदेश, तमिलनाडु व राजस्थान।
- **शीर्ष केंद्र-शासित प्रदेश:** चंडीगढ़।

3.17.14. इंश्योरेंस श्योरिटी बॉण्ड्स (Insurance Surety Bonds)

- हाल ही में, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने **NHAI-अनुबंधों के लिए इंश्योरेंस श्योरिटी बॉण्ड्स पर हितधारकों के साथ चर्चा** की है।
- **इंश्योरेंस श्योरिटी बॉण्ड के बारे में**
  - यह एक **त्रिपक्षीय अनुबंध है।** इसमें एक पक्ष (जमानतकर्ता/श्योरिटी) दूसरे पक्ष (प्रिंसिपल) के प्रदर्शन या दायित्वों की तीसरे पक्ष (ऑब्लिजी) को गारंटी देता है।
  - यह बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए जमानती व्यवस्था के रूप में कार्य करता है। साथ ही, **कान्ट्रैक्टर के साथ-साथ मूलधन** को भी सुरक्षा प्रदान करता है।
  - **इंश्योरेंस स्योरिटी बॉण्ड्स (ISB) को बैंक गारंटी के बदले** में लाया गया है। इसे अप्रैल 2022 में **बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI) ने अनुमति** प्रदान की थी।

3.17.15. रेल-समुद्र-रेल (RSR) परिवहन {Rail-Sea-Rail (RSR) Transportation}

- **कोयला मंत्रालय** रेल-समुद्र-रेल (RSR) परिवहन को बढ़ावा देगा।
- **RSR एक मल्टी मॉडल परिवहन प्रणाली है, जो कोयले को अंतिम उपयोगकर्ताओं तक निर्बाध रूप से पहुंचाएगी।**
- अगले सात वर्षों में खनन को दोगुना करके कोयला उत्पादन लक्ष्य को पूरा करने के लिए इसकी आवश्यकता है।
  - वर्तमान में देश में **कोयला निकालने में रेलवे की हिस्सेदारी लगभग 55 प्रतिशत** है। इस हिस्सेदारी को **वित्त वर्ष 2030 तक बढ़ाकर 75 प्रतिशत** करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
- **कोयले के परिवहन में समस्याएं:**
  - रेलवे की प्रबंधन क्षमता कम है,
  - लोडिंग और अनलोडिंग संबंधी बुनियादी ढांचे का सही से विकास नहीं हुआ है,
  - माल डिब्बों की संख्या पर्याप्त नहीं है,
  - सड़क या रेल नेटवर्क पर यातायात का दबाव रहता है।
- **RSR प्रणाली के लाभ:**
  - यह प्रणाली रेल मार्गों पर भीड़-भाड़ कम करेगी और इससे निर्यात के अवसर पैदा होंगे,
  - यह अंतिम-उपयोगकर्ता राज्यों के लिए लॉजिस्टिक लागत कम करेगी,
  - एक लचीली एवं कुशल कोयला आपूर्ति प्रणाली सुनिश्चित करेगी,
  - कार्बन फुटप्रिंट को कम करेगी आदि।
- **कोयले के परिवहन के लिए शुरू की गई पहलें**
  - 885 मीट्रिक टन क्षमता वाली लगभग **67 फर्स्ट माइल कनेक्टिविटी (FMC) परियोजनाएं** कार्यान्वित की जा रही हैं।
  - कोयला मंत्रालय ने **राष्ट्रीय कोयला लॉजिस्टिक योजना** का मसौदा जारी किया है।

- **भारत में कोयला**
  - **भारत में अनुमानित कोयला भंडार 361411.46 मिलियन टन है।** इसमें से अधिकतर **ओडिशा, झारखंड और छत्तीसगढ़** राज्यों में स्थित है।
  - **उपभोग केंद्र:** कोयला-आधारित **विद्युत उत्पादन संयंत्र, कोयला उत्पादन केंद्रों के निकट अवस्थित हैं** और अन्य कोयला-संचालित उद्योग उत्तरी या तटीय क्षेत्रों में स्थित हैं।

3.17.16. "मेरा बिल मेरा अधिकार" योजना (Mera Bill Mera Adhikaar Scheme)

- **केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC)** प्रायोगिक आधार पर **1 सितंबर, 2023 से "मेरा बिल मेरा अधिकार"** योजना शुरू कर रहा है। यह एक **इनवॉइस प्रोत्साहन योजना** है।
- **उद्देश्य:** इसका उद्देश्य आम जनता को **'अपना बिल मांगने' के अधिकार और हक के प्रति जागरूक** करना है तथा इस प्रकार उनमें सांस्कृतिक व व्यावहारिक परिवर्तन लाना है।
- **प्रमुख विशेषताएं:**
  - इसमें **GST इनवॉइस अपलोड करने पर लोगों को 10,000 से 1 करोड़ रुपये तक के नकद पुरस्कार** देने की घोषणा की गई है।
  - GST पंजीकृत आपूर्तिकर्ताओं द्वारा उपभोक्ताओं को जारी किए गए **सभी B2C (व्यवसाय-से-उपभोक्ता) इनवॉइस योजना के लिए पात्र** होंगे।
  - **पात्रता के लिए इनवॉइस का न्यूनतम मूल्य 200 रुपये** होना चाहिए।

3.17.17. हाई प्राइस डे अहेड मार्केट एंड सरप्लस पावर पोर्टल {High Price Day Ahead Market and Surplus Power Portal (Pushp Portal)}

- केंद्रीय विद्युत मंत्रालय ने PUShP पोर्टल लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य **सीजन में पीक डिमांड के दौरान बिजली की अधिक उपलब्धता सुनिश्चित** करना है।
  - विद्युत वितरण कंपनियां (DISCOMS/ डिस्कॉम्स) ब्लॉक-टाइम/ दिन/ महीने के आधार पर पोर्टल पर अपने **अधिशेष विद्युत के आंकड़े** दर्शा सकेंगी।
  - जिन डिस्कॉम्स को बिजली की जरूरत है, वे अधिशेष बिजली की मांग कर सकेंगे।
  - इससे **डिस्कॉम्स पर फिक्स्ड कॉस्ट का बोझ कम होगा और उपलब्ध उत्पादन क्षमता का उपयोग** किया जा सकेगा।
    - **फिक्स्ड कॉस्ट:** यह एक प्रकार का व्यय है, जो बिक्री या उत्पादन की मात्रा बढ़ने या घटने पर नहीं बदलता है।

3.17.18. 'नमो 108' कमल ('NAMOH 108' Lotus)

- वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद (CSIR)-राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान, लखनऊ में **'नमो 108'** नाम से कमल की एक किस्म का अनावरण किया गया। इसे **CSIR की वन वीक वन लैब (OWOL) पहल** के तहत प्रस्तुत किया गया है।
  - OWOL के तहत, प्रत्येक प्रयोगशाला एक सप्ताह तक अपने इतिहास और वैज्ञानिक उपलब्धियों का प्रदर्शन करेंगी।
- कमल की **इस किस्म की खोज कई साल पहले मणिपुर** में की गई थी। यह **भारत में कमल की एकमात्र ऐसी किस्म है, जिसका जीनोम अनुक्रमण** किया गया है।
- देश के अन्य हिस्सों में इसकी खेती को बढ़ावा देने के लिए बागवानी मिशन के तहत **लोटस मिशन** भी शुरू किया गया है।

3.17.19. 'भगवा' अनार' ('Bhagwa' Pomegranate)

- कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा/APEDA) ने राष्ट्रीय पादप संरक्षण संगठन (NPPO) के सहयोग से **संयुक्त राज्य अमेरिका को 'भगवा' अनार के पहले परीक्षण शिपमेंट के निर्यात** में मदद की है।
- **'भगवा' (केसरिया रंग) अनार के बारे में**
  - इसमें **एंटीऑक्सीडेंट की उच्च मात्रा** होती है और यह **सुपर फ्रूट की विशेषताओं** से युक्त है।
  - **महाराष्ट्र का सोलापुर** भारत से अनार निर्यात में लगभग 50 प्रतिशत का योगदान देता है।

- **APEDA कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1985** के तहत गठित एक सांविधिक निकाय है।
  - यह 'कृषि जिंसों' के लिए **शीर्ष-निर्यात व्यापार संवर्धन प्राधिकरण है।**
- **राष्ट्रीय पादप संरक्षण संगठन (NPPO)**
  - **वनस्पति संरक्षण, संगरोध एवं संग्रह निदेशालय** (DPPQS) भारत का NPPO है।
  - यह कृषि-जिंसों के निर्यात के लिए **फाइटो-सैनिटरी संबंधी सभी जिम्मेदारियां** निभाता है।

QUIZ **SMART QUIZ**	विषय की समझ और अवधारणाओं के स्मरण की अपनी क्षमता के परीक्षण के लिए आप हमारे ओपन टेस्ट ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर **अर्थव्यवस्था** से संबंधित स्मार्ट क्विज़ का अभ्यास करने हेतु इस QR कोड को स्कैन कर सकते हैं।	

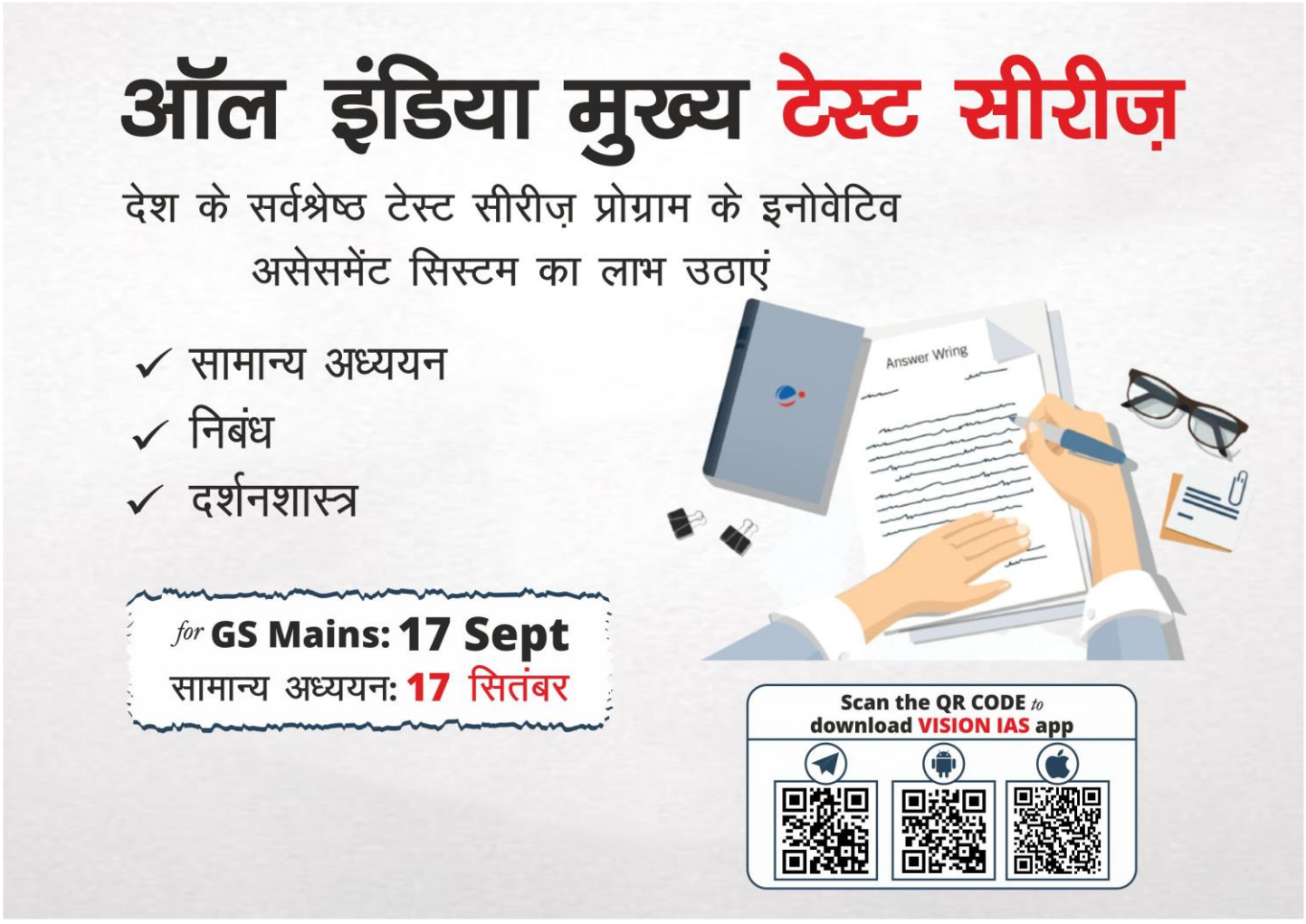

4. सुरक्षा (Security)

4.1. रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (Defense Research and Development Organization: DRDO)

सुर्ख़ियों में क्यों?

रक्षा मंत्रालय (MoD)[55] ने **प्रोफेसर के. विजयराघवन की अध्यक्षता में नौ सदस्यों वाली एक समिति** का गठन किया है। यह समिति DRDO के काम-काज की समीक्षा करेगी तथा इसके कार्यों को पुनर्निर्धारित और पुनर्परिभाषित करने के संबंध में सुझाव देगी।

अन्य संबंधित तथ्य

- गौरतलब है कि निम्नलिखित कारकों के चलते DRDO में सुधार करना आवश्यक हो गया है:
  - DRDO **मिशन मोड परियोजनाओं को समय पर पूरा नहीं कर पा रहा है।** इसके परिणामस्वरूप, समय और लागत में भारी बढ़ोतरी होती है।
    - इस तरह की देरी के कारण उत्पादों का यथोचित समयानुकूल उपयोग नहीं हो पाता है और तात्कालिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आयात का सहारा लेना पड़ता है।
  - रक्षा स्वदेशीकरण संबंधी ट्रिलेमा (उच्च गुणवत्ता, कम लागत और शीघ्र प्राप्ति) के समाधान की आवश्यकता ने भी **प्रशासनिक, कार्मिक और वित्तीय प्रणालियों के सुव्यवस्थित आधुनिकीकरण** को जरूरी बना दिया है।

DRDO के अप्रभावी काम-काज हेतु उत्तरदायी कारण

- यह उन परियोजनाओं में **सामंजस्य स्थापित करने में असफल** रहा है, जिनमें कई एजेंसियां शामिल होती हैं।
- **अलग-अलग समितियों द्वारा अपर्याप्त निगरानी और आवश्यकताओं को बार-बार बदलना:** परीक्षण चरण के दौरान अभियांत्रित (Engineered) प्रोटोटाइप में बदलाव की सिफारिश के कारण निर्धारित अवधि और लागत में अत्यधिक वृद्धि होती है।
- **अनावश्यक घटकों पर कार्य करना:** अप्रचलित प्रौद्योगिकियों पर अनुसंधान एवं विकास कार्य के परिणामस्वरूप प्रयासों की निरर्थकता में बढ़ोतरी होती है। इससे 'मौजूदा प्रौद्योगिकियों या उपकरणों के दोबारा उपयोग' की संभावना बढ़ जाती है।

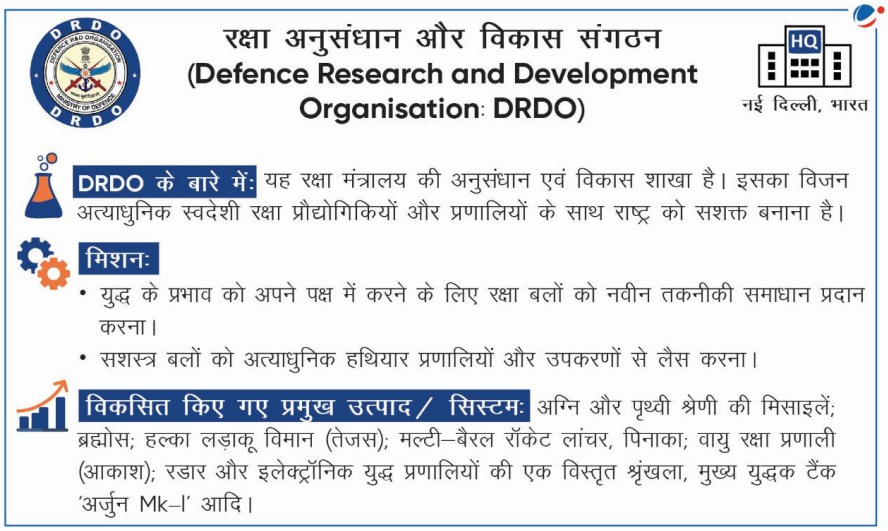

- **DRDO का नौकरशाहीकरण:** DRDO में परिणाम और निष्पादन की तुलना में प्रक्रियात्मक पहलुओं पर अधिक जोर दिया जाता है।
  - इससे एक ऐसे वैज्ञानिक कार्य परिवेश का सृजन हुआ है, जिसमें सावधानी, नियम, समीक्षा, केंद्रीकरण, अल्प संचार आदि पर अनावश्यक फोकस बढ़ गया है।
- **एकाधिकार और प्रतिस्पर्धा की कमी:** इसमें निजी क्षेत्रक की भागीदारी सीमित है और रक्षा प्रौद्योगिकियों में कोई विशेषज्ञता नहीं रखने वाले सामान्य नौकरशाहों की मुख्य भूमिका बनी हुई है।
  - इससे DRDO द्वारा शुरू की गई परियोजनाओं की सीमित प्रभावशीलता का भी मुद्दा पैदा होता है।

आगे की राह

- **नई रक्षा तकनीकी-औद्योगिक कंसोर्टियम (DTI)[56] संरचना का निर्माण:** इसका उद्देश्य रक्षा अनुसंधान एवं विकास, विनिर्माण अवधारणा, रणनीति और संरचना को एकीकृत करना है।

---

[55] Ministry of Defense

- इससे रक्षा उद्योग में एक तीसरी शक्ति अर्थात् निजी क्षेत्रक को बड़े पैमाने पर आकर्षित करने में मदद मिलेगी।
- सशस्त्र बलों के लिए आवश्यक नवाचारों को पोषित करने हेतु **iDEX**[57] जैसे परिवेश को कंसोर्टियम के अधीन लाना चाहिए।

- एक शीर्ष निर्णय लेने वाली संस्था के रूप में **रक्षा अनुसंधान एवं विकास परिषद** की स्थापना की जानी चाहिए, जो क्षमता विकास योजना पर विशेष फोकस करे। इसमें प्रसिद्ध सैन्य नेतृत्वकर्ताओं और वैज्ञानिकों को शामिल किया जाना चाहिए।
  - अन्य राष्ट्रीय शोध संगठनों, प्रयोगशालाओं, शिक्षाविदों और उद्योगों के सहयोग से अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों में अनुसंधान को बढ़ावा दिया जा सकता है।
- **सैन्य मामलों के विभाग के भीतर एक नए त्रि-सेवा प्रभाग का गठन** किया जाना चाहिए। यह कदम **क्षमता विकास और रक्षा अनुसंधान एवं विकास के एकीकरण** की दिशा में रक्षा अनुसंधान के प्रबंधन एवं निगरानी सुनिश्चित करेगा।
- **प्रक्रियात्मक उपाय:** कोई भी संशोधन/सुधार, प्रोटोटाइप चरण में ही किया जाना चाहिए। उत्पादन स्तर पर संशोधन से बचना चाहिए।
  - किसी भी चूक से बचने के लिए कई एजेंसियों को शामिल करने वाली परियोजनाओं में **प्रभावी सिंक्रनाइज़ेशन तंत्र** स्थापित किया जाना चाहिए।
  - **DRDO की अनुपयोगी प्रयोगशालाओं और परियोजनाओं को बंद** कर देना चाहिए। इससे बड़ी मात्रा में भू परिसंपत्ति प्राप्त होगी, जिसका मौद्रीकरण किया जाना चाहिए। इस मौद्रीकरण से प्राप्त धनराशि से एक कोष की स्थापना की जा सकती है जिससे नवाचारों का वित्त-पोषण किया जा सकेगा।

4.2. केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (Central Armed Police Forces: CAPFs)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, गृह मंत्रालय ने उल्लेख किया है कि पिछले 13 वर्षों में **CAPFs के 1,532 जवानों ने आत्महत्या** की है।

CAPF के बारे में

- वर्तमान में **7 अलग-अलग केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, गृह मंत्रालय (MHA)** के अधिकार क्षेत्र के अधीन कार्यरत हैं।
- **ये 7 बल निम्नलिखित हैं:**

बल	उद्देश्य/ सौंपे गए कार्य
सशस्त्र सीमा बल (SSB)	• इसका गठन **1963 में भूटान और नेपाल से लगी भारतीय सीमाओं की सुरक्षा** के लिए किया गया था।
सीमा सुरक्षा बल (BSF)	• इसका गठन **1965** में किया गया था। यह **पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ लगने वाली भारतीय सीमाओं की सुरक्षा** करता है। • यह **नक्सलरोधी अभियान, संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना अभियान,** आपदा प्रबंधन और सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रमों में भी योगदान करता है।
भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (ITBP)	• इसे **भारत-चीन सीमाओं** की सुरक्षा के लिए **1962 में गठित** किया गया था।
असम राइफल्स (AR)	• इसे ब्रिटिश चाय बागानों की सुरक्षा के लिए **1835 में 'कछार लेवी'** के रूप में गठित किया गया था। हालांकि, **1917** में इसका नाम बदलकर "असम राइफल्स" कर दिया गया। • यह **भारत-म्यांमार सीमा की रक्षा** करता है। • इस पर **दोहरा नियंत्रण** है। इसका **प्रशासन केंद्रीय गृह मंत्रालय** के पास है, जबकि **परिचालनात्मक नियंत्रण (Operational control) भारतीय थल सेना** के पास है।
केंद्रीय रिज़र्व पुलिस बल (CRPF)	• इसे **विधि के शासन, लोक व्यवस्था और आंतरिक सुरक्षा को बनाए रखने तथा सामाजिक सद्भाव को बढ़ावा देने के लिए 1939 में गठित** किया गया था।
केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF)	• इसे कुछ संवेदनशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को एकीकृत सुरक्षा कवर प्रदान करने के लिए **1969 में गठित** किया गया था। • CISF **महत्वपूर्ण सरकारी भवनों, स्मारकों, हवाई अड्डों, परमाणु प्रतिष्ठानों, अंतरिक्ष प्रतिष्ठानों और दिल्ली मेट्रो को भी सुरक्षा** प्रदान करता है।

[56] Defence Techno-Industrial Consortium

[57] Innovation for Defence Excellence/ रक्षा उत्कृष्टता के लिए नवाचार

राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (NSG)	• विविध आतंकी गतिविधियों से निपटने के लिए एक संघीय आकस्मिक बल के निर्माण हेतु इसे **1986 में गठित** किया गया था। • इसे **यूनाइटेड किंगडम के SAS और जर्मनी के GSG-9 की तर्ज पर तैयार** किया गया है। इसका मुख्य कार्य देश के किसी भी हिस्से में आतंकवाद के सभी पहलुओं/ गतिविधियों से निपटना है।

CAPFs के समक्ष समस्याएं

- **बड़ी संख्या में पदों की रिक्तियां** मौजूदा सैन्य बलों पर बोझ उत्पन्न करती हैं और देश की सुरक्षा को भी प्रभावित करती हैं।
- **तनाव प्रबंधन की कमी** के कारण बड़ी संख्या में आत्महत्या जैसी घटनाएं घटित होती हैं। साथ ही, इससे कर्मियों के बीच झड़पों की संख्या में भी वृद्धि होती है।
- **सशस्त्र बलों का नौकरशाहीकरण और पदोन्नति की दर में गिरावट:** सामान्यतः CAPFs में शीर्ष पदों पर IPS अधिकारियों को नियुक्त किया जाता है। इससे सुरक्षा बलों पर निराशाजनक प्रभाव पड़ता है और उनकी प्रभावशीलता भी प्रभावित होती है।
- **मजबूत आंतरिक शिकायत निवारण तंत्र का मौजूद न** होना।
- **खराब बुनियादी ढांचा** जैसे कि सीमा चौकियों (BOPs)[58] पर विद्युत का अभाव, कामकाजी परिस्थितियों को गंभीर रूप से प्रभावित करता है।

- **आधुनिक हथियारों की कमी:** CAPFs आधुनिक हथियारों, वस्त्रों और उपकरणों की कमी का सामना कर रहे हैं। साथ ही, ऐसा माना गया है कि इनकी खरीद प्रक्रिया अत्यंत जटिल होती है और इनकी खरीद में बहुत अधिक समय लग जाता है।
- **राज्यों की मांग:** राज्यों में कानून और व्यवस्था के मुद्दे से निपटने के लिए राज्य CAPFs पर अत्यधिक निर्भर हैं।

CAPFs के प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जा सकते हैं:

- **राज्यों में विशेष बल:** कानून और व्यवस्था को कुशलतापूर्वक प्रबंधित करने के लिए राज्यों को अपने स्वयं के सैन्य बल का गठन करना चाहिए। साथ ही, पर्याप्त प्रशिक्षण और उपकरण प्रदान करके अपने मौजूदा पुलिस बल को सशक्त करना चाहिए।
- **प्रशिक्षण विधियों को उन्नत बनाना:** प्रशिक्षण विधियों में नवीनतम आवश्यकताओं के अनुसार सुधार करना चाहिए और प्रशिक्षण पाठ्यक्रम को अपडेट किया जाना चाहिए।
- **महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाना:** CAPFs में महिलाओं का प्रतिशत बढ़ाया जाना चाहिए और उनके लिए एक अलग प्रशिक्षण पाठ्यक्रम निर्धारित किया जाना चाहिए।
- **अग्निवीरों को शामिल करना:** CAPFs में अग्निवीरों को शामिल करने हेतु उनके लिए निर्धारित 10% आरक्षण के मौजूदा प्रावधान को सभी CAPFs में ठीक से लागू किया जाना चाहिए। इसके अलावा, रिक्तियों को भरने के लिए अलग-अलग अभियानों को संचालित किया जाना चाहिए।
- **शिकायत निवारण:** एक ऐसे दक्ष शिकायत निवारण तंत्र को स्थापित किया जाना चाहिए, जो पदोन्नति में देरी, कार्मिकों के बीच टकराव और कार्यस्थल पर उत्पीड़न के मुद्दों का निपटान करने में सक्षम हो।
- **बल को तनाव मुक्त करना:** कार्मिकों के मनोबल और कल्याण में सुधार के लिए विशेष आवधिक प्रशिक्षण प्रदान करने की व्यवस्था की जानी चाहिए। साथ ही, उनके तनाव को कम करने के लिए वैज्ञानिक तरीकों को भी अपनाया जाना चाहिए।

4.3. अंतर-सेवा संगठन (कमान, नियंत्रण और अनुशासन) विधेयक, 2023 {Inter-Services Organisation (Command, Control & Discipline) Bill, 2023}

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, **अंतर-सेवा संगठन (कमान, नियंत्रण और अनुशासन) विधेयक, 2023** को संसद के दोनों सदनों ने मंजूरी प्रदान कर दी है।

[58] Border Out Posts

पृष्ठभूमि

- भारत में कई **अलग-अलग अंतर-सेवा संगठन (ISO)[59] मौजूद हैं,** जैसे- अंडमान और निकोबार कमान, रक्षा अंतरिक्ष एजेंसी एवं संयुक्त प्रशिक्षण प्रतिष्ठान (राष्ट्रीय रक्षा अकादमी या राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज) आदि।
    - वर्तमान में संबंधित सेवाओं के रक्षा कर्मी **वायु सेना अधिनियम, 1950; थल सेना अधिनियम, 1950** और **नौसेना अधिनियम, 1957** के प्रावधानों द्वारा शासित होते हैं।
- हालांकि, उपर्युक्त **ISO के कमांडर-इन-चीफ या ऑफिसर-इन-कमांड को अन्य सेवाओं से संबंधित कर्मियों पर अनुशासनात्मक या प्रशासनिक शक्तियों के प्रयोग का अधिकार नहीं** दिया गया है।
    - परिणामस्वरूप, ISO में सेवारत कर्मियों पर अनुशासनात्मक कार्यवाही हेतु कर्मियों को उनकी मूल सेवा इकाइयों में वापस भेजने की आवश्यकता पड़ती है। यह प्रक्रिया अत्यंत बोझिल है तथा इसे पूरा करने में अत्यधिक समय लगता है। साथ ही, यह वित्तीय लागत को भी बढ़ा देती है।
- अतः इन स्थितियों में, ISO के इन अधिकारियों को उनकी कमान के तहत सेवारत कर्मियों पर नियंत्रण रखने के लिए उन्हें सशक्त बनाने की आवश्यकता को बल मिला है।

विधेयक के प्रमुख प्रावधानों पर एक नज़र

- **अंतर-सेवा संगठन (ISO) को परिभाषित करना:** इसे संयुक्त सेवा कमान सहित सैनिकों के एक ऐसे दल के रूप में परिभाषित किया गया है, जिसमें वायु सेना अधिनियम, 1950; थल सेना अधिनियम, 1950 और नौसेना अधिनियम, 1957 या उक्त अधिनियमों में से किन्हीं दो के अधीन सेवारत कर्मी शामिल हैं।
- **केंद्र द्वारा ISO का गठन:** विधेयक में ISO के गठन का अधिकार केंद्र सरकार को दिया गया है। केंद्र सरकार तीनों सेवाओं (थल सेना, नौसेना और वायु सेना) में से **कम-से-कम दो सेवाओं से संबंधित कर्मियों से युक्त एक ISO का गठन** कर सकती है। इसमें **संयुक्त सेवा कमान को भी शामिल** किया जा सकता है।
- **कमांडर-इन-चीफ को सशक्त बनाना:** यह विधेयक **ISOs के कमांडर-इन-चीफ या ऑफिसर-इन-कमांड** को **उनकी कमान के अधीन कार्यरत सेवा-कर्मियों** के अनुशासनात्मक और प्रशासनिक नियंत्रण का अधिकार देता है, चाहे वे किसी भी सेवा में शामिल हों।
- **मौजूदा संगठनों को बनाए रखना:** इस विधेयक के अनुसार **पहले से मौजूद ISOs और उनके संबंधित कमांडर** अपने कार्य को जारी रखेंगे।
    - मौजूदा **ISOs में अंडमान एवं निकोबार कमान, रक्षा अंतरिक्ष एजेंसी** और **राष्ट्रीय रक्षा अकादमी** शामिल हैं।
- **केंद्र सरकार का अधीक्षण: ISO का अधीक्षण** करने का प्राधिकार **केंद्र सरकार** को प्राप्त होगा। सरकार ऐसे संगठनों को **राष्ट्रीय सुरक्षा, सामान्य प्रशासन या जनहित के आधार** पर निर्देश भी जारी कर सकती है।
- **केंद्र सरकार के अधीन अन्य बल:** केंद्र भारत में स्थापित और संचालित किसी भी बल को अधिसूचित कर सकता है, जिस पर यह विधेयक लागू होगा।
- **मामलों का शीघ्र निपटान और व्यापक एकीकरण:** किए गए प्रावधान से मामलों के निपटान में तेजी आएगी और सशस्त्र बल कर्मियों के बीच बेहतर एकीकरण एवं जॉइंटमैनशिप (थिएटराइजेशन) को सुनिश्चित किया जा सकेगा।

नोट: "सशस्त्र बलों के थिएटराइजेशन" के बारे में और अधिक जानकारी के लिए कृपया मार्च, 2023 की मासिक समसामयिकी देखें।

4.4. संक्षिप्त सुर्ख़ियां (News in Shorts)

4.4.1. मोबाइल उपयोगकर्ता सुरक्षा सुधार (Mobile User Protection Reforms)

- **संचार मंत्रालय** ने दो मोबाइल उपयोगकर्ता सुरक्षा सुधार पेश किए हैं। ये सुधार **संचार साथी पोर्टल के पूरक** के रूप में कार्य करेंगे।
- **सुधार:**
    - **प्वाइंट-ऑफ-सेल (POS) पंजीकरण सुधार-** लाइसेंस धारकों द्वारा फ्रेंचाइजी, एजेंटों और वितरकों (PoS) का **अनिवार्य पंजीकरण** किया जाएगा। इसके जरिए ऐसे फर्जी PoS को खत्म किया जा सकेगा जो धोखाधड़ी करके असामाजिक/ राष्ट्र-विरोधी तत्वों को सिम जारी करते हैं।
    - **KYC सुधार- जनसांख्यिकीय विवरण अनिवार्य** रूप से प्रिंटेड आधार के क्यूआर कोड को स्कैन करके प्राप्त किया जाएगा।
- **संचार साथी पोर्टल की मदद** से मोबाइल ग्राहक अपने नाम पर पंजीकृत **मोबाइल कनेक्शन का पता** लगा सकते हैं, **चोरी/ खोए हुए मोबाइल हैंडसेट** की रिपोर्ट कर सकते हैं और उसे ब्लॉक कर सकते हैं इत्यादि।

[59] Inter-services Organisation

4.4.2. एकॉस्टिक साइड चैनल अटैक्स {Acoustic Side Channel Attacks (ASCA)}

- **लैपटॉप** के उपयोग ने ASCAs के दायरे को **बढ़ा दिया** है। ऐसा इसलिए, क्योंकि लैपटॉप के सभी मॉडल्स में एक जैसा की-बोर्ड होता है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI)-सक्षम डीप लर्निंग द्वारा विश्लेषण को आसान बनाता है।
- ASCA एक प्रकार का साइबर अटैक है। इसमें **आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का उपयोग करके बटन दबाए जाने (कीस्ट्रोक्स) से उत्पन्न ध्वनि के विश्लेषण द्वारा पासवर्ड को डिकोड** किया जा सकता है।
- साइड चैनल अटैक (SCA) एन्क्रिप्शन विधि में उपयोग की जाने वाली सहायक प्रणालियों के **विश्लेषण के आधार पर क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिदम को हैक करने का एक तरीका** है। सहायक प्रणालियों में विद्युत चुम्बकीय तरंगें, बिजली की खपत, की-बोर्ड की ध्वनि, प्रिंटर आदि शामिल हैं।

4.4.3. स्पाइक नॉन-लाइन ऑफ साइट (NLOS) एंटी-टैंक गाइडेड मिसाइल {Spike Non-Line of Sight (NLOS) Anti-Tank Guided Missile}

- भारतीय **वायुसेना** को **इजरायली** स्पाइक नॉन-लाइन ऑफ साइट (NLOS) एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलें प्राप्त हो गई हैं।
- स्पाइक NLOS को **रूसी मूल के Mi-17V5 हेलीकॉप्टर्स के बेड़े के साथ एकीकृत** किया जाएगा।
  - इसे इजरायली कंपनी **राफेल एडवांस्ड डिफेंस सिस्टम्स** ने विकसित और डिजाइन किया है। **यह स्पाइक मिसाइलों की छठी पीढ़ी से संबंधित है।**
- **विशेषताएं:**
  - यह लंबी दूरी से **पहाड़ों के पीछे छिपे शत्रु के ठिकानों को नष्ट** करने में सक्षम है।
  - इसकी मारक सीमा **25 कि.मी.** है।
  - यह **दागो एवं भूल जाओ (Fire-and-Forget) के सिद्धांत** पर आधारित एक हल्की मिसाइल है।
  - यह एक **सामरिक सुस्पष्ट निर्देशित** मिसाइल है।
  - इसमें **इलेक्ट्रो-ऑप्टिकल और फाइबर-ऑप्टिक** प्रौद्योगिकियों का उपयोग किया गया है।

4.4.4. स्वाति वेपन लोकेटिंग रडार -माउंटेन {Swathi Weapon Locating Radar Mountains (WLR-M)}

- भारतीय सेना ने **दुश्मन की आर्टिलरी का पता लगाने और अपनी लड़ाकू क्षमता को बढ़ाने के लिए स्वाति WLR-M** को शामिल किया है।
  - यह एक अत्याधुनिक **इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड फेज्ड ऐरे रडार** है। इसे विशेष रूप से **पहाड़ी और अत्यधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में कार्य करने** के लिए डिज़ाइन किया गया है।
  - इसे **बेंगलुरु** स्थित भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (BEL) ने विकसित किया है।
  - स्वाति रडार का एक अन्य वर्जन **WLR-प्लेन्स** है।
- **WLR-M मोर्टार, रॉकेट लांचर** आदि का पता लगाने और ट्रैक करने के लिए एडवांस्ड सिग्नल प्रोसेसिंग तकनीकों का उपयोग करता है। साथ ही, सटीक आर्टिलरी हमलों के लिए (भारत की ओर से) फायर ट्राजेक्ट्री (गोला, मोर्टार आदि दागने के लिए सटीक दिशा) का भी पता लगाता है।
  - इसकी विशेषता यह है कि **इसे कहीं भी ले जाया जा सकता है और तुरंत तैनात किया जा सकता** है। ये विशेषताएं इस रडार को सेना की बदलती परिचालन आवश्यकताओं के अनुरूप कार्य करने में सक्षम बनाती हैं।

4.4.5. अस्त्र मिसाइल (Astra Missile)

- हल्के लड़ाकू विमान **तेजस** से अस्त्र (ASTRA) मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया।
  - यह मिसाइल **बियॉन्ड विजुअल रेंज वाली है और हवा-से-हवा** में मार करने में सक्षम है। इसे **रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (DRDO)** ने स्वदेशी रूप से विकसित किया है।
- **प्रमुख विशेषताएं:**
  - **रेंज: Mk1** संस्करण के लिए 80-110 किलोमीटर और **Mk2** संस्करण के लिए 160 किलोमीटर।
  - **ऊंचाई:** 20 कि.मी. तक।
  - **अधिकतम गति:** मैक 4.5 तक।

4.4.6. 3D-प्रिंटेड बम (3D-Printed Bombs)

- हाल ही में, यूक्रेन ने **गोला-बारूद की कमी से निपटने और अपनी जवाबी कार्यवाहियों को जारी रखने** के लिए **3D-प्रिंटेड बमों का निर्माण करने का फैसला** किया है।
- यूक्रेन के हथियार निर्माता **गोला-बारूद की तात्कालिक कमी को पूरा** करने के लिए विनिर्माण के विभिन्न मॉडलों की तलाश कर रहे हैं। **देश और विदेश में प्रचलित 3D प्रिंटेड मॉडल उनमें से एक** है।
    - एक स्वचालित मशीन (3D प्रिंटर) का उपयोग करके पहले **इनके आवरणों का निर्माण किया जाता है** और फिर युद्ध के मैदान में उपयोग करने से पहले इन्हें **C4 विस्फोटकों और छर्रों** से भर दिया जाता है।
- इन बमों को **"कैंडी बम"** के नाम से भी जाना जाता है।
    - कैंडी बम **सस्ते और प्रभावी** होते हैं। इसके अलावा, यह **विभिन्न आकारों में आसानी से निर्मित** किए जा सकते हैं, जो ड्रोन ऑपरेटर्स को एक दिए गए मॉडल की पेलोड क्षमता का सर्वोत्तम उपयोग करने में मदद करता है।

4.4.7. सैन्य अभ्यास (Military Exercises)

- **ऑसइंडेक्स (AUSINDEX)- 23:** यह **भारतीय नौसेना और रॉयल ऑस्ट्रेलियाई नौसेना** के बीच आयोजित एक **द्विवार्षिक** (दो वर्षों पर) **समुद्री अभ्यास** है।
- **ब्राइट स्टार- 23:** यह **मिस्र** में आयोजित एक **द्विवार्षिक बहुपक्षीय त्रि-सेवा अभ्यास** है। **भारतीय वायुसेना** इसमें पहली बार हिस्सा ले रही है।
    - इसमें भाग लेने वाले अन्य देशों में **संयुक्त राज्य अमेरिका, सऊदी अरब, ग्रीस और कतर** शामिल हैं।

5. पर्यावरण (Environment)

5.1. वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क कोष (Global Biodiversity Framework Fund: GBFF)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी (GEF) की सातवीं सभा में GBFF का अनुसमर्थन कर इसकी शुरुआत की गई।

कुनमिंग-मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क (KMGBF)[60]

- KMGBF को **मॉन्ट्रियल में आयोजित संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता अभिसमय[61] के पक्षकारों के 15वें सम्मेलन (COP-15) में अपनाया** गया था।
- इसे **आईची जैव विविधता लक्ष्य** की जगह लागू किया गया है। गौरतलब है कि आईची जैव विविधता लक्ष्य की समय-सीमा 2020 निर्धारित की गई थी।
- यह **कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं** है।
- इसमें **2050 तक के लिए 4 गोल्स और 2030 तक के लिए 23 टार्गेट्स निर्धारित** किए गए हैं।

2050 तक हासिल किए जाने वाले 4 व्यापक गोल्स में शामिल हैं:	1. मानवजनित गतिविधियों के चलते प्रजातियों की विलुप्ति को रोकना। 2. लाभों के न्यायसंगत साझाकरण को सुनिश्चित करना। 3. जैव विविधता के संधारणीय उपयोग को सुनिश्चित करना। 4. प्रति वर्ष 700 बिलियन डॉलर जुटाकर जैव विविधता संबंधी वित्त-पोषण में मौजूदा अंतर को समाप्त करना।
इस दशक हेतु अर्थात् 2030 तक तत्काल कार्रवाई के लिए 23 कार्रवाई-उन्मुख वैश्विक लक्ष्य निर्धारित किये गए हैं	**प्रमुख टार्गेट्स** • 2030 तक 30% भूमि, अंतर्देशीय जल, समुद्री और तटीय पारिस्थितिकी तंत्र (30x30) का संरक्षण करना। • 2050 तक आक्रामक विदेशी प्रजातियों की प्रसार दर को कम करना। • **वैश्विक स्तर पर खाद्य की बर्बादी को आधा** करना। • जैव विविधता के नजरिए से अत्यधिक महत्वपूर्ण क्षेत्रों को होने वाले नुकसान को कम कर शून्य तक लाना। • **हानिकारक सरकारी सब्सिडी** में वार्षिक आधार पर 500 बिलियन डॉलर तक की कटौती करना। • प्रति वर्ष कम-से-कम 200 बिलियन अमरीकी डॉलर जुटाते हुए जैव विविधता संबंधी वित्त-पोषण में कमी की भरपाई करना।

GBFF के बारे में

- **उद्देश्य:** GBFF का उद्देश्य **कुनमिंग-मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क (KMGBF)[62]** के कार्यान्वयन को वित्त-पोषित करना है।
- **गवर्नेंस:** GBFF परिषद में सदस्य देशों का प्रतिनिधित्व निम्नलिखित रूप में होगा:
  - विकासशील देशों से 16;
  - विकसित देशों से 14;
  - मध्य और पूर्वी यूरोप एवं पूर्व सोवियत संघ के देशों से 2 सदस्य।
  - **GBFF परिषद के निर्णय,** GEF में मूल दस्तावेज के अनुसार सर्वसम्मति से लिए जाएंगे।
- **वित्तीय प्रबंधन: विश्व बैंक** को GBFF के ट्रस्टी के रूप में अपनी सेवा देने के लिए आमंत्रित किया जाएगा।
  - GBFF की स्थापना निम्नलिखित की तर्ज पर की जाएगी:
    - पारदर्शिता के लिए क्षमता-निर्माण पहल (Capacity-Building Initiative for Transparency: CBIT) ट्रस्ट फंड,
    - अल्प-विकसित देश निधि (Least Developed Countries Fund),
    - विशेष जलवायु परिवर्तन निधि (Special Climate Change Fund) और
    - नागोया प्रोटोकॉल कार्यान्वयन कोष (Nagoya Protocol Implementation Fund: NPIF)

---

[60] Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework

[61] UN Convention on Biological Diversity

[62] Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework

- **धन/ फंड का आवंटन:**
  - जैव विविधता की रक्षा और संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए **20% धनराशि** देशज लोगों और स्थानीय समुदाय द्वारा आरंभ की गई पहलों के समर्थन हेतु दी जाएगी।
  - **लघु विकासशील द्वीपीय देशों (SIDs)**[63] और **LDCs** को सहायता प्रदान करने में प्राथमिकता दी जाएगी। इन्हें **कोष के संसाधनों का एक-तिहाई से अधिक हिस्सा** प्रदान किया जाएगा।
  - **GBFF के वित्त-पोषण के स्रोत:** सरकारें, दान से प्राप्त राशि, निजी क्षेत्रक, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान आदि।

GBFF का महत्त्व

- **वित्त-पोषण का एक नया स्रोत:** इसका उद्देश्य 2030 तक जैव विविधता को पहुंचने वाली क्षति को रोकना और जैव विविधता का पुनरुद्धार करना है।
- **देशज लोगों की भागीदारी को लेकर प्रतिबद्धता:** स्थलीय और महासागरीय क्षेत्रों का लगभग 25% भाग देशज लोगों एवं स्थानीय समुदायों **(IPLCs)**[64] द्वारा प्रबंधित किया जाता है। साथ ही, इन क्षेत्रों में पृथ्वी की लगभग 80% जैव विविधता मौजूद है।
  - GBFF में देशज समुदायों के मामले में निम्नलिखित बातों को प्राथमिकता दी गई है:
    - प्राचीन काल से ही वनों और जैव विविधता की रक्षा करते आ रहे देशज समुदायों के अधिकारों का सम्मान करना;
    - वनों और जैव विविधता के संरक्षण में देशज समुदायों की भागीदारी को स्वीकार करना।
- **संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) के अनुरूप:** इनमें से 3 प्रत्यक्षतः पर्यावरण से और शेष जैव विविधता से संबंधित हैं:
  - जैसे- **SDG 13: जलवायु-कार्रवाई, SDG 14: जलीय जीवन का संरक्षण करना** और **SDG 15: स्थलीय जीवन का संरक्षण करना।**

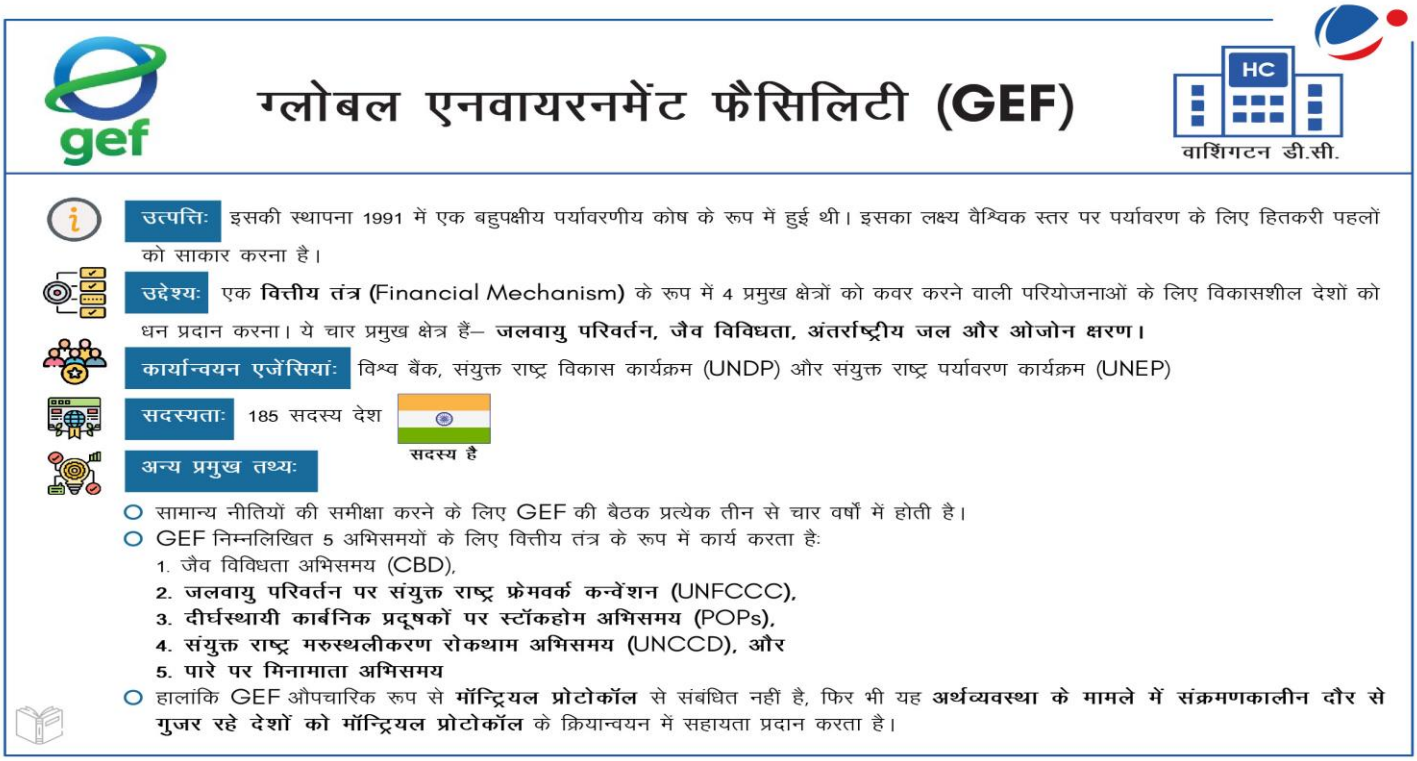

निष्कर्ष

मौजूदा समय को देखते हुए यह आवश्यक हो गया है कि सभी देश, बहुपक्षीय विकास बैंक, निजी क्षेत्रक और दान करने वाले निकाय तत्काल और पर्याप्त मात्रा में GBFF में योगदान करें। इससे GBFF को पूरी तरह से संचालित किया जा सकेगा। इससे **मॉन्ट्रियल में आयोजित COP15 के तहत निर्धारित महत्वाकांक्षी लक्ष्यों** को हासिल करने में सहायता मिलेगी।

---

[63] Small Island Developing States:

[64] Indigenous peoples and local communities

5.2. भारतीय हिमालय क्षेत्र में असंधारणीय पर्यटन (Unregulated Tourism in The Indian Himalayan Region)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, एक संसदीय स्थायी समिति ने सरकार से **भारतीय हिमालय क्षेत्र** (IHR)[65] में विनाशकारी गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए स्पष्ट समय-सीमा के साथ एक **व्यावहारिक कार्य योजना** तैयार करने की सिफारिश की है।

अन्य संबंधित तथ्य

- विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन संबंधी संसदीय स्थायी समिति[66] ने इस बात पर प्रकाश डाला है कि IHR में **पर्यटकों की गतिविधियों में हो रही अत्यधिक वृद्धि** के कारण प्राकृतिक संसाधनों के **अति दोहन और अवैध निर्माण जैसे कार्यों को बढ़ावा** मिला है।
  - इसमें होमस्टे, गेस्ट हाउस, रिसोर्ट, होटल, रेस्तरां और अन्य प्रकार के अतिक्रमण शामिल हैं।

IHR से जुड़े जोखिम

- **भू-भौतिकीय:** हिमालयी क्षेत्र **विवर्तनिक रूप से एक सक्रिय क्षेत्र (Tectonically active)** है। साथ ही, यह अधिकांशतः **असंगठित और अर्ध-संगठित पदार्थों से भी बना हुआ** है।
  - यह क्षेत्र अलकनंदा, भागीरथी, मंदाकिनी जैसी **नदियों द्वारा घाटियों में होने वाले अधोमुखी (Under-cutting) कटाव से प्रभावित** होता रहा है।
  - वर्षा, बादल फटने और बर्फ के पिघलने के कारण **पहाड़ियों की ढलानों से नीचे की ओर मलबे से युक्त तीव्र जल प्रवाह और जल के रिसाव** के चलते **भू-अवतलन (भूमि का धंसना)** जैसी घटनाओं में बढ़ोतरी हुई है। इसका सबसे हालिया उदाहरण उत्तराखंड का जोशीमठ है।
- **सामाजिक-आर्थिक:** पहाड़ी ढलानों पर कृषि, चराई, निर्माण कार्य आदि के लिए वनों की कटाई से हिमस्खलन, भूस्खलन आदि घटनाओं में वृद्धि हुई है।
  - टिहरी गढ़वाल जिले में टिहरी बांध जलाशय जैसी अलग-अलग मेगा जल विद्युत परियोजनाओं के निर्माण के कारण **जल का प्राकृतिक प्रवाह बाधित** हुआ है।
- **बढ़ता पर्यटन:** IHR में **हर साल लगभग 10 करोड़** पर्यटक जाते हैं और 2025 तक यह संख्या बढ़कर **24 करोड़ होने की संभावना** है। इसके परिणामस्वरूप इस क्षेत्र में संसाधनों पर काफी दबाव बढ़ेगा।
  - नीति आयोग के अनुसार, पर्यटन उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, असम जैसे कई राज्यों के **GSDP[68] में 10% से अधिक का योगदान** देता है।

शिमला में पहाड़ क्यों दरक रहे हैं? - केस स्टडी

- **जलवायु-स्मार्ट अवसंरचना के विकास** का अभाव।
  - हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के एडवोकेट चेम्बर्स और नए इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज का निर्माण **महत्वपूर्ण झरनों और जलीय प्रवाह के मार्गों (नालों) पर किया** गया है।
- इसके अलावा, **शिमला के लिए योजना बनाने का कार्य** हिमाचल प्रदेश के लोक निर्माण विभाग के अधीन नगर और ग्राम योजना विभाग द्वारा किया जाता है। अतः इस कार्य में निर्वाचित स्थानीय सरकार की कोई भूमिका नहीं रहती है और यह विभाग **लोकतांत्रिक निगरानी के अभाव में काम करता है।**
- इसके अलावा, **शिमला विकास योजना (SDP)[67]** में किसी भी **जलवायु कार्य-योजना को शामिल नहीं** किया गया है। SDP संबंधी मामला वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के समक्ष विचाराधीन है।

IHR में हो रहे असंधारणीय पर्यटन से जुड़ी चुनौतियां

- **अपशिष्ट सृजन:** 2018 में प्रकाशित नीति आयोग की एक रिपोर्ट के अनुसार, IHR राज्यों में पर्यटन से प्रतिवर्ष लगभग 8.395 मिलियन टन (MT/Y) ठोस अपशिष्ट उत्पन्न होता है।
  - इसके अलावा **अपशिष्ट संग्रहण, पृथक्करण, निपटान और पुनर्चक्रण** के मामले में **असंगठित व्यवस्था** से यह समस्या और विकराल हो जाती है।
  - इससे **जलसंभर (Watersheds) और जल स्रोत प्रदूषित हो रहे हैं।**
- **वन और जैव-विविधता:** पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए होटल, सड़क और पुलों आदि का निर्माण करने के लिए कई बार वनों की कटाई की जाती है, जिससे वनावरण का ह्रास होता है।
  - इसलिए प्राकृतिक संसाधनों की हानि से **जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र की सेवाएं** प्रतिकूल रूप से प्रभावित हो रही हैं।

---

[65] Indian Himalayan Region

[66] Parliamentary Standing Committee on Science and Technology, Environment, Forest and Climate Change)

[67] Shimla Development Plan

[68] Gross State Domestic Product/ सकल राज्य घरेलू उत्पाद

- **भू-परिदृश्य (Landscape): पारंपरिक पर्यावरण-अनुकूल और प्राकृतिक बुनियादी ढांचे** की जगह नई अवसंरचना के विकास से अनुपयुक्त, बेतरतीब एवं जोखिमपूर्ण निर्माण को बढ़ावा मिला है।
- **पर्यटन की मौसमी प्रकृति:** अलग-अलग मौसमों के दौरान पर्यटन संबंधी गतिविधियों में होने वाले उच्च उतार-चढ़ाव के चलते अत्यधिक भीड़, सेवाओं की कीमतों में वृद्धि जैसी कई चुनौतियों को बढ़ावा मिला है।
- **सामाजिक-सांस्कृतिक:** व्यापक संख्या में पर्यटकों के आगमन से सांस्कृतिक ताने-बाने और सामूहिक बोध को बढ़ावा देने वाले सामाजिक मूल्यों का ह्रास हुआ है।

संधारणीय पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए की आरंभ गई पहलें

- **राष्ट्रीय संधारणीय पर्यटन रणनीति (National Strategy for Sustainable Tourism):** इसका उद्देश्य भारतीय पर्यटन क्षेत्रक में संधारणीयता के मुद्दे को मुख्य रूप से शामिल करना और पर्यटन को अधिक लचीला, समावेशी, कार्बन तटस्थ तथा संसाधन कुशल बनाना है।
- **स्वदेश दर्शन 2.0:** इसके अधीन संचालित अलग-अलग परियोजनाओं के तहत संधारणीय और उत्तरदायी पर्यटन के दृष्टिकोण पर जोर दिया गया है।
- **स्वच्छ पर्यटन मोबाइल एप्लिकेशन:** इसके जरिए लोग पर्यटन स्थलों पर फैली किसी भी प्रकार की गंदगी की फोटो खींचकर और उसे अपलोड करके शिकायत दर्ज करा सकते हैं।

आगे की राह

- **योजना, कार्यान्वयन और निगरानी: संधारणीय पर्यटन के लिए एक दीर्घकालिक रणनीति** तैयार की जानी चाहिए। इसमें पर्यावरणीय, आर्थिक, सामाजिक, स्वास्थ्य और सुरक्षा के विषय को मुख्य रूप से शामिल किया जाना चाहिए।
  - साथ ही, इसे तैयार करने में **स्थानीय समुदाय की भागीदारी** को भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए।
- **नीति और विनियम: ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016** और **प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016** को प्रभावी रूप से लागू करते हुए अपशिष्ट की मात्रा को लगभग शून्य करने पर जोर दिया जाना चाहिए।
  - पर्यावरण संबंधी दक्षता और कार्बन-उत्पादन एवं प्रमाणन के आधार पर पर्यटन संबंधी सेवा प्रदान करने वालों का **पर्यावरणीय ऑडिट** किया जाना चाहिए।
  - पर्यावरणीय मापदंडों के अनुरूप पर्यटन आधारित उद्यमों के लिए **एकल प्रमाणन योजना और इको-लेबलिंग** को लागू किया जाना चाहिए। इससे प्रदूषण को कम करने में मदद मिल सकती है।
  - **भू-परिदृश्य की स्पष्ट ज़ोनिंग** (हितधारकों के हितों के अनुरूप व नक्शे के आधार पर भूमि उपयोग योजना) से विशेष स्थलों की निगरानी, जरूरत पड़ने पर आवश्यक हस्तक्षेप और मार्गदर्शन प्रदान करने में सहायता मिलेगी।
- **संस्थान और प्रक्रियाएं:** गंतव्य स्थल और उससे संबंधित बुनियादी ढांचे के विकास के लिए एकीकृत योजना एवं कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए **अंतर-विभागीय ताल-मेल** को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।
  - SDG लक्ष्यों और संकेतकों के अनुरूप पर्यावरणीय, आर्थिक, सामाजिक, पर्यटन संबंधी रणनीतियों, उपलब्धियों एवं विद्यमान समस्याओं पर **सक्रिय रूप से नज़र रखनी चाहिए तथा इन सबकी सार्वजनिक रिपोर्टिंग** की जानी चाहिए।
  - उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों के बजाए कहीं और निवेश करने के लिए **जलवायु-स्मार्ट बुनियादी ढांचे** को तैयार किया जाना चाहिए। इसके अलवा, **रणनीतिक तरीके से पर्यावरणीय मूल्यांकन, जलवायु जोखिम संबंधी प्रकटीकरण** आदि उपायों की सहायता से परियोजनाओं और नीतियों की समीक्षा की जानी चाहिए।
- **वित्त और बाजार:** पर्यावरण-प्रमाणन के आधार पर **पर्यावरणीय सेवाओं पर 'हरित उपकर (Green Cess)'** लगाया जाना चाहिए।
  - पर्यटन हेतु अलग-अलग साइट्स को बढ़ावा देने तथा कुछ चुनिंदा पर्यटन साइट्स पर उमड़ने वाली भीड़ को कम करने के लिए **नए पर्यटन सर्किट एवं पैकेजों का निर्माण** किया जाना चाहिए।
  - स्मार्ट सिटी की तर्ज पर **"स्मार्ट माउंटेन टूरिज्म डेस्टिनेशन"** बिजनेस प्लान तैयार किया जाना चाहिए।
- **प्रौद्योगिकी:** प्रभावी प्लानिंग के लिए अग्रलिखित उपायों को अपनाने की आवश्यकता है: IHR में पर्यटन संबंधी उपग्रह आधारित डेटा तैयार करना, एक साथ कई खतरों से ग्रस्त क्षेत्रों की पहचान करना, प्रमुख नदी घाटियों का भू-आकृति विज्ञान संबंधी मानचित्र तैयार करना आदि।
- **क्षमता-निर्माण:** सक्रिय मीडिया अभियान और पर्यटन सूचना केंद्रों की सहायता से **IHR को लेकर जागरूकता और संवेदनशीलता** बढ़ाने के लिए एक योजना तैयार की जानी चाहिए।

5.3. वाटर ट्रेडिंग (Water Trading)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, नीति आयोग ने **उपचारित अपशिष्ट जल के पुन: उपयोग[69] को बढ़ावा देने के लिए वाटर ट्रेडिंग मैकेनिज्म** पर एक दस्तावेज जारी किया है।

[69] Reuse of treated wastewater

वाटर ट्रेडिंग मैकेनिज्म के बारे में

- **वाटर ट्रेडिंग:** यह **जल को सार्वजनिक वस्तु मानने के बजाय इसे एक कमोडिटी (खरीद-बिक्री योग्य वस्तु) के रूप में मान्यता** प्रदान करता है।
  - इसके तहत **उपयोगकर्ताओं के मध्य उनकी आवश्यकताओं के अनुसार जल का व्यापार** किया जा सकता है।
- **मैकेनिज्म:** इसके तहत कोई **जल कंपनी** (अपने स्वयं के जल स्रोत निर्मित करने के बजाए) किसी तीसरे पक्ष से जल को खरीद खरीदती है और उपयोगकर्ताओं को बेचती है।
- **वाटर ट्रेडिंग को बढ़ावा देने वाले आवश्यक घटक:**
  - **जल का स्वामित्व:** इसको लेकर स्पष्टता होनी चाहिए।
  - **जल अधिकार:** इसको हस्तांतरित किया जा सकता है।
  - **जल का पुन: उपयोग संबंधी प्रमाण-पत्र (Water Reuse Certificates: WRCs):** इसका उपयोग व्यापार योग्य परमिट के रूप में किया जा सकता है।
    - WRC व्यापार प्रणाली के तहत **नगरपालिका/ आवासीय, औद्योगिक और कृषि क्षेत्रकों** सहित सभी क्षेत्रकों में जल उपयोगकर्ताओं को पंजीकृत किया जाएगा। साथ ही, प्रत्येक उपयोगकर्ता के लिए **जल के पुन: उपयोग हेतु लक्ष्य** निर्धारित किए जाएंगे।
    - **जल उपयोगकर्ता** अपने **WRCs को खुले बाजार में बेच** सकते हैं। इससे **अपशिष्ट जल के पुन: उपयोग संबंधी लक्ष्य को पूरा करने के लिए** दूसरे जल उपयोगकर्ता **खुले बाजार से WRCs को खरीद सकते हैं।**

वाटर ट्रेडिंग के जरिए उपचारित अपशिष्ट जल के पुन: उपयोग की आवश्यकता क्यों?

- **बढ़ता शहरीकरण:** भारत में **लगभग 40% शहरी अपशिष्ट जल का ही उपचार** किया जा पाता है। हालांकि, ऐसे उपचारित जल का पुन: उपयोग नहीं किया जाता है।
- **जल की असमान उपलब्धता:** भारत में वार्षिक और क्षेत्रीय स्तर पर जल की उपलब्धता में काफी अंतर है।
  - **उदाहरण के लिए-** भारत में वर्ष के चार महीनों के दौरान 80% से अधिक वर्षा होती है।

क्या आप जानते हैं?

लोगों द्वारा खरीदे तथा उपभोग किए जाने वाले उत्पादों, सेवाओं और प्रक्रियाओं में प्रयुक्त, लेकिन न दिखने वाले जल को **वर्चुअल वाटर** कहा जाता है।

- **जल प्रबंधन में निजी क्षेत्रक की भागीदारी: 2002 और 2012 की राष्ट्रीय जल नीति** ने जल प्रबंधन में निजी क्षेत्रक की भागीदारी शुरू करने और सार्वजनिक-निजी भागीदारी बढ़ाने पर जोर दिया है।
- **बढ़ता जल प्रदूषण: कृषि-अपवाह सहित अपशिष्ट जल,** जल प्रदूषण का एक प्रमुख कारण है।
  - यह मानव और पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य को काफी प्रभावित करता है। संयुक्त राष्ट्र विश्व जल रिपोर्ट[70] 2023 के अनुसार, **वैश्विक स्तर पर अपशिष्ट जल की लगभग 80% से अधिक मात्रा जल निकायों में बिना उपचार किए ही छोड़ दी जाती है।**
- **जल की कमी से निपटना: संयुक्त राष्ट्र विश्व जल रिपोर्ट, 2023** के अनुसार, **जल संकट से प्रभावित लोगों की संख्या एशिया में सर्वाधिक (लगभग 80%)** है। एशिया में विशेष रूप से **पूर्वोत्तर चीन,** साथ ही **भारत** जल संकट से सबसे अधिक प्रभावित हैं।
- **भारतीय कृषि में जल उपयोग दक्षता का कम होना: भूजल निकासी का लगभग 89% हिस्सा** सिंचाई के लिए उपयोग किया जाता है। गौरतलब है कि **सिंचाई हेतु इस्तेमाल किए जाने वाले जल का 60% से अधिक हिस्सा धान और गन्ना जैसी फसलों की सिंचाई हेतु उपयोग** किया जाता है।
  - इसलिए कृषिगत उत्पादों का निर्यात करने से भारत **जल का एक बड़ा वर्चुअल नेट एक्पोर्टर** भी है।

चुनौतियां

- **मूल्य का निर्धारण:** अपशिष्ट जल का उपचार करने और इसे **खेतों या औद्योगिक इकाइयों में उपयोग हेतु भेजने** में धन खर्च होता है। इसलिए मुफ्त में या लगभग शून्य लागत पर उपलब्ध **ताजे जल के सामने इसको प्रतिस्पर्धा करने में कठिनाई हो सकती है।**
  - इसके अलावा, ताजा जल **मुफ्त में या लगभग शून्य लागत पर** उपलब्ध हो जाता है।
- **भंडारण:** अपशिष्ट जल निरंतर उत्पन्न होता रहता है, इसलिए इसका उपचार भी निरंतर करना पड़ता है। अतः यह आवश्यक नहीं है कि उपचारित अपशिष्ट जल की मांग **पूरे वर्ष एक समान बनी रहे।**

[70] UN World Water Report

- **उदाहरण के लिए-** एक निश्चित अवधि के दौरान फसलों को सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है तथा औद्योगिक इकाइयों से जुड़ी माँग में भी उतार-चढ़ाव हो सकता है। ऐसी स्थिति में या तो उपचारित अपशिष्ट जल को भंडारित करना होगा या उसे अन्य जलीय निकायों में छोड़ना पड़ेगा।

- **मांग का पता लगाना/ सृजन:** उपचारित अपशिष्ट जल को व्यापार योग्य वस्तु बनाने के लिए मांग को बनाए रखना आवश्यक होगा।
- **सुनिश्चित आपूर्ति: संयंत्र का रखरखाव, सीवेज नेटवर्क में व्यवधान, इनलेट सीवेज या उपचारित सीवेज में गुणवत्ता की समस्या,** वितरण नेटवर्क में व्यवधान आदि से आपूर्ति बाधित हो सकती है।
- **मूलभूत मानव अधिकार के रूप में 'जल':** भारत में, जल को न तो एक वस्तु माना जाता है और न ही इसे कोई महत्वपूर्ण आर्थिक महत्त्व दिया जाता है।
  - ऐसी इसलिए है क्योंकि जल की उपलब्धता को **मानव के लिए मूलभूत अधिकार** के रूप में माना जाता है।

आगे की राह

- **जल के आवंटन** और **उपचारित अपशिष्ट जल का मूल्य निर्धारित** करने के लिए वैधानिक शक्तियों वाले **स्वतंत्र विनियमकीय प्राधिकरण (IRAs)**[71] का गठन किया जाना चाहिए।
  - **वर्तमान में, भारत में 12 राज्यों ने IRAs के गठन के लिए कानून बनाए** हैं। हालांकि, ज्यादातर **IRAs को सिंचाई क्षेत्रक से जुड़े जल शुल्क के विनियमन की ही शक्ति** दी गयी है।
- **एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म को विकसित** और इसमें सभी हितधारकों को शामिल किया जाना चाहिए।
- **पुन: उपयोग संबंधी लक्ष्य को निर्धारित** किया जाना चाहिए। इसके अलावा, WRC के क्रेडिट और मूल्य के साथ-साथ उपचारित अपशिष्ट जल की गुणवत्ता के मानदंडों को अंतिम रूप दिया जाना चाहिए।
- **औद्योगिक समूहों, नगरपालिका/ आवासीय इकाइयों, कृषि भूमि** और पर्यावरणीय आवश्यकताओं की पहचान की जानी चाहिए ताकि उपचारित अपशिष्ट जल का पुन: उपयोग किया जा सके।
- **पुन: उपयोग के लिए साइट-विशिष्ट योजनाओं को तैयार करना:** प्रारंभिक योजना बनाने के लिए GIS उपकरण का उपयोग किया जा सकता है। इसके अलावा उपचारित अपशिष्ट जल की उपयोग संबंधी सामाजिक अस्वीकृति को दूर करने के लिए गैर-सरकारी संगठनों के माध्यम से सामाजिक गतिशीलता को बढ़ाने पर ध्यान केन्द्रित किया जा सकता है।
- **निगरानी तंत्र:** IRA की देखरेख में नियमित निगरानी तंत्र और सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन की स्थापना की जानी चाहिए।
- **जल तटस्थता (Water Neutrality) की दिशा में काम करना:** जल तटस्थता की अवधारणा इस तथ्य की वकालत करती है कि **नए विकास के बाद जल की कुल मांग उतनी ही होनी चाहिए जितनी पहले थी।**
  - जल के पुन: उपयोग को बढ़ावा देने से जल तटस्थता प्राप्त करने में सहायता मिल सकती है।

वाटर ट्रेडिंग से संबंधित अन्य देशों में व्यवस्था

- **ऑस्ट्रेलिया:** मरे डार्लिंग बेसिन (Murray–Darling basin) में लागू वाटर ट्रेडिंग सिस्टम जल का कुशल तरीके से उपयोग करने के सर्वोत्तम तरीकों में से एक साबित हुआ है।
  - वाटर ट्रेडिंग से किसानों को जल का अधिक उत्पादक उपयोग करने में सहायता मिली है और संधारणीय जल प्रबंधन को भी बढ़ावा मिला है।
- **स्पेन:** वाटर मार्केट एक्सचेंज के जरिए जल की अत्यधिक कमी वाली घाटियों में जल की उपलब्धता में सुधार किया गया है।
- **साउथ अफ़्रीका:** यहां दुनिया का सबसे बेहतर वाटर फ्रेमवर्क लागू है। ऐसे में यहां के सिस्टम को दूसरे जगहों पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है।

फसल विविधीकरण - कृषि में जल संकट की समस्या के समाधान के लिए

- इसके तहत अनाज, दालों, सब्जियों, फलों, तिलहन आदि की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए **क्षेत्र में किसी एक फसल की खेती करने** की जगह कई फसलों की खेती की जाती है।
- इसका उद्देश्य जल संरक्षण के साथ-साथ **मृदा के स्वास्थ्य में सुधार** और **कृषि-पारिस्थितिकी तंत्र के मध्य बेहतर संतुलन** को बनाए रखना है।

इस संदर्भ में किए गए अन्य उपाय

- **फसल विविधीकरण कार्यक्रम** राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की एक उप-योजना है। इस उप-योजना को हरित क्रांति वाले मुख्य राज्यों (जैसे- हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश) में लागू किया जा रहा है। इसका उद्देश्य इन राज्यों में **धान की खेती के बजाए अन्य प्रासंगिक फसलों की खेती को बढ़ावा देना** है।

[71] Independent Regulatory Authority

- आर्थिक सर्वेक्षण-2022 के अनुसार, "सरकार **न्यूनतम समर्थन मूल्य व्यवस्था के जरिए तिलहन उत्पादन की दिशा में** फसल विविधीकरण को बढ़ावा दे रही है।"
- **अलग-अलग राज्यों में भी कई योजनाएं** शुरू की गई हैं, जिसके तहत किसानों को अपने खेतों को बिना खेती के छोड़ने या धान की जगह अन्य फसलों की खेती करने हेतु आर्थिक मदद प्रदान की जाती है।
  - **धान की सीधी बुआई (DSR)**[72] को अपनाने वाले किसानों को वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान किया जा रहा है। DSR एक ऐसी विधि है जिसमें धान रोपाई के पारंपरिक तरीके की तुलना में जल की कम खपत होती है।

महत्त्व

- हरियाणा में इन पहलों से **2022 में खरीफ फसली मौसम के दौरान 72,000 एकड़ भूमि को DSR के तहत** शामिल किया गया, जिससे **31,500 करोड़ लीटर जल की बचत** हुई है।
- **धान** हरियाणा और पंजाब की मूल फसल (Natural crop) नहीं है।
- **एक फसल की खेती (Mono cropping) करने से** मिट्टी की उर्वरता और उसकी संरचना पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

चिंताएं

- यह **किसानों की आय और भारत की खाद्य सुरक्षा को नुकसान** पहुंचा सकता है।
- हरित क्रांति वाले क्षेत्र में **किसान को होने वाला निवल लाभ,** उन्हें मक्के की बजाए धान की खेती करने के लिए प्रोत्साहित करता है।
- फसल विविधीकरण के लाभों के बारे में किसानों के बीच **जागरूकता का अभाव** बना हुआ है।

5.4. तटीय जलकृषि प्राधिकरण (संशोधन) अधिनियम, 2023 {Coastal Aquaculture Authority (Amendment) Act, 2023}

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, संसद ने तटीय जलकृषि प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2023 पारित किया। इसके जरिए **तटीय जलकृषि प्राधिकरण (CAA) अधिनियम, 2005** में संशोधन किया जाएगा।

पृष्ठभूमि

- **तटीय क्षेत्रों में, तटीय जलकृषि से जुड़ी गतिविधियों को विनियमित करने** के उद्देश्य से **तटीय जलकृषि प्राधिकरण** की स्थापना हेतु **तटीय जलकृषि प्राधिकरण अधिनियम, 2005** पारित किया गया था।
  - इस प्राधिकरण का उद्देश्य तटीय क्षेत्रों में **तटीय जलकृषि के व्यवस्थित विकास को बढ़ावा** देना तथा **तटीय पर्यावरण की रक्षा** करना है।
  - **तटीय जलकृषि:** इसके तहत तटीय क्षेत्रों के अंतर्गत तालों (Ponds), बाड़ों (Pens) और अन्य जलीय निकायों में नियंत्रित दशाओं में लवणीय या खारे जल में श्रिम्प, झींगा, मछली या किसी अन्य जलीय जीव का पालन किया जाता है। हालांकि, इसमें ताजे जल में की जाने वाली जलकृषि (Freshwater aquaculture) शामिल नहीं होती है।
  - यह **तटीय विनियमकीय क्षेत्र के भीतर और उसके इतर भी तटीय जलकृषि के निरंतर संचालन** की सुविधा प्रदान करता है।
  - इसमें **अपंजीकृत फार्म्स या प्रतिबंधित क्षेत्रों में स्थापित फार्म्स पर दंड लगाने का प्रावधान किया गया है।**
- 2005 में, **श्रिम्प पालन ही मुख्य तटीय जलकृषि गतिविधि** थी।
  - तटीय जलकृषि के पर्यावरण-अनुकूल कई नए रूप सामने आए हैं। इनमें से अधिकांश को तटीय विनियमन क्षेत्र (CRZ)[73] के भीतर और तटीय क्षेत्रों में संचालित किया जा सकता है।

तटीय विनियमन क्षेत्र (CRZ) अधिसूचना, 2019 के बारे में

- इस अधिसूचना के अनुसार, **कुछ तटीय क्षेत्रों को CRZ घोषित** किया गया है। CRZ के भीतर उद्योगों की स्थापना और उद्योगों का विस्तार नहीं किया जा सकता है। साथ ही, CRZ के भीतर अन्य विकासात्मक गतिविधियों/ परियोजनाओं को अधिसूचना के प्रावधानों के अनुसार विनियमित और संचालित किया जाएगा।
- इस अधिसूचना में **तटीय क्षेत्रों की अलग-अलग श्रेणियों के लिए 'नो डेवलपमेंट जोन (NDZ)' का भी प्रावधान** किया गया है। इसका उद्देश्य भारत के तटीय क्षेत्र में अतिक्रमण, अपरदन और अनुचित कब्जे को रोकना है।
- **CRZ अधिसूचना, केंद्र सरकार द्वारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत** जारी की गई है।

[72] Direct-Seeded Rice

[73] Coastal Regulation Zone

- **2005 के अधिनियम के कुछ प्रावधानों में संशोधन** करने और **अस्पष्टताओं को दूर करने** की मांग की गई। इससे इस अधिनियम को प्रासंगिक बनाए रखने और विनियमकीय बोझ को कम करने में मदद मिलेगी।

तटीय जलकृषि प्राधिकरण (संशोधन) अधिनियम, 2023 के बारे में

- **"तटीय जलकृषि" की परिभाषा को व्यापक बनाना:** इसके तहत तटीय जलकृषि की सभी गतिविधियों को व्यापक रूप से शामिल किया गया है। इससे फार्म्स और तटीय जलकृषि के अन्य प्रकारों के बीच मौजूद अस्पष्टता को दूर किया गया है।
  - तटीय जलकृषि के नए प्रकारों, जैसे- **केज कल्चर (Cage culture), सीवीड की कृषि (Seaweed culture), बाइ-वाल्व कल्चर (Bi-valve culture), सजावटी उद्देश्य से समुद्री मत्स्य कृषि (Marine ornamental fish culture)** और **मोती-सीप की कृषि (Pearl oyster culture)** को बढ़ावा दिया गया है।
- **तटीय जलकृषि प्राधिकरण अधिनियम के प्रावधानों के तहत किया गया पंजीकरण मान्य** होगा और इसे **CRZ अधिसूचना के तहत वैध भी** माना जाएगा।
- **तटीय जलकृषि प्राधिकरण के अन्य कार्य:**
  - जलीय कृषि इकाइयों के लिए इनपुट्स और इनसे होने वाले बहि:स्राव के लिए मानक तय करना,
  - पर्यावरण के नजरिए से हानिकारक इनपुट्स के उपयोग पर रोक लगाना,
  - इकाइयों, इनपुट्स और उत्सर्जन की निगरानी एवं उनका विनियमन करना।
- अवैध तटीय जलकृषि को **अपराध की श्रेणी से बाहर** कर दिया गया है तथा इसके लिए **अब जुर्माने का प्रावधान** किया गया है।
- **CRZ क्षेत्रों में कुछ निश्चित जलकृषि गतिविधियों की अनुमति:** यह अधिनियम संकरी खाड़ी/ नदियों/ पश्चजल के बफर जोन और समुद्र के NDZ में हैचरी, न्यूक्लियस प्रजनन केंद्रों और ब्रूड स्टॉक बहुगुणन केंद्रों (Broodstock multiplication centres) को स्थापित करने की अनुमति देता है।
- इसके तहत तटीय जलकृषि में मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक **एंटीबायोटिक दवाओं और फार्माकोलॉजिकली एक्टिव सब्सटांस[74] के उपयोग पर रोक** लगाई गई है।
- **जैव सुरक्षा को बढ़ावा:** इसके तहत निम्नलिखित हेतु उपायों को अपनाना शामिल हैं:
  - तटीय जलकृषि इकाई के भीतर हानिकारक सजीवों के प्रवेश या प्रसार के जोखिम का विश्लेषण, नियंत्रण और रोकथाम करने के लिए उपाय करना;
  - तटीय जलकृषि इकाई के भीतर संक्रामक रोगों के फैलने के जोखिम को कम करना।

तटीय जलकृषि प्राधिकरण (संशोधन) अधिनियम, 2023 का महत्त्व

- **तटीय क्षेत्रों का संधारणीय विकास:** यह उत्पादन, उत्पादकता और निर्यात, पहचान क्षमता और प्रतिस्पर्धात्मकता और उद्यमशीलता को बढ़ावा देता है।
- **प्राधिकरण को शक्ति देना:** यह **प्रदूषणकर्ता द्वारा भुगतान के सिद्धांत** सहित **तटीय जलकृषि से संबंधित** गतिविधियों को विनियमित करने और पर्यावरण संबंधी नियमों के पालन को सुनिश्चित करने की अतिरिक्त शक्ति प्रदान करता है।
- **व्यापार करने में सुगमता:** यह अधिनियम के कई अपराधों को अपराध के दायरे से बाहर करता है।
  - यह लाखों तटीय जलकृषि करने वाले लघु व सीमांत किसानों के लिए अलग-अलग एजेंसियों से CRZ संबंधी मंजूरी लेने की अनिवार्यता को समाप्त करता है।
- **पर्यावरण-अनुकूल नई तटीय जलकृषि को बढ़ावा:** यह केज कल्चर (Cage Culture), सीवीड की कृषि आदि को बढ़ावा देता है।
- **रोजगार-सृजन:** इससे तटीय क्षेत्रों में रहने वाले मछुआरा समुदायों में विशेषकर महिला मछुआरों (Fisherwomen) के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने में मदद मिलेगी।

जलीय कृषि को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा की गईं पहलें

- **समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (Marine Products Export Development Authority):** इसे समुद्री उत्पाद के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए 1972 में वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत एक वैधानिक निकाय रूप में गठित किया गया था।
- **नीली क्रांति:** इसके तहत भारत में मत्स्य पालन और जलीय कृषि को बढ़ावा दिया गया है।
- **प्रधान मंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (PMMSY):** इसे अंतर्देशीय मत्स्य पालन और जलकृषि गतिविधियों में तेजी एवं विविधता लाने के लिए शुरू किया गया है। इसमें प्रजातियों के विविधीकरण और नई प्रजातियों के उपयोग पर जोर दिया गया है।

[74] Pharmacologically active substances

- **समर्पित सुविधाओं का विकास करना:** इसमें समुद्री जल तक सीधी पहुंच वाले क्षेत्रों में समर्पित सुविधाओं के विकास पर जोर दिया गया है। इन सुविधाओं में तटीय जलकृषि में उपयोग के लिए आनुवंशिक रूप से बेहतर और रोग-मुक्त ब्रूड स्टॉक तथा सीड्स का उत्पादन किया जाएगा।
- **निर्यात में सुधार:** इसमें एंटीबायोटिक दवाओं (Antibiotics pharmacologically) के उपयोग पर रोक लगायी गयी है। इससे WTO के तहत गैर-टैरिफ बाधाओं के प्रभाव को कम करने में मदद मिलेगी तथा निर्यात में भी सुधार होगा।

अधिनियम से संबंधित मुद्दे

- **तटीय जलकृषि प्राधिकरण द्वारा अप्रभावी कार्य:** CAG की एक रिपोर्ट के अनुसार, तटीय जलकृषि प्राधिकरण पहले ही अपने कार्यों को करने के लिए कुशल जनशक्ति और बुनियादी सुविधाओं की कमी का सामना कर रहा है।
- **गहन तटीय जलकृषि को बढ़ावा देना:** इससे पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है, जैसे- भूमि/ कुओं का लवणीकरण और बाढ़ के दौरान जल निकासी में बाधा भी उत्पन्न हो सकती है।

निष्कर्ष

तटीय जलकृषि प्राधिकरण (संशोधन) अधिनियम, 2023 देश में तटीय जलकृषि को बेहतर और आधुनिक बनाने का प्रयास करता है। यह भारत को दुनिया भर में समुद्री उत्पाद का एक प्रमुख निर्यातक बनाने की दिशा में एक उचित कदम साबित हो सकता है। ऐसे में हमें जलकृषि संबंधी गतिविधियों को बढ़ावा देने और ऐसी गतिविधियों से होने वाली पर्यावरणीय क्षति को कम करने के बीच संतुलन बनाने की भी आवश्यकता पड़ सकती है।

5.5. कृषि वानिकी (Agroforestry)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, केंद्र ने **कृषि वानिकी को बढ़ावा देने के लिए एक फैक्ट शीट** जारी की है। इस फैक्ट शीट को **भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद (ICFRE)**[75] द्वारा तैयार किया गया है।

अन्य संबंधित तथ्य

- इस फैक्ट शीट में **बांस सहित 36 अलग-अलग प्रजातियों की कृषि से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों को शामिल** किया गया है, जिन्हें कृषि वानिकी प्रणालियों और घरेलू बगीचों में उगाया जा सकता है।
- इन 36 प्रजातियों में **ल्यूकेना ल्यूकोसेफला (Leucaena leucocepha) या सुबाबुल** और यूकेलिप्टस की अलग-अलग प्रजातियां शामिल हैं।
    - IUCN[76] डेटाबेस के अनुसार, **सुबाबुल एक आक्रामक प्रजाति** है। इसे 20 से अधिक देशों में खरपतवार (Weed) के रूप में सूचीबद्ध किया गया है।
    - यूकेलिप्टस एक **अत्यधिक जल-गहन** प्रजाति है।

कृषि वानिकी के बारे में

- कृषि वानिकी के तहत भूमि के निर्धारित हिस्से पर **कृषि और वृक्षारोपण** के कार्य को एक साथ किया जाता है।
    - कृषि और वानिकी, दोनों में परस्पर क्रिया और परस्पर निर्भरता होती है। यहां परस्पर क्रिया का मतलब है कि वे एक-दूसरे के बिना पूरी तरह से नहीं चल सकते हैं।
- **कृषि वानिकी के घटक:** इसमें फसल, वृक्ष और पशुधन शामिल हैं।

---

[75] Indian Council of Forestry Research and Education

[76] International Union for Conservation of Nature/ अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ

- **कृषि वानिकी प्रणालियां:** कृषि वानिकी प्रणालियों को इनमें शामिल घटकों के आधार पर निम्नलिखित में वर्गीकृत किया गया है:
  - **एग्रीसिल्वीकल्चर (Agrisilviculture):** फसल + वृक्ष
  - **सिल्वोपास्टोरल (Silvopastoral):** चारागाह/ पशुधन + वृक्ष
  - **एग्रोसिल्वोपास्टोरल (Agrosilvopastoral):** फसल + पशुधन + वृक्ष
- **कृषि वानिकी प्रणाली के लाभ**
  - **उत्पादकता:** इससे वांछित वस्तुओं के उत्पादन और भूमि की उत्पादकता बढ़ाने में मदद मिलती है।
  - **संधारणीयता:** यह उत्पादन क्षमता को स्थायी बनाए रखने में मदद करती है।
  - **अनुकूलन:** इससे पहले से तय कृषि वानिकी गतिविधियां संपन्न होती हैं।

शब्दावली को जानें

कृषि–जलवायविक क्षेत्र (Agro–climatic zone):
- यह जलवायु के संदर्भ में व्यापक एकरूपता वाला क्षेत्र होता है। ऐसा क्षेत्र कुछ निर्धारित फसलों की खेती के लिए उपयुक्त होता है।
- इसका उद्देश्य **प्राकृतिक संसाधनों और पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना** खाद्य, फाइबर, चारा और ईंधन की लकड़ी की आवश्यकता को पूरा करने के लिए क्षेत्रीय संसाधनों का वैज्ञानिक रूप से प्रबंधन करना है।

कृषि वानिकी का महत्त्व

- **कृषि से लाभ:** प्रति इकाई भूमि में वृक्ष, फसल और पशुधन का संयुक्त उत्पादन, किसी अन्य एकल घटक के संयुक्त उत्पादन से अधिक होता है।
- **संसाधनों की संधारणीयता:** यह निम्नलिखित के जरिए प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और रक्षा में सहायता करता है:
  - प्रदूषण को कम करके,
  - मृदा अपरदन में कमी करके, तथा
  - वन्यजीव पर्यावास का निर्माण करके।
- **इनपुट लागत में कमी:** निम्नलिखित के उपयोग के जरिए इनपुट लागत में कमी आती है:
  - वृक्ष की पत्तियों के सड़ने से निर्मित खाद,
  - पलवार के रूप में वृक्ष के अवशेषों के उपयोग से, तथा
  - वृक्षों से प्राप्त होने वाले जैव-कीटनाशकों के उपयोग से।
- **जैव विविधता का संरक्षण:** किसी भू-खंड पर संयुक्त रूप से वृक्षारोपण, फसल उगाने और पशुधन संबंधी गतिविधियों को संपन्न करने से एक अधिक विविधतापूर्ण पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण होता है। इससे कई प्रजातियों को आश्रय भी प्राप्त होता है।
- **खाद्य सुरक्षा:** इससे खाद्य उत्पादन की गुणवत्ता और विविधता दोनों में बढ़ोतरी होती है। इसके परिणामस्वरूप लोगों के स्वास्थ्य एवं पोषण में सुधार होता है।
- **किसानों की आय में वृद्धि:** कृषि वानिकी के नए उत्पाद कृषि कार्यों से जुड़े वित्तीय लाभों को बढ़ाते हैं और रोजगार के अवसर पैदा करते हैं।
- **कार्बन प्रच्छादन (Carbon Sequestration):** कृषि वानिकी के जरिए वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर करने और उसका दीर्घकालिक भंडारण करने में मदद मिलती है।

कृषि वानिकी को बेहतर बनाने की दिशा में आगे की राह

- अलग-अलग कृषि-जलवायविक क्षेत्रों के लिए **कृषि वानिकी के नए मॉडल विकसित** किए जाने चाहिए।
- किसानों और अन्य उपयोगकर्ताओं को **प्रमाणित रोपण सामग्री उपलब्ध कराई जानी** चाहिए।
- **अनुसंधान और विकास:** अलग-अलग कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्रों के लिए उपयुक्त व वृहद् कृषि वानिकी मॉडल बनाने हेतु संबंधित हितधारकों के साथ मिलकर अनुसंधान को बढ़ावा दिया जाना चाहिए।
- **बाजार तक किसानों की पहुंच में सुधार करना:** उद्योगों और/या द्वितीयक प्रसंस्करण इकाइयों को कृषि-वानिकी क्षेत्रों के पास स्थापित किया जाना चाहिए।
- **प्रभाव का आकलन करना:** कृषि वानिकी को अपनाने से संबंधित पारिस्थितिकी और सामाजिक प्रभावों को लेकर अनुसंधान किया जाना चाहिए।
- **अतिरिक्त सेवाएं:** अनुसंधान संस्थानों और उद्योगों की सहायता से किसानों तक तकनीकी ज्ञान की पहुंच में सुधार किया जाना चाहिए।

कृषि वानिकी के लिए सरकार द्वारा आरंभ की गई पहलें

- **कृषि वानिकी पर उप-मिशन (हर मेढ़ पर पेड़) योजना:** इसे खेतों में फसलों के साथ-साथ वृक्षारोपण करने को बढ़ावा देने के लिए 2016-17 में शुरू किया गया था।
- **एकीकृत बागवानी विकास मिशन (MIDH)[77]:** इसे बागवानी के समग्र विकास के लिए 2014-15 से लागू किया जा रहा है। इसमें फलों, सब्जियों, मशरूम, मसालों आदि की खेती शामिल है।
- **राष्ट्रीय कृषि वानिकी नीति, 2014:** इसे फसल और पशुधन के साथ पूरक एवं एकीकृत तरीके से वृक्षारोपण को प्रोत्साहित और विस्तारित करने हेतु शुरू किया गया है।
- कई वृक्ष प्रजातियों को **कटाई और ट्रांजिट रूल्स** से छूट दी गई है। साथ ही, बांस की बड़े पैमाने पर खेती को संभव बनाने के लिए **बांस को वन उपज की श्रेणी से बाहर** कर दिया गया है।

5.6. संपीडित बायो-गैस (Compressed Bio-Gas: CBG)

सुर्ख़ियों में क्यों?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी संसदीय स्थायी समिति (MoPNG)[78] ने पिछले साल **'CBG (SATAT/ सतत) के कार्यान्वयन की समीक्षा'** विषय पर एक रिपोर्ट सौंपी थी। अब इस समिति ने अपनी रिपोर्ट में की गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा उठाए गए कदमों पर एक रिपोर्ट[79] प्रस्तुत की है।

किफायती परिवहन के लिए संधारणीय विकल्प (Sustainable Alternative Towards Affordable Transportation: SATAT) के बारे में

- **आरंभ:** इसे 2018 में शुरू किया गया था।
- **उद्देश्य:** इसका उद्देश्य **CBG उत्पादन संयंत्रों की स्थापना** करना तथा वाहनों में ईंधन के रूप में उपयोग के लिए **बाजार में CBG उपलब्ध कराना** है।
  - बायो-गैस का उत्पादन प्राकृतिक रूप से **बायोमास** के **अवायवीय अपघटन** (Anaerobic decomposition) से किया जाता है। **बायोमास में** कृषि अपशिष्ट, नगरपालिका ठोस अपशिष्ट, गन्ना प्रेस मड आदि शामिल होते हैं।
    - CBG, **बायो-गैस के शुद्धिकरण और संपीडन के बाद** प्राप्त होता है। इसमें मीथेन की मात्रा बहुत अधिक (>90%) होती है और इसका कैलोरी मान उच्च (47-52 मेगाजूल/कि.ग्रा.) होता है।
    - CBG के अन्य घटकों में शामिल हैं- कार्बन डाइऑक्साइड (<4%), **हाइड्रोजन सल्फाइड** (<16 पार्ट्स प्रति मिलियन), **नाइट्रोजन** (<0.5%), **ऑक्सीजन** (<0.5%), और **आर्द्रता** (<5mg/m^3)।
- **नोडल मंत्रालय:** पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय (MoPNG)।

कार्यान्वयन से जुड़ी चुनौतियां

- **शासन-संबंधी मुद्दे:** नगर निकायों की सीमित तकनीकी क्षमताएं, कार्यान्वयन की दिशा में बाधक के रूप में कार्य करती हैं।
- **कई प्रकार की विनियामक मंजूरी लेनी पड़ती है** और इसमें पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय; MoPNG, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE) जैसे विभिन्न मंत्रालय शामिल होते हैं। इस वजह से **उद्यमियों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है।**

---

[77] Mission for Integrated Development of Horticulture

[78] Parliamentary Standing Committee on Petroleum and Natural Gas

[79] Action taken report

- नई और नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं को समर्थन देने के लिए प्रदान की जाने वाली **केंद्रीय वित्तीय सहायता (CFA)**[80] को अप्रैल, 2021 से **बंद कर दिया गया** है।
- अपस्ट्रीम ऑयल PSUs[81] को घरेलू प्राकृतिक गैस उत्पादन का कार्य दिए जाने के बावजूद CBG परियोजनाएं स्थापित करने में **ऑयल PSUs रुचि नहीं** दिखा रहे हैं।
- **गैर-विनियमित बायोमास आपूर्ति-श्रृंखला:** कृषि फीडस्टॉक एकत्रित करने के लिए 30-40 दिनों की सीमित समय-सीमा होती है और फीडस्टॉक की कीमतों में हमेशा उतार-चढ़ाव बना रहता है।
  - नगरपालिका ठोस अपशिष्ट को उसके संग्रह वाली जगह पर ही अलग करने की प्रणाली **अकुशल** है। इस वजह से बायोगैस उत्पादन प्रक्रिया में उपयोग किए जाने वाले फीडस्टॉक के दूषित होने का खतरा बढ़ जाता है।
- **वितरण संबंधी चुनौती:** संपीडित प्राकृतिक गैस (CNG) और CBG की अलग-अलग कर संरचना की वजह से सिटी गैस वितरण (CGD)[82] नेटवर्क के साथ CBG को जोड़ने में समस्या आती है।
- **बाजार:** किण्वित जैविक खाद[83] का कोई खरीदार नहीं होने से कंपनियों की इस क्षेत्र में रुचि कम होती है क्योंकि CBG कंपनियों का 15-20% राजस्व इसी पर निर्भर होता है।
- उपलब्ध CNG वाहनों की संख्या कम होने के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में बायो-CNG के उपभोक्ता नहीं के बराबर हैं।
- CBG परियोजनाएं **अपेक्षा के अनुरूप कार्यान्वित नहीं की जा** रही हैं। अब तक केवल 40 CBG संयंत्र ही स्थापित किए गए हैं।

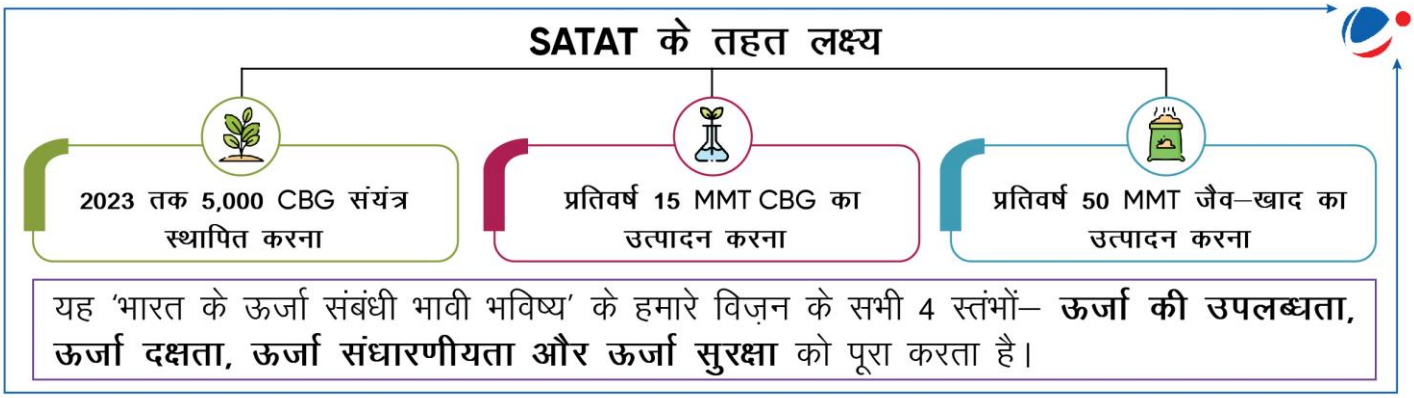

CBG को बढ़ावा देने के लिए भारत की अन्य पहलें

- **परिवहन के लिए ईंधन के रूप में बायो-CNG के उपयोग** पर बल दिया जा रहा है।
- **राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति, 2018:** इसका उद्देश्य CBG और अन्य जैव-ईंधन के उत्पादन को बढ़ावा देना है।
- **गोबर-धन योजना:** इसके तहत मवेशियों और जैव-निम्नीकरणीय अपशिष्ट के प्रभावी प्रबंधन में गांवों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।
- RBI ने **प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रक को ऋण (PSL)[84] योजना के तहत CBG परियोजनाओं को भी शामिल** किया है। इससे इस क्षेत्र की कंपनियों को ऋण मिलना आसान हो गया है।
- **किण्वित जैविक खाद के लिए उर्वरक नियंत्रण आदेश:** इसका उद्देश्य कृषि में जैव उर्वरक के उपयोग को बढ़ावा देना और CBG संयंत्रों के ठोस एवं तरल उप-उत्पादों के लिए बाजार का विस्तार करना है।
- **नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE) का राष्ट्रीय जैव-ऊर्जा कार्यक्रम:** इसका उद्देश्य बायोगैस, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और जैव ऊर्जा के अन्य पहलुओं में क्षमता निर्माण और अनुसंधान को बढ़ावा देना है।

[80] Central Financial Assistance

[81] Public Sector Undertakings/ सार्वजनिक क्षेत्रक के उपक्रम

[82] City Gas Distribution

[83] Fermented organic manure

[84] Priority Sector Lending

आगे की राह

- **समन्वय तंत्र:** कार्यान्वयन संबंधी मुद्दों को सुलझाने के लिए नियमित रूप से **राष्ट्रीय जैव-ईंधन समन्वय समिति (NBCC)**[85] की बैठकों का आयोजन किया जाना चाहिए।
- **वित्तीय सहायता:** CBG संयंत्रों के लिए कैपेक्स-आधारित सब्सिडी की जगह **उत्पादन-आधारित प्रोत्साहन (GBI)**[86] दिया जाना चाहिए।
  - **तेल और गैस क्षेत्र के सार्वजनिक उपक्रमों के परामर्श से** सभी जैव-ईंधन तथा स्वच्छ ऊर्जा परियोजनाओं के लिए एक **वित्तीय संस्थान की स्थापना** की जानी चाहिए।
  - CBG क्षेत्र के विकास में तेजी लाने के लिए **बायो फ्यूल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड और क्रेडिट गारंटी फंड** का गठन किया जाना चाहिए।
  - **CBG परियोजनाओं को सिटी गैस वितरण नेटवर्क से जोड़ने के लिए पाइपलाइन अवसंरचना के विकास को वित्तपोषित** किया जाना चाहिए।
- **गवर्नेंस में सुधार:**
  - सब्सिडी के वितरण के लिए **सिंगल विंडो मंजूरी** की सुविधा प्रदान कर, **विनियामकीय मंजूरियों को सरल और डिजिटलीकृत** किया जाना चाहिए।
  - नगरपालिकाओं में अपशिष्टों के प्रकार के आधार पर उन्हें अलग करने के लिए **शहरी स्थानीय निकायों की क्षमता निर्माण** को बल देना चाहिए और **सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) मॉडल** को अपनाया जाना चाहिए।
  - स्थानीय बायो-एनर्जी उद्योगों के लिए किफायती कच्चा माल उपलब्ध कराने हेतु **कृषि बायोमास के निर्यात को प्रतिबंधित या विनियमित** किया जाना चाहिए।
- **प्रौद्योगिकी:** फीडस्टॉक की गुणवत्ता का विश्लेषण करने तथा वाहन ट्रैकिंग आदि को सक्षम करने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आधारित सेंसर का उपयोग किया जाना चाहिए। इससे एक उन्नत बायोमास आपूर्ति श्रृंखला की स्थापना में मदद मिल सकती है।

5.7. ज्वारीय ऊर्जा (Tidal Energy)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, ऊर्जा संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने **"भारत में ज्वारीय ऊर्जा विकास**[87]**"** पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है।

अन्य संबंधित तथ्य

- **महासागरीय ऊर्जा के तीन मुख्य प्रकार हैं- तरंग, ज्वारीय** और **महासागरीय तापीय ऊर्जा।**
- समिति ने कहा है कि भारत में **ज्वारीय और तरंग ऊर्जा की अनुमानित क्षमता** क्रमशः 12,455 मेगावाट और 41,300 मेगावाट है।
- **निम्न/ मध्यम ज्वारीय तरंग ऊर्जा क्षमता वाले संभावित क्षेत्र निम्नलिखित हैं:**
  - खंभात की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी और गुजरात का दक्षिणी क्षेत्र।
  - पाक खाड़ी - तमिलनाडु में मन्नार चैनल।
  - पश्चिम बंगाल में हुगली नदी, दक्षिण हल्दिया और सुंदरबन।
- **महासागरीय-तापीय ऊर्जा क्षमता का अब तक पूरी तरह से आकलन नहीं** किया जा सका है।

महासागरीय ऊर्जा के अन्य प्रकार

- **तरंग ऊर्जा (Waves Energy):** यह समुद्र की ऊपरी सतह पर वायु की गतिज ऊर्जा के स्थानांतरण द्वारा उत्पन्न होती है। इसके तहत समुद्र तटों और महासागरों में उपस्थित तरंगों का उपयोग करके ऊर्जा उत्पन्न की जाती है।
- **महासागरीय धाराएं ऊर्जा (Ocean currents Energy):** यह महासागरीय जल के परिसंचरण से उत्पन्न होती है।
- **महासागरीय तापीय ऊर्जा रूपांतरण (Ocean Thermal Energy Conversion:** यह महासागर की ऊपरी और निचली परतों के बीच तापमान के अंतर के परिणामस्वरूप उत्पन्न होती है।
- **लवण प्रवणता (ऑस्मोटिक दबाव):** यह नदी के मुहाने पर मीठे और समुद्री जल के बीच लवणता स्तर के अंतर के परिणामस्वरूप उत्पन्न होता है।

चुनौतियां

- **तकनीकी:** विनिर्माण के सीमित विस्तार के कारण **टरबाइन की पूरी दक्षता हासिल नहीं** की जा सकी है। साथ ही, उपकरण लागत भी अधिक बनी हुई है।

---

[85] National Bio-fuel Coordination Committee

[86] Generation Based Incentive

[87] Tidal Power Development in India

- **अप्रत्याशित पर्यावरणीय स्थितियां** और महासागरीय ऊर्जा क्षेत्र में कार्यान्वयन अनुभव का न होना भी बड़ी चुनौतियां में से एक हैं।
- **क्षय/ संक्षारण (Corrosion):** खारा जल अत्यधिक क्षयकारी होता है और इसके क्षयकारी प्रभाव को दूर करने के लिए उपकरण के डिजाइन, निर्माण और स्थापना में अतिरिक्त देखभाल की आवश्यकता होती है।
- **जैव-संदूषण (Bio-fouling):** समुद्र में लगाए गए उपकरणों के गतिशील हिस्सों में लघु आकार के जीव और पादप फंस जाते हैं। इससे उपकरण काम करना बंद कर सकते हैं और इन्हें हमेशा रखरखाव की जरूरत पड़ सकती है। यह प्रक्रिया अत्यधिक महंगी साबित हो सकती है।

- **वित्तीय:** कोयला-आधारित पारंपरिक ताप संयंत्रों की तुलना में इसके संचालन में अत्यधिक पूंजी की जरूरत पड़ती है तथा महासागरीय ऊर्जा के उपकरणों की आरंभिक **लागत भी अधिक** है।
  - इससे जुड़े जोखिमों को साझा करने और **उसे कम करने के लिए किसी व्यवस्था के नहीं होने से** परियोजना से लाभ प्राप्ति कम हो जाती है।
  - **ऐसी परियोजनाओं में वित्तीय संस्थानों की अधिक रुचि नहीं होने के चलते** निधि जुटाने में समस्या आती है।
- **पर्यावरण संबंधी चुनौतियां:** सागरीय जल के किनारे पर निरंतर प्रवाह (Flushing) के कम होने और अपरदन के बढ़ने से तटीय क्षेत्र का वनस्पति आवरण और पारिस्थितिक संतुलन प्रभावित हो सकता है।
- **लगाए गए उपकरणों**, **विद्युत चुम्बकीय प्रभाव, ध्वनि प्रभाव** की वजह से प्रवासी पक्षियों की आवाजाही प्रभावित हो सकती है, समुद्री प्रजातियों की संवेदी प्रणाली में बाधा उत्पन्न हो सकती है, इत्यादि।

ज्वारीय ऊर्जा (Tidal energy)

पृथ्वी–सूर्य–चंद्रमा के बीच **गुरुत्वाकर्षण प्रणाली** के कारण **प्राकृतिक रूप से ज्वार के बढ़ने और पीछे हटने की क्रिया** की सहायता से उत्पन्न की जाने वाली ऊर्जा को **ज्वारीय ऊर्जा** कहते हैं।

ज्वारीय ऊर्जा के दोहन हेतु संभावित पद्धतियों के दो रूप:

- **ज्वारीय बैराज:** इसके तहत फ्लड जनरेशन और एब्ब जनरेशन या संयुक्त रूप से दोनों की ज्वारीय ऊर्जा से विद्युत पैदा की जाती है।
- **ज्वारीय धारा टरबाइन:** इसके तहत ज्वारीय धारा की यांत्रिक गति की सहायता से टरबाइनों को चलाकर विद्युत पैदा की जाती है।

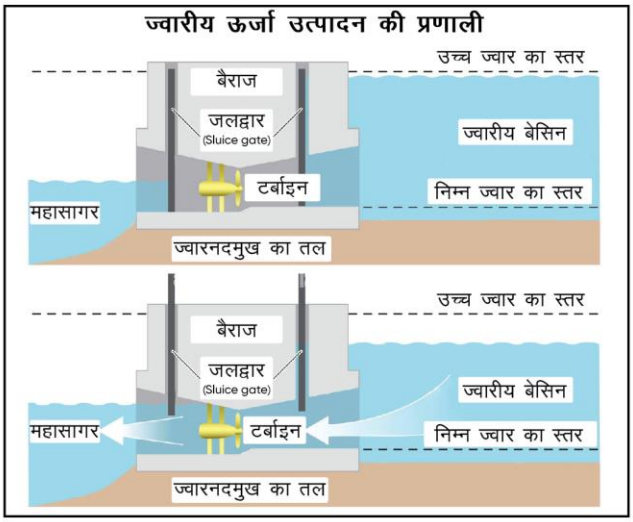

ज्वारीय ऊर्जा का महत्त्व

- **ऊर्जा सुरक्षा व ऊर्जा विधीकरण** में सहायक, क्योंकि यह सतत, अपेक्षित और विश्वसनीय है।
- वायु की तुलना में जल का घनत्व अधिक होने के कारण यह **पवन ऊर्जा से अधिक दक्ष** है।
- भारत की **लंबी तटरेखा** का दोहन किया जा सकेगा।
- **जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता को कम करने** और एनर्जी–मिक्स (ऊर्जा के अलग–अलग स्रोत) के विविधीकरण में सहायक।
- कार्बन फुटप्रिंट कम करके **जलवायु–शमन और अनुकूलन सुनिश्चित करने में सहायक।**
- यह भारत की 'पंचामृत' प्रतिबद्धता (UNFCCC के COP–26 के दौरान व्यक्त) के अनुरूप है।

आगे की राह

- **महासागरीय ऊर्जा के विभिन्न रूपों का फिर से आकलन करना:** इससे व्यावहारिक रूप से प्राप्ति योग्य महासागरीय ऊर्जा के स्रोत पर अधिक ध्यान केंद्रित करने में मदद मिलेगी।
  - आर्थिक रूप से व्यावहारिक और दीर्घकालिक लाभों पर विचार करने के लिए **स्थान-विशिष्ट ज्वारीय ऊर्जा की विकास लागत** का भी आकलन करने की जरूरत है।

- **नमूना/ पायलट परियोजनाएं स्थापित करना:** ज्वारीय ऊर्जा की स्थापना से पहले इसके 'प्रूफ ऑफ़ कांसेप्ट' और वाणिज्यिक व्यवहार्यता को प्रदर्शित करने के लिए नमूना/ पायलट परियोजनाएं जरुरी हैं।
- **गैर-सौर नवीकरणीय खरीद दायित्व (Renewable Purchase Obligations: RPOs):** नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय को वाणिज्यिक ज्वारीय परियोजनाओं का विकास सुनिश्चित करने के लिए गैर-सौर RPOs के तहत सागरीय ऊर्जा को शामिल करने के बाद उस दिशा में किए जा रहे प्रयासों की निगरानी करनी चाहिए।
    - 2019 में, केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया था कि सागरीय ऊर्जा के विभिन्न स्रोतों को नवीकरणीय ऊर्जा माना जाएगा और ऐसी परियोजनाएं गैर-सौर RPOs को पूरा करने के लिए पात्र होंगी।
- **पर्यावरणीय प्रभाव आकलन:** समुद्री ऊर्जा परियोजनाओं के पर्यावरणीय प्रभाव और पारिस्थितिकी सततता का व्यावहारिक आकलन किया जाना चाहिए।
    - **वैश्विक अनुभव/ उदाहरणों का अध्ययन** किया जाना चाहिए, विशेष रूप से, **फ्रांस और साउथ कोरिया की दो परियोजनाएं,** जो दुनिया में स्थापित ज्वारीय ऊर्जा के लगभग 90% हिस्से के लिए उत्तरदायी हैं।
- **वित्त-पोषण विकल्पों को जोखिम रहित बनाना:** नवीकरणीय क्षेत्र को ऋण देने के लिए IREDA[88] जैसे नवीकरणीय वित्त-पोषण संस्थानों द्वारा कर मुक्त बॉण्ड जारी किए जाने चाहिए। इसके अलावा पुनर्वित्त के लिए सॉफ्ट लोन योजना में भी सुधार किया जाना चाहिए।

5.8. संक्षिप्त सुर्ख़ियां (News in Shorts)

5.8.1. शहरी नदी प्रबंधन योजना {Urban River Management Plans (URMPS)}

- **राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (NMCG) पर गठित समिति** ने 60 शहरों के लिए शहरी नदी प्रबंधन योजना (URMP) तैयार करने की परियोजना को मंजूरी दी।
- यह परियोजना **नमामि गंगे के तहत नदी-शहर गठबंधन (RCA) का एक हिस्सा** है।
    - RCA की शुरुआत 2021 में हुई थी। यह **जल शक्ति मंत्रालय (MoJS) तथा आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (MoHUA) की एक संयुक्त पहल** है। इसका लक्ष्य **नदी तटीय स्थित शहरों को आपस में जोड़ना और नदी केंद्रित सतत विकास पर ध्यान** देना है।
    - इस परियोजना पर **दो चरणों के तहत काम** किया जाएगा। इसके पहले चरण में **गंगा नदी बेसिन राज्यों के 25 शहरों को कवर** किया जाएगा। ये राज्य हैं- **उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल।**
        - किसी अपवाह तंत्र (Drainage system) का प्रमुख चैनल उसकी मुख्य जल धारा होती है जिसमें अन्य छोटी धाराएँ या नदियाँ आकर मिलती हैं।
    - इसे **विश्व बैंक वित्त-पोषित** करेगा।
- **शहरी नदी प्रबंधन की आवश्यकता क्यों?**
    - इससे नदी के **बाढ़कृत मैदान में होने वाली गतिविधियों का प्रभावी विनियमन** सुनिश्चित किया जा सकेगा।
    - यह सीवेज के प्रवाह और घरेलू अपशिष्ट जल (ग्रे वाटर) जैसे स्रोतों से होने वाले **जल प्रदूषण** तथा वनों की कटाई के कारण होने वाले **अपरदन को रोकने में मदद** करेगा।

[88] Indian Renewable Energy Development Agency/ भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी)

- **'नदी विनियमन/ नदी तटीय क्षेत्र'** को परिभाषित करने वाली विशिष्ट भूमि-उपयोग श्रेणी या कानून का अभाव है।
- **धार्मिक प्रथाओं**, जैसे- सामूहिक स्नान, मूर्ति विसर्जन, दाह संस्कार आदि को विनियमित करना जरूरी है।

- **URMPs द्वारा किए गए उपाय:**
  - नागरिकों में **नदी-संवेदनशील व्यवहार विकसित** करना।
  - **पर्यावरण-अनुकूल रिवर फ्रंट परियोजनाओं का विकास** करना।
  - शहरों में **जल स्रोतों और आर्द्रभूमियों को पुनर्जीवित** करना।
  - शहरों से **नदी में अच्छी गुणवत्ता वाले जल का प्रवाह सुनिश्चित** करना।
  - **नदियों की आर्थिक क्षमता का लाभ** उठाना।

5.8.2. फ्लडवॉच मोबाइल एप्लिकेशन (Floodwatch Mobile Application)

- **केंद्रीय जल आयोग (CWC)** ने मोबाइल एप्लिकेशन फ्लडवॉच लॉन्च की है।
- फ्लडवॉच **देश में रियल टाइम में बाढ़ की स्थिति और जनता को बाढ़ का पूर्वानुमान प्रदान** करने में सक्षम है।
  - यह एप्लिकेशन **राज्य-वार/ बेसिन-वार** बाढ़ के पूर्वानुमान की सूचना प्रदान करेगी।
- इस एप्लिकेशन में सटीक और समय पर बाढ़ संबंधी पूर्वानुमान जारी करने के लिए **उपग्रह डेटा विश्लेषण, गणितीय प्रतिरूपण (मॉडलिंग) और रियल टाइम निगरानी** जैसी उन्नत तकनीकों का इस्तेमाल किया गया है।

5.8.3. पारे पर मिनामाता अभिसमय (Minamata Convention on Mercury)

- **पारे पर मिनामाता अभिसमय** को जेनेवा में वर्ष 2013 में अपनाया गया था। यह **मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण को पारे के प्रतिकूल प्रभावों से बचाने के लिए विश्व की पहली कानूनी रूप से बाध्यकारी संधि है।**
  - इस अभिसमय का नाम उस **जापानी शहर (मिनामाता)** के नाम पर रखा गया है, जो **1950 के दशक में मिनामाता रोग का केंद्र बन गया था।** मिनामाता रोग पारे की गंभीर विषाक्तता के कारण होने वाली एक **तंत्रिका संबंधी बीमारी** है।
  - यह संधि **2017 में लागू** हुई थी। वर्तमान में, इसके **144 पक्षकार और 128 हस्ताक्षरकर्ता** हैं।
  - **भारत ने 2014 में इस अभिसमय पर हस्ताक्षर** किए थे और **2018 में इसकी अभिपुष्टि (ratify)** की थी। हालांकि, यह अभिपुष्टि **2025 तक पारा-आधारित उत्पादों और पारा यौगिकों से संबंधित प्रक्रियाओं के निरंतर उपयोग के लिए लचीलेपन** के साथ की गई थी।
- **मिनामाता अभिसमय, अपने पक्षकार देशों से निम्नलिखित मांगें करता है:**
  - शिल्प कार्यों एवं छोटे स्तर के सोने की खदानों में पारे के इस्तेमाल कम करना तथा जहाँ तक संभव हो पूर्ण रूप से समाप्त करने का प्रयास करना।
  - कोयले से संचालित विद्युत संयंत्रों व औद्योगिक बॉयलरों आदि से **पारे के वायु में उत्सर्जन को नियंत्रित** करना।
  - **बैटरी, स्विच, लाइट, सौंदर्य प्रसाधन, कीटनाशक, दंत मिश्रण (कैविटी को भरने में प्रयुक्त)** जैसे उत्पादों में पारे का उपयोग चरणबद्ध तरीके से समाप्त करना या कम करना।
  - पारे की **आपूर्ति और व्यापार** में मौजूद समस्याओं को दूर करना; पारे का सुरक्षित **भंडारण व निपटान सुनिश्चित** करना; तथा **दूषित पारा स्थलों की समस्या** का समाधान करने हेतु रणनीतियां तैयार करना।
- पारा **प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला एक तत्व** है। यह **वायु, जल और मृदा** में पाया जाता है
  - यह **तंत्रिका तंत्र, थायरॉयड, लिवर, फेफड़े, प्रतिरक्षा प्रणाली, आंखों, मसूड़ों और त्वचा पर विषाक्त प्रभाव** डाल सकता है।
  - इसे विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने **प्रमुख 'लोक स्वास्थ्य चिंता' वाले शीर्ष दस रसायनों में से एक माना है।**

5.8.4. प्लास्टिक ओवरशूट डे रिपोर्ट (Plastic Overshoot Day Report)

- प्लास्टिक ओवरशूट डे रिपोर्ट के अनुसार, **भारत ने 2023 में वर्ल्ड प्लास्टिक ओवरशूट डेज़** के 157 दिनों में **16.7 दिनों का योगदान दिया** है।
- **प्लास्टिक ओवरशूट डे** उस दिन को व्यक्त करता है, जब उत्पादित प्लास्टिक अपशिष्ट की मात्रा उसे प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने के लिए मौजूद अपशिष्ट प्रबंधन प्रणालियों की क्षमता से अधिक हो जाती है।
  - यह देश के **कुप्रबंधित अपशिष्ट सूचकांक (MWI)**[89] पर आधारित है। MWI का आशय **कुप्रबंधित अपशिष्ट और कुल अपशिष्ट के अनुपात** से है।

[89] Mismanaged Waste Index

- **भारत के संदर्भ में अन्य प्रमुख निष्कर्ष**
  - भारत **"अपशिष्ट स्पंज (Waste sponges)"** का हिस्सा बन गया है। इसका आशय ऐसे देशों से है, जहां **प्लास्टिक की खपत तो कम है लेकिन प्लास्टिक से होने वाला प्रदूषण उच्च स्तर** का है।
    - भारत में प्लास्टिक की **प्रति व्यक्ति वार्षिक खपत 5.3 किलोग्राम** है। यह **खपत दुनिया में सबसे कम** है।
    - **MWI में भारत चौथे स्थान** पर है। इसको लेकर कहा गया है कि भारत में उत्पन्न होने वाले **कुल अपशिष्ट के 98.55 प्रतिशत का कुप्रबंधन** अर्थात् निस्तारण नहीं होता है।
- इसका कारण है एकत्रित प्लास्टिक अपशिष्ट का **सैनिटरी लैंडफिल और डंप साइट्स में निपटान** किया जाना।
  - टायरों के घिसने, कपड़ों के रेशों के झड़ने और पेंट आदि से उत्पन्न **3,30,764 टन माइक्रोप्लास्टिक को जल प्रणालियों में छोड़** दिया जाता है।
  - भारत के कुल प्लास्टिक अपशिष्ट का लगभग **1.33 प्रतिशत भाग आयात** के माध्यम से आता है, जबकि भारत **अपने कुल अपशिष्ट का 0.8 प्रतिशत निर्यात** करता है।

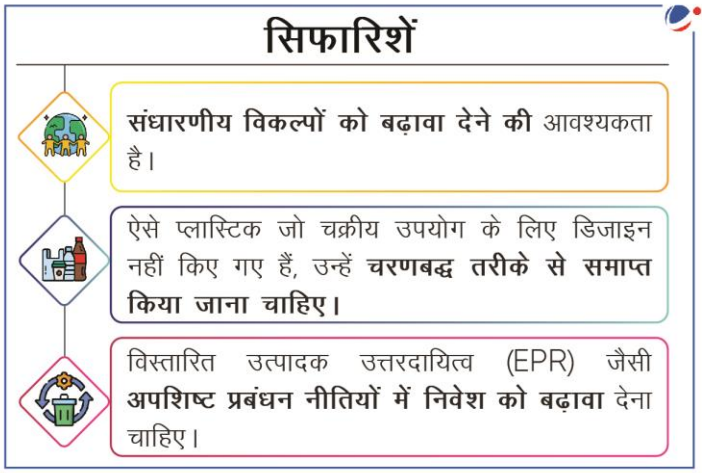

- **भारत द्वारा की गई पहलें:**
  - **अक्टूबर 2024 तक 1000 शहरों को 3-स्टार अपशिष्ट मुक्त शहर बनाना है,**
  - मिशन लाइफ (पर्यावरण के लिए जीवनशैली),
  - प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम (सिंगल यूज़ प्लास्टिक पर प्रतिबंध) आदि।

5.8.5. अर्थ ओवरशूट डे (Earth Overshoot Day)

- इस वर्ष **2 अगस्त को अर्थ ओवरशूट डे** मनाया गया।
- अर्थ ओवरशूट डे उस तिथि को चिह्नित करता है, जब किसी वर्ष में पारिस्थितिकी संसाधनों और सेवाओं की मनुष्यों द्वारा मांग उस वर्ष में पृथ्वी द्वारा पुनरुत्पादित किए जा सकने योग्य पारिस्थितिकी संसाधनों एवं सेवाओं से अधिक हो जाती है।
  - इसका **1971 से प्रत्येक वर्ष ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क (अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान संगठन) द्वारा इसका मापन** किया जाता है।
  - इसकी गणना **ग्रह की जैव क्षमता को मानव के पारिस्थितिक फुटप्रिंट से भाग करके तथा 365 से गुणा** करके की जाती है।
    - **ग्रह की जैव क्षमता:** पृथ्वी पर प्रत्येक वर्ष उत्पन्न होने वाले पारिस्थितिक संसाधनों की मात्रा।
    - **मानव के पारिस्थितिक फुटप्रिंट:** उस वर्ष के लिए मानव जनित मांग।

5.8.6. बेलेम घोषणा-पत्र (Belem Declaration)

- **अमेजन सहयोग संधि संगठन (ACTO)** के सदस्य देशों ने **बेलेम घोषणा-पत्र पर हस्ताक्षर** किए हैं। बेलेम **ब्राजील** का एक शहर है।
  - ACTO एक **अंतर-सरकारी व सामाजिक-पर्यावरणीय** संगठन है। इसका गठन **अमेजन सहयोग संधि** पर हस्ताक्षर करके किया गया है।
  - ACTO के सदस्य हैं: **बोलीविया, ब्राज़ील, कोलंबिया, इक्वाडोर, गुयाना, पेरू, सूरीनाम और वेनेजुएला।**
- बेलेम घोषणा-पत्र में **निर्णय प्रक्रिया में देशज लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने** की बात कही गई है।
- इसमें **निर्वनीकरण (Deforestation) के खिलाफ अमेजन गठबंधन** शुरू करने के प्रति प्रतिबद्धता भी व्यक्त की गई है।
- हालांकि, सदस्य देश **अमेजन वर्षावन की सुरक्षा के लक्ष्य पर सहमत नहीं** हो सके हैं।

5.8.7. डेट-फॉर-नेचर स्वैप्स (Debt-for-Nature Swap)

- **गैबॉन** ने समुद्री संरक्षण के लिए **डेट-फॉर-नेचर स्वैप** समझौते के तहत 500 मिलियन डॉलर की घोषणा की है।

- **डेट-फॉर-नेचर स्वैप के बारे में**
  - इस समझौते के तहत **विदेशी लेनदार, किसी विशिष्ट पर्यावरणीय परियोजना में निवेश करने की देनदार की प्रतिबद्धता के बदले में उसके विदेशी ऋण का एक हिस्सा माफ कर देता है या फिर ऋण राहत प्रदान** करता है।
  - यह **द्विपक्षीय या बहुपक्षीय** हो सकता है।
- **महत्त्व:**
  - सरकारी नीतियों में पर्यावरण के मुद्दे को केंद्र में रखना,
  - जलवायु परिवर्तन के प्रति बेहतर अनुकूलन और उसके प्रभावों का शमन सुनिश्चित करना,
  - सरकार के लिए राजकोषीय संसाधनों को मुक्त करना आदि।

5.8.8. लाल चंदन की लकड़ी के निर्यात संबंधी नीति (Export Policy of Red Sanders Wood)

- **विदेश व्यापार महानिदेशालय (DGFT)** ने निजी कृषि भूमि से प्राप्त लाल चंदन की लकड़ी के निर्यात संबंधी नीति में संशोधन किया।
  - DGFT ने **विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1992 तथा विदेश व्यापार नीति, 2023** द्वारा प्रदत्त शक्ति के तहत यह संशोधन जारी किया है।
- **हालिया संशोधन के तहत** तमिलनाडु के लिए कृत्रिम रूप में प्रचलित लाल चंदन हेतु वार्षिक निर्यात कोटा अधिसूचित किया गया है। साथ ही, वन्य लाल चंदन के लिए शून्य निर्यात कोटा अधिसूचित किया गया है। कृत्रिम रूप में प्रचलित लाल चंदन का अर्थ बागानों में उगाए जाने वाला लाल चंदन है।
- विदेश व्यापार नीति के तहत लाल चंदन का **आयात प्रतिबंधित (Rrohibited) है**, जबकि इसका **निर्यात निषिद्ध (Restricted) है।**
  - इससे पहले **DGFT ने 2019 में लट्ठे या जड़ों के रूप में लाल चंदन के निर्यात की अनुमति** देने के लिए अपनी निर्यात नीति को संशोधित किया था। यह अनुमति तभी दी जा सकती थी, जब यह लाल चंदन विशेष रूप से निजी कृषि भूमि (पट्टा भूमि सहित) से प्राप्त किया गया हो।
- **लाल चंदन (Red Sanders) के बारे में**
  - यह **पूर्वी घाट में विशेष प्रकार के जंगलों** की स्थानिक (endemic) प्रजाति है।
  - यह बहुत धीमी गति से बढ़ने वाली वृक्ष प्रजाति है। यह लगभग **25-40 वर्षों** के बाद ही परिपक्वता प्राप्त करती है।
  - यह **अग्निरोधी और सूखा प्रतिरोधी** वृक्ष प्रजाति है।
  - इसे स्थानीय रूप से **येर्रा चंदनम व रक्त चंदनम** के नाम से जाना जाता है।
  - इसके चिकित्सीय गुणों के कारण **पूरे एशिया, विशेष रूप से चीन में इसकी अधिक मांग** है। इसका उपयोग सौंदर्य प्रसाधनों, औषधीय उत्पादों और लग्जरी फर्नीचर/ लकड़ी के शिल्प आदि में किया जाता है।
- **संरक्षण की स्थिति**
  - **अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ (IUCN) की लाल सूची में-** एंडेंजर्ड।
  - **भारत का वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972-** अनुसूची IV में सूचीबद्ध।
  - **वन्य जीवों और वनस्पतियों की संकटग्रस्त प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन (CITES)-** परिशिष्ट II में सूचीबद्ध।

5.8.9. धौलपुर-करौली टाइगर रिज़र्व (Dholpur-Karauli Tiger Reserve: DKTR)

- राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (NTCA) ने धौलपुर-करौली टाइगर रिज़र्व (DKTR) की स्थापना को **अंतिम मंजूरी प्रदान** कर दी है।
- राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित होने के बाद DKTR **भारत का 54वां और राजस्थान का 5वां टाइगर रिज़र्व** बन जाएगा।
  - राजस्थान में अन्य चार टाइगर रिज़र्व हैं- **रणथंभौर, सरिस्का, मुकुंदरा हिल्स और रामगढ़ विषधारी।**
  - टाइगर रिज़र्व को **राज्य सरकार अधिसूचित** करती है। इसे **वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 38V के तहत NTCA की सलाह पर अधिसूचित** किया जाता है।
- टाइगर रिज़र्व को बाघ संरक्षण के लिए **महत्वपूर्ण माना जाता है। इसके निम्नलिखित दो भाग होते हैं:**
  - **कोर या क्रिटिकल बाघ पर्यावास:** राष्ट्रीय उद्यान या अभयारण्य का दर्जा प्राप्त होता है।
  - **बफर या परिधीय क्षेत्र:** यहां पर्यावास संरक्षण निम्न स्तर का होता है।

- **बाघ संरक्षण के लिए शुरू की गई प्रमुख पहलें:**
  - वर्ष **1973 में प्रोजेक्ट टाइगर** शुरू किया गया था। यह **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) की एक केंद्र प्रायोजित योजना** है।
  - टाइगर रिज़र्व के प्रभावी प्रबंधन के लिए राज्य सरकार WPA के तहत **बाघ संरक्षण योजना और बाघ संरक्षण फाउंडेशन** तैयार करती है।
  - **ट्रैफिक (TRAFFIC)** भारत के **अवैध शिकार रोधी** प्रयासों में सुधार के लिए सहायता करता है।
  - **प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना**
    - **मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर टाइगर-इंटेंसिव प्रोटेक्शन एंड इकोलॉजिकल स्टेटस (M-STrIPES):** यह बाघों की निगरानी के लिए एक एंड्रॉइड ऐप है।
    - **'बाघ संरक्षण के लिए ई-बर्ड टेक्नोलॉजी' परियोजना:** निगरानी और चौकसी उपकरण के रूप में मानव रहित विमान का उपयोग किया जाता है।

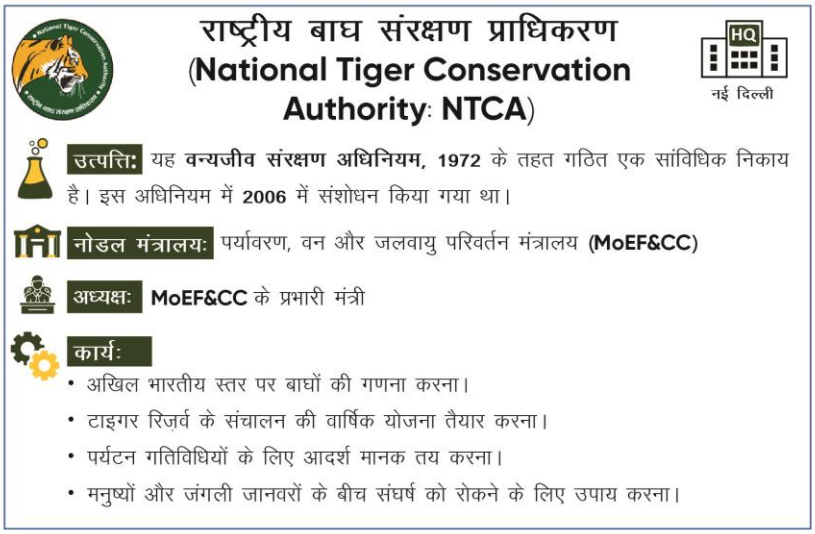

    - **संरक्षण आनुवंशिकी (Conservation Genetics):** इस तकनीक का उपयोग कम बाघ घनत्व वाले क्षेत्रों में बाघ की मौजूदगी का पता लगाने के लिए किया जाता है।
- केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEF&CC) ने **कुंभलगढ़ वन्यजीव अभयारण्य को टाइगर रिज़र्व घोषित करने के राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (NTCA) के प्रस्ताव को सैद्धांतिक मंजूरी** दे दी है। यह **अभयारण्य राजस्थान** में स्थित है।

5.8.10. IUCN का एकीकृत बाघ पर्यावास संरक्षण कार्यक्रम (ITHCP) या बाघ कार्यक्रम {IUCN's Integrated Tiger Habitat Conservation Programme (ITHCP) or Tiger Program}

- ITHCP ने कार्यक्रम के **चरण IV के लिए "कॉल फॉर कॉन्सेप्ट नोट्स"** लॉन्च किया है।
  - चरण IV में कार्यक्रम का विस्तार करते हुए इसमें **अन्य पैंथराइन प्रजातियों (विशेष रूप से तेंदुए और क्लाउडेड लेपर्ड) को शामिल** किया जाएगा।
- ITHCP को 2014 में लॉन्च किया गया था। यह जर्मन संघीय आर्थिक सहयोग और विकास मंत्रालय (BMZ) द्वारा समर्थित एक **रणनीतिक वित्त-पोषण तंत्र है।**
  - यह **ग्लोबल टाइगर रिकवरी प्रोग्राम** में योगदान दे रहा है। इस रिकवरी प्रोग्राम को 2022 तक **प्राकृतिक पर्यावास में पाए जाने वाले बाघों की संख्या को दोगुनी** करने के एक वैश्विक प्रयास के तहत शुरू किया गया था।

5.8.11. भारत के पक्षियों की स्थिति रिपोर्ट, 2023 (State of India's Birds 2023' Report)

- **भारतीय वन्यजीव संस्थान (WII) और भारतीय प्राणी सर्वेक्षण (ZSI) ने 'भारत के पक्षियों की स्थिति, 2023' शीर्षक से रिपोर्ट** जारी की है।
- यह रिपोर्ट भारत की प्रमुख **पक्षी प्रजातियों के वितरण क्षेत्र, उनकी आबादी के रुझान और संरक्षण की स्थिति पर एक आवधिक मूल्यांकन है।**
- **रिपोर्ट के मुख्य बिंदु:**
  - **व्यावसायिक मोनोकल्चर बागवानी, शहरीकरण, आधारभूत अवसंरचनाओं का विकास, जलवायु परिवर्तन** आदि के कारण पक्षी प्रजातियों की संख्या कम हो गई है।
  - **लंबी दूरी के प्रवासी पक्षियों में सर्वाधिक 50 प्रतिशत से अधिक की गिरावट** दर्ज की गई है।

- **आर्कटिक में प्रजनन करने वाले तटीय पक्षी (Shorebirds) विशेष रूप से प्रभावित** हुए हैं। इनकी संख्या में लगभग **80 प्रतिशत की गिरावट** दर्ज की गई है।

  - **भारतीय मोर, रॉक पिजन, एशियाई कोयल और सामान्य कौए** जैसी कई पक्षी प्रजातियों की संख्या में वृद्धि दिखाई दे रही है।

- **प्रमुख पक्षी एवं उनके पर्यावास क्षेत्र:**
  - **एंडेंजर्ड:**
    - **इंडियन स्कीमर:** चंबल, गंगा, महानदी, यमुना और सोन नदियों के आसपास के क्षेत्र में पाए जाते हैं।
    - **ब्लैक-बेलिड टर्न:** चंबल, महानदी, गंगा, सोन, गोदावरी और यमुना नदियों के आसपास के क्षेत्र में पाए जाते हैं।
  - **क्रिटिकली एंडेंजर्ड:**
    - **ग्रेट इंडियन बस्टर्ड:** राजस्थान, गुजरात आदि।

    - **बंगाल फ्लोरिकन:** हिमालय की तराई, उत्तर प्रदेश और पूर्वोत्तर भारत (असम व अरुणाचल प्रदेश) की घास भूमियों में पाए जाते हैं।
    - **बेयर्स पोचार्ड:** असम और मणिपुर की आर्द्रभूमियों में पाए जाते हैं।
- **भारतीय प्राणी सर्वेक्षण (ZSI) की स्थापना** 1916 में की गई थी। इसे **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEF&CC) के अधीन देश के वन्य जीवों की विविधता का पता लगाने** के लिए स्थापित किया गया था।

5.8.12. 'अनन्य संरक्षण पहल (ICI)' पर रिपोर्ट {Report on 'Inclusive Conservation Initiative (ICI)}

- **वैश्विक पर्यावरण सुविधा (GEF) और कंजर्वेशन इंटरनेशनल ने 'अनन्य संरक्षण पहल' (ICI) पर रिपोर्ट** जारी की है।
- **रिपोर्ट के मुख्य बिंदु:**
  - देशज लोगों (Indigenous peoples) के पास **स्थलीय संरक्षित क्षेत्र का 40 प्रतिशत और पारिस्थितिक रूप से अक्षुण्ण भू-क्षेत्र का 37 प्रतिशत हिस्सा** मौजूद है।
  - **देशज लोगों द्वारा भूमि प्रबंधन** करने पर निर्वनीकरण को कम करने में सरकार के प्रयासों **के समान या उससे भी अधिक सफलता** मिलती है।
  - जलवायु परिवर्तन शमन और अनुकूलन वित्त-पोषण का **1 प्रतिशत से भी कम हिस्सा** देशज व स्थानीय समुदायों (IPLC) को प्राप्त होता है।
  - वर्ष 2021 में आयोजित UNFCCC के CoP-26 में IPLC के लिए 1.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर के वित्त-पोषण का संकल्प लिया गया था। इसका केवल 7 प्रतिशत ही सीधे IPLC के पास पहुंचा है।
- **ICI के बारे में:**
  - **पृष्ठभूमि:** इसे 2022 में GEF ने समर्थन प्रदान किया था।
  - **उद्देश्य:** उच्च जैव विविधता वाले भू-परिदृश्यों, समुद्री परिदृश्यों और प्रादेशिक क्षेत्रों तथा गैर-प्रतिस्थापन योग्य पारिस्थितिकी-तंत्रों का IPLC द्वारा प्रबंधन सुनिश्चित करने एवं बढ़ाने के लिए उनका समर्थन करना।
  - **चार प्रमुख घटक**
    - **वैश्विक स्तर पर पर्यावरणीय लाभ** पहुंचाने के लिए स्थानीय कार्रवाई,
    - वैश्विक IPLC का **क्षमता निर्माण,**
    - अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण नीति में **IPLC का नेतृत्व, तथा**
    - कार्रवाई के लिए **समावेशी संरक्षण ज्ञान।**

- **समावेशी संरक्षण के लिए की गई अन्य पहलें:**
  - GEF द्वारा प्रस्तावित **वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क कोष** स्थापित किया गया है।
  - **भारत की पहलें:**
    - वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 2002 के तहत **सामुदायिक रिज़र्व की स्थापना और पवित्र उपवन (Sacred Grove) को मान्यता प्रदान** की गई है।
    - **वन अधिकार अधिनियम, 2006** के तहत वनवासियों के वन अधिकारों को मान्यता दी गई है।
- कंजर्वेशन इंटरनेशनल **अमेरिका के वर्जीनिया में स्थित एक गैर-लाभकारी संगठन** है। यह प्रकृति की रक्षा के लिए कार्य करता है। इसने **जैव विविधता हॉटस्पॉट का दर्जा प्रदान करने के लिए कुछ कठोर मानक निर्धारित किए हैं।**

5.8.13. थारोसॉरस इंडिकस (Tharosaurus Indicus)

- यह एक **लंबी गर्दन वाला, शाकाहारी डायक्रेओसॉरिड डायनासोर (Dicraeosaurid Dinosaur)** है। भारत के वैज्ञानिकों ने **राजस्थान के जैसलमेर** में इसके जीवाश्म खोजे हैं।
- यह **167 मिलियन वर्ष पुराना जीवाश्म** है तथा **डायनासोर की एक नई प्रजाति से संबंधित** है, जो **अब तक वैज्ञानिकों के लिए अज्ञात** थी।
  - अब तक के सिद्धांतों के अनुसार **सबसे प्राचीन डायक्रेओसॉरिड जीवाश्म (लगभग 166-164 मिलियन वर्ष पुराना) चीन** से प्राप्त हुए थे।
  - डाइक्रायोसॉरिड डायनासोर के जीवाश्म इससे पहले **उत्तर और दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका तथा चीन** में भी पाए गए हैं।
- इसका नाम **राजस्थान के 'थार रेगिस्तान' के नाम** पर रखा गया है जहां से इसके जीवाश्म प्राप्त हुए हैं।

5.8.14. मिथाइलोटुविमाइक्रोबियम ब्यूरेटेंस 5GB1C (Methylotuvimicrobium Buryatense 5GB1C)

- मिथाइलोटुविमाइक्रोबियम ब्यूरीटेंस 5GB1C एक **मीथेनोट्रॉफ़ जीवाणु स्ट्रेन** है। मीथेनोट्रॉफ़: **मीथेन भक्षी सूक्ष्मजीव।**
  - यह लैंडफिल साइट्स, धान के खेतों तथा तेल और गैस के कुओं जैसे **प्रमुख उत्सर्जन स्थलों से मीथेन** को हटाने में सक्षम है।
  - इस बैक्टीरिया का बड़े पैमाने पर उपयोग करके **2050 तक 240 मिलियन टन मीथेन को वायुमंडल में उत्सर्जित होने से रोका** जा सकता है।
  - ये बैक्टीरिया मीथेन का उपभोग करने के बाद **बायोमास का उत्पादन** करते हैं। इस बायोमास का जलीय-कृषि में खाद के रूप में उपयोग किया जा सकता है।
- अपनी संरचना के कारण, मीथेन वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड (CO_2) की तुलना में प्रति अणु अधिक ऊष्मा को अवशोषित करती है। इस वजह से, अगले 20 वर्षों के दौरान, मीथेन उत्सर्जन के कारण वैश्विक तापमान में वृद्धि का प्रभाव CO2 की तुलना में लगभग 80 गुना अधिक होगा। इसके अलावा, यह **कुल ग्लोबल वार्मिंग के लगभग 30 प्रतिशत के लिए जिम्मेदार** है।

5.8.15. जलीय कछुए और स्थलीय कछुए (Turtles and Tortoises)

- **पीलीभीत टाइगर रिजर्व (उत्तर-प्रदेश) और टर्टल सर्वाइवल एलायंस (NGO)** जलीय कछुओं तथा स्थलीय कछुओं के संरक्षण के लिए **परस्पर सहयोग** कर रहे हैं।
- जलीय कछुआ और स्थलीय कछुआ, **दोनों सरीसृप (Reptile)** हैं।
- **जलीय कछुए (Turtles):**
  - ये **कुछ समय या लगभग पूरे समय जल में रहते** हैं।
  - ये **सर्वाहारी** जीव हैं।
  - इनके **कवच/ आवरण (Shell) पतले, अधिक जल-गतिशील (Water-dynamic)** होते हैं।
  - उनके पैर **फ्लिपर (मछली के पंख जैसी बनावट) के समान या झिल्लीदार** होते हैं।
- **स्थलीय कछुए (Tortoises):**
  - ये स्थलीय जीव हैं, जो **मरुस्थल से लेकर आर्द्र उष्णकटिबंधीय वनों में** पाए जाते हैं।
  - ये सामान्यतः **शाकाहारी** होते हैं।

○ इनके **कवच/ आवरण (Shell) गोल और गुंबददार** होते हैं।

○ इनके **अगले पैर क्लब जैसे** और **पिछले पैर 'हाथी के पैरों के समान' होते** हैं।

5.8.16. फुजिवारा प्रभाव (Fujiwhara Effect)

- अमेरिका के नेशनल वेदर सर्विस के अनुसार, जब एक ही दिशा में घूर्णन कर रहे दो हरिकेन या चक्रवात करीब आते हैं, तो वे 'अपने साझा केंद्र के चारों ओर तीव्र गति से घूमना' शुरू कर देते हैं।
  - **दो चक्रवातों के बीच की इस अंतःक्रिया को 'फुजिवारा प्रभाव'** कहा जाता है।
  - दुर्लभ उदाहरणों में, यदि दो चक्रवात तीव्र हैं, तो **वे एक-दूसरे में विलीन** हो सकते हैं। इससे एक **अति विशाल चक्रवात का निर्माण** हो सकता है। यह समुद्र तट पर व्यापक विनाश करने में सक्षम होता है।
  - चक्रवातों के विलय को **पहली बार पश्चिमी प्रशांत महासागर** में देखा गया था, जब **1964 में टाइफून मैरी और कैथी का विलय** हुआ था।
  - फुजिवारा प्रभाव की पहचान सबसे पहले **1921 में जापान के सकुहेई फुजिवारा** ने की थी।

SMART QUIZ	विषय की समझ और अवधारणाओं के स्मरण की अपनी क्षमता के परीक्षण के लिए आप हमारे ओपन टेस्ट ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर **पर्यावरण** से संबंधित स्मार्ट क्विज़ का अभ्यास करने हेतु इस QR कोड को स्कैन कर सकते हैं।	

6. सामाजिक मुद्दे (Social Issues)

6.1. अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन (NRF) अधिनियम, 2023 {Anusandhan National Research Foundation (NRF) ACT, 2023}

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, भारत के राष्ट्रपति ने **अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन (NRF) विधेयक, 2023** को मंजूरी दे दी है। अब यह एक अधिनियम बन गया है। यह अधिनियम **विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड अधिनियम, 2008 को निरस्त** करता है।

अधिनियम के मुख्य उपबंधों पर एक नज़र

- **अनुसंधान NRF की स्थापना करना ताकि:**
  - निम्नलिखित क्षेत्रकों में अनुसंधान, नवाचार और उद्यमिता हेतु रणनीतिक दिशा प्रदान की जा सके-
    - प्राकृतिक विज्ञान (गणित, इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी); पर्यावरण एवं पृथ्वी विज्ञान; स्वास्थ्य व कृषि शामिल हैं, तथा
    - मानविकी और सामाजिक विज्ञान के वैज्ञानिक व प्रौद्योगिकीय अंतरफलक (इंटरफेस)।
  - ऐसे अनुसंधान के लिए आवश्यक प्रोत्साहन, निगरानी और सहायता प्रदान की जा सके।

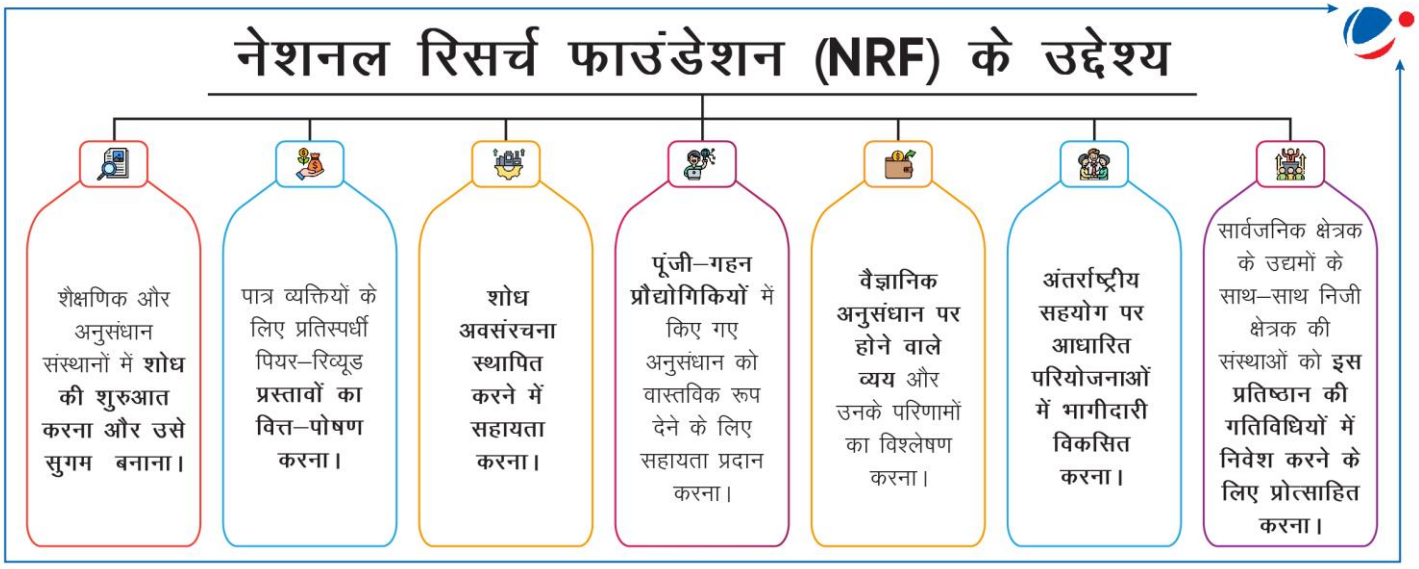

- **गवर्निंग बोर्ड** द्वारा फाउंडेशन (प्रतिष्ठान) को **रणनीतिक दिशा प्रदान** की जाएगी। साथ ही, यह बोर्ड प्रतिष्ठान के उद्देश्यों के कार्यान्वयन की निगरानी भी करेगा।
  - **गवर्निंग बोर्ड में निम्नलिखित शामिल होंगे:**
    - **अध्यक्ष:** प्रधान मंत्री (पदेन),
    - **उपाध्यक्ष:** केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री और केंद्रीय शिक्षा मंत्री (पदेन), तथा
    - **सदस्य:** अलग-अलग विषय-क्षेत्रों के प्रख्यात शोधकर्ता और पेशेवर।
  - गवर्निंग बोर्ड का अध्यक्ष **अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने के लिए एक कार्यकारी परिषद का गठन करेगा।**
    - भारत सरकार का **प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार इस परिषद का पदेन अध्यक्ष होगा।**
- **विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (DST)**[90] NRF का **प्रशासनिक विभाग होगा।**

[90] Department of Science and Technology

- **NRF के लिए फंड:**
  - **प्रतिष्ठान को निम्नलिखित की सहायता से वित्त पोषित किया जाएगा:**
    - केंद्र सरकार से प्राप्त अनुदान और ऋण,
    - फंड के लिए दिया गया दान,
    - प्रतिष्ठान को मिली राशि के निवेश से प्राप्त आय, और
    - 2008 के अधिनियम के तहत स्थापित 'विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान कोष' सहित कुल राशि।
  - **गवर्निंग बोर्ड निम्नलिखित निधियों का गठन करेगा-**
    - **अनुसंधान NRF कोष:** वेतन, भत्ते और प्रशासनिक उद्देश्यों के लिए।
    - **नवाचार कोष:** प्रतिष्ठान द्वारा समर्थित क्षेत्रों में उत्कृष्ट रचनात्मकता के वित्त-पोषण के लिए।
    - 2008 के अधिनियम के तहत शुरू की गई परियोजनाओं को जारी रखने के लिए **विज्ञान एवं इंजीनियरिंग अनुसंधान कोष।**
    - किसी विशिष्ट परियोजना या अनुसंधान के लिए **एक या अधिक विशेष प्रयोजन निधि।**
- यह अधिनियम **विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड (SERB)[91] को समाप्त** करता है तथा इसका NRF में विलय करता है।
- **अनुसंधान NRF का मॉडल अमेरिकी नेशनल साइंस फाउंडेशन (NSF)** के आधार पर **तैयार** किया गया है।

NRF का क्या महत्त्व है?

- **वित्त-पोषण में वृद्धि करना:** NRF एक नीतिगत ढांचा और विनियामकीय प्रक्रियाएं तैयार करेगा। इनकी सहायता से देश में सरकारी और निजी, दोनों स्रोतों से **वैज्ञानिक अनुसंधान एवं विकास के लिए सहयोग को बढ़ावा** मिलेगा। साथ ही, इससे **फंडिंग में भी वृद्धि होगी।**
  - सरकार ने **NRF के लिए 50,000 करोड़ रुपये के बजट** की घोषणा की है। इसे पांच वर्षों (2023-28) के दौरान जारी किया जाना है। केंद्र सरकार इस अवधि (2023-28) के लिए 14,000 करोड़ रुपये का योगदान देगी। वहीं, निजी क्षेत्रक अनुसंधान के लिए 36,000 करोड़ रुपये की फंडिंग करेगा।
- **असमानता को दूर करना:** IITs और IISc जैसे अनुसंधान संस्थानों को उनकी अवसंरचना तथा रैंकिंग के कारण काफी अधिक वित्त-पोषण प्राप्त होता है। इससे बेहतर सुविधाएं सुनिश्चित होती हैं।
  - **NRF को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रस्तावित** किया गया था। इसका मुख्य ध्यान पहले से ही अनुसंधान कर रहे कुछ अनुसंधान केंद्रों का समर्थन करने की बजाय भारत के सभी शैक्षणिक केंद्रों में अनुसंधान क्षमता को बढ़ावा देना है।
- **अनुसंधान क्षमता का निर्माण करना:** NRF **सेवारत और सेवानिवृत्त शोधकर्ताओं की उत्कृष्ट प्रतिभा का उपयोग** करेगा। वे ऐसे **शासकीय और अन्य विश्वविद्यालयों एवं कॉलेजों में अनुसंधान का मार्गदर्शन करते हुए शोध संबंधी गतिविधियों को बढ़ावा देंगें**, जहां पर अनुसंधान संबंधी कार्य करने की आवश्यकता है या जहां पर अनुसंधान अपने शुरुआती चरण में है।
- **बहु-विषयक परियोजनाओं का समर्थन करना:** NRF शिक्षाविदों, उद्योगा◌े◌ं और अनुसंधान संस्थानों को **देश के प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में मिलकर कार्य** करने का अवसर प्रदान करेगा। इन क्षेत्रों में संधारणीय अवसंरचना, स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण (transition) आदि शामिल हैं।
- **सामाजिक विज्ञान में अनुसंधान करना:** NRF **प्राकृतिक विज्ञान, मानविकी, सामाजिक विज्ञान और कला में अनुसंधान को बढ़ावा** देगा। इसे रचनात्मकता, क्रिटिकल थिंकिंग और संचार कौशल विकसित करने के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है।

अधिनियम से संबंधित चिंताएं

- **वित्त-पोषण और नियुक्ति संबंधी मुद्दे:** NRF अधिनियम **विश्वविद्यालयों और अनुसंधान संस्थानों को व्यापक स्तर पर अनुसंधान करने के लिए ब्लॉक फंडिंग प्रदान करने की बजाय प्रोजेक्ट फंडिंग** प्रदान करने पर केंद्रित है। साथ ही, अनुसंधान गतिविधियों के लिए शिक्षकों की स्थायी नियुक्ति से संबंधित चुनौती का अभी तक समाधान नहीं किया गया है।
  - **ब्लॉक फंडिंग** किसी संस्थान या निकाय के लिए पूर्व निर्धारित वित्त-पोषण होता है।

[91] Science and Engineering Research Board

- **हितधारकों का अभाव:** NRF के निर्णयों में **आर्थिक और सामाजिक मंत्रालयों तथा केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रक के उपक्रमों (CPSEs)[92] को शामिल करने के संबंध में स्पष्टता का अभाव है।** इनका योगदान सामाजिक मूल्य वाले महत्वपूर्ण अनुसंधान के लिए जरूरी है।
- **सहकारी संघवाद के लिए चुनौती:** NRF के लिए जारी एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट में राज्य विश्वविद्यालयों को व्यापक स्तर पर सहायता प्रदान करने की योजना है। हालांकि, यह अधिनियम निर्णय लेने वाली संस्था/ निकाय में **उच्चतर शिक्षा और अनुसंधान की राज्य परिषदों के दृष्टिकोण को शामिल नहीं** करता है।

आगे की राह

- **अनुसंधान को प्राथमिकता देना:** NRF के तहत **उच्चतर शैक्षिक संस्थानों, सरकारी अनुसंधान संस्थानों, नागरिक समाज संगठनों, सहकारी औद्योगिक अनुसंधान एवं विकास को प्राथमिकता** दी जानी चाहिए। साथ ही, इसके तहत ऐसी परियोजनाओं को भी प्राथमिकता दी जानी चाहिए, जो आर्थिक, सामाजिक और पारिस्थितिक न्याय के लिए प्रौद्योगिकी विकास संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति करें।
- **पारदर्शिता सुनिश्चित करना:** कम-विकसित संस्थानों को फंड्स प्रदान करके अनुसंधान की शुरुआत करने तथा अनुसंधान को बढ़ावा देने के तौर-तरीकों एवं परिणामों की निगरानी पारदर्शी होनी चाहिए।
- **समावेशिता को प्राथमिकता देना:** यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि मूल अनुसंधान और छोटे पैमाने के अनुसंधान प्रस्तावों को नजरअंदाज नहीं किया जाए।
- **व्यापक स्तरीय परामर्श:** NRF की मूल्यांकन प्रक्रिया में प्रस्ताव की मंजूरी से पहले सार्वजनिक भागीदारी शामिल होनी चाहिए। इसके तहत **प्रस्ताव के सारांश को खुले तौर पर साझा करने के लिए एक प्रणाली का निर्माण किया जाना चाहिए।** इसके अलावा, फीडबैक के लिए **वैज्ञानिक समुदाय** और अनुसंधान उपयोगकर्ताओं को शामिल करना चाहिए।
- **कमियों को दूर करना:** शोधकर्ताओं की कम संख्या जैसे संरचनात्मक मुद्दों के समाधान हेतु कदम उठाए जाने चाहिए। साथ ही, देश में अनुसंधान की प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिए ब्लॉक फंडिंग पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए।

केस स्टडी: NSF ने संयुक्त राज्य अमेरिका में विज्ञान और प्रौद्योगिकी को कैसे बदला

- **मौसम का पूर्वानुमान:** अमेरिका में NSF द्वारा समर्थित वैज्ञानिक **मैडेन-जूलियन ऑसिलेशन (MJO) जैसी वायुमंडलीय परिघटनाओं का अध्ययन** कर रहे हैं। इससे मौसम के पूर्वानुमान में सुधार हो रहा है।
- **सामाजिक:** NSF **शिक्षा और प्रशिक्षण कार्यक्रमों में निवेश** करता है। इससे विज्ञान और इंजीनियरिंग में वैश्विक चुनौतियों के समाधान सुनिश्चित होते हैं।
- **वैज्ञानिक विकास:** NSF देश के वैज्ञानिक उद्यम को बनाए रखने के लिए निवेश करता है। यह **सुपर कंप्यूटर, भूमि आधारित टेलिस्कोप्स, आर्कटिक व अंटार्कटिका में अनुसंधान स्टेशंस तथा अत्याधुनिक उपकरणों** में निवेश करता है।
  - ये निवेश नए विचारों और रचनात्मक दृष्टिकोण को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। ये **अन्वेषण की गति को बढ़ाने और ज्ञान को समाज के लिए वास्तविक लाभों में बदलने में सहायक** हो सकते हैं।
- **सहयोग:** NSF अमेरिका और सम्पूर्ण विश्व में **कॉलेजों, विश्वविद्यालयों, उद्योगों, गैर-लाभकारी संस्थाओं, सरकार तथा अन्य संगठनों** के बीच अनुसंधान भागीदारी का समर्थन करता है।
- **संचार:** NSF ने **फाइबर-ऑप्टिक संचार प्रणाली में आवश्यक गैर-फाइबर घटकों और उपकरणों के विकास** से संबंधित अनुसंधान का समर्थन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

6.2. स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा (NCF-SE) {National Curriculum Framework for School Education (NCF-SE)}

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, **शिक्षा मंत्रालय ने 'स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा' (NCF-SE)** जारी की है। इसे **राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद** (NCERT)[93] ने तैयार किया है।

[92] Central Public Sector Enterprises

[93] National Council of Educational Research and Training

स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा (NCF-SE) के बारे में

- NCF-SE का उद्देश्य **शिक्षाशास्त्र (Pedagogy) के साथ-साथ पाठ्यचर्या में भी सकारात्मक बदलाव** लाना है। इस प्रकार इस बदलाव की सहायता से भारत की **स्कूली शिक्षा प्रणाली को सकारात्मक रूप से परिवर्तित** करना है।
  - शिक्षक द्वारा कक्षाओं में छात्रों को सीखने में मदद करने हेतु उपयोग की जाने वाली **शिक्षण विधि एवं पद्धति को शिक्षाशास्त्र** कहा जाता है।
- NCF-SE स्कूली शिक्षा के लिए डिजाइन किए गए **पाठ्यक्रम की रूपरेखा** है। यह **5+3+3+4** प्रारूप (आयु के आधार पर) के अनुरूप होगी। इसका प्रस्ताव **राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 (NEP 2020)** में किया गया है।
- **NCF-SE को अंतिम बार 2005 में संशोधित** किया गया था। इसका उपयोग करके NCERT की पाठ्यपुस्तकों के मौजूदा सेट तैयार किए गए थे।
- **प्रोफेसर के. कस्तूरीरंगन** की अध्यक्षता में **राष्ट्रीय संचालन समिति** का गठन किया गया था। इसका कार्य **NEP 2020 के अनुरूप पाठ्यक्रम** तैयार करना था।
  - NEP 2020 ने एक नए तथा व्यापक **NCF-SE और राज्य पाठ्यचर्या की रूपरेखा (SCFs)**[94] बनाने की सिफारिश की है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020

NEP 2020 के उद्देश्य

- सार्वजनिक निवेश को जल्द-से-जल्द बढ़ाकर **सकल घरेलू उत्पाद (GDP) के 6 प्रतिशत** तक पहुंचाना।
- **वर्ष 2030** तक प्री-स्कूल से माध्यमिक स्तर तक **सकल नामांकन अनुपात (GER)**[95] **को 100 प्रतिशत तक बढ़ाना।**
  - साथ ही, व्यावसायिक शिक्षा सहित उच्चतर शिक्षा में GER को **2035 तक बढ़ाकर 50 प्रतिशत** (2018 में 26.3%) करना।

NEP 2020 के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर

- नई पाठ्यचर्या और शैक्षणिक संरचना 5+3+3+4 मॉडल पर आधारित होगी।
- प्री-प्राइमरी स्कूल से 12वीं कक्षा तक स्कूली शिक्षा के **सभी स्तरों पर सार्वभौमिक पहुंच** सुनिश्चित करना।

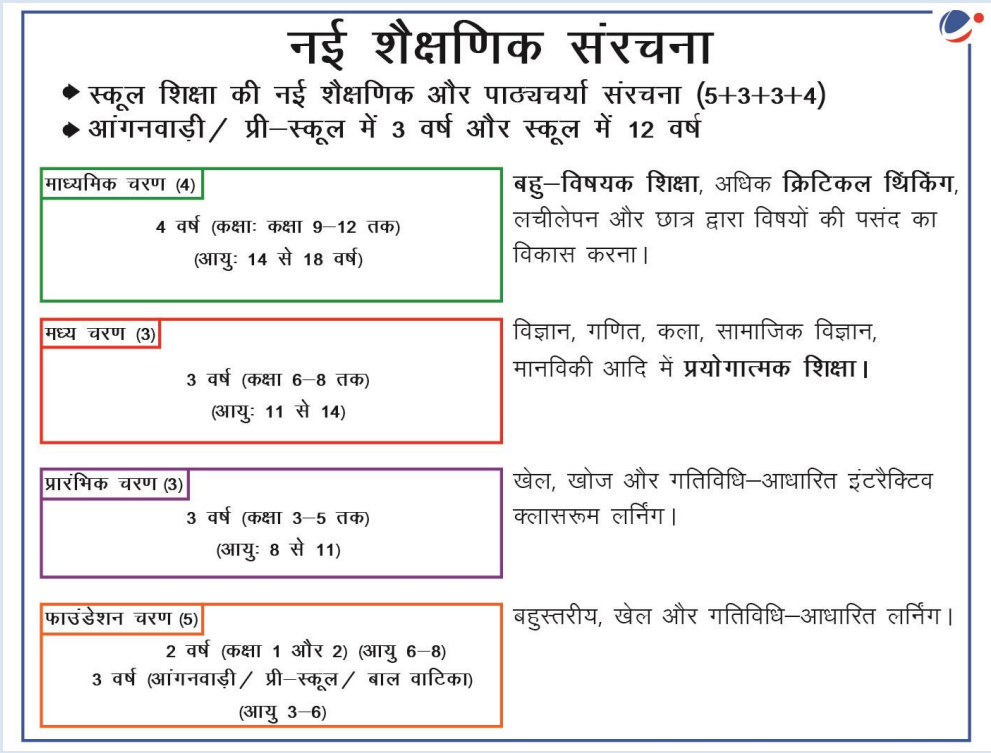

- **एक नए राष्ट्रीय आकलन केंद्र- परख/ PARAKH**[96] **की स्थापना** की जाएगी।
- वंचित क्षेत्रों और समूहों के लिए एक अलग **लैंगिक समावेशन निधि तथा विशेष शिक्षा क्षेत्र** बनाना।

NCF-SE के मुख्य बिंदुओं पर एक नज़र

- **पाठ्यचर्या की रूपरेखा:** NCF-SE ने इसे 4 चरणों वाली वर्तमान स्कूली शिक्षा संरचना के स्थान पर स्कूली शिक्षा के लिए 5+3+3+4 प्रारूप में डिजाइन किया है।

---

[94] State Curriculum Frameworks

[95] Gross Enrolment Ratio

[96] प्रदर्शन मूल्यांकन, समीक्षा एवं समग्र विकास के लिए ज्ञान का विश्लेषण/ Performance Assessment, Review, and Analysis of Knowledge for Holistic Development

- **आयु वर्ग के आधार पर मौजूदा चार चरण:**
  - **बुनियादी चरण:** 3-8 वर्ष के छात्रों के लिए,
  - **प्रारंभिक चरण:** 8-11 वर्ष के छात्रों के लिए,
  - **मध्य चरण:** 11-14 वर्ष के छात्रों के लिए, और
  - **माध्यमिक चरण:** 14-18 वर्ष के छात्रों के लिए।

- **बोर्ड की परीक्षाएं:** कक्षा 10 और 12 के लिए, सभी छात्रों को किसी भी स्कूली-वर्ष के दौरान **कम-से-कम दो अवसरों** पर बोर्ड परीक्षा देने की अनुमति दी जाएगी। इनमें **केवल सबसे बेहतर अंक को परिणाम में शामिल** किया जाएगा। इन दो अवसरों में एक **मुख्य परीक्षा होगी और एक उसमें सुधार** के लिए परीक्षा होगी।
- **अध्ययन का पैटर्न:** अध्ययन पैटर्न में वार्षिक परीक्षा की बजाय **सेमेस्टर डिजाइन** को अपनाया जाएगा।
- **बहुभाषावाद और भारतीय भाषाएं:** सभी छात्र कम-से-कम **तीन भाषाओं** में निपुण होने चाहिए। इनमें से कम-से-कम **दो भारत की देशज भाषाएं** होनी चाहिए।
- **माध्यमिक स्तर पर लचीलापन और विकल्प:** शैक्षणिक और व्यावसायिक विषयों के बीच या विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, कला और शारीरिक शिक्षा के बीच कोई जटिल विभाजन नहीं किया जाएगा।
  - छात्र अपने **स्कूल छोड़ने के प्रमाण-पत्र** को प्राप्त करने के लिए अपने रूचि के विषयों के संयोजन का चयन कर सकते हैं।
- **व्यावसायिक शिक्षा:** इसमें **निम्नलिखित तीन अलग-अलग कार्य क्षेत्रों से जुड़ने पर बल दिया जाएगा:**
  - जीवन रूपों (कृषि, पशुपालन) से जुड़े कार्य,
  - सामग्री और मशीनों से जुड़े कार्य, तथा
  - मानव सेवाओं से संबंधित कार्य।
- **भारतीय मूल पर आधारित:** प्राचीन से समकालीन समय तक भारतीयों ने अलग-अलग विषयों के ज्ञान में योगदान दिया है। उनके योगदान को स्कूल के सभी विषयों के पाठ्यक्रम संबंधी लक्ष्यों में एकीकृत किया गया है।
- **वैज्ञानिक जांच संबंधी क्षमताएं:** विज्ञान संबंधी शिक्षा मौलिक सिद्धांतों, नियमों आदि के ज्ञान की प्राप्ति के साथ-साथ वैज्ञानिक जांच की क्षमताओं को बढ़ाने पर भी ध्यान केंद्रित करती है।
- **अध्ययन के अंत:विषय क्षेत्र:** इसे माध्यमिक स्तर पर अध्ययन के एक अलग विषय के रूप में शुरू किया गया है।
- **पर्यावरणीय शिक्षा:** स्कूली शिक्षा के सभी स्तरों/ चरणों में इस पर विशेष ध्यान दिया गया है। इसे माध्यमिक स्तर पर अध्ययन के एक अलग विषय के रूप में लागू किया गया है।
- **अन्य बिंदु**
  - **कला और शारीरिक शिक्षा एवं कल्याण** पर नए सिरे से जोर दिया गया है।
  - **सभी पहलुओं में समानता और समावेशन** सुनिश्चित करने के लिए सिद्धांत बनाए जाएंगे।
  - एकीकृत और समग्र परिप्रेक्ष्य तथा लर्निंग के विकास के लिए **बहु-विषयक शिक्षा दी जाएगी।**
  - **स्कूल की संस्कृति और प्रथाओं/ प्रणालियों** को विकसित किया जाएगा।

NCF-SE की आवश्यकता क्यों?

- **पूरे भारत में समकालीन रूपरेखा और राष्ट्रीय मानक:** यह मानते हुए कि **स्कूली शिक्षा राज्य के नियंत्रण में है,** भारतीय राज्यों में स्कूली शिक्षा में सामंजस्य और सुसंगतता हेतु यह आवश्यक है।
- **ज्ञान-आधारित दृष्टिकोण:** वर्तमान शैक्षिक प्रणाली ज्ञान-आधारित दृष्टिकोण को बढ़ावा देने की बजाय छात्रों को परीक्षा-केंद्रित बनाती है।
- **शिक्षकों की गुणवत्ता को बढ़ाना:** एकीकृत शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम (ITEP)[97] के अंतर्गत **'विशेषज्ञता पाठ्यक्रम'** (Curriculum for the specialisations) NSF की पाठ्यचर्या और शिक्षाशास्त्र पर आधारित है। इससे शिक्षकों की गुणवत्ता में सुधार हो सकेगा।

[97] Integrated Teacher Education Programme

- **नई तकनीकों को शामिल करना:** जैसे- स्क्रीन-आधारित डिवाइस पर पढ़ने और लिखने से संबंधित नई तकनीकें लोकप्रिय हो रही हैं।
- **छात्रों का समग्र विकास:** स्कूली शिक्षा के चार चरणों के लिए पाठ्यचर्या को **बाल विकास, वैचारिक विकास और प्रत्येक आयु सीमा में परीक्षण के उचित तरीकों** के आधार पर तैयार किया गया है।

NCF-SE से जुड़ी चिंताएं

- **पाठ्यचर्या का अति-केंद्रीकृत डिजाइन:** यह संघीय ढांचे में शिक्षा की समवर्ती प्रकृति के विपरीत है। साथ ही, यह पाठ्यचर्या सांस्कृतिक विविधता एवं समानता सुनिश्चित करने में राज्यों की भूमिका के भी अनुरूप नहीं है।
- **लॉजिस्टिक्स से जुड़ी चुनौतियां:** वर्ष में दो बार बोर्ड परीक्षा आयोजित करने में व्यवहार्यता और लॉजिस्टिक्स से जुड़ी चुनौतियों पर ध्यान देने की आवश्यकता है।
    - साथ ही, एक ही वर्ष में बोर्ड की परीक्षाओं के कारण छात्र दो बार तनाव का सामना कर सकते हैं।
- **शिक्षकों व कार्यबल की कमी:** भाषा पढ़ाने वाले शिक्षकों की कम उपलब्धता और सरकारी एवं सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में कार्यबल की व्यापक कमी है।
- **स्कूलों की निर्धारित क्षमता:** ऐसा भी हो सकता है कि कई स्कूल 11वीं और 12वीं की कक्षा में सभी विषय शुरू करने की स्थिति में न हों।

आगे की राह

- **उच्चतर शिक्षा में सुधार करना:** नई रूपरेखा के साथ सामंजस्य स्थापित करना, ताकि स्कूल से उच्चतर शैक्षिक संस्थानों में जाने की प्रक्रिया को सुगम बनाया जा सके।
- **स्कूलों में भेदभावपूर्ण और बहिष्करण प्रणालियों पर रोक लगाने** की आवश्यकता है। इससे अपनी रूचि के अनुसार विषय का चयन करने की छात्रों की क्षमता प्रभावित होती है।
- **छात्र-शिक्षक अनुपात में सुधार:** शिक्षा मंत्रालय के अनुसार, प्राथमिक विद्यालयों में छात्र-शिक्षक अनुपात 2020-21 में घटकर 26.3 हो गया है। यह अनुपात 2010-11 में 43 था।
- **सार्वजनिक निवेश में वृद्धि:** वर्ष 2020-21 के लिए शिक्षा पर कुल व्यय सकल घरेलू उत्पाद के 4.64% के बराबर था। हालांकि, यह अभी भी NEP-2020 के तहत निर्धारित 6% के लक्ष्य से कम है।

6.3. राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (NSAP) {National Social Assistance Programme (NSAP)}

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) ने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है। यह रिपोर्ट 'राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम' (NSAP) के 2017-18 से 2020-21 तक के परफॉर्मेंस ऑडिट से संबंधित है।

राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (NSAP) के बारे में

- यह एक **केंद्र प्रायोजित योजना (ग्रामीण विकास मंत्रालय)** है।
- **संविधान द्वारा सौंपे गए कार्य: अनुच्छेद 41** राज्य को नागरिकों की कुछ श्रेणियों को **सार्वजनिक सहायता प्रदान करने** का निर्देश देता है।
- **उद्देश्य:** राज्यों द्वारा दिए जाने वाले अन्य लाभों के अलावा सामाजिक सहायता के लिए न्यूनतम राष्ट्रीय मानक सुनिश्चित करना।
- **लाभार्थियों की पहचान:** सामाजिक-आर्थिक और जातिगत जनगणना (SECC)[98], 2011 के आंकड़ों के आधार पर लाभार्थियों की पहचान की जाएगी। SECC डेटा को अंतिम रूप देने तक **गरीबी रेखा से नीचे (BPL) जीवन यापन करने वाले नागरिकों की सूची के आधार पर ही लाभार्थी की पहचान की जाएगी।**
    - इसके अंतर्गत सभी राज्यों और केंद्र-शासित प्रदेशों के **ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों** के लाभार्थियों को शामिल किया जाता है।

[98] Socio-Economic Caste Census

- **अम्ब्रेला योजना:** यह योजना 1995 में शुरू की गई थी। इसमें पांच उप-योजनाएं शामिल हैं, जिनमें से **तीन योजनाएं पेंशन** से संबंधित हैं, जबकि **दो योजनाएं गैर-पेंशन** से संबंधित हैं।
- **पेंशन के रूप में दी जाने वाली सहायता निम्नलिखित हैं:**
  - **इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (IGNOAPS):** इस योजना के तहत BPL सूची में आने वाले **60-79 वर्ष** के व्यक्तियों को **200 रुपये और 80 वर्ष की आयु के बाद के व्यक्तियों को 500 रुपये** की मासिक पेंशन दी जाती है।
  - **इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना (IGNWPS):** इस योजना के तहत BPL सूची में आने वाली **40-59 वर्ष आयु वर्ग की विधवा महिलाओं** को 200 रुपये की मासिक पेंशन दी जाती है।
  - **इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांगता पेंशन योजना (IGNDPS):** इसमें गंभीर और बहु-दिव्यांगता से ग्रस्त BPL सूची में आने वाले 18-59 वर्ष आयु वर्ग के व्यक्तियों को 200 रुपये की मासिक पेंशन दी जाती है।
- **गैर-पेंशन के रूप में दी जाने वाली सहायता निम्नलिखित हैं:**
  - **राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना (NFBS):** इस योजना के तहत BPL परिवार के **18 से 64 वर्ष की आयु वर्ग के प्रमुख आय अर्जक की मृत्यु होने पर 10,000 रुपये की एकमुश्त सहायता राशि** दी जाती है।
  - **अन्नपूर्णा योजना:** उन वरिष्ठ नागरिकों को **प्रति माह 10 किलोग्राम अनाज मुफ्त** में प्रदान किया जाता है, जो पात्र होने के बावजूद भी इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (IGNOAPS) के तहत शामिल नहीं हुए हैं।
- **निगरानी: राष्ट्रीय स्तर के मॉनिटर्स (NLMs)**[99] द्वारा **सोशल ऑडिट** और वार्षिक सत्यापन किया जाता है।

मुख्य समस्याओं पर एक नज़र

- **कार्यान्वयन:**
  - कुछ राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों में विशेष रूप से NFBS योजनाओं को **आंशिक रूप से लागू किया** जा रहा है।
  - यद्यपि, इस योजना का लक्ष्य **सार्वभौमिक कवरेज प्राप्त करना है, परंतु इसे मांग-संचालित मोड** (Demand-driven mode) में लागू किया जा रहा है। इसका लाभ केवल उन्हीं व्यक्तियों को दिया गया, जिन्होंने इसके लिए आवेदन किया था।
- **लाभार्थी:**
  - **सामाजिक, आर्थिक और जातिगत जनगणना (SECC) डेटा** को अंतिम रूप देने के बावजूद भी **लाभार्थियों की पहचान BPL सूची** पर आधारित है।
  - सूचना, शिक्षा और संचार (IEC)[100] गतिविधियों की कमी के कारण **पात्र लाभार्थियों के कवरेज में देरी** होती है या **कवरेज नहीं** हो पाता है।
  - **ऐसे लाभार्थी जो पात्र नहीं हैं, उनका पता लगाने के लिए** जमीनी स्तर पर **प्रभावी ढंग से जांच नहीं** की जाती है।
- **लाभ का वितरण**
  - **योजना में पूरी तरह से DBT का अनुपालन नहीं किया गया है।** इसके कारण ओवरपेमेंट, शॉर्ट पेमेंट जैसे मुद्दे सामने आए हैं।
- **वित्तीय कुप्रबंधन:**
  - **अप्रयुक्त फंड या ऐसे फंड,** जो अन्य योजनाओं के प्रचार में खर्च कर दिए गए।
  - कई राज्यों में मानदेय भुगतान, मजदूरी जैसी **अस्वीकार्य मदों** पर व्यय किया गया है।
- **निगरानी और मूल्यांकन**
  - राष्ट्रीय सामाजिक सहायता सलाहकार समिति (NSAAC)[101] की **बैठकें कभी-कभी** आयोजित की जाती हैं।
  - 30 राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों में **कोई राज्य स्तरीय निगरानी समिति नहीं** है।
  - NSAP के दिशा-निर्देशों के अनुसार **सोशल ऑडिट और संस्थागत शिकायत निवारण तंत्र** का प्रावधान होना चाहिए, जिसका अधिकतर राज्यों में **अभाव** है।

---

[99] National Level Monitors

[100] Information, education and communication

[101] National Social Assistance Advisory Committee

रिपोर्ट में की गई मुख्य सिफारिशों पर एक नज़र

- **ऐसे लाभार्थी, जो इस योजना के लिए पात्र नहीं हैं, उन्हें बाहर करने,** लाभार्थियों की मृत्यु के बाद पेंशन को बंद करने और लाभार्थी के डेटा के सत्यापन हेतु विशिष्ट उपाय किए जा सकते हैं।
- **NSAP निधि का उपयोग पेंशन और पारिवारिक लाभों** के सामयिक भुगतान हेतु किया जा सकता है। इससे NSAP निधियों की निष्क्रियता, विचलन और अस्वीकार्य व्यय से बचा जा सकेगा।
- ओवरपेमेंट, शॉर्ट पेमेंट, मल्टीपल पेमेंट और पेंशन के भुगतान में देरी से बचने के लिए **प्रणाली आधारित उपाय** किए जा सकते हैं।
- आधार (Aadhaar)/ बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण के साथ एकीकृत बैंक/ पोस्ट ऑफिस खाते की सहायता से **मासिक आधार पर पेंशन का भुगतान किया जा सकता है।**
- पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए **मजबूत सोशल ऑडिट और शिकायत निवारण तंत्र** स्थापित किया जा सकता है।

6.4. आयुष्मान भारत-प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना (AB-PMJAY) {Ayushman Bharat - Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana (AB-PMJAY)}

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG)[102] ने AB-PMJAY की प्रदर्शन ऑडिट रिपोर्ट जारी की है।

अन्य संबंधित तथ्य

- यह रिपोर्ट संविधान के **अनुच्छेद 151** के तहत **भारत के राष्ट्रपति** के सामने प्रस्तुत की गई है।
- CAG की ऑडिट रिपोर्ट में कहा गया है कि **PMJAY योजना** समाज के आर्थिक रूप से कमजोर उन वर्गों को **सकारात्मक रूप से प्रभावित** करती है, जिन्हें स्वास्थ्य सुविधाओं की आवश्यकता है।
- हालांकि, इस रिपोर्ट ने रेखांकित किया है कि **योजना के कार्यान्वयन में सुधार की आवश्यकता है।**

नोट: इस योजना के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए इस डॉक्यूमेंट के अंत में परिशिष्ट देखें।

रिपोर्ट में रेखांकित मुख्य मुद्दों पर एक नज़र

- **अपर्याप्त पंजीकरण:** योजना के तहत 10.74 करोड़ लक्षित परिवारों में से केवल 73 प्रतिशत (7.87 करोड़) ही वास्तविक लाभार्थी के रूप में पंजीकृत हैं।
  - मंत्रालय ने अब लाभार्थियों की संख्या को बढ़ाकर **12 करोड़ परिवार** कर दिया है।
- **पहचान में अनियमितताएं:**
  - कुल पंजीकृत लाभार्थियों में से **30 प्रतिशत (2.08 करोड़) से कम** की पहचान SECC-2011 डेटाबेस से की गई थी।
    - SECC डेटाबेस में 2011 से ही **आर्थिक विकास और रोजगार के अवसरों का हिसाब नहीं** रखा गया है।
  - इसके अलावा, **लाभार्थी डेटाबेस में त्रुटियां भी विद्यमान हैं,** जैसे- गलत नाम और जन्मतिथि, डुप्लीकेट PMJAY पहचान-पत्र इत्यादि।

[102] Comptroller and Auditor General of India

- **सूचीबद्ध स्वास्थ्य देखभाल प्रदाता (Empanelled Health Care Providers: EHCPs):**
  - कई EHCPs स्वास्थ्य और अवसंरचना संबंधी **न्यूनतम मानदंडों तथा गुणवत्ता को पूरा नहीं कर पाए हैं।**
  - **कई लाभार्थियों** से उनके इलाज के लिए **शुल्क** लिया गया।
- **वित्तीय अनियमितताएं:**
  - कई राज्यों ने PMJAY के लिए एक अलग **एस्क्रो खाता (Escrow account) नहीं बनाया था।**
  - राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (NHA)[103] और राज्य स्वास्थ्य एजेंसियों (SHAs)[104] ने **लोक वित्त प्रबंधन प्रणाली (PFMS)[105]** के माध्यम से **व्यय की निगरानी के नियम का पूरी तरह से पालन नहीं** किया है।
  - **अन्य मुद्दों में शामिल है:**
    - योजना के **कार्यान्वयन से पहले** या संबंधित राज्यों द्वारा **अग्रिम धन आवंटन सुनिश्चित** किए बिना NHA द्वारा **अनुदान जारी करना।**
- **दावों का प्रबंधन:**
  - अपर्याप्त सत्यापन जांच, जैसे- सत्यापन से पहले एंट्री, भुगतान में देरी, अस्वीकार्य भुगतान और गलती करने वाले EHCPs पर जुर्माना लगाए बिना भुगतान, आदि।
  - आधे से अधिक भुगतान केवल छह राज्यों को किया गया है। ये छह राज्य हैं- आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, महाराष्ट्र और तमिलनाडु।
- **निगरानी और शिकायत निवारण:**
  - कई राज्यों ने भ्रष्टाचार, धोखाधड़ी आदि के आरोपों से संबंधित शिकायतें प्राप्त करने के लिए **व्हिसल ब्लोअर नीति को नहीं अपनाया है।**
  - कई राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों में **धोखाधड़ी-रोधी प्रकोष्ठों, दावा समीक्षा समितियों** आदि का अभाव।
  - इसके अलावा, **10 प्रतिशत से भी कम** शिकायतों का 15 दिनों के भीतर समाधान किया गया।

रिपोर्ट में की गई प्रमुख सिफारिशों पर एक नज़र

- **पंजीकरण:**
  - इच्छित लाभार्थियों का **कवरेज सुनिश्चित करने** और पंजीकरण में **देरी से बचने के लिए उचित तंत्र विकसित** करना चाहिए।
  - योजना की पहुंच को अधिकतम करने के लिए एक **निर्दिष्ट IEC[106]** सेल स्थापित करना चाहिए।
- **अपात्र लाभार्थियों को बाहर करना:**
  - डेटा की सटीकता और विश्वसनीयता बढ़ाने हेतु **लाभार्थियों के डेटा की पहचान एवं सत्यापन के लिए** एक उपयुक्त तंत्र स्थापित करना चाहिए।
- **अस्पताल को सूचीबद्ध करना और प्रबंधन करना:**
  - अस्पतालों को सूचीबद्ध करने के लिए **अनिवार्य भौतिक सत्यापन** सुनिश्चित करना, ताकि **सूची से बाहर किए गए अस्पताल** को सूची में शामिल होने से **रोका जा सके।**
  - **सार्वजनिक अस्पतालों में निवेश करना।** साथ ही, लाभार्थियों द्वारा **खर्चों के भुगतान पर रोक लगाने के लिए** तंत्र विकसित करना चाहिए।
- **वित्तीय प्रबंधन:**
  - यह सुनिश्चित करना कि **SHAs** ने PMJAY के लिए **एस्क्रो खातों को निर्दिष्ट** किया है, ताकि उनके अग्रिम पैसे बिना देरी के प्राप्त किए जा सकें।
  - **PMJAY लाभार्थियों की मैपिंग** और उनकी **पहचान** करने के लिए **एक तंत्र विकसित** करना, ताकि PMJAY तथा राज्य-विशिष्ट योजनाओं की ओवरलैपिंग से बचा जा सके।
  - इसके अलावा, व्यय की निगरानी के लिए **PFMS को प्राथमिकता** से लागू किया जाना चाहिए।

---

[103] National Health Authority

[104] State Health Agencies

[105] Public Financial Management System

[106] सूचना, शिक्षा और संचार/ Information, education and communication

- **दावों का प्रबंधन:**
  - SHA द्वारा **आवश्यक जांच** सुनिश्चित करने के बाद दावों का समय पर भुगतान करना चाहिए।
  - यह सुनिश्चित करना कि दावे की राशि का उपयोग अवसंरचना, अस्पताल के काम-काज, सेवाओं की गुणवत्ता आदि में सुधार के लिए किया जाए।
- **निगरानी और शिकायत निवारण:**
  - तत्काल आधार (Basis) पर **धोखाधड़ी विरोधी गतिविधियां** शुरू करना और चूककर्ताओं को समय पर दंडित करना चाहिए।
  - यह सुनिश्चित करना कि प्रत्येक जिले में **जिला कार्यान्वयन इकाइयों का गठन** सुनिश्चित किया जाए।
  - योजना के काम-काज में सुधार के लिए **शिकायतों का प्रभावी निवारण और सुधारात्मक उपायों का कार्यान्वयन सुनिश्चित** किया जाना चाहिए।

6.5. जनजातीय स्वास्थ्य (Tribal Health)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, महिला सशक्तीकरण संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने लोक सभा में एक रिपोर्ट पेश की है। इस रिपोर्ट का शीर्षक **"जनजातीय महिलाओं के लिए स्वास्थ्य सुविधाएं[107]"** है।

रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नज़र

- "जनजातीय महिलाओं में उच्च मृत्यु दर" विद्यमान है, जिसके प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं:
  - **बाल विवाह, समय से पहले मां बनना, बॉडी मास इंडेक्स** का कम होना और महिलाओं में **एनीमिया।**
- **जनजातीय स्वास्थ्य देखभाल और आरोग्यता या कल्याण संबंधी डेटा अपर्याप्त है।** यह डेटा विशेष रूप से जनजातीय महिलाओं और लड़कियों के मामले में अपर्याप्त है।
- अन्य सभी सामाजिक समूहों की तुलना में **'किशोरावस्था में गर्भधारण'** सबसे अधिक अनुसूचित जनजातियों में देखने को मिलता है।
- **जनजातीय महिलाओं** सहित जनजातीय लोगों पर रोगों का **तिगुना बोझ** पड़ता है। इनमें संचारी, पोषण संबंधी और गैर-संचारी सभी रोग शामिल हैं।

भारत में जनजातियां

- अनुच्छेद 342 में अनुसूचित जनजातियों (ST) को जनजातियों या जनजातीय समुदायों या जनजातीय समुदायों के हिस्सों या उनके भीतर के वर्गों के रूप में परिभाषित किया गया है। इन्हें राष्ट्रपति लोक अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट करते हैं।
- भारत की जनगणना 2011 के अनुसार, **भारत में अनुसूचित जनजाति की आबादी 8.6 प्रतिशत** है।
  - **अनुसूचित जनजाति की सर्वाधिक प्रतिशत आबादी** लक्षद्वीप (94.8%) में है, उसके बाद मिजोरम (94.4%) का स्थान है।
  - अनुसूचित जनजाति की सर्वाधिक आबादी **मध्य प्रदेश** में है।
- **नोडल मंत्रालय:** जनजातीय कार्य मंत्रालय।

जनजातीय स्वास्थ्य के लिए स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली के समक्ष आने वाली चुनौतियां

- **भाषाई और सांस्कृतिक बाधाएं:** ये स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं तथा जनजातीय रोगियों के बीच प्रभावी वार्ता को बाधित करती हैं। इससे गलतफहमी पैदा होती है।

[107] Health Facilities for Tribal Women

- **उनकी स्वदेशी उपचार की पद्धतियों को स्वीकृत और एकीकृत करने में विफलता:** इससे जनजातीय आबादी के बीच आधुनिक सुविधाओं से स्वास्थ्य सेवा प्राप्त करने में अविश्वास पैदा हुआ है।
- **भौगोलिक दूरी:** जनजातीय समुदाय अक्सर दूरस्थ और दुर्गम क्षेत्रों में निवास करते हैं, जैसे- **पहाड़ी इलाकों में अपर्याप्त परिवहन अवसंरचना वाले क्षेत्र।**
- **कुशल स्वास्थ्य देखभाल की अपर्याप्त उपलब्धता** के कारण निदान में देरी होती है। साथ ही, अनुचित उपचार और विशेष चिकित्सा देखभाल तक पहुंच सीमित होती है।
- **जनजातीय स्वास्थ्य देखभाल को ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा** में इस धारणा के तहत शामिल किया गया है कि जनजातीय लोगों की स्वास्थ्य समस्याएं और ज़रूरतें समान हैं।

आगे की राह

- **संसदीय पैनल का सुझाव:**
  - **जनजातीय स्वास्थ्य देखभाल के सभी पहलुओं पर एक अलग से डेटाबेस तैयार करना:** कल्याणकारी उपायों के बेहतर मूल्यांकन के लिए जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा डेटाबेस तैयार किया जाना चाहिए।
  - **बेहतर अवसंरचना,** जैसे- **हर मौसम के लिए उपयुक्त सड़कों का निर्माण करना,** ताकि गर्भवती महिलाओं सहित जनजातीय आबादी समय पर स्वास्थ्य सुविधाओं तक पहुंच सके।
  - **विशेष अभियान चलाना:** इसमें महिलाओं और उनके पतियों को आधुनिक गर्भ निरोधकों के उचित उपयोग तथा लाभों के बारे में शिक्षित किया जाए।
- **जनजातीय आबादी के लिए अलग योजना:** जनजातीय और ग्रामीण आबादी पर विशेष ध्यान देना चाहिए। साथ ही, उन आचरणों और पद्धतियों को बढ़ावा देना चाहिए, जो सीधे तौर पर मानदंडों और रीति-रिवाजों को चुनौती नहीं देते हों।
- **पारंपरिक चिकित्सा का एकीकरण:** जनजातीय कार्य मंत्रालय को पारंपरिक चिकित्सकों को एकीकृत करने और आधुनिक चिकित्सा को बढ़ावा देने के लिए आयुष मंत्रालय के साथ समन्वय स्थापित करना चाहिए।
- **जनजातीय स्वास्थ्य के लिए शासन संरचना में सुधार किया जाना चाहिए।**

जनजातीय क्षेत्रों में लाभार्थियों के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत शुरू की गई पहलें

NHM के तहत ऐसी **समतामूलक, किफायती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं तक सार्वभौमिक पहुंच** सुनिश्चित करने की परिकल्पना की गई है, जो लोगों की जरूरतों के प्रति जवाबदेह तथा उत्तरदायी हो।

- **आयुष्मान भारत- स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र (HWCs)[108]:** इन्हें आयुष्मान भारत के एक भाग के रूप में उप-स्वास्थ्य केंद्रों (SHCs) और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (PHCs)[109] के स्थान पर स्थापित किया गया है।

[108] Health and Wellness Centres

- **संवेदनशील क्षेत्रों में** स्वास्थ्य सुविधाएं स्थापित करने के लिए जनसंख्या संबंधी मानदंडों में ढील दी गई है।
- राज्यों/ केंद्रशासित प्रदेशों को अलग-अलग प्रकार की स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए **मोबाइल मेडिकल यूनिट (MMU) स्थापित करने की छूट** दी गई है।
- स्वास्थ्य सेवाओं पर खर्च (आउट ऑफ़ पॉकेट) को कम करने के लिए **राष्ट्रीय निःशुल्क औषधि सेवा पहल और राष्ट्रीय निःशुल्क निदान सेवा पहल** शुरू की गई है।
- जिन **जनजाति बहुल जिलों** का समग्र स्वास्थ्य सूचकांक राज्य के औसत से कम है, उन्हें उच्च प्राथमिकता वाले जिलों (HPDs)[110] के रूप में चिन्हित किया गया है। साथ ही, उन्हें **प्रति व्यक्ति अधिक संसाधन प्राप्त होते हैं।**

6.6. भारत में ड्रग्स (मादक पदार्थों) का अत्यधिक सेवन (Drug Abuse in India)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने **"युवाओं में ड्रग्स के अत्यधिक सेवन- समस्याएं और समाधान[111]"** विषय पर रिपोर्ट सौंपी है।

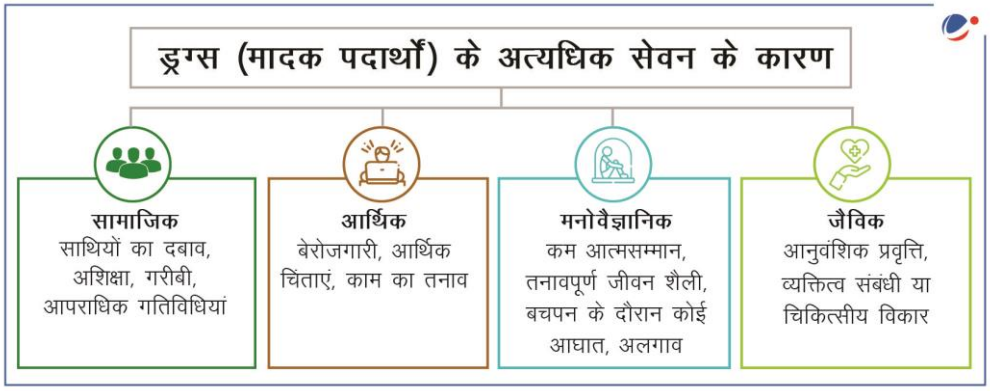

भारत में ड्रग्स के अत्यधिक सेवन के बारे में

- भारत में **अल्कोहल, गांजा (Cannabis), अफीम और हेरोइन जैसे मादक पदार्थों का सेवन** सबसे ज्यादा किया जाता है।
- भारत में लगभग **37 करोड़ लोग शराब** (सबसे आम) तथा अलग-अलग **साइकोट्रोपिक पदार्थों** का सेवन करते हैं।
- भारत में नशीली दवाओं और मादक पदार्थों का अत्यधिक सेवन करने वालों में से **लगभग 13 प्रतिशत** लोग **20 वर्ष से कम आयु** के हैं।
- **किशोरावस्था मादक पदार्थों के सेवन** की शुरुआत के लिए एक **महत्वपूर्ण जोखिम वाली अवधि** होती है।
  - मादक पदार्थों के सेवन से **प्रभावित बच्चों को किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 (JJ Act 2015)** के तहत देखभाल और सुरक्षा की आवश्यकता वाले बच्चों के रूप में माना जाता है।
- **सर्वाधिक प्रभावित राज्य:** असम, मिजोरम, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, बिहार, दिल्ली, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना आदि सबसे अधिक प्रभावित राज्यों में शामिल हैं।

---

[109] Primary Health Centres

[110] High Priority Districts

[111] Drug Abuse among Young Persons - Problems and Solutions

भारत में मादक पदार्थों के अत्यधिक सेवन को रोकने हेतु उठाए गए कदम

- **संयुक्त राष्ट्र अभिसमयों का हस्ताक्षरकर्ता:** नारकोटिक्स ड्रग्स पर एकल अभिसमय, 1961; साइकोट्रोपिक औषधि पर अभिसमय, 1971; नारकोटिक्स ड्रग्स और साइकोट्रोपिक औषधि की अवैध तस्करी के विरुद्ध अभिसमय, 1988
- **स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ (NDPS)[112] अधिनियम, 1985:** यह अधिनियम मादक पदार्थों का सेवन करने वालों की पहचान, उपचार, पुनर्वास, समाज में पुनः एकीकरण का प्रावधान करता है। साथ ही, इसके तहत नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) की स्थापना की गई है।
  - गृह मंत्रालय के तहत आने वाली **NCB मादक पदार्थों की आपूर्ति, उत्पादन और वितरण को नियंत्रित करती है।**
- 2018-2025 की अवधि के लिए **मादक पदार्थों की मांग न्यूनीकरण पर राष्ट्रीय कार्य योजना (NAPDRR)[113]:** यह योजना जागरूकता सृजन कार्यक्रम, सामुदायिक आउटरीच कार्यक्रम आदि को शामिल करते हुए एक बहु-आयामी रणनीति प्रदान करती है।
- **नशा मुक्त भारत अभियान (NMBA):** इसे **272 सबसे संवेदनशील जिलों** में शुरू किया गया है। इसके तहत व्यापक स्तर पर सामुदायिक पहुंच बनाई जा रही है।
- **'सीजर इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम' (SIMS) नामक ई-पोर्टल:** यह पोर्टल बड़ी मात्रा में जब्त किए गए मादक पदार्थों से संबंधित मामलों के लिए है।

भारत में मादक पदार्थों के अत्यधिक सेवन पर रोक लगाने से संबंधित समस्याएं

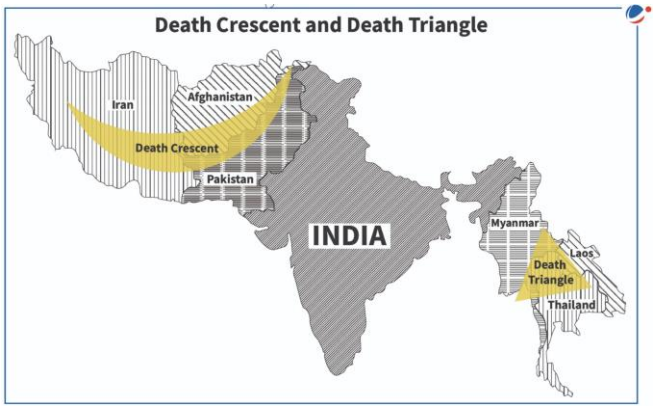

- **भारत मादक पदार्थों की तस्करी का एक केंद्र है:** ऐसा इसलिए है क्योंकि भारत **डेथ ट्रायंगल** और **डेथ क्रिसेंट** के बीच स्थित है। गौरतलब है कि डेथ ट्रायंगल और डेथ क्रिसेंट दुनिया के प्रमुख अफीम उत्पादक क्षेत्र हैं।
  - **छिद्रिल (Porous) सीमाएं** भी एक बड़ी समस्या है।
- **समुद्र से निकटता:** भारत में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी का 70 प्रतिशत हिस्सा अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के समुद्री मार्गों से संचालित होता है।
- **एडवांस प्रौद्योगिकी:** क्रिप्टोकरेंसी का उपयोग कर डार्क नेट की सहायता से मादक पदार्थों की तस्करी की जा रही है।
- **मादक पदार्थों के अत्यधिक सेवन को आपराधिक बनाना:** मादक पदार्थों की लत वाले लोगों को सामाजिक कलंक के रूप देखा जाता है। इसके कारण वे किसी भी प्रकार की चिकित्सा सहायता लेने से बचते हैं।
- **उपचार संबंधी कमी:** मादक पदार्थों पर निर्भरता के प्रभावों से निपटने के लिए स्वास्थ्य सुविधाएं पर्याप्त नहीं है।
- **अन्य समस्याएं:**
  - **NAPDRR** के तहत **जिला नशा-मुक्ति केंद्रों (DDAC)[114]** की सेवाएं सभी जगह उपलब्ध नहीं हैं।
  - **समाज पर** मादक पदार्थों के अत्यधिक सेवन के **प्रभाव का आकलन** करने के लिए **कोई अध्ययन नहीं** किया गया है।
  - नशा निवारक शिक्षा और जागरूकता सृजन कार्यक्रम पर **वित्तीय आवंटन में कमी की गई है।**
  - **नवचेतना कार्यक्रम** के तहत मास्टर ट्रेनर्स को **प्रशिक्षण प्रदान करने में देरी** होती है। नवचेतना कार्यक्रम का उद्देश्य स्कूली बच्चों के लिए जीवन कौशल विकसित करना और मादक पदार्थों के अत्यधिक सेवन के खिलाफ जागरूकता का प्रसार करना है।

आगे की राह

- **तथ्यों पर आधारित नीतियां तैयार करना:** नेशनल ड्रग डिपेंडेंस ट्रीटमेंट सेंटर्स (NDDTC) द्वारा मादक पदार्थों के अत्यधिक सेवन पर **आवधिक सर्वेक्षण** किया जा सकता है। इसकी सहायता से **NAPDRR** के लिए एक **प्रभावी आकलन तंत्र** स्थापित किया जा सकता है।
- **कानूनी कार्रवाइयां:** मादक पदार्थों की समस्याओं को नियंत्रित करने में मदद करने के लिए एक सहायक कानूनी तथा नीतिगत माहौल की जरूरत है।
- **जागरूकता कार्यक्रम: शिक्षा पाठ्यचर्या** में **मादक पदार्थों की लत से संबंधित** समस्याओं को शामिल किया जाना चाहिए। साथ ही, **स्थानीय निकायों, गैर सरकारी संगठनों आदि को शामिल** किया जाना चाहिए।

---

[112] Narcotics Drugs and Psychotropic Substances

[113] National Action Plan for Drug Demand Reduction

[114] District De-addiction Centers

- **कलंक को दूर करना:** मादक पदार्थों के अत्यधिक सेवन को केवल नैतिक विफलता के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए बल्कि इसे **नशीलें पदार्थ के कारण होने वाले** एक **डिसऑर्डर/ विकार** और एक जैव-मनोसामाजिक स्वास्थ्य स्थिति के रूप में भी देखा जाना चाहिए।
- **जिला कार्य योजनाएं:** इन्हें सुरक्षा एजेंसियों, नागरिक समाज और नागरिकों के सहयोग से सभी जिलों में शुरू करना चाहिए, ताकि नशीली दवाओं की तस्करी को रोका जा सके।
- **उपचार संबंधी कमियों को दूर करना:** मादक पदार्थों के सेवन संबंधी विकार वाले लोगों के लिए पर्याप्त स्तर पर वैज्ञानिक साक्ष्य-आधारित उपचार प्रदान करना चाहिए।
- **मादक पदार्थों की तस्करी को कम करना:** मादक पदार्थों की तस्करी का पता लगाने और उसे रोकने के लिए आधुनिक तकनीक का उपयोग करना चाहिए। साथ ही, **गृह मंत्रालय के तहत 'नारकोटिक्स समन्वय केंद्र की शीर्ष समिति' की नियमित बैठकें और समीक्षा** होनी चाहिए।

6.7. ग्लोबल टोबैको एपिडेमिक, 2023 पर WHO की रिपोर्ट (WHO Report on The Global Tobacco Epidemic, 2023)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने **ग्लोबल टोबैको एपिडेमिक पर अपनी नौवीं रिपोर्ट** प्रकाशित की। इस रिपोर्ट में 2008 के बाद से **तंबाकू नियंत्रण के संबंध में देशों की प्रगति** का आकलन किया गया है।

रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नज़र

- **MPOWER के तहत आने वाली आबादी:** विश्व की 71 प्रतिशत जनसंख्या अब कम-से-कम एक MPOWER उपायों को अपनाने से सुरक्षित है।
- **इलेक्ट्रॉनिक निकोटीन डिलीवरी सिस्टम (ENDS):** 2 बिलियन लोग अभी भी **ENDS** से सुरक्षित नहीं हैं, क्योंकि इस पर किसी भी प्रकार का विनियामकीय प्रतिबंध नहीं है।
- **तंबाकू से होने वाली मौतें:** तंबाकू के सेवन से प्रतिवर्ष 8.7 मिलियन लोगों की मौत हो जाती है। इनमें से 1.3 मिलियन ऐसे लोग हैं, जो स्वयं धूम्रपान नहीं करते हैं, लेकिन वे सेकेंड-हैंड धूम्रपान (SHS या निष्क्रिय धूम्रपान) से प्रभावित हो जाते हैं।
- **भारत से संबंधित तथ्य:**
  - भारत **तंबाकू उत्पादों पर चेतावनी लेबल लगाने और तंबाकू की लत वाले लोगों के उपचार के मामलों में** अग्रणी देश है।
  - **बेंगलुरु तंबाकू नियंत्रण के मामले में उल्लेखनीय प्रगति कर रहा है।** यह प्रगति सैकड़ों कार्रवाई अभियानों के कारण हुई है। इन प्रयासों के कारण ही **सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान करने की प्रवृत्ति में 27 प्रतिशत की कमी** आई है।

MPOWER के बारे में

- **WHO ने MPOWER उपायों की शुरुआत की है।** इसका उद्देश्य तंबाकू की मांग को कम करने के लिए प्रभावी उपायों की सहायता से इसके राष्ट्रव्यापी कार्यान्वयन में सहायता करना है। यह कदम **तंबाकू नियंत्रण पर WHO के फ्रेमवर्क कन्वेंशन (FCTC)**[115] पर आधारित है।
  - FCTC **तंबाकू को नियंत्रित करने के लिए** पहली अंतर्राष्ट्रीय **संधि वार्ता** है।
  - यह **कानूनी रूप से बाध्यकारी संधि** है। इसके अलावा, सदस्य देशों ने यह माना है कि तंबाकू का उपयोग लोगों के स्वास्थ्य से संबंधित प्रमुख चिंता का विषय है।
  - **भारत ने 2004 में इस अभिसमय की अभिपुष्टि (Ratify) की थी।**

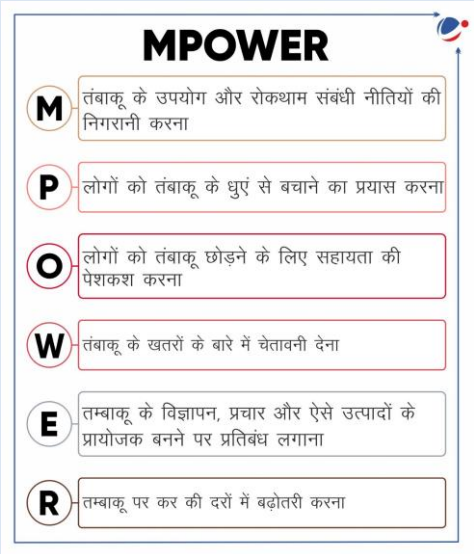

[115] WHO's Framework Convention on Tobacco Control

भारत में तंबाकू

- यह एक **सूखा-सहिष्णु, प्रतिरोधी (Hardy) और लघु अवधि की फसल** है। इसे ऐसी मिट्टी पर उगाया जा सकता है, जहां अन्य फसलों की खेती लाभप्रद नहीं होती है।
- देश के **15 राज्यों में 10 अलग-अलग प्रकार के तंबाकू उगाए जाते हैं,** जिन्हें **सिगरेट और नॉन-सिगरेट प्रकार** में वर्गीकृत किया जा सकता है।
  - **सिगरेट:** फ्लू-क्योर वर्जीनिया (FCV), बर्ली (Burley), ओरिएंटल (Oriental), और
  - **नॉन-सिगरेट:** बीड़ी, चबाया जाने वाला तंबाकू, हुक्का, नाटू, चेरूट, सिगार और HDBRG
- 2016-17 के **ग्लोबल एडल्ट टोबैको सर्वेक्षण-2 (GATS-2)** के अनुसार-
  - **तंबाकू का उपयोग शहरी क्षेत्रों (6.8 करोड़) की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में (19.9 करोड़) अधिक** किया जाता है।
  - **धूम्रपान रहित तंबाकू (Smokeless tobacco) का उपयोग** धूम्रपान की तुलना में **अधिक** किया जाता है।
- **तंबाकू के सेवन के कारण निम्नलिखित हानिकारक प्रभाव उत्पन्न हो सकते हैं:**
  - संक्रामक रोग,
  - इसकी खेती के कारण वनों की कटाई जैसे पर्यावरणीय प्रभाव,
  - आर्थिक और सामाजिक लागत आदि।

तंबाकू के उपयोग को कम करने के लिए सरकार द्वारा की गई पहलें

- **सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम (COTPA), 2003:**
  - यह अधिनियम तंबाकू उत्पादों के विज्ञापन, प्रचार और प्रायोजन (Sponsorship) को विनियमित करता है।
  - यह **सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान को रोकता है।**
  - यह तंबाकू उत्पादों पर **स्वास्थ्य संबंधी सचित्र चेतावनियों का उपयोग करना अनिवार्य** बनाता है। अप्रैल, 2016 से स्वास्थ्य संबंधी चेतावनियों के ग्राफिक चित्रण के आकार को बढ़ा दिया गया है। अब यह तंबाकू उत्पादों के पैकेट के 85 प्रतिशत हिस्से पर छपा होता है।
  - यह **नाबालिगों को तंबाकू उत्पादों की बिक्री न करने हेतु नियम** भी **निर्धारित करता है।**
- **राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम:** यह कार्यक्रम 2007-08 में शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य तंबाकू के सेवन के हानिकारक प्रभावों के बारे में जागरूकता पैदा करना और तंबाकू के उत्पादन तथा आपूर्ति को कम करना है।
- **राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, 2017:** इसका लक्ष्य **2025 तक देश में तंबाकू के उपयोग को 30 प्रतिशत तक कम** करना है।
- **इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट निषेध अधिनियम, 2019:** यह देश में ई-सिगरेट के उत्पादन, विनिर्माण, आयात, निर्यात, परिवहन, बिक्री, वितरण, भंडारण और विज्ञापन पर रोक लगाता है।
  - तंबाकू नियंत्रण पर WHO की रिपोर्ट में भारत में ई-सिगरेट पर प्रतिबंध लगाने के लिए रैंकिंग दी गई है। इसके लिए स्वास्थ्य सुविधाओं को 10 में से 8, स्कूलों को 6 और विश्वविद्यालयों को 5 रेटिंग मिली है।
- **OTT प्लेटफॉर्म्स पर तंबाकू-रोधी स्वास्थ्य चेतावनी:** सरकार ने OTT प्लेटफॉर्म्स के लिए यह अनिवार्य बना दिया है कि वे तंबाकू के सेवन वाले दृश्यों में स्क्रीन के नीचे चेतावनी संबंधी संदेश को अवश्य प्रदर्शित करें।

6.8. संक्षिप्त सुर्ख़ियां (News in Shorts)

6.8.1. गर्भ का चिकित्सकीय समापन (MTP) अधिनियम {Medical Termination of Pregnancy (MTP) Act}

- सुप्रीम कोर्ट ने **बलात्कार पीड़िता को उसके 24 सप्ताह से अधिक के गर्भ को समाप्त करने की अनुमति** दी है।

- **गर्भ का चिकित्सकीय समापन (MTP) (संशोधन) अधिनियम, 2021 बलात्कार पीड़िताओं को उनके 24 सप्ताह तक के गर्भ को समाप्त** करने की अनुमति देता है (तालिका देखें)।
    - MTP अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करके किया जाने वाला कोई भी **गर्भपात भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 312 और 313** के तहत दंडनीय अपराध माना जाता है।
- हालांकि हाल ही में, सुप्रीम कोर्ट ने बलात्कार की एक पीड़िता को इस आधार पर उसके **27-सप्ताह के गर्भ को समाप्त करने** की अनुमति दी थी कि वह उसकी **इच्छा के खिलाफ गर्भवती** हुई थी।
- **MTP अधिनियम , 2021 के मुख्य प्रावधान:**

गर्भावस्था की अवधि	गर्भ को समाप्त करने की प्रक्रिया
20 सप्ताह तक	• **एक चिकित्सक की सलाह पर सभी महिलाओं** को अनुमति है।
20-24 सप्ताह	• कम-से-कम **दो चिकित्सकों की सलाह पर केवल निम्नलिखित दो परिस्थितियों** में ही गर्भ की समाप्ति की अनुमति है- ○ बच्चे को गंभीर बीमारी होने का खतरा या ○ महिला के जीवन या मानसिक स्वास्थ्य को खतरा। • यह **बलात्कार पीड़िताओं, परिवार के सदस्यों द्वारा व्यभिचार की पीड़ित महिलाओं और अन्य सुभेद्य महिलाओं** जैसे- दिव्यांग, नाबालिग आदि के लिए उपलब्ध है। ○ इसके तहत **सभी विवाहित या अविवाहित महिलाओं** को शामिल किया गया है।
24 सप्ताह से अधिक	• **केवल भ्रूण की असामान्य स्थिति में मेडिकल बोर्ड की सलाह पर गर्भ की समाप्ति की अनुमति** है। • **सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के लिए एक मेडिकल बोर्ड का गठन करना अनिवार्य** किया गया है। इसमें स्त्री रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ आदि शामिल होंगे।

6.8.2. ग्रामीण भारत में शिक्षा की स्थिति रिपोर्ट (State of Education in Rural India Report)

- यह रिपोर्ट **ट्रांसफॉर्मिंग रूरल इंडिया फाउंडेशन (TRIF) और संबोधि प्राइवेट लिमिटेड की एक पहल के तहत डेवलपमेंट इंटेलिजेंस यूनिट (DIU)** ने तैयार की है।
- **प्रमुख निष्कर्ष:**
    - **आकांक्षाए:** ग्रामीण भारत में 78 प्रतिशत माता-पिता ऐसे हैं, जो अपनी बेटियों को स्नातक और उससे आगे तक पढ़ाने की इच्छा रखते हैं।
    - **स्कूल ड्रॉपआउट:** प्राथमिक स्कूली शिक्षा के दौरान 35 प्रतिशत लड़कियां बीच में ही पढ़ाई छोड़ देती हैं। लड़कों के मामले में यह संख्या 25 प्रतिशत है।
    - **स्मार्ट फोन तक पहुंच:** कक्षा 8 और उससे ऊपर की कक्षाओं में पढ़ने वाले छात्रों की स्मार्टफोन तक अधिक पहुंच (58.32%) है। इसकी तुलना में, कक्षा I-III तक के छात्रों की कम पहुंच (42.1%) है।

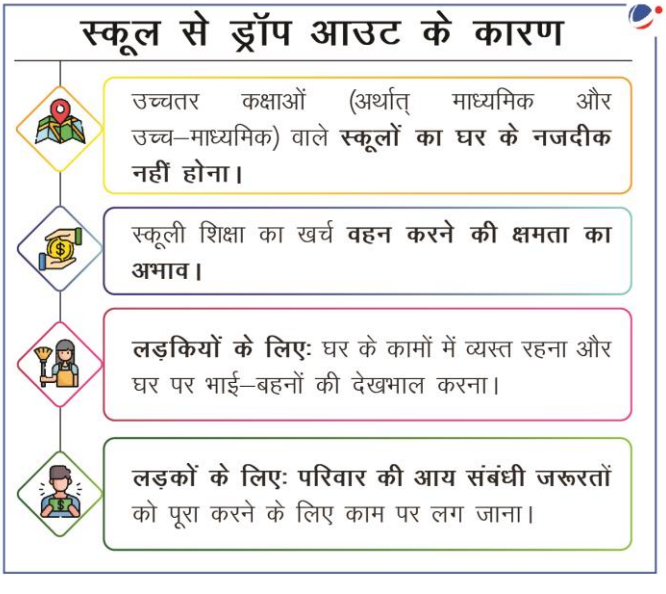

- **सिफ़ारिश:** स्कूलों में सामुदायिक स्वामित्व और समुदाय/ अभिभावक सहभागिता के जरिए स्कूली शिक्षा में मौजूदा विश्वास की कमी को दूर किया जा सकता है।
- **शिक्षा के लिए सरकारी पहलें:** समग्र शिक्षा, मध्याह्न भोजन, शिक्षा का अधिकार अधिनियम, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय और पीएम पोषण योजना आदि।

6.8.3. विदेशी शैक्षणिक संस्थानों से प्राप्त योग्यताओं को मान्यता और समकक्षता प्रदान करना (Recognition and Grant of Equivalence To Qualifications from FHEI)

- **विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC)** ने "विदेशी शैक्षणिक संस्थानों से प्राप्त योग्यताओं को मान्यता और समकक्षता प्रदान करने के लिए विनियम, 2023" का मसौदा प्रस्तुत किया है।
- UGC ने **"विदेशी उच्चतर शिक्षा संस्थान" (FHEI)** को परिभाषित किया है। UGC के अनुसार FHEI का आशय एक ऐसे उच्चतर शिक्षा संस्थान से है, जिसे विदेशों में स्थापित/ निगमित किया गया हो या वह वहीं मान्यता प्राप्त हो। साथ ही, जहां स्नातक और/ या उच्चतर शैक्षणिक/ अनुसंधान कार्यक्रम की सुविधा उपलब्ध हो।

- **इस मसौदा विनियमन के मुख्य उपबंधों पर एक नज़र**
  - **मान्यता (Recognition):** यदि कोई छात्र गृह देश (संस्थान के) द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान में भौतिक रूप से उपस्थित रहता है, तभी उसकी FHEI की डिग्री को मान्यता दी जाएगी और उसे अन्य समान डिग्री के समकक्ष माना जाएगा।
  - **प्रयोज्यता (Applicability):** इसके उपबंध किसी विदेशी बोर्ड के तहत संचालित स्कूलों या किसी भारतीय और विदेशी उच्चतर शैक्षणिक संस्थान के विदेशी परिसर से प्राप्त योग्यता पर लागू होंगे।
    - यह विनियमन **ऑनलाइन और दूरस्थ शिक्षा माध्यमों से प्राप्त योग्यताओं पर लागू** नहीं होगा।
  - कार्यक्रम में प्रवेश के लिए **प्रवेश स्तर की शर्तें भी भारत में संगत कार्यक्रम में प्रवेश के लिए निर्धारित शर्तों की तरह** होनी चाहिए।
  - **समकक्षता:** UGC विदेशी डिग्रियों को समकक्षता प्रदान करेगा।
- **भारत में FHEI के लिए आरंभ की गई पहलें:**
  - **केंद्रीय बजट 2022-23** में घोषणा की गई थी कि गुजरात की **GIFT सिटी में विदेशी विश्वविद्यालयों को घरेलू विनियमों से मुक्त** पाठ्यक्रम संचालित करने की **अनुमति** दी जाएगी।
  - **राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP), 2020 में भारत में विदेशी विश्वविद्यालयों के परिसरों** की स्थापना तथा उनके साथ सहयोग का प्रावधान किया गया है।
  - UGC ने **भारत में विदेशी उच्चतर शिक्षा संस्थानों (FHEIs) के परिसरों की स्थापना और संचालन विनियमन, 2023** जारी किए हैं।

6.8.4. छात्रों के आत्महत्या के मामले (Suicide Cases Among Students)

- **राजस्थान सरकार** छात्रों के बीच आत्महत्या के मामलों को रोकने के लिए एक सलाहकार **समिति का गठन** करेगी।
- सरकार ने यह निर्णय कोटा जिले में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों द्वारा की जा रही **आत्महत्याओं के बढ़ते मामलों** को देखते हुए लिया है।
- राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) के अनुसार, **पिछले पांच वर्षों में छात्रों द्वारा आत्महत्या करने से होने वाली मौतों की संख्या लगातार बढ़** रही है। यह संख्या **2021 में 4.5 प्रतिशत बढ़कर 13,000** से अधिक हो गई थी।
- **छात्रों द्वारा आत्महत्या करने के कारण:**
  - **पढ़ाई का दबाव:** माता-पिता की उम्मीदें और समाज का अप्रत्यक्ष दबाव अलगाव का कारण बन जाता है।
  - **हॉस्टल में जीवन का नया तरीका:** घर से दूर जीवन, सांस्कृतिक आघात, अलग खान-पान, और इम्पोस्टर सिंड्रोम (किसी की क्षमता पर संदेह करना)।

- **रैगिंग:** विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) के डेटा के अनुसार, पिछले 5.5 वर्षों में रैगिंग के कारण कम-से-कम 25 छात्रों ने आत्महत्या की थी।
- **अन्य मुद्दे:** जैसे **किशोरावस्था की कठिनाइयां, मानसिक स्वास्थ्य की समस्या, मादक द्रव्यों का सेवन** इत्यादि।

6.8.5. डिजिटल स्वास्थ्य पर वैश्विक पहल {Global Initiative on Digital Health (GIDH)}

- हाल ही में, **विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) और भारत की अध्यक्षता में G20 ने डिजिटल स्वास्थ्य पर वैश्विक पहल (GIDH)** की भी घोषणा की।
- **GIDH का लक्ष्य है:**
  - **डिजिटल स्वास्थ्य पर वैश्विक रणनीति 2020-2025**[116] का समर्थन करने के प्रयासों में ताल-मेल बिठाना।
    - इस रणनीति का लक्ष्य स्वास्थ्य संबंधी सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) को प्राप्त करने हेतु **उचित डिजिटल स्वास्थ्य समाधानों के विकास** और **उन्हें अपनाने में तेजी लाकर, हर जगह सभी के लिए स्वास्थ्य में सुधार करना** है।

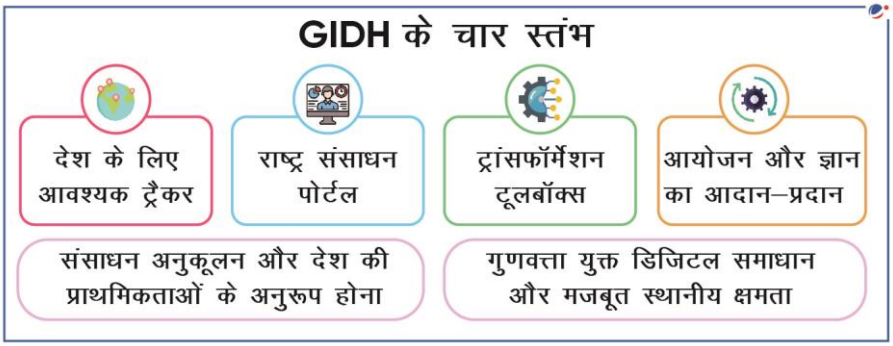

  - **सुनिश्चित गुणवत्ता वाली तकनीकी सहायता का समर्थन** करना, ताकि सर्वोत्तम वैश्विक प्रथाओं, मानदंडों और मानकों के अनुरूप मानक-आधारित तथा समरूप प्रणाली को विकसित तथा मजबूत किया जा सके।
  - सुनिश्चित गुणवत्ता वाले ऐसे रूपांतरणकारी डिजिटल उपकरणों के योजनाबद्ध उपयोग को सुगम बनाना, जो सरकारों को उनके **डिजिटल स्वास्थ्य रूपांतरण प्रयासों के प्रबंधन में सक्षम** बनाते हों।
- GIDH **प्रयासों के दोहराव जैसी चुनौतियों का समाधान** करेगा और चार मूलभूत स्तंभों पर ध्यान केंद्रित करके **'उत्पाद-केंद्रित' डिजिटल स्वास्थ्य रूपांतरण को सक्षम** बनाएगा।

6.8.6. 'डिजिटल इन हेल्थ - अनलॉकिंग वैल्यू फॉर एवरीवन' रिपोर्ट (Digital in Health – Unlocking Value for Everyone Report)

- हाल ही में, विश्व बैंक ने **'डिजिटल इन हेल्थ - अनलॉकिंग वैल्यू फॉर एवरीवन'** शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है।
- यह रिपोर्ट डिजिटल स्वास्थ्य निवेश के बारे में सोचने का एक नया तरीका प्रस्तुत करती है। इसमें स्वास्थ्य डेटा के डिजिटलीकरण की बजाय **'डिजिटल तकनीक' और 'स्वास्थ्य' को एकीकृत (डिजिटल-इन-हेल्थ) करने** पर ध्यान केंद्रित किया गया है।
  - उदाहरण के लिए- स्वास्थ्य वित्त-पोषण, सेवा अदायगी, निदान, चिकित्सा-शिक्षा, महामारी की तैयारी, जलवायु और स्वास्थ्य संबंधी प्रयासों, पोषण तथा एजिंग में डिजिटल प्रौद्योगिकियों को शामिल करना।
- **डिजिटल-इन-हेल्थ समानता, दक्षता और प्रभावशीलता में सुधार** करता है। इसमें नई और बेहतर सेवाओं के साथ अधिक लोगों को सेवा प्रदान की जा सकती है, जिसमें वित्तीय तनाव भी कम होता है।
- **डिजिटल-इन-हेल्थ** की मानसिकता **वार्षिक स्वास्थ्य प्रणाली नियोजन, बजट और कार्यान्वयन का एक नियमित पहलू** होना चाहिए।
- **मुख्य सिफारिशें**
  - **प्राथमिकता देना:** स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियों को हल करने और वंचितों तक पहुंचने के लिए डिजिटल स्वास्थ्य हस्तक्षेप को प्राथमिकता देने की आवश्यकता है।

[116] Global Strategy on Digital Health 2020-2025

- **कनेक्ट:** बेहतर और निर्बाध स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए अलग-अलग क्षेत्रकों के भीतर व उनके बीच वैश्विक तथा क्षेत्रीय सहयोग, नेतृत्व एवं साझेदारी सुनिश्चित की जानी चाहिए।
- **पैमाना:** सभी के लिए स्वास्थ्य देखभाल तक समान पहुंच सुनिश्चित करने हेतु डिजिटल कौशल और साक्षरता तथा वित्त-पोषण के लिए सार्वजनिक-निजी भागीदारी को बढ़ावा देने की जरूरत है।

QUIZ SMART QUIZ	विषय की समझ और अवधारणाओं के स्मरण की अपनी क्षमता के परीक्षण के लिए आप हमारे ओपन टेस्ट ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर **सामाजिक मुद्दे** से संबंधित स्मार्ट क्विज़ का अभ्यास करने हेतु इस QR कोड को स्कैन कर सकते हैं।	

7. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी (Science and Technology)

7.1. चंद्रयान-3 की सॉफ्ट लैंडिंग (Chandrayaan-3 Soft Landing)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, चंद्रयान-3 के लैंडर ने **चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक 'सॉफ्ट लैंडिंग'** की।

अन्य संबंधित तथ्य

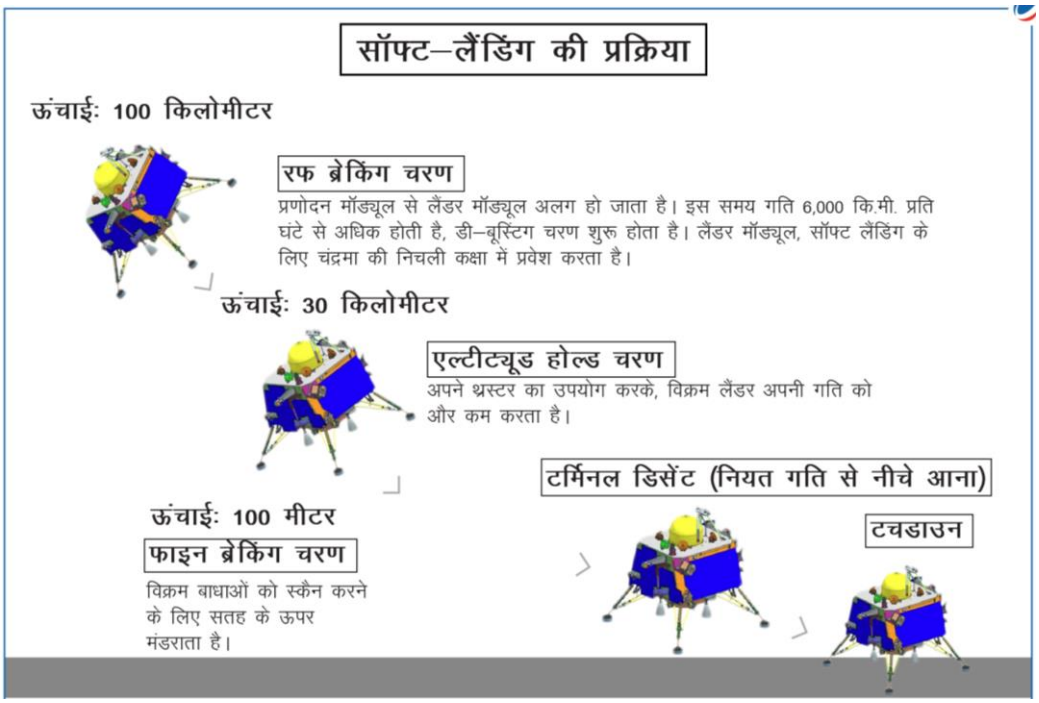

- चंद्रयान-3 के लैंडर **'विक्रम' ने जिस स्थान पर सॉफ्ट लैंडिंग** की, उसका नाम **'शिव शक्ति पॉइंट'** रखा गया है।
- वह स्थान जहां 2019 में चंद्रयान-2 का लैंडर चंद्रमा की सतह पर लैंड करते हुए दुर्घटनाग्रस्त हुआ था, उसका नाम **'तिरंगा प्वाइंट'** रखा गया है।
- चंद्रयान-3 का लैंडर चंद्रमा की सतह पर 23 अगस्त को उतरा था। इस दिन को **'राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस'** के रूप में मनाया जाएगा।
- **चंद्रयान-3 के तीन उद्देश्य हैं/थे:**
  - **पूर्ण हो चुके उद्देश्य:**
    - चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित और सॉफ्ट लैंडिंग करना।
    - चंद्रमा पर रोवर को चलाना।
  - **जारी उद्देश्य:**
    - चंद्रमा पर (In-situ) वैज्ञानिक परीक्षण करना। **(लैंडर और रोवर पर वैज्ञानिक पेलोड लगे हैं। मिशन (लैंडर और रोवर) का जीवन काल एक चंद्र दिवस है, जो पृथ्वी के 14 दिन के बराबर है।**
- **चंद्रयान-3 के विक्रम लैंडर ने सफलतापूर्वक 'हॉप प्रयोग'** को संपन्न किया है। इस प्रयोग के दौरान कमांड देने पर लैंडर का इंजन शुरू हो गया और लैंडर चंद्रमा की सेहत से अपेक्षा अनुरूप 40 से.मी. तक ऊपर उठा और सुरक्षित रूप से फिर से लैंड हो गया।
  - इस **'किक-स्टार्ट' प्रयोग की सफलता** ने भविष्य के मिशनों जैसे **चंद्रमा से सैंपल को पृथ्वी पर वापस लाने और मानवयुक्त मिशन की उम्मीदें** जगा दी हैं।

शब्दावली को जानें

- **प्लाज्मा: यह पदार्थ की चौथी अवस्था** है। यह अत्यंत गर्म गैस है जिसके कुछ या सभी घटक परमाणु **इलेक्ट्रॉनों और आयनों** में विभाजित हो जाते हैं।
  - इसे मोटे तौर पर **धनात्मक आवेशित कणों** (आयनों) और **ऋणात्मक आवेशित कणों** (इलेक्ट्रॉनों) के मिश्रण के रूप में देखा जा सकता है।

चंद्रयान-3 से अब तक प्राप्त प्रमुख निष्कर्ष

- **तापमान:** विक्रम लैंडर पर लगे चंद्रा सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट (ChaSTE) पेलोड ने चंद्रमा की सतह के तापीय व्यवहार को समझने के लिए चंद्रमा की ऊपरी मृदा के तापमान का मापन किया।
  - ऐसा माना जाता था कि चंद्रमा की सतह पर तापमान **20 डिग्री सेंटीग्रेड से 30 डिग्री सेंटीग्रेड** के आस-पास हो सकता है, **लेकिन यह 70 डिग्री सेंटीग्रेड है।**

- **चंद्रमा पर मौजूद तत्व:** 'प्रज्ञान' रोवर पर लगे **लेजर-इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप** उपकरण ने **दक्षिणी ध्रुव के पास चंद्रमा की सतह पर सल्फर की उपस्थिति** की "स्पष्ट रूप से पुष्टि" की है।
    - साथ ही, एल्युमिनियम (Al), कैल्शियम (Ca), आयरन (Fe), क्रोमियम (Cr), टाइटेनियम (Ti), मैंगनीज (Mn), सिलिकॉन (Si), और ऑक्सीजन (O) जैसे अन्य तत्वों का भी पता लगा है।
- **विरल प्लाज्मा: 'लैंगमुइर प्रोब'** ने **चंद्रमा की सतह पर विरल प्लाज्मा की उपस्थिति का पता लगाया** है। **लैंगमुइर प्रोब एक उपकरण जो प्लाज्मा के गुणों को मापता** है।
    - यह खोज दर्शाती है कि रेडियो तरंगें चन्द्रमा के विरल प्लाज्मा आवरण से आसानी से गुजर सकती हैं, जो चंद्र मिशनों के साथ संचार के लिए एक महत्वपूर्ण घटक है।
- **प्राकृतिक भूकंपीय गतिविधि:** इंस्ट्रूमेंट फॉर लूनर सिस्मिक एक्टिविटी (ILSA) पेलोड के आंकड़े चंद्रमा पर भूकंप की संभावना का संकेत देते हैं, लेकिन इसकी सटीक प्रकृति की अभी जांच चल रही है।
- **क्रेटर:** चंद्रयान-3 के रोवर ने चंद्रमा की सतह पर 4 मीटर व्यास वाले क्रेटर की खोज की है।

निष्कर्ष

चंद्रयान-3 केवल चंद्रमा के लिए एक मिशन मात्र नहीं है, बल्कि यह **भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए एक बड़ी भी उपलब्धि है। साथ ही, यह ब्रह्मांड को लेकर हमारी समझ को और बेहतर बनाने में योगदान भी देगा।**

नोट: चंद्रयान-3 के बारे में और अधिक जानकारी के लिए कृपया जुलाई, 2023 की मासिक समसामयिकी (आर्टिकल 7.1 चंद्रयान-3) देखें।

7.1.1 अंतरिक्ष की प्रतिस्पर्धा में भारत की स्थिति (India's Race to Space)

सुर्ख़ियों में क्यों?

मंगल, चंद्रमा और सौर मिशनों के सफल प्रक्षेपण के साथ, **भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) अंतरिक्ष अन्वेषण के क्षेत्र में एक उभरती शक्ति के रूप में भारत की स्थिति को मजबूत कर रहा है।**

अंतरिक्ष में प्रतिस्पर्धा की पृष्ठभूमि

- **अंतरिक्ष में प्रतिस्पर्धा:** यह 20वीं सदी के मध्य के शीत युद्ध का परिणाम है। यह वह दौर था जब **सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच** अंतरिक्ष अन्वेषण में एक-दूसरे से आगे निकलने की होड़ लगी थी।
- **भारत में अंतरिक्ष अनुसंधान:** भारत में अंतरिक्ष अन्वेषण से जुड़ी गतिविधियां 1960 के दशक की शुरुआत में आरंभ की गईं। **इसके बाद 1969 में इसरो की स्थापना हुई।**
    - इस क्रम में एक प्रमुख उपलब्धि **पहले प्रक्षेपण यान SLV-3 का विकास** था। **1980 में इसका पहला सफल प्रक्षेपण** किया गया था।
    - 1990 के दशक के दौरान, **ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान (PSLV)[117] का विकास** और परिचालन तथा **जियोसिंक्रोनस उपग्रह प्रक्षेपण यान (GSLV)[118] का विकास** महत्वपूर्ण उपलब्धियां थीं।

[117] Polar Satellite Launch Vehicle

[118] Geosynchronous Satellite Launch Vehicle

हालिया सफलताएं

- **मार्स ऑर्बिटर मिशन या मंगलयान- 2013:** भारत **अपने पहले प्रयास में मंगल ग्रह की कक्षा तक पहुंचने वाला पहला देश** बन गया।
- **एक प्रक्षेपण में 104 उपग्रह:** 2017 में, PSLV C-37 ने एक ही प्रक्षेपण के दौरान 104 उपग्रहों को सफलतापूर्वक कक्षा में स्थापित करके विश्व रिकॉर्ड बनाया।
- **चंद्रयान-3:** चंद्रयान-3 की सफल लैंडिंग के साथ ही भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास लैंडिंग करने वाला पहला देश बन गया।

भारतीय अंतरिक्ष क्षेत्रक के उभरते रुझान

- **बढ़ता व्यवसायीकरण:** इसरो स्वतंत्र रूप से **अंतरिक्ष गतिविधियों के संचालन के लिए गैर-सरकारी संस्थाओं (NGE)[119] को सक्रिय रूप से बढ़ावा** दे रहा है।
  - उदाहरण के लिए- **IN-SPACe** गैर-सरकारी संस्थाओं को बढ़ावा देने और अंतरिक्ष क्षेत्रक से संबंधित प्रस्ताव प्राप्त करने के लिए सिंगल विंडो एजेंसी के रूप में काम कर रहा है।
- **अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाना:** इसरो ने कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। इनमें **आर्टेमिस समझौता**; **जापान की अंतरिक्ष एजेंसी के साथ संयुक्त चंद्र मिशन; सार्क उपग्रह लॉन्च करना और नासा के साथ उन्नत रडार उपग्रह NISAR पर सहयोग** शामिल हैं।
- **चुनौतीपूर्ण अंतरिक्ष मिशनों पर जोर:** भारत मंगलयान मिशन (मार्स ऑर्बिटर मिशन) के जरिए मंगल ग्रह की कक्षा में पहुंचने वाला पहला एशियाई देश बना और अब चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला पहला देश बन गया है।
- **नई प्रौद्योगिकियों का विकास:** इसरो पुन: उपयोग किए जा सकने वाले प्रक्षेपण यान[120] और इन्फ्लैटेबल एयरोडायनामिक डिसलेरेटर (IAD) जैसी नई प्रौद्योगिकियों के विकास पर काम कर रहा है।
- **उपग्रह-आधारित सेवाओं का विस्तार:** इसरो रिमोट सेंसिंग, उपग्रह-आधारित नेविगेशन और उपग्रह-आधारित मौसम विज्ञान जैसे क्षेत्रों में उपग्रह-आधारित सेवाएं प्रदान करता है। यह भविष्य में **ऐसी सेवाओं की दिशा में और विस्तार करने की ओर अग्रसर है।**

अंतरिक्ष अन्वेषण में भारत की मजबूत स्थिति के फायदे

- **भू-राजनीतिक महत्त्व:** अंतरिक्ष महाशक्ति के रूप में रूस के पिछड़ने और अंतरिक्ष आधारित गतिविधियों के व्यावसायीकरण में भाग लेने, नवाचार एवं अन्य समर्थन के चलते इस क्षेत्रक में भारत अपनी क्षमता को बढ़ा रहा है। इससे भारत वैश्विक स्तर पर अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के अग्रणी उत्पादकों में से एक बन सकेगा।
- **भारत एक अंतरिक्ष स्टार्ट-अप केंद्र के रूप में:** भारत में लगभग 150 पंजीकृत अंतरिक्ष-तकनीक आधारित स्टार्ट-अप्स हैं। यह भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम को वैश्विक अंतरिक्ष बाजार में लागत-प्रतिस्पर्धी बने रहने में सक्षम बनाएगा।
- **उपग्रह प्रक्षेपण के लिए अग्रणी राष्ट्र:** लगभग 95% की सफलता दर के साथ, भारत के पास अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में महारत हासिल करने और इस क्षेत्रक में वैश्विक स्तर पर अग्रणी बनने के लिए आवश्यक साधन, बेहतर अवसंरचना और युवा प्रतिभा उपलब्ध हैं।
  - इस क्रम में इसरो को **लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान (SSLV)** से और सहायता मिलेगी।
- **राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बाहरी अंतरिक्ष का उपयोग:** चीन की एंटी-सैटेलाइट (ASAT) क्षमता ने भारत को अपनी ASAT क्षमता विकसित करने और उसका परीक्षण करने के लिए प्रेरणा प्रदान की है।

---

[119] Non-Governmental Entities

[120] Reusable Launch Vehicles

भारत में कुछ अंतरिक्ष स्टार्ट-अप्स

- **स्काईरूट एयरोस्पेस:** यह भारत से निजी रॉकेट (विक्रम-S) लॉन्च करने वाला पहला भारतीय स्टार्ट-अप है।
- **अग्निकुल कॉस्मॉस:**
  - इसने अपने **3D-प्रिंटेड रॉकेट इंजन 'अग्निलेट'** का सफलतापूर्वक **फ्लाइट एक्सेप्टेन्स टेस्ट** संपन्न किया।
  - अग्निकुल ने भारत के पहले निजी तौर पर डिजाइन और संचालित किए गए **रॉकेट लॉन्च-पैड और मिशन कंट्रोल सेंटर** का भी अनावरण किया है।
- **पिक्सल्स:** यह हाइपरस्पेक्ट्रल अर्थ इमेजिंग सैटेलाइट का समूह और इससे प्राप्त डेटा से जानकारी हासिल करने के लिए विश्लेषणात्मक साधनों का निर्माण कर रहा है।
- **ध्रुव स्पेस:** यह स्टार्ट-अप **उपग्रह संबंधी सेवाएं** प्रदान करता है। साथ ही, यह अर्थ स्टेशन और उपग्रह प्रक्षेपण से जुड़ी सेवाएं भी उपलब्ध कराता है। इस प्रकार, यह एक ही जगह पर कई एकीकृत समाधान (उपग्रह, प्रक्षेपण सेवाएं आदि) उपलब्ध कराता है।

निष्कर्ष

इसमें कोई संदेह नहीं है कि **भारतीय अंतरिक्ष क्षेत्रक आने वाले वर्षों में और विकसित व बेहतर होने के लिए तैयार है। अतः भारत एक लागत-प्रभावशीलता, आत्मनिर्भरता और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग** के साथ अंतरिक्ष के क्षेत्र में प्रमुख शक्ति बन सकेगा।

7.2. सुपरकंडक्टिविटी (Superconductivity)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, कमरे के तापमान पर **सुपरकंडक्टिविटी (अतिचालकता) को दर्शाने वाले पदार्थ 'LK-99' की खोज का दावा झूठा** पाया गया है।

अन्य संबंधित तथ्य

- इससे पहले, **साउथ कोरिया के वैज्ञानिकों के एक समूह ने दो शोध पत्र प्रकाशित** किए थे। इन शोध पत्रों में यह दावा किया गया था कि उन्होंने LK-99 नामक एक ऐसे पदार्थ की खोज की है जो कमरे के तापमान (Room-temperature) पर सुपरकंडक्टिविटी का गुण दर्शाता है।
- **LK-99, गहरे भूरे रंग का एक ठोस पदार्थ** है। इसका निर्माण सीसा, ऑक्सीजन, सल्फर और फास्फोरस के चूर्ण यौगिकों के मिश्रण को अत्यधिक तापमान पर गर्म करने पर होता है।

क्या आप जानते हैं?

- अतिचालकता/ सुपरकंडक्टिविटी की घटना की खोज **1911 में हेइके कामेरलिंग ओन्स** ने की थी।
- लगभग परम शून्य (–273.15°C या 0 K) तापमान पर **पारे के गुणधर्मों की जांच करते समय** उन्होंने विद्युत प्रतिरोध (Electric resistance) में अचानक गिरावट की खोज की थी।

सुपरकंडक्टिविटी के बारे में

- सुपरकंडक्टिविटी एक ऐसी परिघटना है जिसमें कुछ पदार्थ **क्रांतिक तापमान (Critical Temperature: Tc)** से नीचे ठंडा होने पर **शून्य विद्युत प्रतिरोध (अर्थात् बिना किसी प्रतिरोध के विद्युत धारा का प्रवाह)** और **पूर्ण प्रतिचुम्बकत्व का गुण दर्शाते हैं।**
  - क्रांतिक ताप वह तापमान है जिस पर **कोई पदार्थ आकस्मिक रूप से सामान्य चालक अवस्था से अतिचालक अवस्था में परिवर्तित** हो जाता है।
  - जब किसी पदार्थ को उसके क्रांतिक ताप से नीचे ठंडा किया जाता है तो वह सुपरकंडक्टर अवस्था को प्राप्त कर लेता है। इस प्रक्रिया के दौरान **पदार्थ पूर्ण प्रतिचुम्बकत्व** की स्थिति में आ जाता है। इसे **माइस्नर प्रभाव** (Meissner Effect) कहा जाता है।

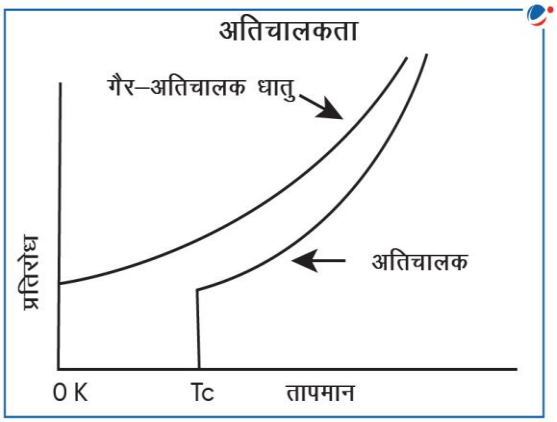

- वर्तमान में, **सुपरकंडक्टिविटी** केवल बहुत कम तापमान अर्थात् **शून्य से -250 डिग्री सेल्सियस** से नीचे पर ही प्राप्त की जा सकती है।
  - **पारा, सीसा, एल्युमीनियम, टिन, नाइओबियम** जैसे पदार्थ क्रांतिक ताप (Tc) पर सुपरकंडक्टर गुण को प्रदर्शित करते हैं।
  - कुछ मामलों में, **पदार्थ** अतिरिक्त दाब की स्थिति में थोड़ा **अधिक तापमान** पर भी **सुपरकंडक्टिविटी गुण को प्रदर्शित** कर सकते हैं।
  - वैज्ञानिक एक ऐसे पदार्थ की खोज कर रहे हैं जो **कमरे के तापमान पर सुपरकंडक्टिविटी गुण का प्रदर्शन** करने में सक्षम हो।

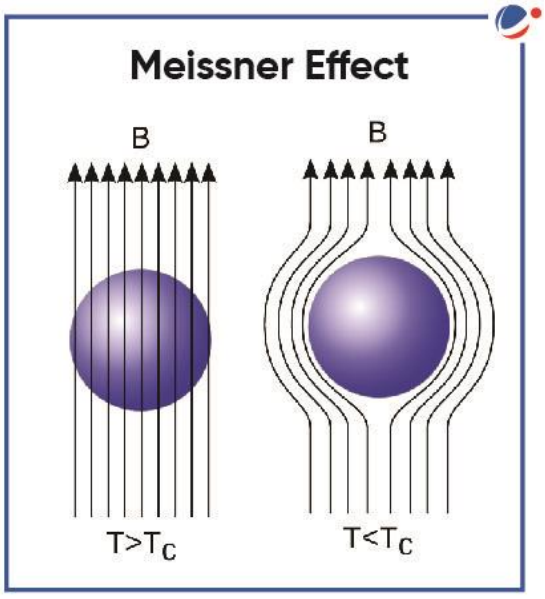

- **शून्य प्रतिरोध कैसे प्राप्त किया जाता है?**
  - **सामान्य परिस्थितियों में,** क्रिस्टलीय ठोस से गुजरने के दौरान **इलेक्ट्रॉन्स को प्रतिरोध या बाधा का सामना करना पड़ता** है। यह प्रतिरोध, क्रिस्टलीय जालीनुमा संरचना में कंपन करने वाले परमाणुओं के साथ इलेक्ट्रॉन्स की होने वाली अंतः क्रिया के परिणामस्वरूप उत्पन्न होता है।
  - हालांकि, कुछ पदार्थों में, **जब तापमान एक क्रांतिक स्तर से कम हो जाता है तो इलेक्ट्रॉन्स आपस में शिथिल बंधन में युग्मित हो जाते** हैं। इन युग्मों को **कूपर युग्म** (Cooper pairs) कहा जाता है।
  - **कूपर युग्म में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स क्रिस्टलीय जालीनुमा संरचना में कंपन से प्रभावित नहीं होते हैं। ऐसे में इलेक्ट्रॉन्स** क्रिस्टलीय ठोस से बिना किसी बाधा के आगे बढ़ते रहते हैं। यह किसी पदार्थ के सुपरकंडक्टिविटी और शून्य प्रतिरोध का गुण प्रदर्शित करता है।

कमरे के तापमान पर सुपरकंडक्टिविटी

- **कमरे के तापमान वाला सुपरकंडक्टर** एक ऐसा पदार्थ है जो ऑपरेटिंग तापमान पर सुपरकंडक्टिविटी गुण प्रदर्शित करने में सक्षम होता है। इस मामले में 0 डिग्री सेल्सियस (273 K; 32 °F) से ऊपर का तापमान ऑपरेटिंग तापमान है।
- कमरे के तापमान पर सुपरकंडक्टिविटी की प्राप्ति की प्रक्रिया **कई अन्य पहलुओं से प्रभावित** होती है, जैसे कि:
  - **सुपरकंडक्टिविटी के लिए अत्यधिक दाबपूर्ण स्थितियों का निर्माण कर पाना कठिन** होता है। साथ ही, हो सकता है कि पदार्थ इन चरम स्थितियों को सहन भी न कर पाएं।
  - उच्चतर तापमान पर **कूपर युग्म नहीं** बनते हैं।
  - कमरे के तापमान पर **तापीय ऊर्जा अपेक्षाकृत अधिक होती है, जिससे इलेक्ट्रॉन्स के लिए कूपर युग्म बना पाना** और इस ऊर्जा अवरोध को दूर कर पाना **मुश्किल** हो जाता है।

कमरे के तापमान पर सुपरकंडक्टिविटी की प्राप्ति के लाभ:

- इससे ग्रिड के जरिए **उच्च दक्षता और कम खर्च में विद्युत का ट्रांसमिशन** संभव हो सकेगा, इससे ऊर्जा की लागत में कमी आएगी। उदाहरण के लिए- सुपरकंडक्टिंग जनरेटर; सुपरकंडक्टिंग चुंबकीय ऊर्जा भंडारण, ट्रांसमिशन लाइनें, ट्रांसफार्मर का निर्माण इत्यादि।
- इससे बेहतर इमेज रिज़ॉल्यूशन और तेजी से स्कैनिंग करने वाले उन्नत **मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग (MRI) प्रौद्योगिकी** संभव हो पाएगी। इससे रोगी को सटीक निदान और बेहतर उपचार किया जा सकेगा।
- **यह मैग्नेटिक लेविटेशन (मैग्लेव) ट्रेन तकनीक की लागत** कम कर सकती है क्योंकि सुपरकंडक्टिविटी से ऐसी तकनीकों के लिए आवश्यक परिस्थितियों को सरलता से निर्मित किया जा सकता है।
- इसके जरिए **कुशल और कम ऊर्जा खपत वाले सुपर-कंप्यूटर्स का निर्माण** किया जा सकता है। इससे जटिल सिमुलेशन, डेटा विश्लेषण, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित उपयोग जैसे कार्यों को आसानी से पूरा किया जा सकता है।
- इससे **कुशल और तीव्र ऊर्जा भंडारण तथा जरूरत के अनुसार इसका उपयोग करना संभव हो सकेगा। इससे** नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के मामले में इंटरमिटेंसी की समस्याओं का समाधान हो सकेगा।
- **विज्ञान और अनुसंधान:** इसका लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर (LHC) जैसे अलग-अलग प्रयोगों के लिए एक्सेलरेटर और न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस (NMR) के रूप में उपयोग किया जा सकता है।

सुपरकंडक्टिविटी में अनुसंधान हेतु दिए गए नोबेल पुरस्कार

- **हेइके कामेरलिंग ओन्स (1913):** इन्हें सुपरकंडक्टिविटी की खोज (1911) के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया।
- **जॉन बार्डीन, लियोन कूपर, और रॉबर्ट श्राइफ़र (1972):** बार्डीन-कूपर-श्राइफ़र सिद्धांत (BCS सिद्धांत) के विकास के लिए इन्हें पुरस्कार दिया गया था। इस सिद्धांत द्वारा पारंपरिक सुपरकंडक्टर्स में सुपरकंडक्टिविटी के तंत्र की व्याख्या की गई है।
- **ब्रायन डी. जोसेफसन, लियो एसाकी और इवर जियाएवर (1973):** इन्हें सुपरकंडक्टिंग पदार्थों में देखे गए जोसेफसन प्रभाव के पूर्वानुमान हेतु पुरस्कार प्रदान किया गया था।
- **प्योत्र लियोनिद विच कपित्जा (1978):** इन्हें निम्न-ताप भौतिकी (low-temperature physics) के क्षेत्र में बुनियादी आविष्कारों और खोजों के लिए पुरस्कार प्रदान किया गया था।
- **के. अलेक्जेंडर मुलर और जे. जॉर्ज बेडनोर्ज़ (1987):** इन्हें कॉपर ऑक्साइड (कप्रेट) पदार्थ में उच्च ताप पर सुपरकंडक्टिविटी की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था।

7.3. संक्षिप्त सुर्ख़ियां (News in Shorts)

7.3.1. इंडिया स्टैक (India Stack)

- भारत ने इंडिया स्टैक साझा करने हेतु **त्रिनिदाद और टोबैगो** के साथ समझौता ज्ञापन (MoU)[121] पर हस्ताक्षर किए हैं।
- इस समझौता ज्ञापन का उद्देश्य **परस्पर डिजिटल प्रगति के लिए अनुकूलित इंडिया स्टैक समाधानों को अपनाने में मदद** करना है। इन समाधानों में **डिजिटल पहचान, डेटा और डिजिटल भुगतान सेवाएं** शामिल हैं।
  - इससे पहले भी भारत ने इंडिया स्टैक साझा करने के लिए **पापुआ न्यू गिनी, आर्मेनिया, सिएरा लियोन, सूरीनाम सहित कई अन्य देशों के साथ भी MoU पर हस्ताक्षर** किए हैं।
- इंडिया स्टैक **ओपन API (एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस) और डिजिटल पब्लिक गुड्स** का सेट है। इसका उद्देश्य बड़ी आबादी के लिए **पहचान, डेटा और डिजिटल भुगतान से संबंधित आर्थिक संभावनाओं/ लाभों** को संभव बनाना है।
  - **API परिभाषित नियमों का एक सेट** है, जो अलग-अलग **ऐप्लिकेशंस को एक दूसरे से संचार करने** में सक्षम बनाता है।

[121] Memorandum of Understanding

- **इंडिया स्टैक के अलग-अलग घटकों का स्वामित्व और रख-रखाव का उत्तरदायित्व अलग-अलग एजेंसियों के पास है। उदाहरण के लिए:**
  - **"आधार"** से संबंधित उत्पादों का स्वामित्व और प्रबंधन **भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI)** के पास है;
  - **'डिजिलॉकर'** इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय **(MeitY)** के अधीन है;
  - **यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (UPI)** का नियंत्रण **भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI)** के पास है ;
  - **अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क** का विनियमन **भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI)** के पास है।

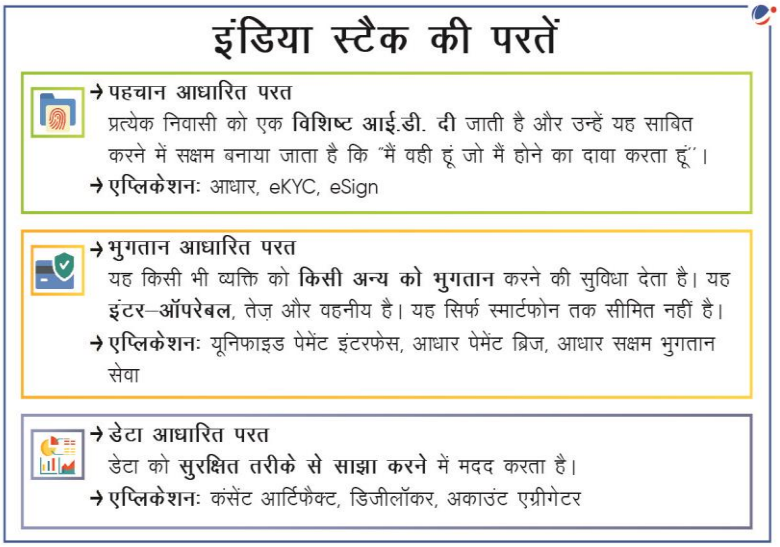

- **इंडिया स्टैक का महत्त्व**
  - यह **सरकारों, व्यवसायों, स्टार्ट-अप्स आदि को उपस्थिति-रहित, कागज रहित और नकदी रहित सेवा वितरण की ओर बढ़ने** में समर्थ बनाता है।
  - यह **डिजिटल अर्थव्यवस्था के सभी रूपों में सहक्रिया (Synergies) स्थापित** करने में मदद करता है। साथ ही, यह सभी नागरिकों की **डिजिटल सेवाओं तक पहुंच का विस्तार** करता है।
  - **यह डेटा तक समान पहुंच प्रदान** करके विशेष रूप से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और मशीन लर्निंग जैसी उभरती तकनीकों में **नवाचार एवं उद्यमशीलता** को बढ़ावा देता है।

7.3.2. रेडियोधर्मी जल का निष्कासन (Release of Radioactive Water)

- जापान 12 वर्ष बाद **फुकुशिमा परमाणु संयंत्र से 1.34 मिलियन टन उपचारित रेडियोधर्मी जल प्रशांत महासागर में छोड़ेगा।** यह संयंत्र 2011 के **भूकंप और सुनामी की चपेट** में आ गया था।
  - अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (IAEA)[122] के अनुसार, उपचारित जल के छोड़े जाने से लोगों और पर्यावरण पर नाममात्र रेडियोलॉजिकल प्रभाव पड़ेगा।
  - इस **योजना का निष्पादन** परमाणु संयंत्र की संचालक **टोक्यो इलेक्ट्रिक पावर कंपनी (TEPCO)** करेगी।
  - फुकुशिमा संयंत्र **देश के पूर्वी तट पर अवस्थित** है। यह स्थल राजधानी **टोक्यो** से लगभग 220 किलोमीटर उत्तर-पूर्व में स्थित है।
- जापान का दावा है कि उसने संग्रहित जल के उपचार के लिए **"एडवांस लिक्विड प्रोसेसिंग सिस्टम" (ALPS)** का इस्तेमाल किया है।
  - **ALPS** एक **पंपिंग और फिल्टरेशन प्रणाली है। यह ट्रिटियम को छोड़कर जल से अधिकतर रेडियोधर्मी पदार्थों को हटा** देती है। ट्रिटियम, हाइड्रोजन का रेडियोधर्मी आइसोटोप है। इसे **जल से अलग करना बहुत कठिन** होता है।
- **जल छोड़े जाने से जुड़ी चिंताएं:**
  - ट्रिटियम युक्त इस जल के शरीर में पहुंचने से **डी.एन.ए. को नुकसान** हो सकता है।
  - रेडियोधर्मी पदार्थों के संपर्क में आने से **ल्यूकेमिया, एनीमिया, रक्तस्राव** आदि स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। यह जल **मृदा में मौजूद पोषक तत्वों को नष्ट** कर सकता है।
  - अपशिष्ट जल छोड़ने से **समुद्र प्रदूषित हो सकता** है, जिससे **नमक और समुद्री खाद्य पदार्थों की कीमतों में बढ़ोतरी** हो सकती है।
    - **चीन** ने फुकुशिमा और टोक्यो सहित जापान से **समुद्री खाद्य आयात पर प्रतिबंध** लगा दिया है।
- IAEA एक अंतर-सरकारी संगठन है। इसे **1957** में स्थापित किया गया था। इसका उद्देश्य **परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देना और परमाणु हथियारों सहित किसी भी सैन्य उद्देश्य के लिए इसके उपयोग पर रोक** लगाना है।

7.3.3. ग्रीन हाइड्रोजन मानक (Green Hydrogen Standard)

- **नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय** ने राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन (NGHM)[123] के तहत भारतीय ग्रीन हाइड्रोजन मानकों को अधिसूचित किया है।

[122] International Atomic Energy Agency

- अधिसूचना में **उत्सर्जन की एक उच्चतम सीमा** को रेखांकित किया गया है। इस सीमा से **कम उत्सर्जन करके उत्पादित हाइड्रोजन को 'ग्रीन हाइड्रोजन'** के रूप में वर्गीकृत किया जा सकेगा।
  - **जल को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विभाजित** करके हाइड्रोजन उत्पन्न किया जा सकता है। इसके लिए **जीवाश्म ईंधन या नवीकरणीय ऊर्जा** का उपयोग किया जाता है।
- **अधिसूचना के मुख्य बिंदु**
  - **परिभाषा:** ग्रीन हाइड्रोजन का **उत्पादन नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग** करके किया जाता है। इसमें **विद्युतपघटन (Electrolysis) या बायोमास रूपांतरण (Biomass Conversion)** के माध्यम से उत्पादन करना शामिल है।
    - **बायोमास रूपांतरण** वह प्रक्रिया है, जिसके तहत हाइड्रोजन और बायोगैस दोनों का साथ-साथ उत्पादन किया जाता है।
  - **उत्सर्जन सीमा: 'वेल-टू-गेट' उत्सर्जन** (अर्थात जल शोधन, विद्युतपघटन, गैस शुद्धिकरण आदि) **प्रति किग्रा H_2 के लिए, 2 किलो ग्राम CO_2 से अधिक नहीं** होना चाहिए।
  - **नोडल प्राधिकरण:** ऊर्जा दक्षता ब्यूरो, ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन परियोजनाओं की निगरानी करेगा। साथ ही, उनके **सत्यापन और प्रमाणन** के लिए एजेंसियों को मान्यता भी प्रदान करेगा।

- **NGHM के बारे में:**
  - **लक्ष्य:** इसका उद्देश्य भारत को **ग्रीन हाइड्रोजन और इसके उपोत्पाद के उत्पादन, उपयोग तथा निर्यात के लिए एक वैश्विक केंद्र** के रूप में स्थापित करना है।
  - **कार्यक्रम:**
    - वित्तीय प्रोत्साहन के लिए **ग्रीन हाइड्रोजन संक्रमण हेतु रणनीतिक हस्तक्षेप (SIGHT)**[124] कार्यक्रम,
    - **अनुसंधान एवं विकास के लिए SHIP**[125] **आधारित सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) फ्रेमवर्क** तैयार करना आदि।

7.3.4. ग्राफीन-ऑरोरा कार्यक्रम (Graphene-Aurora Program)

- **इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY)**[126] ने 'ग्राफीन-ऑरोरा कार्यक्रम' आरंभ किया है।
- **कार्यान्वयन:** यह कार्यक्रम डिजिटल यूनिवर्सिटी केरल, MeitY, केरल राज्य सरकार तथा उद्योग साझेदारों के संयुक्त वित्त-पोषण के साथ कार्यान्वित किया जाएगा।
- **उद्देश्य:** ग्राफीन अनुसंधान और इसके व्यावसायीकरण में मौजूद कमियों को समाप्त करना।
- **ग्राफीन के बारे में:**
  - ग्राफीन **कार्बन का एक अपरूप** है। इसमें **कार्बन परमाणुओं की एकल परत** (मोनोलेयर) होती है। ये परमाणु मधुमक्खी के षट्कोणीय **छत्ते जैसी जाली** में कसकर बंधे होते हैं। यह जाली दो-आयामी संरचना बनाती है। इसे 2004 में खोजा गया था।
  - **गुण:** अत्यधिक पतला, यांत्रिक रूप से बहुत मजबूत, पारदर्शी और लचीला।
  - **उपयोग:** टच स्क्रीन, लाइट पैनल, सौर सेल, डी.एन.ए. का तीव्र अनुक्रमण, ड्रग डिलीवरी आदि में उपयोग किया जा सकता है।

---

[123] National Green Hydrogen Mission

[124] Strategic Interventions for Green Hydrogen Transition

[125] Strategic Hydrogen Innovation Partnership/ रणनीतिक हाइड्रोजन नवाचार भागीदारी

[126] Ministry of Electronics & Information Technology

7.3.5. डिजिटल इंडिया RISC-V माइक्रोप्रोसेसर (DIR-V) कार्यक्रम {Digital India RISC-V Microprocessor (DIR-V) Program}

- केंद्र सरकार ने भारत में **DIR-V कार्यक्रम** शुरू किया है। इसका उद्देश्य देश में **अगली पीढ़ी के माइक्रोप्रोसेसर्स के विनिर्माण को प्रोत्साहित** करना है।
- यह **भारत को RISC-V प्रतिभा केंद्र और RISC-V चिप्स सिस्टम का आपूर्तिकर्ता बनाने** के लिए स्टार्ट-अप्स, शिक्षाविदों तथा बहुराष्ट्रीय कंपनियों के बीच साझेदारी सुनिश्चित करने में मदद करेगा।
- **रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर-V (RISC-V):**
  - यह एक **ओपन-सोर्स इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर** है। इसका उपयोग **एम्बेडेड डिज़ाइन से लेकर सुपर कंप्यूटर तक अलग-अलग उपयोगों के लिए कस्टम प्रोसेसर विकसित** करने के लिए किया जाता है।
  - **उपयोग:** धारण करने योग्य उपकरण, स्मार्टफोन, इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT), हाई परफॉरमेंस कंप्यूटिंग, डेटा सेंटर्स आदि में।

7.3.6. फिंगर मिन्यूशिया रिकॉर्ड- फिंगर इमेज रिकॉर्ड (FMR-FIR) पद्धति {Finger Minutiae Record – Finger Image Record (FMR-FIR) Modality}

- FMR-FIR **एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस/मशीन लर्निंग आधारित उपकरण** है। यह फिंगरप्रिंट की वास्तविकता की जांच करने और क्लोन किए गए फिंगरप्रिंट के उपयोग का पता लगाने के लिए **उंगली के सूक्ष्म विवरण एवं उंगली के चित्र दोनों के संयोजन का उपयोग** करता है।
- **भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI)** ने आधार-सक्षम भुगतान प्रणाली (AePS)[127] में **धोखाधड़ी को रोकने के लिए FMR-FIR का उपयोग शुरू** किया है।
  - **AePS धोखाधड़ी,** आधार प्रमाणीकरण के दौरान **नकली फिंगरप्रिंट का उपयोग** करके की जाती है।

7.3.7. कम-तीखी गंध वाली सरसों (Low-Pungent Mustard)

- **भारतीय शोधकर्ताओं** ने जीनोम एडिटिंग तकनीक का उपयोग करके पहली कम-तीखी गंध वाली सरसों की एक नई किस्म विकसित की है।
- सरसों की नई किस्म कम तीखी गंध वाली है। इसका कारण यह है कि इसमें **ग्लुकोसिनोलेट की मात्रा कम** होती है। यह मात्रा स्वीकृत कैनोला क्वालिटी लेवल (30 भाग प्रति मिलियन या PPM शुष्क भार) के अनुरूप है। 30 भाग प्रति मिलियन या PPM शुष्क भार को सरल शब्दों में एक किलोग्राम में 30 मिलीग्राम भी कह सकते हैं।
  - **ग्लुकोसिनोलेट, सल्फर और नाइट्रोजन युक्त यौगिकों** का एक समूह है। यह **सरसों के उत्पादों को विशिष्ट तीखी गंध** प्रदान करता है।
  - यह **पौधों** को रोगजनकों, जानवरों आदि **से भी बचाता है।**
  - हालांकि, **ग्लुकोसिनोलेट का उच्च स्तर इसे बेस्वाद व सख्त** बनाता है तथा पशुओं में **घेंघा (Goiter) और आंतरिक अंग असामान्यताओं** का कारण बनता है।
  - भारतीय सरसों (ब्रैसिका जंसिया) में **120-130 ppm ग्लुकोसिनोलेट** होता है।
- सरसों की इस किस्म का उत्पादन **CRISPR/Cas9 तकनीक का उपयोग** करके किया गया है। इस किस्म को उच्च उपज वाली **भारतीय सरसों की किस्म 'वरुणा'** के जीन में एडिटिंग करके विकसित किया गया है।
- **आनुवंशिक रूप से संशोधित जीवों (GMOs) के विपरीत,** जीन एडिटिंग में फसलों की गुणवत्ता में सुधार के लिए **मौजूदा आनुवंशिक सामग्री में संशोधन** किया जाता है।
  - **GMOs** वे जीवित जीव होते हैं, जिनमें विद्यमान आनुवंशिक सामग्री को परिवर्तित करने के लिए **ट्रांसजीन (बाहरी जीन)** का प्रयोग किया जाता है।
  - **धारा मस्टर्ड हाइब्रिड-11 (DMH-11),** भारत में विकसित सरसों का GM संस्करण है।
- जीनोम एडिटिंग फसलों को संबंधित संस्थान की **संस्थागत जैव-सुरक्षा समिति (IBSC)[128] से मंजूरी** की आवश्यकता होती है।
  - IBSC में **जैव प्रौद्योगिकी विभाग की ओर से नामित** एक व्यक्ति होता है।
  - GM फसलों को **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की आनुवंशिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति** से मंजूरी की आवश्यकता होती है।

---

[127] Aadhaar-enabled Payment System

[128] Institutional Bio-Safety Committee

7.3.8. आइंस्टीन क्रॉस (Einstein Cross)

- **खगोलविदों** ने आइंस्टीन क्रॉस के एक दुर्लभ दृश्य की खोज की है।
- आइंस्टीन क्रॉस **ग्रेविटेशनल लेंसिंग की एक विशेष स्थिति** है। **ग्रेविटेशनल लेंसिंग** एक परिघटना है। इसके अंतर्गत **अधिक दूर से चमकने वाले प्रकाश** को उसके स्रोत और प्रेक्षक के बीच **आने वाले किसी पिंड (जैसे कि आकाशगंगा या क्वासर) के गुरुत्वाकर्षण द्वारा मोड़ दिया** जाता है तथा अपनी ओर खींचा जाता है। इस वजह से **सुदूर आकाशगंगाएं अधिक उज्जवल** प्रतीत होती हैं।
    - **आइंस्टीन क्रॉस** के मामले में, आगे वाले पिंड के चारों ओर के स्पेस टाइम की वक्रता (curvature) एक क्रॉस के बिंदुओं की तरह, **अपने पीछे से आने वाले प्रकाश को चार भागों में विभाजित** कर देती है।
    - ग्रेविटेशनल लेंसिंग की एक अन्य स्थिति **आइंस्टीन रिंग्स** हैं। ये तब तब उत्पन्न होती है, जब **दो आकाशगंगाएं एक-दूसरे के पीछे लगभग पूरी तरह से सीधी रेखा में होती हैं।**

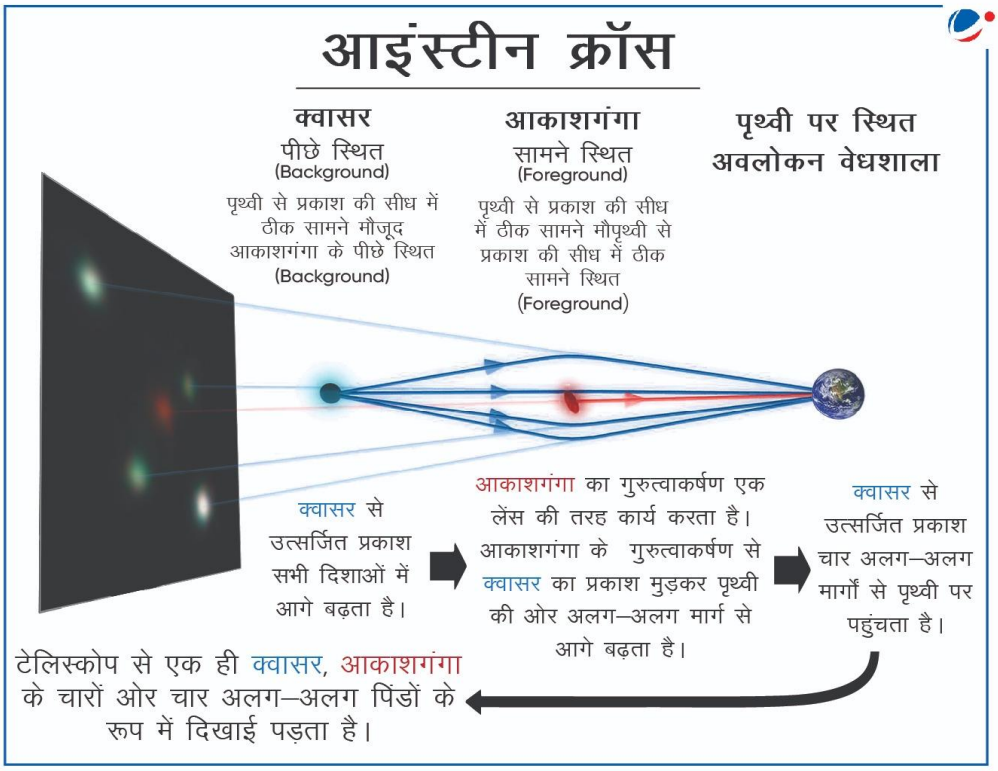

- **आइंस्टीन का सामान्य सापेक्षता का सिद्धांत** बताता है कि कैसे कोई विशाल पिंड ब्रह्मांड की संरचना, जिसे **स्पेस-टाइम** कहा जाता है, में **विकृति उत्पन्न करता है।**
    - किसी **पिंड का द्रव्यमान जितना अधिक** होगा, वह स्पेस-टाइम में उतनी ही अधिक विकृति उत्पन्न करेगा। इसलिए, **एक तारा एक ग्रह की तुलना में स्पेस टाइम को अधिक विकृत करता है और एक ब्लैक होल इसे एक तारे की तुलना में कहीं अधिक विकृत** करता है।
    - **सूर्य, पृथ्वी और अन्य सभी पिंड अपने चारों ओर समान वक्रता उत्पन्न** करते हैं, जिसके कारण लघु पिंड उनकी ओर आकर्षित होते हैं।
- अत्यधिक विशाल आकाशीय पिंड **अपने पास से गुजरने वाले प्रकाश के मार्ग को भी मोड़ देते हैं और ग्रेविटेशनल लेंस के रूप में** कार्य करते हैं।

7.3.9. अंतरिक्ष मलबा (Space Debris)

- **ऑस्ट्रेलियाई तट** पर भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO/ इसरो) के रॉकेट का मलबा मिला है।
- अंतरिक्ष मलबे में **प्राकृतिक (उल्कापिंड) और कृत्रिम (मानव निर्मित) दोनों प्रकार के पिंड/सेटेलाइट के अवशेष मौजूद** होते हैं। उल्कापिंड सूर्य की कक्षा में पाए जाते हैं, जबकि **अधिकतर कृत्रिम मलबा पृथ्वी की कक्षा में मौजूद है।**
    - अंतरिक्ष मलबे में योगदान देने वाले देशों में **रूस शीर्ष स्थान** पर है। इसके बाद **अमेरिका, चीन और फ्रांस** का स्थान है।
    - वर्ष 2021 में 25 टन वजनी चीनी रॉकेट का एक बड़ा हिस्सा हिंद महासागर में गिरा था।
- **अंतरिक्ष मलबे का प्रभाव:**
    - इससे **समुद्री जीवन के लिए खतरा पैदा होता है और यह प्रदूषण का एक स्रोत** भी है।

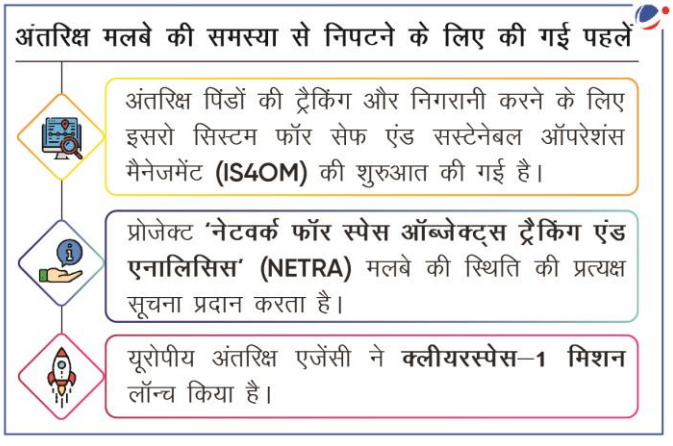

- **हजारों की संख्या में लॉन्च किए गए लेकिन अप्रयुक्त हो चुके प्रक्षेपण यान** अंतरिक्ष में बिखरे अर्थात् चक्कर लगा रहे हैं। इससे इनके उपग्रहों या अंतरिक्ष स्टेशन से **टकराने का खतरा** बना रहता है।

- **अंतरिक्ष मलबे को नियंत्रित/ प्रशासित करने वाले नियम:**
  - **स्पेस ऑब्जेक्ट्स से होने वाले नुकसान के लिए अंतर्राष्ट्रीय दायित्व पर अभिसमय, 1972** (दायित्व अभिसमय) स्पेस ऑब्जेक्ट्स द्वारा अन्य अंतरिक्ष परिसंपत्तियों को पहुंचाए गए नुकसान और उनके पृथ्वी पर गिरने से होने वाली क्षति से संबंधित है।
    - यह अभिसमय क्षति के दावों के निपटान के लिए **प्रक्रियाओं का प्रावधान** करता है।
    - 1 जनवरी 2023 तक, **भारत सहित 98 देशों ने इस अभिसमय का अनुमोदन** कर दिया है।
    - इसे **बाह्य अंतरिक्ष संधि (OST)[129], 1967 द्वारा निर्धारित फ्रेमवर्क को मजबूत** करने के लिए अपनाया गया था।
  - **OST चंद्रमा और अन्य खगोलीय पिंडों सहित बाह्य अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण अन्वेषण** में देशों की गतिविधियों को विनियमित करता है।

7.3.10. भू-पर्यवेक्षण (Earth Observation: EO)

- **इन-स्पेस (IN-SPACe)** ने भारतीय उपग्रह मिशनों से प्राप्त भू-पर्यवेक्षण (EO) डेटा पर **परामर्श-पत्र** जारी किया है।

- भू-पर्यवेक्षण से आशय **भूमि, समुद्र और वायुमंडल की निगरानी के लिए रिमोट सेंसिंग प्रौद्योगिकियों के उपयोग से है।** रिमोट सेंसिंग प्रौद्योगिकियों में **उपग्रह, विमान, ड्रोन, जमीन पर स्थित सेंसर** आदि शामिल हैं।
- **भू-पर्यवेक्षण डेटा के उपयोग:**
  - यह पृथ्वी की जलवायु; महासागरीय परिसंचरण; कार्बन, ऊर्जा और जल चक्र; एल्बिडो, क्रायोस्फीयर आदि की **व्यापक समझ** प्रदान करता है।
  - यह **राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी उपयोगी है।** उल्लेखनीय है कि भू-पर्यवेक्षण उपग्रह **इमेजरी इंटेलिजेंस, फोटो सर्वेक्षण, सिंथेटिक एपर्चर रडार (SAR) और इलेक्ट्रो ऑप्टिकल कार्यों** के लिए महत्वपूर्ण होते हैं।
  - यह कई सरकारी विभागों को **मूल्यवान जानकारी प्रदान करता है और सूचित नीतिगत निर्णय** लेने में मदद करता है। इनमें **कृषि, जल संसाधन, शहरी योजना निर्माण, ग्रामीण विकास, खनिज पूर्वेक्षण, वानिकी, आपदा प्रबंधन** जैसे विभाग शामिल हैं।
- **भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र (IN-SPACe) अंतरिक्ष विभाग के अधीन एक सिंगल विंडो व स्वायत्त नोडल एजेंसी है।** यह संस्था अंतरिक्ष उद्योग में **निजी निवेश और नवाचार** को प्रोत्साहित करती है।

7.3.11. अग्निबाण सब-ऑर्बिटल टेक्नोलॉजिकल डिमॉन्स्ट्रेटर {Agnibaan Suborbital Technological Demonstrator (SORTED)}

- **अग्निकुल कॉसमॉस** एक भारतीय अंतरिक्ष-तकनीकी स्टार्ट-अप है। इसने अपने **अग्निबाण SOrTeD नामक एक लॉन्च व्हीकल की उप-कक्षीय परीक्षण उड़ान** की घोषणा की है।
- **अग्निबाण SOrTeD के बारे में:**
  - यह **एग्निलेट इंजन** द्वारा संचालित एक **सिंगल-स्टेज आधारित लॉन्च व्हीकल** है। यह **इंजन पूरी तरह से 3डी-प्रिंटेड, सिंगल-पीस व सेमी-क्रायोजेनिक** है।
  - अग्निबाण **100 किलोग्राम तक के पेलोड को 700 कि.मी. तक निम्न भू कक्षा (LEO)** में ले जा सकता है।
  - अग्निबाण SOrTeD पारंपरिक साउंडिंग रॉकेट के विपरीत **लंबवत रूप से उड़ान भरेगा और एक पूर्व निर्धारित प्रक्षेप पथ (trajectory) का अनुसरण** करेगा। उल्लेखनीय है कि पारंपरिक साउंडिंग रॉकेट **गाइड रेल से लॉन्च** होता है।

[129] Outer Space Treaty

7.3.12. DRACO (डेमन्स्ट्रेशन रॉकेट फॉर एजाइल सिस्लुनर ऑपरेशंस) कार्यक्रम {Demonstration Rocket for Agile Cislunar Operations (DRACO) Program}

- **नासा (NASA) और डिफेंस एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी (DARPA)** DRACO कार्यक्रम पर काम कर रहे हैं।
- DRACO कार्यक्रम का लक्ष्य एक **परमाणु संचालित अंतरिक्ष प्रणोदन प्रणाली** का निर्माण करना है। यह प्रणाली **मंगल ग्रह की यात्रा में लगने वाले समय को आधा कर सकेगी।**
  - DRACO अपनी प्रणोदन प्रणालियों के लिए **यूरेनियम के कम-संवर्धित रूप का उपयोग** करेगा।
  - वर्ष 2027 में इसका उड़ान परीक्षण किया जाएगा।

7.3.13. सोलर टेरेस्ट्रियल रिलेशन्स ऑब्जर्वेटरी (STEREO-A) स्पेसक्राफ्ट {Solar Terrestrial Relations Observatory (STEREO-A) Spacecraft}

- नासा का अंतरिक्ष यान STEREO-A **सूर्य और पृथ्वी के बीच से गुजरा** है। यह घटना **लगभग 17 साल पुराने मिशन की पृथ्वी के समीप से पहले फ्लाईबाई को दर्शाती** है।
  - STEREO-A का फ्लाईबाई **वैज्ञानिकों को यह समझने में मदद करेगा कि कोरोनल मास इजेक्शन (CME)**
  - **का चुंबकीय क्षेत्र** पृथ्वी की ओर इसके मार्ग में कैसे विकसित होता है।
    - **फ्लाईबाई:** यह एक अंतरिक्ष यान की वैज्ञानिक डेटा एकत्र करने के लिए किसी खगोलीय पिंड के काफी करीब उड़ान होती है।
- इसे 2006 में लॉन्च किया गया था। STEREO **सूर्य से पृथ्वी की ओर होने वाले ऊर्जा और पदार्थ के प्रवाह का पता लगाता** है।
  - यह सूर्य-पृथ्वी प्रणाली का **अनोखा और अभूतपूर्व दृश्य प्रदान** करता है। इस मिशन ने 2007 में **पहली बार सूर्य का त्रिविमीय (3D) अवलोकन** किया था।
  - दो में से एक अंतरिक्ष यान अपनी कक्षा में **पृथ्वी से आगे है (STEREO-A),** दूसरा **पृथ्वी के पीछे गति कर रहा है (STEREO-B)।**

7.3.14. गैलेक्सी ESO 300-16 {Galaxy ESO 300-16}

- **हबल स्पेस टेलीस्कोप (HST)** ने एक असामान्य आकार वाली आकाशगंगा (Irregular galaxy) ESO 300-16 की एक तस्वीर ली है।
  - असामान्य आकार वाली आकाशगंगा में **विशिष्ट सर्पिल भुजाओं** (Spiral arms) **या अण्डाकार आकार** (Elliptical shape) का अभाव होता है जैसा कि आमतौर पर अन्य आकाशगंगाओं में देखा जाता है। यह आकाशगंगा पृथ्वी से 28.7 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर **एरिडेनस नक्षत्र** में अवस्थित है।
  - इसका आकार एक **बादल के समान प्रतीत** होता है। इसमें कई लघु तारे एक साथ गुच्छे के रूप में होते हैं।
- **हबल स्पेस टेलीस्कोप** को 1990 में लॉन्च किया गया था। यह **नासा और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी** की संयुक्त परियोजना है।
  - यह **दृश्यमान, निकट-अवरक्त और पराबैंगनी प्रकाश** में ब्रह्मांड का अवलोकन करता है।
  - यह **पृथ्वी के वायुमंडल से ऊपर** परिक्रमा करता है। इस वजह से यह भूमि पर स्थित टेलीस्कोप्स की तुलना में ब्रह्मांड का बेहतर दृश्य प्रदान करता है।

7.3.15. नीराक्षी (Neerakshi)

- भारत ने अपनी तरह का पहला **ऑटोनॉमस अंडरवाटर व्हीकल (AUV) 'नीराक्षी'** लॉन्च किया है।
  - इसका उपयोग **खदान का पता लगाने, खदानों को बंद करने, जल के नीचे सर्वेक्षण** आदि के लिए किया जा सकता है।
  - यह पानी के अंदर **चार घंटे तक रह सकता है और 300 मीटर की गहराई तक** जा सकता है।
- इसे **गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स (GRSE) लिमिटेड** और एक MSME संस्था **एयरोस्पेस इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड (AEPL)** के सहयोग से विकसित किया गया है।

7.3.16. आयुष्मान भारत के माइक्रोसाइट प्रोजेक्ट (Ayushman Bharat Microsite Project)

- **मिजोरम** आयुष्मान भारत के माइक्रोसाइट प्रोजेक्ट की शुरुआत करने वाला **देश का पहला राज्य बन गया** है।
- माइक्रोसाइट सभी **लघु और मध्यम स्तर के क्लीनिक्स, नर्सिंग होम्स, अस्पताल (मुख्यतः <10 बिस्तरों वाले), लैब्स, फार्मेसीज तथा अन्य स्वास्थ्य सुविधाओं का एक क्लस्टर** है। ये **आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (ABDM)** के तहत हैं और मरीजों को डिजिटल स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करते हैं।
    - **राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (NHA)**[130] ने इसी वर्ष ABDM के तहत **100 माइक्रोसाइट्स प्रोजेक्ट** की शुरुआत की है।

- **माइक्रोसाइट के अंतर्गत सुविधाओं के प्रकार:**
    - **निजी सुविधाएं** जैसे स्टैंडअलोन क्लीनिक, पॉलीक्लीनिक आदि।
    - **चिकित्सा की सभी प्रणालियों** से संबंधित स्वास्थ्य सुविधाएं और स्वास्थ्य पेशेवर।
- **कार्यान्वयन:** इसका कार्यान्वयन ABDM के **राज्य मिशन निदेशकों** द्वारा किया जाएगा। इसके लिए **वित्तीय संसाधन और समग्र मार्गदर्शन NHA** प्रदान करेगा।
- माइक्रोसाइट्स **ABDM को अपनाने में निजी अस्पतालों के सामने आने वाली चुनौतियों से निपटेंगे। इन चुनौतियों में निम्नलिखित शामिल हैं-**
    - डिजिटलीकरण को एक **अतिरिक्त लागत के रूप में देखा** जाता है,
    - **विनियामक निगरानी के बढ़ने** की आशंका रहती है,
    - डेटा सुरक्षा से संबंधित समस्या मौजूद है आदि।

7.3.17. फार्मा-मेडटेक क्षेत्रक में अनुसंधान एवं नवाचार को प्रोत्साहन (PRIP)" योजना {Promotion of Research and Innovation in Pharma Medtech Sector (PRIP)}

- **रसायन और उर्वरक मंत्रालय** ने "PRIP" योजना को अधिसूचित किया है।
- **योजना के मुख्य बिंदु:**
    - **उद्देश्य:** इसका उद्देश्य प्राथमिकता वाले क्षेत्रकों में अनुसंधान एवं विकास के लिए **उद्योग और शिक्षा जगत के संपर्क को बढ़ावा** देना है। साथ ही, गुणवत्तापूर्ण अनुसंधान की संस्कृति को विकसित करना भी इसका उद्देश्य है।
    - **अवधि:** 5 वर्ष यानी 2023-24 से 2027-28 तक।
    - **इसके दो घटक हैं:**
        - **अनुसंधान अवसंरचना को मजबूत करना:** यह कार्य **राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान (NIPERs)**[131] में उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करके पूरा किया जाएगा।
    - औषध क्षेत्रक में उच्चतर शिक्षा और उच्च स्तरीय अनुसंधान के लिए **7 NIPERs** को राष्ट्रीय महत्त्व के संस्थान के रूप में स्थापित किया गया है।
        - **छह प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में फार्मा मेड-टेक क्षेत्रक में अनुसंधान को बढ़ावा देना:** इनमें शामिल हैं-
            - नए रासायनिक/ जैविक संस्थान और फाइटो-फार्मास्यूटिकल्स;
            - जटिल जेनेरिक्स व बायोसिमिलर;
            - परिशुद्ध चिकित्सा;

[130] National Health Authority

[131] National Institute of Pharmaceutical Education & Research

- चिकित्सा उपकरण;
- ऑर्फन ड्रग;
- रोगाणुरोधी प्रतिरोध (AMR) के लिए दवा का विकास।

- **पात्रता:** भारत में पंजीकृत कोई भी कंपनी।
- **परियोजना मूल्यांकन और अनुमोदन:** यह फार्मास्यूटिकल्स सचिव की अध्यक्षता में गठित एक समिति करेगी।
- **निगरानी और मूल्यांकन:** यह कार्य, नीति आयोग के CEO की अध्यक्षता में एक अधिकार प्राप्त समिति करेगी।
- **कार्यान्वयन:** यह एक परियोजना प्रबंधन एजेंसी के माध्यम से किया जाएगा।

7.3.18. गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस {Good Manufacturing Practices (GMP)}

- केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने "गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस (GMP)" के अनिवार्य तौर पर कार्यान्वयन के लिए समय-सीमा निर्धारित की है।
  - GMP यह सुनिश्चित करता है कि **उत्पादों का विनिर्माण और नियंत्रण निर्धारित गुणवत्ता मानकों** के अनुसार हो।
  - **विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO)[132] ने GMP के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश** तैयार किए हैं।
- अब, **250 करोड़ रुपये से अधिक वार्षिक टर्नओवर** वाले दवा विनिर्माताओं को **छह माह** के भीतर अनिवार्य रूप से GMP मानकों को अपनाना होगा। वहीं **250 करोड़ रुपये से कम टर्नओवर वाली दवा कंपनियों को इसके लिए एक साल का समय** दिया जाएगा।

- **भारत में GMP**
  - भारत में GMP प्रणाली को पहली बार **1988 में औषधि व प्रसाधन सामग्री नियम, 1945 की अनुसूची M में शामिल** किया गया था। हालांकि, 2018 में GMP को संशोधित करके WHO मानकों के अनुरूप बनाया गया था।
    - **अनुसूची M** विनिर्माण केंद्र और उनके रख-रखाव, कार्मिक, विनिर्माण, नियंत्रण एवं सुरक्षा परीक्षण, सामग्रियों का भंडारण व परिवहन, लिखित प्रक्रियाएं और रिकॉर्ड रखने, ट्रेसेब्लिटी आदि आवश्यकताओं को निर्धारित करती है।
  - वर्तमान में, देश में **मौजूद 10,500 विनिर्माण इकाइयों में से केवल 2,000 इकाइयां ही WHO-GMP मानकों के अनुरूप** पाई गई हैं।

7.3.19. महामारी से संबंधित स्वास्थ्य, सामाजिक और आर्थिक सुभेद्यता व जोखिम फ्रेमवर्क (FEVR) (FEVR and Risks from Pandemics)

- यह फ्रेमवर्क **G-20 टास्क फोर्स** के आग्रह पर **विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO), विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) और यूरोपीय निवेश बैंक** ने तैयार किया है।
- इसका उद्देश्य महामारी जनित **स्वास्थ्य एवं आर्थिक सुभेद्यताओं** तथा उनके परिणामस्वरूप उत्पन्न होने वाले **जोखिमों को बेहतर ढंग से समझना** है।
  - कोविड-19 महामारी ने संवृद्धि की गति व दिशा तथा वित्तीय एवं आर्थिक अभाव दरों को बड़े पैमाने पर प्रभावित किया है। इन सबसे ऊपर इससे बड़े पैमाने पर लोगों की मौत हुई है और समाज पर गहरा प्रभाव पड़ा है।
- FEVR में **2 घटक शामिल हैं। ये व्यवस्थागत कमजोरियों की पहचान करने, नीतिगत निर्णय लेने और निवेशों का मार्गदर्शन करने** में सहायता करेंगे। ये घटक हैं:
  - **प्रमुख स्वास्थ्य, सामाजिक और आर्थिक संकेतक,** जो महामारी के लिए प्रासंगिक हैं तथा जिन पर नीतिगत कार्रवाई की जा सकती है। इसलिए, इन संकेतकों पर निगरानी रखी जाएगी, ताकि जोखिमों और आघातों को कम किया जा सके।

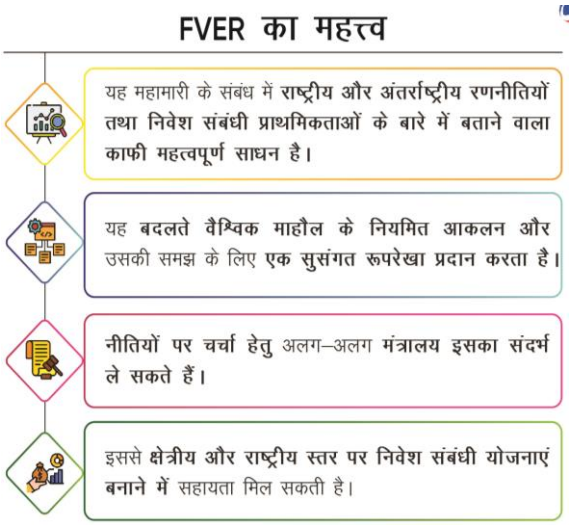

[132] World Health Organization

- सूचित निर्णय लेने के लिए अलग-अलग नीतियों और निवेश संभावनाओं का **स्वास्थ्य, सामाजिक और आर्थिक परिणामों पर अलग-अलग प्रभाव की पहचान करना।**

7.3.20. रोगाणु-रोधी प्रतिरोध (AMR) और वायु प्रदूषण {Antimicrobial Resistance (AMR) and Air Pollution}

- लैंसेट जर्नल के एक अध्ययन के अनुसार, **वायु प्रदूषण में बढ़ोतरी होने से एंटीबायोटिक प्रतिरोध में भी वृद्धि** होती है।
- यह इस विषय पर अपनी तरह का **पहला गहन वैश्विक विश्लेषण** है। यह अध्ययन इस तथ्य को रेखांकित करता है कि सांस लेने के क्रम में **PM2.5** के शरीर में पहुंचने के साथ मनुष्य **एंटीबायोटिक प्रतिरोधी तत्वों के संपर्क** में भी आता है (इंफोग्राफिक देखें)।
- एंटीबायोटिक प्रतिरोध को आमतौर पर रोगाणु-रोधी प्रतिरोध (AMR) भी कहा जाता है। यह स्थिति तब उत्पन्न होती है, जब कोई भी सूक्ष्म जीव जैसे **बैक्टीरिया, वायरस, कवक और परजीवी** समय के साथ **रोगाणु-रोधी दवाओं** के खिलाफ प्रतिरोध क्षमता हासिल कर लेते हैं। ऐसा होने पर किसी संक्रमण का उपचार करना कठिन हो जाता है। इससे बीमारी के फैलने, गंभीर बीमारी होने और मृत्यु का खतरा बढ़ जाता है।

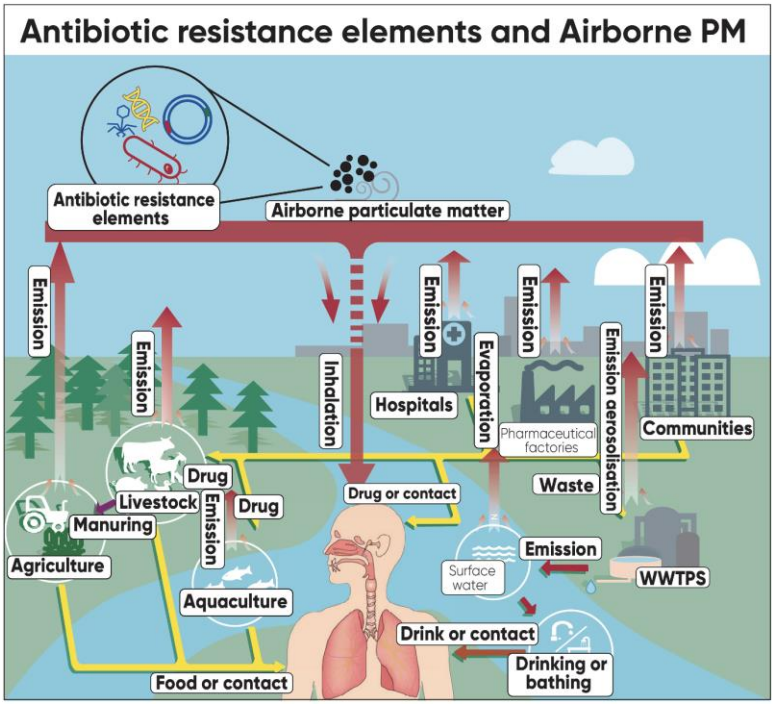

- **अध्ययन के मुख्य बिंदु:**
  - **PM 2.5 प्रदूषण में प्रत्येक एक प्रतिशत की वृद्धि के साथ,** रोगजनक के आधार पर **एंटीबायोटिक प्रतिरोध में 0.5 और 1.9 प्रतिशत के बीच बढ़ोतरी** होती है।
  - वर्ष 2018 में **PM 2.5 के कारण 18.2 मिलियन जीवन वर्ष की हानि** हुई थी, जिसके कारण आर्थिक बोझ बढ़ा है।
  - PM 2.5 प्रदूषण में वृद्धि के प्रभावस्वरूप **चीन और भारत में सर्वाधिक असामयिक मृत्यु दर्ज** की गई है।
- **AMR पर नियंत्रण लगाने के लिए उठाए गए कदम:**
  - AMR पर राष्ट्रीय कार्य योजना 2017 बनाई गई है,
  - एंटीबायोटिक्स के अधिक उपयोग पर अंकुश लगाने के लिए 2016 में **रेड लाइन अभियान** शुरू किया गया था,
  - वर्ष 2013 में AMR निगरानी नेटवर्क लॉन्च किया गया था आदि।

7.3.21. G-20 द्वारा रोगाणुरोधी प्रतिरोध (AMR) पर नियंत्रण हेतु वैश्विक पहल का स्वागत (G20 Welcomes Global Initiatives To Curtail AMR)

- **वैश्विक एंटीबायोटिक अनुसंधान और विकास साझेदारी (GARDP)[133]:** यह **एंटीबायोटिक प्रतिरोध** से निपटने के लिए **WHO** और अन्य की मदद से गठित एक गैर-लाभकारी संगठन है।
  - इसे **दवा-प्रतिरोधी संक्रमण के उपचारों के विकास और उन तक पहुंच में तेजी लाने** के लिए गठित किया गया है।
- **SECURE:** यह **निम्न और मध्यम आय वाले देशों (LMICs) में आवश्यक एंटीबायोटिक दवाओं तक पहुंच का विस्तार** करने वाला पहला समर्पित तंत्र है। यह पहल एकल उत्पाद तक सीमित नहीं है।
  - इसे **WHO और GARDP** द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया जा रहा है।
- **कॉम्बैटिंग एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट बैक्टीरिया (Carb-X):** यह **एंटीबैक्टीरियल इनोवेशन में तेजी लाने** के प्रति समर्पित एक वैश्विक **गैर-लाभकारी साझेदारी** है।

[133] Global Antibiotic Research and Development Partnership

7.3.22. G-20 महामारी कोष (G-20 Pandemic Fund)

- पशुपालन और डेयरी विभाग को **भारत की पशु स्वास्थ्य प्रणाली** को मजबूत करने के लिए महामारी कोष के तहत **25 मिलियन अमेरिकी डॉलर का अनुदान** प्रदान किया जाएगा।
  - इस कोष से **'महामारी से निपटने के लिए तैयारी और प्रतिक्रिया हेतु भारत में पशु स्वास्थ्य सुरक्षा सुदृढ़ीकरण'** पहल के लिए मदद की जाएगी।
- **G-20 महामारी कोष:**
  - **इंडोनेशिया** की अध्यक्षता में G-20 के अधीन **2022 में 1.4 बिलियन डॉलर** के इस कोष का गठन किया गया था।
  - इसका लक्ष्य **भविष्य की किसी संभावित वैश्विक महामारी से निपटने के लिए महत्वपूर्ण निवेशों का वित्त-पोषण** करना है।
  - **दानकर्ता:** G-20 के सदस्य देश, G-20 के गैर-सदस्य देश तथा परोपकारी संगठन। **भारत इस कोष के प्रमुख दानकर्ताओं में से एक है।**

7.3.23. क्रोमोडोमेन हेलिकेज़ डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन 1 लाइक {Chromodomain Helicase Dna Binding Protein 1 Like (CHD1L)}

- एक अध्ययन से पता चला है कि **CHD1L जीन वेरिएंट में ह्यूमन इम्यूनोडेफिशियेंसी वायरस (HIV)** को नियंत्रित करने की क्षमता मौजूद है।
- **CHD1L जीन** का यह प्रकार, विशेष रूप से **अफ्रीकी आबादी** में पाया जाता है।
  - **CHD1L जीन वेरिएंट द्वारा HIV-1 (सबसे आम) के वायरल लोड (रक्त में HIV की मात्रा) को कम** करने की संभावना व्यक्त की गई है।
  - CHD1L जीन वेरिएंट **क्रोमोसोम 1** पर पाया जाता है।
  - जिन लोगों के शरीर में यह वेरिएंट होता है, **उनमें वायरस फैलने का जोखिम कम होता है और उनके बीमार होने की दर भी धीमी हो जाती है।**

7.3.24. रेस्पिरेटरी सिंकाइटियल वायरस (Respiratory Syncytial Virus: RSV)

- यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने **RSV से नवजात शिशुओं की रक्षा करने के लिए पहली वैक्सीन "एब्रिस्वो/ Abrysvo (RSV वैक्सीन)"** को मंजूरी दी है।
  - यह वैक्सीन, **गर्भवती माताओं को गर्भावस्था के बाद के चरणों** में दी जाती है।
- RSV **एक अत्यधिक संक्रामक वायरस** है। यह सभी आयु वर्ग के व्यक्तियों **विशेषकर शिशुओं और बुजुर्गों में श्वसन संक्रमण** का कारण बनता है।
  - यह दुनिया भर में **शिशुओं में निचले श्वसन मार्ग** (Lower Respiratory Tract) **से जुड़े रोगों को उत्पन्न करने वाला सबसे आम कारण** है।
  - RSV वैक्सीन **60 वर्ष और उससे अधिक उम्र के लोगों के लिए भी उपलब्ध है।**

7.3.25. नेट एनर्जी गेन (Net Energy Gain: NEG)

- अमेरिकी वैज्ञानिकों ने **नाभिकीय संलयन अभिक्रिया** में दूसरी बार **'नेट एनर्जी गेन (NEG)'** प्राप्त करने में सफलता प्राप्त की है।
- नाभिकीय संलयन वह प्रक्रिया है, जिसमें **दो हल्के परमाणु नाभिक आपस में मिलकर एक भारी परमाणु नाभिक** का निर्माण करते हैं। इसके परिणामस्वरूप, **बड़ी मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है।**
  - संलयन अभिक्रिया पदार्थ की **प्लाज्मा अवस्था** में होती है। प्लाज्मा गर्म और आवेशित गैस है, जो **धनात्मक आयनों तथा मुक्त गति वाले इलेक्ट्रॉन्स** से बनी होती है।
  - संलयन अभिक्रिया में **दो धनात्मक नाभिक एक-दूसरे के निकट** आते हैं।
    - हालांकि, इस दौरान दोनों नाभिक एक-दूसरे को प्रतिकर्षित भी करते हैं। इस विशेष परिघटना को **'कूलम्ब बैरियर'** कहा जाता है।
    - इस बैरियर को समाप्त करने के लिए **बड़े पैमाने पर ऊर्जा की आवश्यकता** होती है, जिसकी मात्रा वर्तमान में संलयन अभिक्रिया से उत्पन्न होने वाली ऊर्जा से भी अधिक होती है।
- नाभिकीय संलयन से वाणिज्यिक ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए **नेट एनर्जी गेन (NEG)** का होना जरूरी है। इसका आशय यह है कि **नाभिकीय संलयन अभिक्रिया**

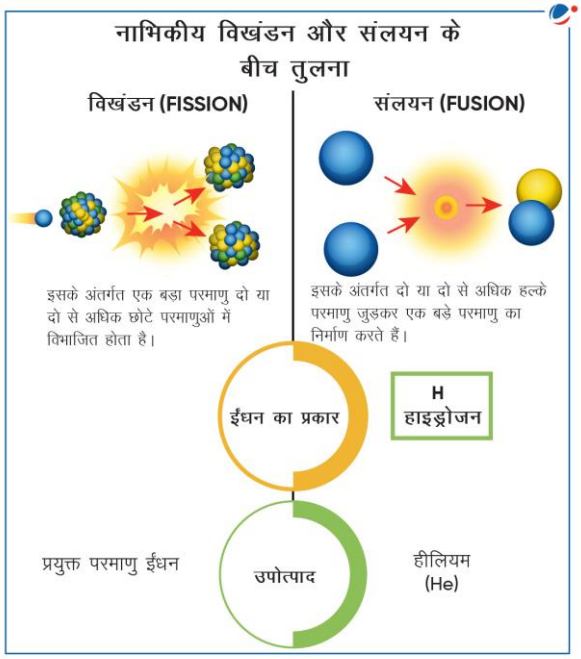

में जितनी ऊर्जा की खपत होती है, शोधकर्ताओं को **उससे कहीं अधिक ऊर्जा का उत्पादन** करना होगा।

- **भारत,** संलयन रिएक्टर से NEG प्रदर्शित करने के लिए गठित **इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर (ITER)** परियोजना का हिस्सा है।
- भारत ने स्वयं भी अपने **स्वदेशी टोकामक 'आदित्य' और अर्द्ध -स्वदेशी स्टेडी स्टेट सुपरकंडक्टिंग टोकामक (SST-1)** का निर्माण किया है।

- **परमाणु संलयन का महत्त्व:**
  - यह **विद्युत का स्वच्छ और सुरक्षित स्रोत** है, क्योंकि यह कोई भी **ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जित नहीं** करता है।
  - एक किलोग्राम संलयन ईंधन, 10 मिलियन किलोग्राम **जीवाश्म ईंधन** जितनी ऊर्जा प्रदान कर सकता है।
  - **संलयन के लिए कच्चा माल हाइड्रोजन** होता है। यह **प्रचुर मात्रा** में उपलब्ध है। वहीं विखंडन अभिक्रिया (fission) में कच्चे माल के रूप में **यूरेनियम** का इस्तेमाल होता है, जो सीमित मात्रा में ही उपलब्ध है।

7.3.26. डीमन कण (Demon Particle)

- शोधकर्ताओं ने **स्ट्रोंटियम रूथेनेट धातु में डीमन कण की प्राप्ति का दावा** किया है।
- डीमन कण की संकल्पना को सबसे पहले **भौतिक विज्ञानी डेविड पाइंस द्वारा 1956** में प्रस्तुत किया गया था।
- डेविड पाइंस का मानना था कि **जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी ठोस पदार्थ से गुज़रता है, तो कुछ अजीब व्यवहार** करता है।
  - यदि प्रणाली में **ऊर्जा की पर्याप्त आपूर्ति की जाती है, तो इलेक्ट्रॉन 'प्लास्मोंस' नामक मिश्रित कणों का निर्माण** कर सकते हैं।
  - हालांकि, **प्लास्मोंस के निर्माण के लिए इतनी अधिक ऊर्जा की आवश्यकता** होती है, कि उसे **कमरे के तापमान पर उत्पादित नहीं** किया जा सकता है।
- **पाइंस का डीमन कण उपर्युक्त का अपवाद है,** क्योंकि यह **द्रव्यमानहीन** होता है और इसमें **कोई आवेश भी नहीं** होता। साथ ही, यह **प्रकाश के साथ कोई अंतर्क्रिया भी नहीं** करता है। इसलिए, **इसके निर्माण हेतु किसी अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता नहीं** होती है।

7.3.27. शांति स्वरूप भटनागर (SSB) पुरस्कार {Shanti Swaroop Bhatnagar (SSB) Awards}

- वर्ष 2022 के लिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार के विजेताओं की घोषणा नहीं की गई है और वर्ष 2023 के लिए नामांकन भी रोक दिए गए हैं।
- SSB प्रत्येक वर्ष **निम्नलिखित क्षेत्रों में उल्लेखनीय एवं उत्कृष्ट मूल अथवा अनुप्रयुक्त अनुसंधान हेतु प्रदान किया जाता है:**
  - जैविक विज्ञान; रासायनिक विज्ञान; पृथ्वी, वायुमंडल, महासागर और ग्रहीय विज्ञान; इंजीनियरिंग विज्ञान; गणितीय विज्ञान; चिकित्सा विज्ञान और भौतिक विज्ञान।
- **पात्रता**
  - **45 वर्ष की आयु** तक का ऐसा कोई भी भारतीय नागरिक, जो अनुसंधान कार्यों में संलग्न है,
  - भारत में कार्यरत विदेशी भारतीय नागरिक (OCI)[134] और भारतीय मूल के व्यक्ति।
- डॉ शांति स्वरूप भटनागर **वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद (CSIR) के संस्थापक निदेशक थे।** उन्हें **1954 में पद्म विभूषण** से सम्मानित किया गया था।

7.3.28. लूनर कोडेक्स (Lunar Codex)

- लूनर कोडेक्स **157 देशों के 30,000 कलाकारों, लेखकों, संगीतकारों और फिल्म निर्माताओं की समकालीन कला, कविता, पत्रिकाओं, संगीत, फिल्म, पॉडकास्ट तथा पुस्तकों का एक डिजिटल (या लघु) संग्रह** है।
- यह **चंद्रमा पर लॉन्च किए जाने वाले 4 अलग-अलग टाइम कैप्सूल** से बना है।
  - **ओरियन कलेक्शन** (नासा आर्टेमिस 1, ओरियन अंतरिक्ष यान के माध्यम से 2022 में प्रक्षेपित और पृथ्वी पर वापस लौटा),
  - **नोवा कलेक्शन,**
  - **पेरेग्रीन कलेक्शन, तथा**
  - **पोलारिस कलेक्शन।**

[134] Overseas citizen of India

- नासा के **आर्टेमिस/ कमर्शियल लूनर पेलोड सर्विसेज (CLPS) कार्यक्रम** के तहत चंद्रमा पर प्रक्षेपित किया जाएगा।

7.3.29. भू-विजन (कृषि-रास्ता) मंच {Bhu-Vision (Krishi-Rastaa) Platform}

- यह **इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT) पर आधारित एक स्वचालित मृदा परीक्षण और कृषि-विज्ञान सलाहकार मंच** है। यह 12 प्रमुख मानकों पर आधारित मृदा-परीक्षण कर सकता है जैसे- pH मान, विद्युत चालकता आदि।
- यह **मृदा स्वास्थ्य कार्ड में परिणामों का सारांश शीघ्रता से मोबाइल** पर भेज सकता है। यह मृदा में मौजूद **कमियों को जल्द पहचानने** में मदद करेगा।
- **विकासकर्ता:** भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद-भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान (ICAR-IIRR), हैदराबाद और कृषितंत्र (एक कृषि-तकनीक स्टार्ट-अप)।

QUIZ SMART QUIZ	विषय की समझ और अवधारणाओं के स्मरण की अपनी क्षमता के परीक्षण के लिए आप हमारे ओपन टेस्ट ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर **विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी** से संबंधित स्मार्ट क्विज़ का अभ्यास करने हेतु इस QR कोड को स्कैन कर सकते हैं।	

8. संस्कृति (Culture)

8.1. श्री अरबिंदो घोष (Sri Aurobindo Ghosh)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, श्री अरबिंदो की **150वीं जयंती के उपलक्ष्य में वर्ष भर चलने वाले समारोह का पुडुचेरी के ऑरोविले** में समापन हुआ।

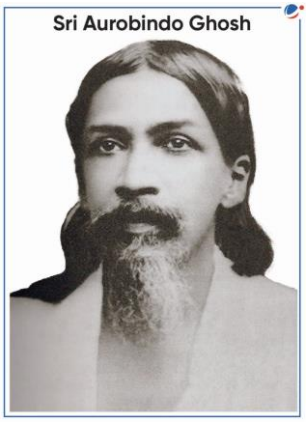

श्री अरबिंदो घोष के बारे में

- वे 20वीं सदी के **बंगाली कवि, दार्शनिक, आध्यात्मिक नेता और क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी** थे।
- **आरंभिक जीवन:**
  - उनका जन्म **15 अगस्त, 1872 को पश्चिम बंगाल के कलकत्ता जिले (अब कोलकाता)** में हुआ था।
  - उनकी प्रारंभिक शिक्षा **दार्जिलिंग के क्रिश्चियन कॉन्वेंट स्कूल** में हुई थी।
  - सात वर्ष की आयु में उन्हें उनके भाइयों के साथ इंग्लैंड भेज दिया गया था।
  - उन्होंने लंदन के **सेंट पॉल स्कूल (1884) और 1890 में कैम्ब्रिज के किंग्स कॉलेज** से शिक्षा प्राप्त की थी।
  - वर्ष 1893 में अरबिंदो भारत लौट आए और **बड़ौदा रियासत की सेवा** में शामिल हो गए। उन्होंने रियासत में पहले एक **नौकरशाह** के रूप में और फिर **बड़ौदा कॉलेज में फ्रेंच भाषा के प्रोफेसर** के रूप में कार्य किया।
- **राष्ट्रीय आंदोलन में भागीदारी:**
  - वे **भारत के गरमपंथी आंदोलन के अग्रदूत थे**। उन्होंने **1902 में अनुशीलन समिति** की स्थापना में मदद की थी।
  - **वर्ष 1905 में बंगाल के विभाजन** के बाद श्री अरबिंदो ने अपनी नौकरी छोड़ दी और सक्रिय रूप से राजनीति में शामिल हो गए।
  - भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सूरत अधिवेशन 1907 में हुआ था, इसे **सूरत विभाजन** के नाम से भी जाना जाता है। इस अधिवेशन के दौरान **वह नरमपंथियों के खिलाफ बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व वाले गरमपंथी समूह में शामिल** हो गए थे।
  - श्री अरबिंदो ने **हिंसा का नहीं, बल्कि निष्क्रिय प्रतिरोध** का समर्थन किया था। हालांकि, उन्होंने स्वतंत्रता प्राप्ति हेतु हिंसा का सहारा लेना गलत नहीं माना था।
  - अरबिंदो को **मई, 1908 में अलीपुर षड्यंत्र कांड** में गिरफ्तार कर लिया गया था।
- **साहित्यिक योगदान:**
  - वर्ष 1893-94 में **इंदु प्रकाश** में उनके द्वारा लिखे गए लेखों को **"न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड"** शीर्षक से प्रकाशित किया गया था। इसमें उन्होंने कांग्रेस की **अति उदारवादी राजनीति की आलोचना** की थी।
  - अरबिंदो ने **मार्च 1906** में बंगाली समाचार पत्र **युगान्तर में, खुले विद्रोह और पूर्ण स्वतंत्रता** का प्रचार किया था।
  - उन्होंने **बिपिन चंद्र पाल** द्वारा स्थापित **बंदे मातरम्** समाचार-पत्र का संपादन भी किया था।
  - वर्ष 1909 में जेल से छूटने के बाद, उन्होंने दो साप्ताहिक पत्रिकाएं शुरू की थीं। इनके नाम थे- **कर्मयोगी (अंग्रेजी समाचार-पत्र)** और **धर्म (बंगाली समाचार-पत्र)।**
  - वर्ष 1914 में उन्होंने एक **दार्शनिक पत्रिका 'आर्य'** का भी प्रकाशन शुरू किया था।
  - कविताओं, पत्रों और निबंधों के रूप में संकलित अन्य कृतियां- **एस्सेज़ ऑन गीता (1922), कलेक्टेड पोयम्स एंड प्लेज़ (1942), द सिंथेसिस ऑफ योगा (1948), द ह्यूमन साइकिल (1949), द आइडियल ऑफ ह्यूमन यूनिटी (1949), सावित्री: ए लीजेंड एंड ए सिंबल (1950) आदि।**
- **आध्यात्मिक योगदान:**
  - अरबिंदो ने **1910 तक भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई थी।** इसके बाद वे एक आध्यात्मिक सुधारक बन गए थे।
  - उन्होंने इसी अवधि में **लाइफ डिवाइन, एसेज ऑन गीता, द सिंथेसिस ऑफ योगा, महाकाव्य 'सावित्री'** आदि जैसी अपनी महत्वपूर्ण कृतियों की रचना की थी।

- उन्होंने **'एकात्म योग' (Integral Yoga) नामक एक योग साधना** का विकास किया था।
  - उनका मानना था कि **एकात्म योग** के माध्यम से **मनुष्य वास्तविक आत्म-बोध की प्राप्ति** कर सकता है।
  - **एकात्म योग का उद्देश्य आध्यात्मिक अनुभूति** है, जो केवल मनुष्य की आत्मा की मुक्ति के लिए ही प्रयास नहीं करती है, बल्कि उसके स्वभाव में भी बदलाव लाती है।
- उन्होंने **आध्यात्मिक साधको के एक समुदाय** की स्थापना की थी। यह बाद (1926) में **मीरा अल्फासा** के सहयोग से **श्री अरबिंदो आश्रम (पुडुचेरी)** के रूप में स्थापित हुआ।
  - मीरा अल्फासा ने **तमिलनाडु में ऑरोविले अर्थात भोर के शहर** की स्थापना की थी। यह एक **शांतिपूर्ण, प्रगतिशील और सामंजस्यपूर्ण अस्तित्व** के लिए निर्मित एक सार्वभौमिक शहर था।

- **अरबिंदो का जीवन संबंधी दर्शन:**
  - उनके अनुसार जीवन **आदर्शवाद, यथार्थवाद, प्रकृतिवाद और व्यावहारिकता** का संश्लेषण है।
  - उनके अनुसार **ज्ञान, भक्ति और कर्म** मनुष्य को दिव्य मार्ग/ पथ पर ले जा सकते हैं।
    - हालांकि, एक मजबूत व्यक्तित्व के लिए **आध्यात्मिकता, रचनात्मकता और बौद्धिकता का संश्लेषण** आवश्यक है।
  - **श्री अरबिंदो मानव द्वारा बनाए गए किसी भी तरह के विभाजन में विश्वास नहीं करते थे।** यहीं कारण है कि उन्होंने राष्ट्रीय चेतना जागृत करने में सामाजिक असमानताओं को एक प्रमुख बाधा माना था।
  - **वे श्री रामानुजाचार्य की शिक्षा से प्रभावित थे**, जिन्होंने बहिष्कृत (Outcast) लोगों को हिंदू धर्म में शामिल करने की बात की थी।

शिक्षा के सिद्धांत

अरबिंदो एक प्रतिष्ठित दार्शनिक और शिक्षाविद् थे। उन्होंने हमारी शैक्षिक प्रणाली को व्यापक रूप से समृद्ध करने के लिए उत्कृष्ट शैक्षिक विचार तैयार किए थे। **उनके निम्नलिखित विचार आज भी प्रासंगिक हैं:**

- **बाल-केंद्रित शिक्षा,** जिसमें बच्चे को अपनी छिपी हुई क्षमता को व्यक्त करने की पूरी स्वतंत्रता मिले।
- **नैतिक और धार्मिक शिक्षा की शुरुआत करना-** इसे सामान्य शिक्षा का अभिन्न अंग बनाना और धार्मिक जीवन के अनुष्ठान के माध्यम से अपनाना।
- **इंद्रियों का प्रशिक्षण,** क्योंकि हम इंद्रियों के जरिए ही ज्ञान का अनुभव करते हैं।
- सार्वभौमिक प्रेम, सहानुभूति, साथी भावना, शांति और अंतर्राष्ट्रीय समझ पर आधारित **अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा।**
- **मनोवैज्ञानिक तरीकों पर बल देना** अर्थात् स्वयं सीखना; व्यावहारिक अनुभव; अभ्यास द्वारा सीखना तथा बच्चे की आयु, क्षमता और अभिवृत्ति के अनुसार पढ़ाना।

राष्ट्र की अवधारणा और आध्यात्मिक राष्ट्रवाद का सिद्धांत

- उनका मानना था कि राष्ट्र केवल **जमीन का टुकड़ा या मनुष्य का समूह** नहीं है।
- 'राष्ट्र' एक महान 'शक्ति' है, जो उन लाखों इकाइयों की सभी 'शक्ति' से बनी है, जो एक राष्ट्र का निर्माण करती हैं। **इस प्रकार यह एक जीवित इकाई है।**
- उनकी राय में राष्ट्रवाद केवल एक **राजनीतिक आंदोलन** नहीं है।
- उनके मतानुसार राष्ट्रवाद **धर्म के समान** है। यह **आस्था और पंथ/ मत है, जिसमें व्यक्ति को जीना** होता है।
- उनके अनुसार **राष्ट्रवाद अमर है,** क्योंकि इसे मनुष्य ने नहीं बनाया है बल्कि ईश्वर ने बनाया है।
- यदि कोई **राष्ट्रवादी** बनना चाहता है, तो **उसे अपने राष्ट्र के लिए कार्य करना होगा।**

8.2. शतरंज विश्व कप 2023 (Chess World Cup 2023)

सुर्ख़ियों में क्यों?

भारतीय ग्रैंडमास्टर **रमेशबाबू प्रज्ञानंद** ने अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ (FIDE)[135] विश्व कप 2023 के फाइनल में **दूसरा स्थान** प्राप्त किया।

[135] International Chess Federation

प्रमुख व्यक्तित्व

परिचय

आर. प्रज्ञानानंद

- इनका जन्म 2005 में चेन्नई, तमिलनाडु में हुआ था।
- उन्होंने **विश्व युवा शतरंज चैम्पियनशिप में 2013 में अंडर–8 खिताब और 2015 में अंडर–10 खिताब** जीता था।
- वह 12 साल, 10 महीने और 13 दिन की आयु में **भारत के सबसे युवा और विश्व के दूसरे सबसे कम उम्र** के ग्रैंडमास्टर (GM) बने।
- 2022 में, **16 साल की उम्र** में, वह तत्कालीन **विश्व चैंपियन मैग्नस कार्लसन को हराने वाले सबसे कम आयु** के खिलाड़ी बन गए।

प्रमुख मूल्य

धैर्य

प्रज्ञानानंद ने अपने किसी भी खेल में धैर्य रखने और निर्णय लेने या चाल चलने में जल्दबाजी नहीं करने की असीम क्षमता प्रदर्शित की है। यह आश्चर्य की बात नहीं है कि **उनके कई मैच घंटों तक चले हैं?**

मानसिक संतुलन

इस उम्र के एक बालक के लिए, जिसने कई उतार–चढ़ाव देखें हों, संयमित आचरण प्रेरणादायक है। **प्रज्ञानानंद न तो जीत का जश्न मनाते हैं और न ही हार का शोक।**

विनम्रता

प्रज्ञानानंद ने कई बार अपने विनम्र स्वभाव का प्रदर्शन किया है। उदाहरण के लिए– **कार्लसन के ख़िलाफ़ ऐतिहासिक जीत के बाद भी वह विनम्र बने रहे।** जीत का जश्न मनाने के बजाय उन्होंने इसे अपने परिवार के साथ निजी तौर पर मनाने का फैसला किया।

अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ (FIDE) विश्व कप के बारे में

- **FIDE विश्व कप 2023:** यह विश्व कप शतरंज की एक प्रमुख प्रतियोगिता है। इसका आयोजन FIDE द्वारा किया जाता है। FIDE शतरंज के खेल का **अंतर्राष्ट्रीय शासी निकाय है।**
- **FIDE कैंडिडेट्स टूर्नामेंट 2024:** यह टूर्नामेंट **8 खिलाड़ियों** के बीच संपन्न होगा, जिन्हें निम्नलिखित तरीके से अलग-अलग **मानदंडों और टूर्नामेंट्स** के माध्यम से चुना जाएगा-
  - **3 प्रतिभागी-** FIDE विश्व कप 2023 के तीन खिलाड़ी- जिन्होंने प्रथम, द्वितीय (प्रज्ञानंद) और तृतीय स्थान प्राप्त किया है।
  - **2 प्रतिभागी-** FIDE ग्रैंड स्विस टूर्नामेंट 2023 के दो खिलाड़ी- जिन्होंने प्रथम और द्वितीय स्थान प्राप्त किया है।
  - **1 प्रतिभागी-** FIDE विश्व चैम्पियनशिप मैच 2023 का उपविजेता।
  - **1 प्रतिभागी-** उच्च स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट (HIT)[136], एक वर्ष (2023) के दौरान सर्वश्रेष्ठ परिणाम देने वाला खिलाड़ी।

अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ
(International Chess Federation: FIDE)
मुख्यालय: लुसाने, स्विट्ज़रलैंड

FIDE के बारे में: यह शतरंज के खेल का गवर्निंग बॉडी है। यह विश्व की **सभी अंतर्राष्ट्रीय शतरंज प्रतियोगिताओं को विनियमित** करता है।

गठन: इसे शुरुआत में 1924 में पेरिस में स्थापित किया गया था। यह शुरुआती अंतर्राष्ट्रीय खेल महासंघों में से एक था।

- इसका गठन एक **गैर–सरकारी संस्था** के रूप में किया गया था। **अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति** ने **1999** में इसे एक **वैश्विक खेल संगठन के रूप में मान्यता दी थी।**

सदस्य: राष्ट्रीय शतरंज संघ के रूप में 199 देश इसके सदस्य हैं। **अखिल भारतीय शतरंज महासंघ** भी इसका सदस्य है।

[136] High-Level International Tournaments

- **1 प्रतिभागी-** जनवरी 2024 की रेटिंग सूची में **मानक रेटिंग के आधार पर उच्चतम रेटिंग वाला खिलाड़ी,** बशर्ते उस खिलाड़ी ने कम-से-कम चार मानक-योग्य टूर्नामेंट खेले हों।

- **FIDE विश्व शतरंज चैंपियनशिप:** यह मैच **मौजूदा चैंपियन और कैंडिडेट्स टूर्नामेंट के विजेता (चैलेंजर) के बीच** आयोजित किया जाता है। यह मैच **वास्तविक विश्व शतरंज चैंपियन** का निर्धारण करता है।
  - मौजूदा चैंपियन चीन के डिंग लिरेन हैं। उन्हें 2024 में होने वाले कैंडिडेट्स टूर्नामेंट के विजेता से चुनौती मिलेगी।

शतरंज के खिताब के बारे में

- **FIDE,** खिलाड़ियों द्वारा प्राप्त की गई रेटिंग के आधार पर उन्हें **सबसे प्रतिष्ठित शतरंज के खिताब से सम्मानित करता है।** एक बार यह खिताब प्राप्त होने पर, **इसका धारण जीवन भर किया जाता है।**
  - शतरंज के खिताब **सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों की क्षमता को प्रदर्शित करते हैं।**
  - शतरंज के खिताब, **कुछ राष्ट्रीय संघों द्वारा प्रदान किए जाते हैं।**

शतरंज के विभिन्न खिताब

खिताब	आवश्यक रेटिंग
ग्रैंडमास्टर (GM)	2300
इंटरनेशनल मास्टर (IM)	2200
FIDE मास्टर (FM)	2100
कैंडिडेट मास्टर (CM)	2000
महिला ग्रैंडमास्टर (WGM)	2100
महिला इंटरनेशनल मास्टर (WIM)	2000
महिला FIDE मास्टर (WFM)	1900
महिला कैंडिडेट मास्टर (WCM)	1800

- **विश्वनाथन आनंद,** पांच बार विश्व चैंपियन रह चुके हैं और ये **भारत के पहले ग्रैंडमास्टर हैं।**
- भारत में अब **लगभग 80 ग्रैंडमास्टर** हैं। **इनमें दो महिलाएं- कोनेरू हंपी और हरिका द्रोणवल्ली** भी शामिल हैं।

निष्कर्ष

रमेशबाबू प्रज्ञानंद, डी. गुकेश, अर्जुन एरिगैसी और निहाल सरीन जैसे युवा खिलाड़ियों ने अपनी पहचान बनाना शुरू किया है, जो **खेल जगत में एक पीढ़ीगत बदलाव का भी संकेत** है। इस तरह के बदलाव से भारत काफी लाभ प्राप्त कर सकता है।

8.3. संक्षिप्त सुर्ख़ियां (News in Shorts)

8.4.1. भौगोलिक संकेतक (GI) टैग {Geographical Indication (GI) Tags}

- हाल ही में, चेन्नई में स्थित भौगोलिक संकेतक रजिस्ट्री ने विविध उत्पादों को भौगोलिक संकेतक (GI) टैग प्रदान किए हैं।

GI टैग उत्पाद	विवरण
उदयपुर कोफ्तगारी धातु शिल्प (राजस्थान)	• कोफ्तगारी **सजावटी हथियार बनाने** की एक प्राचीन कला है। • इस कला में संपूर्ण डिज़ाइन मुख्य रूप से **तार** द्वारा तैयार किया जाता है। • इसमें **सोने या चांदी की तारों का उपयोग करके गहरे रंग की धातु पर हल्की धातु की जड़ाई द्वारा हथियार की सतहों को अलंकृत** किया जाता है।
बीकानेर कशीदाकारी शिल्प (राजस्थान)	• यह एक प्रकार की **सिलाई कला** है। इसके तहत **सूत, रेशम या मखमल** पर कांच जड़ाई का कार्य किया जाता है। इस कला में निर्मित उत्पादों को विवाह आदि में उपहार के रूप में दिया जाता है। • **पारंपरिक रूप से बीकानेर और आस-पास के जिलों में मेघवाल समुदाय** के बुनकर इस कला का निष्पादन करते हैं।
जोधपुर बंधेज शिल्प (राजस्थान)	• यह राजस्थान की एक बंधनी (tying and dyeing) **वस्त्र कला** है। • इसके तहत **मलमल, रेशम और वॉयल** कपड़ों को **सूती धागे** के जरिए बांधा जाता है तथा फिर उन पर रंगाई का काम किया जाता है।

बीकानेर उस्ता कला शिल्प (राजस्थान)	• यह **स्वर्ण नक्काशी या स्वर्ण मनौती** कला है। • यह नक्काशी **दीवारों, छतों, कांच, लकड़ी, संगमरमर और ऊँट के चमड़े से बनी कलाकृतियों** पर की जाती है। • सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाले रूपांकन **पत्ते, पशु और पक्षी** हैं। • इस कला का नाम **उस्ता/ उस्ताद (मास्टर) कारीगरों के नाम** पर रखा गया है, जिन्होंने इसे विकसित किया था।
मनकुराड आम (गोवा)	• यह **गोवा की मुख्य पारंपरिक फल फसल** है। पुर्तगालियों ने इसका नाम **मैलकोराडो** रखा था, जिसका अर्थ है 'खराब रंग का'। • मनकुराड में **समान पीला रंग, कम फाइबर और शर्करा की संतुलित मात्रा** होती है।
गोवा बेबिन्का (गोवा)	• इसे **गोवा में क्वीन ऑफ डेजर्ट (मिठाइयों की रानी) के रूप** में भी जाना जाता है। • यह एक प्रकार की **पुडिंग है और एक पारंपरिक इंडो-पुर्तगाली** मिठाई है।
जलेसर धातु शिल्प (उत्तर प्रदेश)	• इसमें **ठठेरा समुदाय द्वारा निर्मित सजावटी धातु शिल्प और पीतल के शिल्प** (जैसे घुंघरू, घंटियाँ आदि) शामिल हैं। • **ठठेरा समुदाय, जो हथुरास नामक मोहल्ले** में रहता है इन उत्पादों को बनाता है।
मट्टी केला (कन्याकुमारी, तमिलनाडु)	• मट्टी केले को आमतौर पर **'बेबी बनाना'** के नाम से जाना जाता है। यह अपनी **अनूठी सुगंध और शहद जैसे स्वाद** के लिए विख्यात है। • इसका **कम कुल घुलनशील सॉलिड्स कंटेंट (TSSC) इसे एक अच्छा शिशु आहार** बनाता है। • मट्टी केले के गुच्छे अन्य सामान्य केलों के गुच्छों की तरह सीधे-सीधे कतार में नहीं होते हैं, बल्कि ये हल्के से घुमावदार रूप में होते हैं।

8.4.2. मायलारा पंथ (Mylara Cult)

- हाल ही में, **कर्नाटक** में पाई गई मूर्तियों से राज्य में मायलारा पंथ के अस्तित्व की पुष्टि होती है।
  - इस पंथ को मानने वाले **मायलारा नामक एक लोक देवता** की उपासना करते हैं, जिसे **भगवान शिव का अवतार** माना जाता है।
  - मूर्तियों में इस देवता को **अक्सर बैठे हुए, खड़े हुए या घोड़े पर सवार** के रूप में दर्शाया गया है। साथ ही, उन्हें आम तौर पर **तलवार, त्रिशूल, डमरू और एक पात्र धारण** किए हुए दिखाया गया है।
  - इस पंथ को मानने वाले **कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु** में निवास करते हैं।

8.4.3. सीताकली लोक कला (Seethakali Folk Art)

- सीताकली **सदियों पुरानी लोक कला है**। माना जाता है कि इसकी उत्पत्ति **केरल के कोल्लम जिले के पेरिनाड** में हुई थी।
- इसका निष्पादन **फसल कटाई उत्सव ओणम के हिस्से** के रूप में किया जाता है।
- यह कला **रामायण महाकाव्य से लिए गए कुछ प्रसंगों पर आधारित** है। इस कला के प्रदर्शन के दौरान **राम, सीता, रावण और हनुमान** जैसे चरित्रों को दर्शाया जाता है।
  - यह कला **गीतों, कहानियों और लयबद्ध शारीरिक गतिविधियों का मिश्रण** है।
  - प्रदर्शन के दौरान उपयोग की जाने वाली सभी **रंगमंच सामग्री और वाद्ययंत्र बांस व ताड़ के पत्तों से बने** होते हैं।
  - जीवंत रंगों के **परिधान व प्रसाधन** का उपयोग किया जाता है।

8.4.4. राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, 2023 (National Film Awards, 2023)

- हाल ही में, **69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों** के विजेताओं की घोषणा की गई है।
- **राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के बारे में**
  - इसे पहली बार **1954** में प्रदान किया गया था। **शुरुआत में इसे 'राज्य पुरस्कार'** कहा जाता था और यह **क्षेत्रीय भाषाओं की फिल्मों** के लिए दिए जाता था।
  - इस पुरस्कार का उद्देश्य **सौंदर्यात्मक और तकनीकी उत्कृष्टता एवं सामाजिक प्रासंगिकता** वाली फिल्मों के निर्माण को प्रोत्साहित करना है।
  - **पुरस्कार भारत के राष्ट्रपति प्रदान करते हैं।**
  - **पुरस्कार की श्रेणियां:** फीचर, नॉन-फीचर और सिनेमा पर सर्वश्रेष्ठ लेखन।

QUIZ **SMART QUIZ**	विषय की समझ और अवधारणाओं के स्मरण की अपनी क्षमता के परीक्षण के लिए आप हमारे ओपन टेस्ट ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर **संस्कृति** से संबंधित स्मार्ट क्विज़ का अभ्यास करने हेतु इस QR कोड को स्कैन कर सकते हैं।	

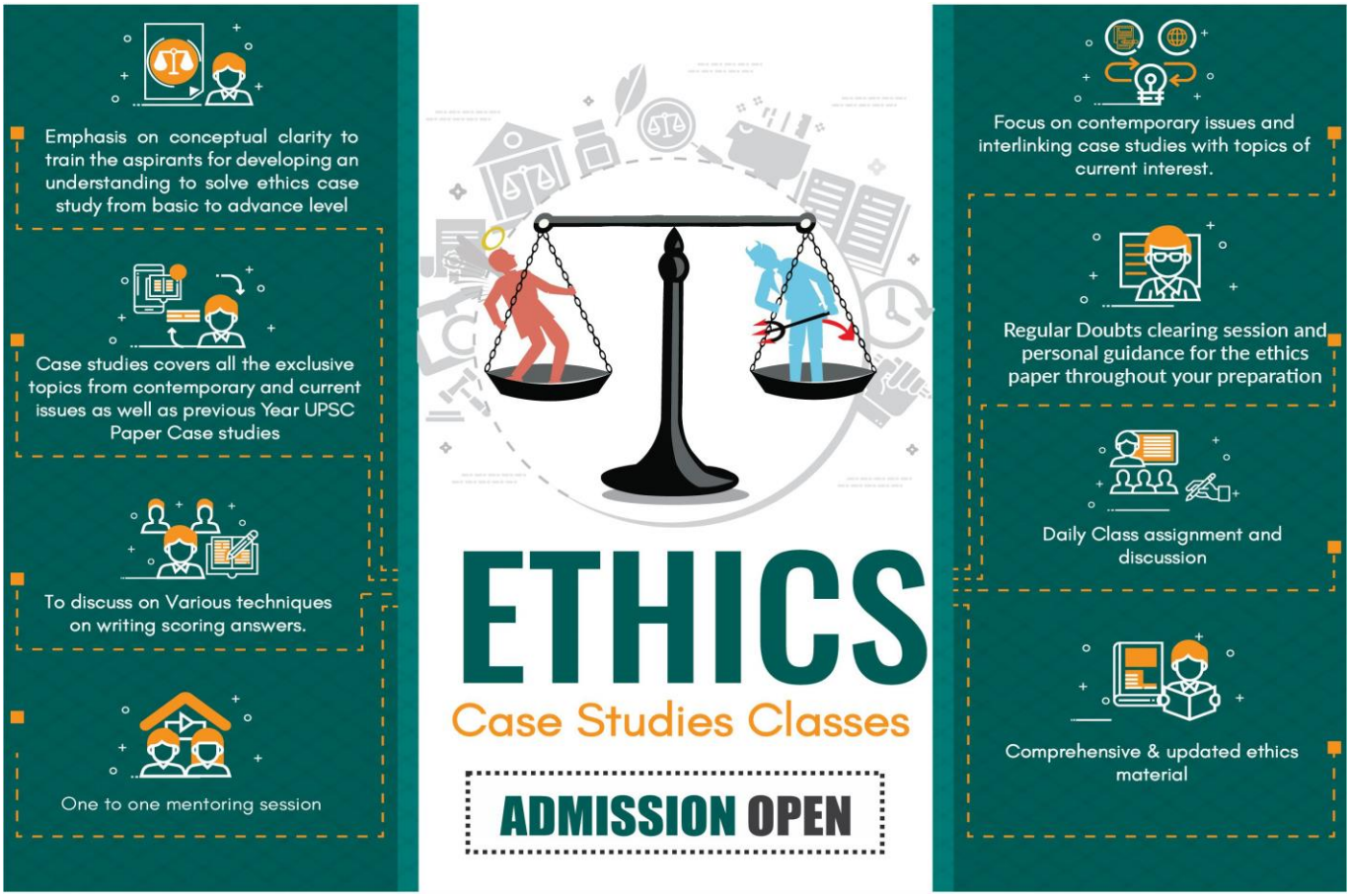

9. नीतिशास्त्र (Ethics)

9.1. मीडिया एथिक्स और स्व-नियमन (Media Ethics and Self-Regulation)

परिचय

हाल ही में, सुप्रीम कोर्ट ने **समाचार प्रसारण और डिजिटल मानक प्राधिकरण (NBSA)**[137] द्वारा स्थापित **स्व-नियामक तंत्र की अप्रभाविता** पर चिंता व्यक्त की है। यह मीडिया एथिक्स (नैतिकता) के उल्लंघन में हो रही बढ़ोतरी के मद्देनजर आधुनिक युग में मीडिया द्वारा नैतिकता के अनुपालन संबंधी महत्त्व को उजागर करता है।

मीडिया एथिक्स क्या है?

मीडिया एथिक्स या मीडिया नैतिकता वस्तुतः सही या गलत, अच्छे या बुरे, स्वीकार्य या अस्वीकार्य जैसे प्रश्नों से संबंधित है। यह उन साधनों और तरीकों को भी संदर्भित करती है जिनकी मदद से मीडिया जानकारी और सूचनाएं एकत्र करता है और उन्हें प्रस्तुत करता है।

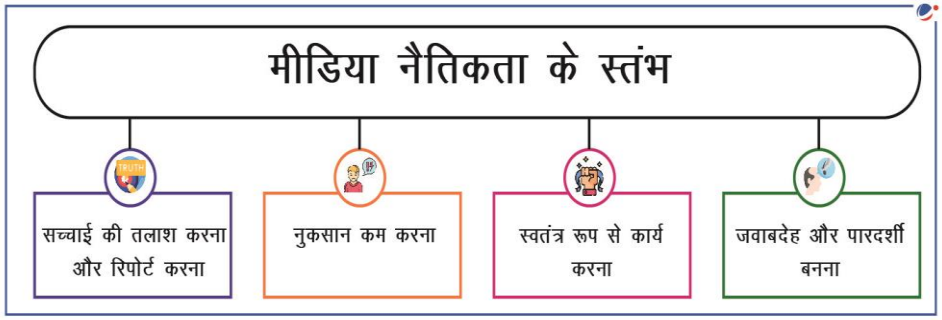

मीडिया एथिक्स के सिद्धांत

- **स्वर्णिम मध्य मार्ग सिद्धांत (Golden mean theory):** अरस्तू द्वारा प्रतिपादित स्वर्णिम मध्य मार्ग सिद्धांत दो अतिवादी दृष्टिकोणों के बीच की अवस्था अर्थात् नैतिक सद्गुण पर जोर देता है। मीडिया एथिक्स में, इस सिद्धांत का उपयोग **किसी संवेदनशील न्यूज़-आर्टिकल से नाम को हटाने या अपराध के शिकार लोगों की पहचान को गोपनीय बनाए रखने** के लिए किया जा सकता है।
  - पत्रकार इस सिद्धांत का उपयोग यह निर्धारित करने के लिए भी कर सकता है कि किसी तथ्य/ सूचना को प्रकाशित/ प्रसारित किया जाए अथवा नहीं। यह सिद्धांत उन्हें अत्यधिक नैतिक और अत्यधिक तटस्थता के बीच संतुलन बनाए रखने का अवसर प्रदान करता है।
- **क्षति न्यूनीकरण का सिद्धांत (Harm Limitation Principle):** यह सिद्धांत निर्दिष्ट करता है कि पत्रकारों और संवाददाताओं को आम जनता के समक्ष किसी मुद्दे की रिपोर्टिंग करने के दौरान, उक्त मुद्दे को **अत्यधिक संवेदनशीलता** के साथ प्रस्तुत करना चाहिए। साथ ही, ऐसे मुद्दों की रिपोर्टिंग इस प्रकार करनी चाहिए कि इससे **लोगों के कुछ समूहों को नुकसान न पहुंचे।**
- **उपयोगितावाद का सिद्धांत:** इस सिद्धांत का तर्क है कि लोगों को **उच्चतम कल्याण** को प्राथमिकता देनी चाहिए। हालांकि उपयोगितावाद का उपयोग कुछ व्यक्तियों की गोपनीयता के प्रकटीकरण को उचित ठहराने के लिए भी किया जा सकता है। ऐसा विशेषकर तब किया जा सकता है जब आम जनता तक सूचनाओं/ जानकारी को पहुंचाना आवश्यक हो।
- **कर्तव्यात्मक नीतिशास्त्र/ डीओन्टोलॉजी:** यह उचित कार्रवाई निर्धारित करने के एक साधन के रूप में किसी व्यक्ति के कर्तव्य पर जोर देता है।
  - यह मीडिया के लिए एक बहुत ही प्रासंगिक अवधारणा है, क्योंकि **मीडिया का यह कर्तव्य है कि वह ऐसी जानकारी प्रदान करके जनता की सेवा करे** जो निष्पक्ष हो और जो **ज्ञान और तर्क को बढ़ावा** देती हो।

मीडिया एथिक्स से संबंधित प्रमुख हितधारक	उनके हित
मीडिया अभिकर्ता	• मीडिया एथिक्स के माध्यम से प्रत्येक पत्रकारों द्वारा सत्यनिष्ठा, व्यावसायिकता, गोपनीयता और निष्पक्षता के सिद्धांतों के अनुपालन को सुनिश्चित किया जाना चाहिए।
सरकार	• मीडिया एथिक्स जीवन के **सार्वभौमिक सम्मान और विधि के शासन तथा वैधानिकता** इत्यादि जैसे मूल्यों को बढ़ावा देती है और उनका अनुरक्षण करती है।
सामान्य जन	• ऐसी जानकारी प्रदान करके जनता की सेवा करना जो **निष्पक्ष** हो और जो **ज्ञान और तर्क** को बढ़ावा देती हो।

[137] News Broadcasting and Digital Standards Authority

पुलिस	• मीडिया को पुलिस के साथ सहयोगात्मक रूप से कार्य करना चाहिए और उन्हें सहायता प्रदान करनी चाहिए। साथ ही, जब अपराधियों को न्याय के कटघरे में लाया जाता है तो मीडिया को इसकी सराहना करनी चाहिए। ○ प्रेस को भी जनता की आंख और कान के रूप में कार्य करते हुए पुलिस को जवाबदेह बनाने की दिशा में काम करना चाहिए।

मीडिया एथिक्स के उल्लंघन के उदाहरण

- स्व-नियामक तंत्र की अप्रभाविता के कारण **मीडिया एथिक्स से जुड़ी उल्लंघन** की घटनाओं में वृद्धि हुई है। इनसे जुड़े कुछ उदाहरणों को नीचे उल्लिखित किया गया हैं:
  - **मीडिया ट्रायल:** इसने स्वतंत्र और निष्पक्ष ट्रायल (सुनवाई) की अवधारणा को कमजोर किया है।
  - **बोरवेल में गिरने की घटना पर मीडिया का प्रस्तुतीकरण:** यह एक उदाहरण है जो 'समाचार/ तथ्यों की रिपोर्टिंग' की जगह 'समाचार को तोड़ मरोड़ कर पेश करने' में मीडिया की भूमिका को उजागर करता है। यह एक पांच वर्षीय बच्चे का मामला था जो गलती से एक खुले बोरवेल में गिर गया था।
  - **आरुषि-हेमराज हत्याकांड:** इस मामले को मीडिया ने जिस तरह से कवर किया था, उससे दर्शकों और पाठकों को आकर्षित करने के लिए अपराध की कहानियों को सनसनीखेज बनाने के मीडिया प्रयासों पर बहस छिड़ गई।
  - **कठुआ रेप केस:** इस मामले में कई मीडिया हाउसेस द्वारा पीड़िता की पहचान और तस्वीरों को उजागर कर दिया गया था। साथ ही, मामले के प्रति आवश्यक संवेदनशीलता को भी अनदेखा किया गया था।
  - **निजता का उल्लंघन:** निजता के उल्लंघन से बॉलीवुड सितारों से लेकर क्रिकेटर और राजनेता तक पीड़ित हैं। उदाहरण के लिए- पापराज़ी।

मीडिया के स्व-नियमन के पीछे तर्क

मीडिया विनियमन के विभिन्न मॉडलों जैसे कि राज्य नियंत्रण, वैधानिक विनियमन इत्यादि में से स्व-नियमन को अधिक महत्त्व दिया जाता है। हालांकि भारत में, **NBSA और ब्रॉडकास्टिंग कंटेंट कंप्लेंट काउंसिल** जैसे संगठनों को क्रमशः टेलीविजन समाचार और मनोरंजन के लिए **आंतरिक स्व-नियामक तंत्र के रूप में स्थापित** किया गया है।

- **मीडिया की स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है:** स्व-नियमन मीडिया की स्वतंत्र कार्यप्रणाली को सुनिश्चित करने में मदद करता है।
  - यह मीडिया के साथ-साथ इसके **विभिन्न हितधारकों और दर्शकों** के हित के लिए महत्वपूर्ण है।
- **दक्षता लाता है:** सरकारी एजेंसी की तुलना में मीडिया प्रतिभागियों के पास विषय का **बेहतर ज्ञान** होता है।
  - हालांकि उचित नियम विकसित करने और नियमों का उल्लंघन हुआ है या नहीं, इसके निर्धारण के लिए **तकनीकी ज्ञान** की जरुरत पड़ती है।
- **अनुपालन के लिए अधिक प्रोत्साहन प्रदान करता है:** यदि नियम मीडिया द्वारा विकसित किए जाते हैं, तो उद्योग प्रतिभागियों द्वारा उन्हें उचित माने जाने की संभावना अत्यधिक बढ़ जाती है।

क्यों भारत में प्रभावी मीडिया एथिक्स की आवश्यकता सर्वोपरि होती जा रही है?

- **हितों का टकराव:** निष्पक्षता मीडिया एथिक्स के स्तंभों में से एक है। हालांकि, उस समय दुविधा उत्पन्न होती है जब किसी पत्रकार को ऐसे व्यक्ति की कहानी को कवर करने का जिम्मा सौंपा जाता है जिसके साथ उसके मौजूदा व्यक्तिगत संबंध हैं।
- **गोपनीयता और सत्यनिष्ठा:** इसको लेकर गंभीर नैतिक चिंताएं व्यक्त की गई हैं, क्योंकि कई बार पत्रकारों ने निजी जीवन में किसी व्यक्ति के व्यक्तिगत आचरण से संबंधित तथ्यों पर आधारित विशेष कहानियों को कवर किया है।
- **पूर्वाग्रह और व्यक्तिपरकता:** खबरों को अक्सर एक विशेष शैली और पूर्वाग्रह में रिपोर्ट किया जाता है, जिससे न्यूज़ मीडिया के इरादों और उद्देश्यों पर संदेह उत्पन्न होने लगता है।
- **उभरती दुविधाएं:** बड़ी कॉर्पोरेट कंपनियों द्वारा क्रॉस-मीडिया स्वामित्व धारण की प्रक्रिया के चलते जोखिमपूर्ण स्थितियों की उत्पत्ति में बढ़ोतरी हुई है।
  - **विनियमन को मीडिया पर छोड़ने से** यह संभावना उत्पन्न हो सकती है कि वह नियामक उद्देश्यों को अपने स्वयं के व्यावसायिक लक्ष्यों के अनुरूप प्रयोग कर सकता है।
- **स्व-नियामक तंत्र की अप्रभाविता:** इसके पीछे निम्नलिखित कारण उत्तरदायी हैं:
  - **मीडिया और बाज़ार का दबाव:** राजस्व बढ़ाने की व्यावसायिक अनिवार्यताओं ने **पत्रकारिता की उत्कृष्टता** पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है और यह अभी भी नकारात्मक प्रभाव पैदा कर रहा है।

- **अपर्याप्त जुर्माना:** मौजूदा 1 लाख रुपये की जुर्माना राशि अप्रभावी साबित हुई है क्योंकि यह जुर्माना दोषी चैनल द्वारा संबंधित शो से अर्जित किये जाने वाले लाभ के अनुपात में बहुत कम है।
- **पत्रकारिता संबंधी नैतिकता का अभाव:** यह अभाव अक्सर **गलत समाचार प्रसारित** किये जाने की स्थिति में देखा/महसूस किया गया है।

आगे की राह

शासन में **लोगों की भागीदारी भूमिका को सशक्त बनाने संबंधी मीडिया के कर्तव्य** और इसकी व्यापक शक्ति के दुरुपयोग को रोकने वाले **उचित प्रतिबंधों** के बीच संतुलन को बनाए रखने के लिए प्रसारण मीडिया में **स्व-नियमन, एक सर्वोत्तम विकल्प साबित** हो सकता है।

- एक **सार्वभौमिक आचार संहिता** को लागू किया जाना चाहिए जो पत्रकारों के लिए निम्नलिखित दिशा-निर्देशों को निर्धारित करती हो:
  - अपने काम/ खबरों की सटीकता की **जिम्मेदारी लेना।**
  - दृश्य जानकारी सहित **कभी भी जानबूझकर तथ्यों या संदर्भ को विकृत न करना।**
  - **सार्वजनिक मामलों और सरकार पर निगरानी** बनाए रखने वाले के रूप में सेवा संबंधी अपने विशेष दायित्व की पहचान करना।
  - सत्य की खोज में पूर्वाग्रह को दूर करने के लिए **वस्तुनिष्ठता** को एक आवश्यक तकनीक के रूप में अपनाना।
- **मीडिया प्रशिक्षण की आवश्यकता** पर जोर दिया जाना चाहिए। इसे मीडिया प्रतिष्ठानों द्वारा पत्रकारिता पाठ्यक्रमों के हिस्से के रूप में शुरू किया जा सकता है। यह वर्तमान समय की मांग है कि पत्रकार अपने **दर्शकों की संवेदनशीलता के प्रति जागरूक बने।**
- मीडिया की **स्व-नियमन प्रणाली** को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए।
- **हचिन्स आयोग की रिपोर्ट** में **प्रेस की स्वतंत्रता** का समर्थन किया गया और **स्व-नियमन** को अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। साथ ही, इसमें कहा गया है कि **सरकारी हस्तक्षेप का उपयोग अंतिम उपाय के रूप में** किया जाना चाहिए।
- **जुर्माने का निर्धारण** गलती करने वाले चैनल द्वारा **अर्जित लाभ के अनुपात में किया जाना** चाहिए। इसे ठीक वैसे ही किया जाना चाहिए जैसा कि हाल ही में **सुप्रीम कोर्ट ने सुझाया** है।

10. सुर्ख़ियों में रही योजनाएं (Schemes in News)

10.1. डिजिटल इंडिया कार्यक्रम (Digital India Programme)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, सरकार ने पांच साल (वित्त वर्ष 2021-22 से 2025-26 तक) की अवधि के लिए डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के विस्तार हेतु 14,903 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है।

उद्देश्य	मुख्य विशेषताएं
• **भारत को डिजिटल रूप से एक सशक्त समाज तथा ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था में परिवर्तित करना।** • **डिजिटल पहुंच, डिजिटल समावेशन तथा डिजिटल सशक्तीकरण सुनिश्चित करना** और डिजिटल विभाजन को समाप्त करना। • यह सुनिश्चित करना कि **नागरिकों को सरकारी सेवाएं डिजिटल रूप में उपलब्ध हों।**	• **इसे नागरिकों को अलग-अलग सरकारी सेवाएं डिजिटल रूप में उपलब्ध करवाने के लिए 2015 में आरंभ किया गया था।** • **डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत** परिवर्तन को साकार करने के लिए प्रौद्योगिकी को केंद्र में रखा गया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य भारत को ज्ञान आधारित भविष्य के लिए तैयार करना है। • यह एक **अम्ब्रेला कार्यक्रम** है जिसके अंतर्गत **अलग-अलग केंद्रीय मंत्रालयों/ विभागों तथा राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों (UTs) की कई परियोजनाएं सम्मिलित** हैं। ○ डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न मिशन मोड एवं अन्य परियोजनाओं के कार्यान्वयन की जिम्मेदारी समग्र रूप से संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों/ विभागों एवं राज्य सरकारों की है। ○ इस कार्यक्रम को **इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय** के समग्र समन्वय के तहत **लागू किया जा रहा** है। • **डिजिटल इंडिया हेतु कार्यक्रम प्रबंधन संरचना** में शामिल हैं: ○ प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में डिजिटल इंडिया पर एक निगरानी समिति, ○ इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री की अध्यक्षता में एक डिजिटल इंडिया सलाहकार समूह, और ○ कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में एक शीर्ष समिति। • **यह विजन तीन प्रमुख क्षेत्रों पर केंद्रित है:** ○ **प्रत्येक नागरिक के लिए मुख्य उपयोगिता के रूप में डिजिटल अवसंरचना** ▪ एक कोर उपयोगिता के रूप में **हाई-स्पीड इंटरनेट** उपलब्ध कराना, ▪ **जीवन से मृत्यु तक डिजिटल पहचान -** विशिष्ट, आजीवन, ऑनलाइन, प्रामाणिक ▪ डिजिटल और वित्तीय क्षेत्रक में भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए **मोबाइल फोन और बैंक खाता,** ▪ कॉमन सर्विस सेंटर तक **आसान पहुंच,** ▪ पब्लिक क्लाउड पर **साझा करने योग्य निजी जगह,** ▪ देश में **सुरक्षित और विश्वसनीय साइबर-स्पेस** ○ **मांग पर शासन और सेवाएं**

	▪ विभागों या अधिकार क्षेत्रों में **निर्बाध रूप से एकीकृत सेवाएं** ▪ ऑनलाइन एवं मोबाइल प्लेटफॉर्म के जरिए **रियल-टाइम में सेवाएं उपलब्ध कराना** ▪ सभी नागरिक अधिकार **क्लाउड पर उपलब्ध** होंगे ▪ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सुधार के लिए **सेवाओं को डिजिटल रूप से रूपांतरित** करना ▪ वित्तीय लेन-देन को **डिजिटल एवं कैशलेस बनाना** ▪ निर्णय समर्थन प्रणाली और विकास के लिए **भू-स्थानिक सूचना प्रणाली (GIS) का लाभ उठाना** ○ **नागरिकों का डिजिटल सशक्तीकरण** ▪ **सार्वभौमिक डिजिटल साक्षरता** ▪ **सार्वभौमिक रूप से सुलभ डिजिटल संसाधन** ▪ सभी दस्तावेज/ प्रमाण-पत्र क्लाउड पर उपलब्ध होंगे ▪ **भारतीय भाषाओं में सभी डिजिटल संसाधनों/ सेवाओं की उपलब्धता** ▪ सहभागी शासन के लिए **सहयोगात्मक डिजिटल प्लेटफॉर्म** ▪ क्लाउड के माध्यम से **सभी पात्रताओं की सुवाह्यता (पोर्टेबिलिटी)** • **कुछ प्रमुख पहलें:** आधार, कॉमन सर्विस सेंटर (CSCs), डिजी लॉकर, डिजी सेवक, भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड, CERT-In, इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT) के लिए उत्कृष्टता केंद्र, साइबर स्वच्छता केंद्र आदि। • **शुरू की गई कुछ नई पहलें:** ○ **फ्यूचर स्किल्स प्राइम प्रोग्राम** के तहत 6.25 लाख **प्रौद्योगिकी पेशेवरों** को री-स्किल्ड और अप-स्किल्ड किया जाएगा। ○ **राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटर मिशन** के तहत 9 और सुपर कंप्यूटर शामिल किए जाएंगे। ○ **आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस** सक्षम **बहु-भाषा अनुवाद उपकरण भाषिणी** को सभी 22 अनुसूची और 8 भाषाओं में शुरू किया जाएगा। वर्तमान में यह 10 भाषाओं में उपलब्ध है। ○ **राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क (NKN) का आधुनिकीकरण** किया जाएगा। इसमें 1,787 शिक्षण संस्थानों को जोड़ा जाएगा। ○ **स्वास्थ्य, कृषि और संधारणीय शहरों की आवश्यकताओं पर आधारित तीन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उत्कृष्टता केंद्र** स्थापित किए जाएंगे।

10.2. स्वामित्व योजना (Svamitva Scheme)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, स्वामित्व योजना को नागरिक केंद्रित सेवाएं प्रदान करने हेतु उभरती प्रौद्योगिकियों के इस्तेमाल के लिए ई-गवर्नेंस 2023 राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया।

- स्वामित्व/ SVAMITVA का पूरा नाम है- ग्रामीण क्षेत्रों में उन्नत प्रौद्योगिकी द्वारा ग्रामीण आबादी का सर्वेक्षण और मानचित्रण (**S**urvey of **V**illages **A**badi and **M**apping with **I**mprovised **T**echnology in **V**illage **A**reas)।

उद्देश्य	मुख्य विशेषताएं
• ग्रामीण क्षेत्रों के लिए योजना बनाने हेतु **भूमि का सटीक रिकॉर्ड तैयार करना** एवं **संपत्ति से जुड़े विवाद को कम करना।** • ग्रामीणों **को** ऋण एवं अन्य वित्तीय लाभ उठाने के लिए उनकी संपत्ति को वित्तीय परिसंपत्ति के रूप में उपयोग करने में समर्थ बनाकर **वित्तीय स्थायित्व सुनिश्चित करना।** • **संपत्ति कर का निर्धारण करना।** यह कर राज्यों में प्रत्यक्ष रूप	• यह **पंचायती राज मंत्रालय द्वारा संचालित एक 'केंद्रीय क्षेत्रक योजना'** है। औपचारिक रूप से इस **योजना की शुरुआत 2021 में** हुई थी। • इसका उद्देश्य **ग्रामीण भारत के लिए एकीकृत, आबादी-परिसंपत्ति स्वामित्व समाधान** प्रदान करना है। ○ इस योजना का लक्ष्य **ग्रामीण परिवारों के मुखिया** को संपत्ति कार्ड/ स्वामित्व दस्तावेज के रूप में **'अधिकार अभिलेख (Record of rights)'**

से उन ग्राम पंचायतों को प्राप्त होगा जहां इसे हस्तांतरित किया गया है या फिर, इसे राज्य के खजाने में जमा किया जाएगा। • **सर्वेक्षण के लिए अवसंरचना** और **भौगोलिक सूचना प्रणाली (GIS)**[138] मानचित्रों का निर्माण करना, जिनका उपयोग किसी भी विभाग द्वारा किया जा सकता है। • GIS मानचित्रों का उपयोग करके **बेहतर गुणवत्ता वाली ग्राम पंचायत विकास योजना (GPDP)**[139] **तैयार करने में सहायता करना।**	प्रदान करना है। ▪ 'अधिकार अभिलेख' एक कानूनी दस्तावेज है। यह भूखंड और उसके स्वामित्व के बारे में विवरण देता है। • योजना का लक्ष्य **वित्तीय वर्ष 2020-21 से वित्तीय वर्ष 2024-25 तक 6.62 लाख गांवों** को कवर करना है। • **वित्तीय परिव्यय:** पांच वर्ष अर्थात् 2020-25 की अवधि के लिए 566 करोड़ रुपये। • **योजना के अंतर्गत शामिल प्रमुख गतिविधियां:** ○ **ड्रोन का उपयोग करके बड़े पैमाने पर मानचित्रण करना:** भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा ड्रोन सर्वेक्षण तकनीक के द्वारा ग्रामीण आबादी वाले क्षेत्रों का मानचित्रण किया जाएगा। ▪ योजना के तहत जियो-रेफरेन्स का उपयोग करके मानचित्र **तैयार किया जा रहा है।** यह ग्रामीण आबादी वाले क्षेत्रों में संपत्तियों की **डिजिटल तस्वीरों को कैप्चर करने में सहायक होगा।** ▪ बनाए गए मानचित्रों के आधार पर संपत्ति कार्ड बनाने और उनका वितरण करने का दायित्व **संबंधित राज्य सरकार पर** है। ○ **निरंतर संचालित रेफरेन्स स्टेशन (CORS)**[140] **की स्थापना:** CORS नेटवर्क सटीक जियो-रेफरेंसिंग, भू-सत्यापन और भूमि सीमांकन के लिए महत्वपूर्ण है। ○ **स्वामित्व डैशबोर्ड:** यह एक केंद्रीकृत ऑनलाइन निगरानी और रिपोर्टिंग डैशबोर्ड है, जो स्वामित्व योजना के कार्यान्वयन की रियल टाइम प्रगति की निगरानी करता है। ○ **डिजिलॉकर ऐप:** लाभार्थी डिजिलॉकर ऐप के जरिए संपत्ति कार्ड देख सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं। ○ **ग्राम-मानचित्र (Gram Manchitra): स्थानिक नियोजन एप्लीकेशन 'ग्राम मानचित्र' एवं केंद्रीय अवसंरचना** के विकास के लिए राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र **(NIC)**[141] को धनराशि आवंटित की गई है। ○ योजना के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए **सूचना, शिक्षा और संचार (IEC)**[142] **गतिविधियां** शुरू की गई हैं। ○ राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर कार्यक्रम प्रबंधन इकाई की स्थापना की गई है।

[138] Geographic Information System

[139] Gram Panchayat Development Plan

[140] Continuous Operating Reference Station

[141] National Informatics Centre

[142] Information, Education, and Communication

परिशिष्ट 1: भारतनेट (Appendix 1: Bharatnet)

भारतनेट

- **मंत्रालय:** संचार मंत्रालय
- **उद्देश्य:** डिजिटल इंडिया के विज़न को साकार करने के लिए देश की सभी ग्राम पंचायतों (लगभग 2.6 लाख) को 100 Mbps **बैंडविड्थ की ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान** करना।

पृष्ठभूमि

भारतनेट–चरण– 1

- वर्ष 2011 में, **नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क (NOFN,** अब भारतनेट) का सृजन किया गया। यह प्रखंड मुख्यालयों (BHQs) को **ग्राम पंचायतों (GPs)** से जोड़ने पर केंद्रित था।

भारतनेट–चरण– 2

- इसकी शुरुआत **2017** में हुई थी। यह ग्राम पंचायतों को जोड़ने के लिए **मीडिया के दक्ष माध्यम** (OFC, रेडियो और **सैटेलाइट**) प्रदान करता है।
- कई कार्यान्वयन मॉडल, जैसे– **राज्य–आधारित मॉडल, निजी क्षेत्रक मॉडल और CPSU मॉडल।**

तीन चरण

- **इसे तीन चरणों में लागू किया जा रहा है (2025 तक लागू किया जाएगा)।**
  - **चरण 1:** भारतनेट के पहले चरण के तहत 1.23 लाख ग्राम पंचायतों में से लगभग 1.22 लाख ग्राम पंचायतों को ब्रॉडबैंड सेवा के लिए तैयार किया गया था।
  - **चरण 2:** 1.44 लाख निर्धारित ग्राम पंचायतों में से **71,000 से अधिक** ग्राम पंचायतों को ब्रॉडबैंड सेवा के लिए तैयार कर दिया गया है।
  - **चरण 3:** अत्याधुनिक, भविष्य के लिए तैयार **नेटवर्क।**

क्रियान्वयन एजेंसी

- भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क (2022 में BSNL में विलय)

लाभ

- इस परियोजना के जरिए ग्रामीण भारत में **ई–गवर्नेंस, ई–स्वास्थ्य, ई–शिक्षा, ई–बैंकिंग, सार्वजनिक इंटरनेट एक्सेसए** G2C, B2B, P2P, B2C आदि सुगम होंगे। साथ ही, मौसम, कृषि और अन्य संबंधी सेवाएं भी प्राप्त होंगी।

सैटेलाइट कनेक्टिविटी

- भारतनेट परियोजना के तहत जीसैट–11 और जीसैट–19 के जरिए लगभग 6,700 दुर्गम ग्राम पंचायतों/ क्षेत्रों को कनेक्टिविटी प्रदान की जा जाएगी। गौरतलब है कि इन क्षेत्रों का किसी अन्य माध्यम से जुड़ाव नहीं रहा है।

अन्य

- **राष्ट्रीय महत्त्व की परियोजना:** यह नेटवर्क एक **राष्ट्रीय संपत्ति** बना रहेगा। इसके संचालन और रख–रखाव का काम राज्यों द्वारा किया जा सकता है।
- **निजी क्षेत्र का लाभ उठाना:** संचालन, रख–रखाव, उपयोग और राजस्व सृजन के लिए PPP मॉडल।

उपलब्धि

- इस परियोजना के तहत लगभग **1.94 लाख गांवों को जोड़ा** गया है।
- अब **ब्रॉडबैंड/ इंटरनेट सेवाओं के लिए** निर्मित अवसंरचना के इस्तेमाल पर बल दिया जा रहा है। **वाई–फाई हॉटस्पॉट, फाइबर टू द होम (FTTH) कनेक्शन आदि की सहायता** से इसका लाभ उठाया जाएगा।

परिशिष्ट 2: आयुष्मान भारत - प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना (AB-PMJAY) {Appendix 2: Ayushman Bharat - Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana (AB-PMJAY)}

आयुष्मान भारत – प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (AB-PMJAY)

- **मंत्रालय:** स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
- **उद्देश्य:** अस्पताल में इलाज के दौरान गरीब और कमजोर समूहों पर पड़ने वाले वित्तीय बोझ को कम करना। साथ ही, गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं तक उनकी पहुंच सुनिश्चित करना।

प्रमुख विशेषताएं

विशेषताएं	विवरण

आयुष्मान भारत योजना का एक घटक	• आयुष्मान भारत **केंद्र सरकार की एक स्वास्थ्य योजना** है। इसमें **प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक स्तर की स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं को कवर किया गया है।**
	• PM-JAY तथा स्वास्थ्य और आरोग्य केंद्र (**हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर: HWC**) की स्थापना आयुष्मान भारत के दो परस्पर संबंधित घटक हैं।
	  ➢ HWCs घटक के तहत, व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल (CPHC) प्रदान करने के लिए प्राथमिक **स्वास्थ्य केंद्रों** (**PHC**)/**उप–केंद्रों** (**SCS**) को रूपांतरित करके HWCs की स्थापना की जा रही है।
	  ➢ इसे **राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन** (**NHM**) के तहत वित्त–पोषित किया जाता है।

लाभार्थी	• **सामाजिक–आर्थिक जातिगत जनगणना 2011 (SECC–2011) के 'अभाव' और 'व्यावसायिक' मानदंडों के माध्यम** से क्रमशः ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के परिवारों की पहचान की गई है। • इसके अलावा, ऐसे परिवार भी इसके लाभार्थी हैं, जो **राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (RSBY)** में शामिल थे, लेकिन SECC–2011 डेटाबेस का हिस्सा नहीं थे।
लाभ	द्वितीयक और तृतीयक स्तर की स्वास्थ्य देखभाल हेतु अस्पताल में भर्ती होने पर प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रुपये की कैशलेस इलाज की सुविधा मिलती है। यह सेवा **सार्वजनिक और निजी EHCP** पर उपलब्ध होगी। पहले से मौजूद सभी शर्तें पहले दिन से लागू होती हैं। सभी लाभ पूरे देश में पोर्टेबल होंगे। परिवार के आकार और आयु पर किसी तरह की सीमा नहीं। तकनीकी रूप से संचालित, कैशलेस और पेपरलेस लेनदेन संभव।
अन्य लाभ	• दवाओं, फॉलो–अप परामर्श और निदान सहित **अस्पताल में भर्ती होने से पहले के तीन दिनों और अस्पताल में भर्ती होने के बाद के 15 दिनों के खर्चों को कवर** किया गया है। • अप्रैल 2020 के बाद से कोविड–19 के रोगियों के उपचार को भी कवर किया गया।
क्रियान्वयन के 3 तरीके	• **बीमा:** पॉलिसी की अवधि के लिए प्रत्येक पात्र परिवार हेतु राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण (SHA) द्वारा सीधे बीमा कंपनियों को बीमा प्रीमियम का भुगतान किया जाता है। • **विश्वास:** SHA सीधे स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं को उनके खर्चों का भुगतान करता है। • **मिश्रित:** उपर्युक्त दोनों का मिश्रण।

क्रियान्वयन एजेंसी	➤ **केंद्रः** राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (NHA) द्वारा, जो कि एक स्वायत्त निकाय है। इसकी अध्यक्षता **केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (MoHFW)** द्वारा की जाती है। ➤ **राज्यः** राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण (SHA), जिसका नेतृत्व राज्य सरकार द्वारा नियुक्त CEO करता है। ➤ **जिलाः** जिला कार्यान्वयन इकाई (DIU), जिसकी अध्यक्षता जिले का DC / DM / कलेक्टर करता है।
पारदर्शिता एवं जवाबदेही	➤ **लाभार्थियों के सत्यापन के 4 तरीकेः** आधार की सहायता से e-KYC, फिंगरप्रिंट, आइरिस स्कैन और फेस–ऑथेंटिकेशन। ➤ NHA द्वारा जारी की गई व्हिसिल–ब्लोअर नीति। ➤ राज्यों में औचक निरीक्षण करने, जुर्माना लगाने, पैनल से हटाने आदि हेतु **धोखाधड़ी–रोधी प्रकोष्ठ (Anti-fraud Cells)।**
फंडिंग पैटर्न (केंद्रःराज्य)	➤ **90:10**– पूर्वोत्तर राज्यों, दो हिमालयी राज्यों (हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड) और जम्मू एवं कश्मीर हेतु ➤ **60:40**– अन्य सभी राज्यों हेतु

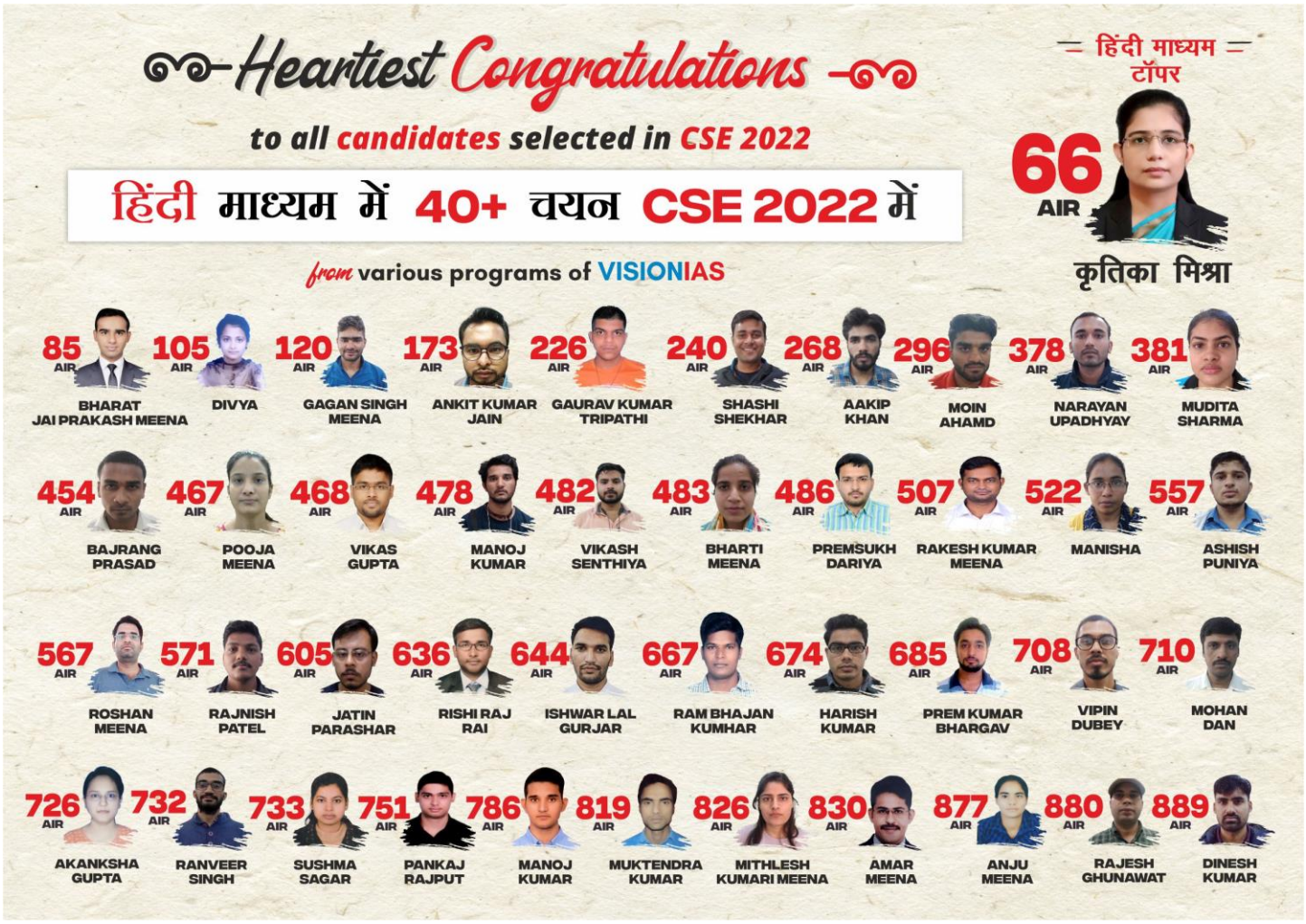

सुर्ख़ियों में रहे स्थलः भारत

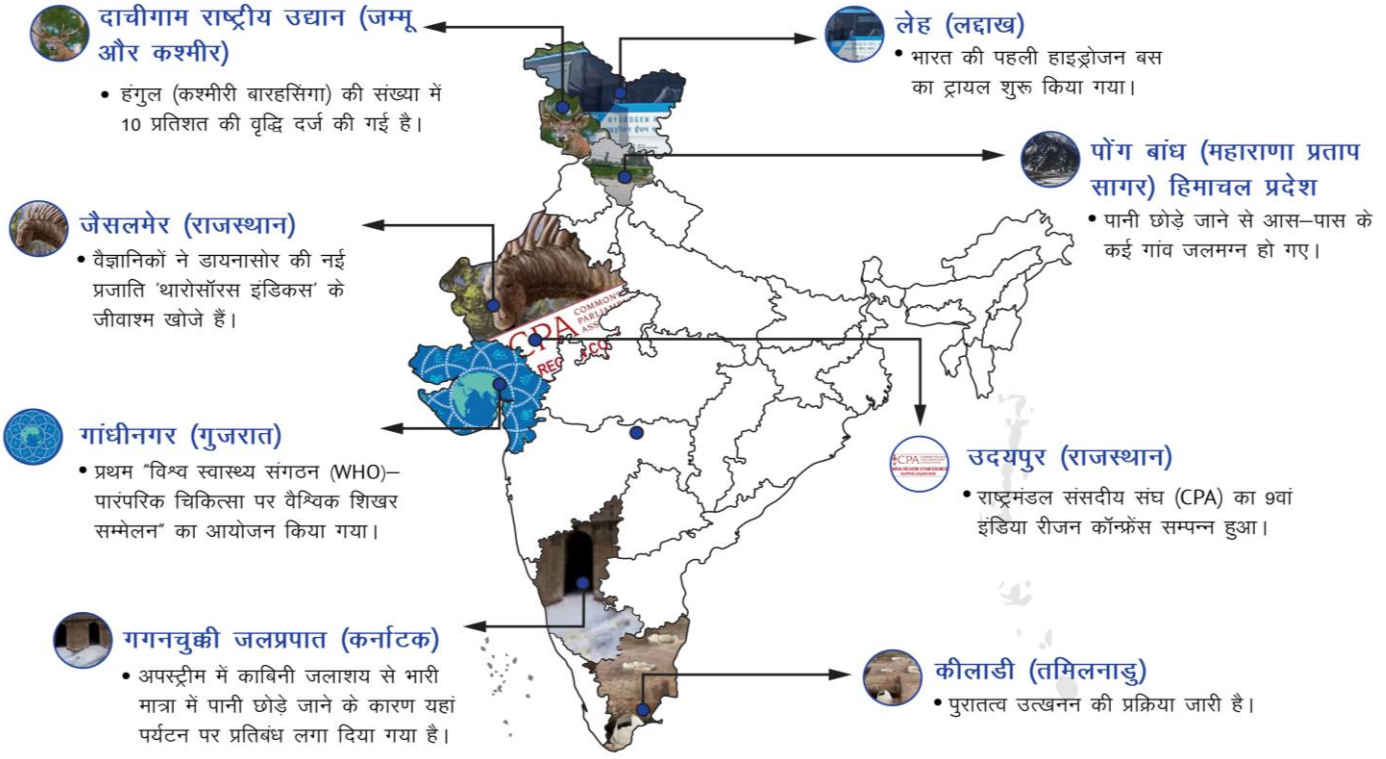

दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान (जम्मू और कश्मीर)
- हंगुल (कश्मीरी बारहसिंगा) की संख्या में 10 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है।

लेह (लद्दाख)
- भारत की पहली हाइड्रोजन बस का ट्रायल शुरू किया गया।

पोंग बांध (महाराणा प्रताप सागर) हिमाचल प्रदेश
- पानी छोड़े जाने से आस–पास के कई गांव जलमग्न हो गए।

जैसलमेर (राजस्थान)
- वैज्ञानिकों ने डायनासोर की नई प्रजाति 'थारोसॉरस इंडिकस' के जीवाश्म खोजे हैं।

गांधीनगर (गुजरात)
- प्रथम "विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO)–पारंपरिक चिकित्सा पर वैश्विक शिखर सम्मेलन" का आयोजन किया गया।

उदयपुर (राजस्थान)
- राष्ट्रमंडल संसदीय संघ (CPA) का 9वां इंडिया रीजन कॉन्फ्रेंस सम्पन्न हुआ।

गगनचुक्की जलप्रपात (कर्नाटक)
- अपस्ट्रीम में काबिनी जलाशय से भारी मात्रा में पानी छोड़े जाने के कारण यहां पर्यटन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।

कीलाडी (तमिलनाडु)
- पुरातत्व उत्खनन की प्रक्रिया जारी है।

सुर्ख़ियों में रहे स्थलः विश्व

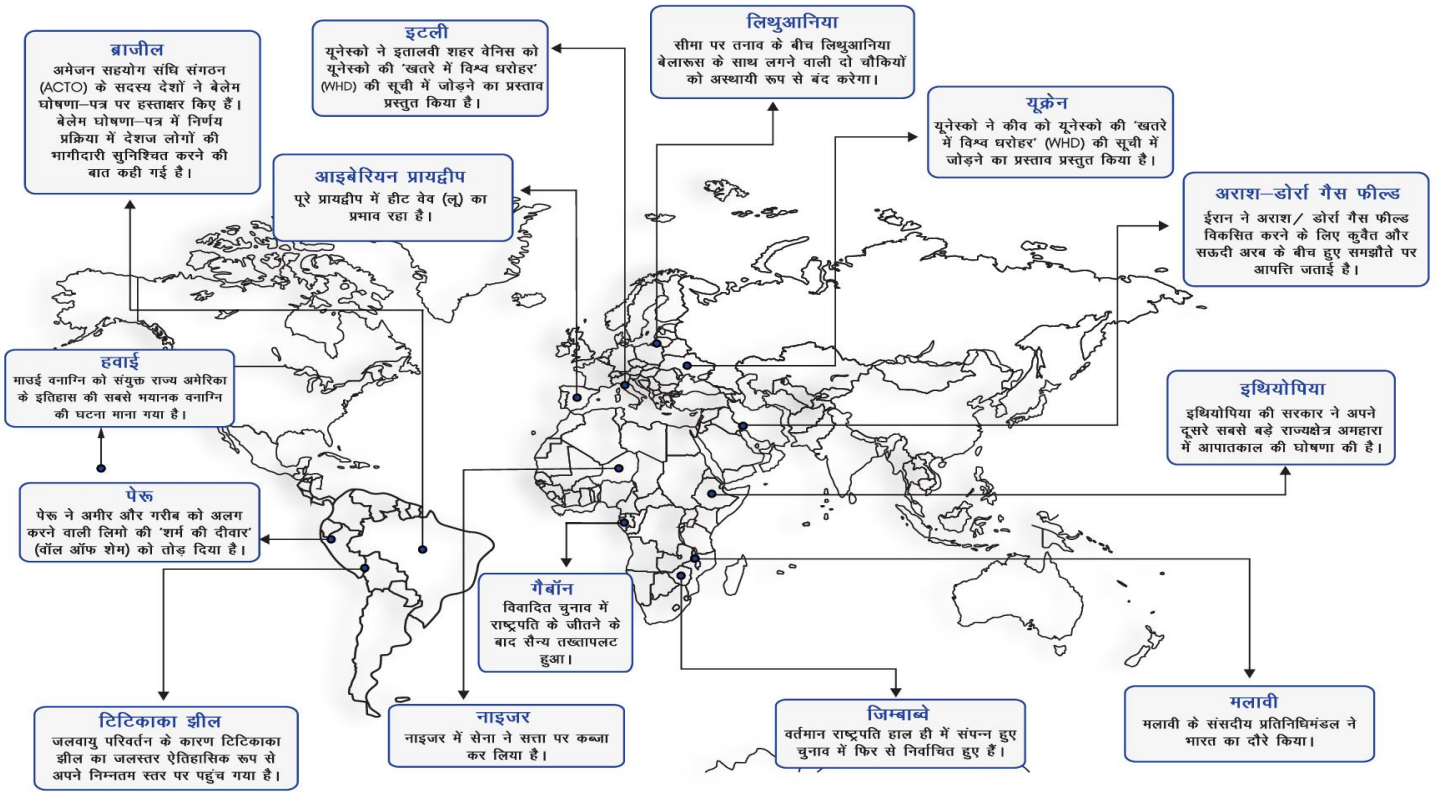

ब्राजील
अमेजन सहयोग संधि संगठन (ACTO) के सदस्य देशों ने बेलेम घोषणा–पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। बेलेम घोषणा–पत्र में निर्णय प्रक्रिया में देशज लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने की बात कही गई है।

इटली
यूनेस्को ने इतालवी शहर वेनिस को यूनेस्को की 'खतरे में विश्व धरोहर' (WHD) की सूची में जोड़ने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है।

लिथुआनिया
सीमा पर तनाव के बीच लिथुआनिया बेलारूस के साथ लगने वाली दो चौकियों को अस्थायी रूप से बंद करेगा।

यूक्रेन
यूनेस्को ने कीव को यूनेस्को की 'खतरे में विश्व धरोहर' (WHD) की सूची में जोड़ने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है।

आइबेरियन प्रायद्वीप
पूरे प्रायद्वीप में हीट वेव (लू) का प्रभाव रहा है।

अराश–डोर्रा गैस फील्ड
ईरान ने अराश/ डोर्रा गैस फील्ड विकसित करने के लिए कुवैत और सऊदी अरब के बीच हुए समझौते पर आपत्ति जताई है।

हवाई
माउई वनाग्नि को संयुक्त राज्य अमेरिका के इतिहास की सबसे भयानक वनाग्नि की घटना माना गया है।

इथियोपिया
इथियोपिया की सरकार ने अपने दूसरे सबसे बड़े राज्यक्षेत्र अमहारा में आपातकाल की घोषणा की है।

पेरू
पेरू ने अमीर और गरीब को अलग करने वाली लिमो की 'शर्म की दीवार' (वॉल ऑफ शेम) को तोड़ दिया है।

गैबॉन
विवादित चुनाव में राष्ट्रपति के जीतने के बाद सैन्य तख्तापलट हुआ।

टिटिकाका झील
जलवायु परिवर्तन के कारण टिटिकाका झील का जलस्तर ऐतिहासिक रूप से अपने निम्नतम स्तर पर पहुंच गया है।

नाइजर
नाइजर में सेना ने सत्ता पर कब्जा कर लिया है।

जिम्बाब्वे
वर्तमान राष्ट्रपति हाल ही में संपन्न हुए चुनाव में फिर से निर्वाचित हुए हैं।

मलावी
मलावी के संसदीय प्रतिनिधिमंडल ने भारत का दौरे किया।

सुर्ख़ियों में रहे व्यक्तित्व

व्यक्तित्व	विवरण	प्रदर्शित नैतिक मूल्य
 संत रविदास	• वे **15वीं शताब्दी** के एक **महान कवि, दार्शनिक और समाज सुधारक** थे। • **योगदानः** ▸ उत्तर भारत में **भक्ति आंदोलन** के एक प्रमुख संत थे। ▸ **बेगमपुरा शहर** की कल्पना उन्होंने एक ऐसे शहर के रूप में की थी, **जिसमें कोई दुखी न हो** तथा वह शांति और मानवता से भरपूर हो। ▸ उन्होंने **छुआछूत की प्रथा के खिलाफ कार्य किया था** और **हिंदू–मुस्लिम एकता का भी समर्थन** किया था। ▸ उनके **पद, भक्ति गीत और अन्य लेखों का गुरु ग्रंथ साहिब में संकलन** किया गया है। ▸ उन्हें **मीरा बाई का आध्यात्मिक गुरु** माना जाता है।	**सामाजिक न्याय** • सामाजिक संरचना के निचले स्तर पर रहने वाले लोगों की गंभीर परिस्थितियों से व्यथित होकर, उन्होंने आध्यात्मिक और सामाजिक आलोचना के माध्यम से जातिगत बाधाओं को समाप्त करने के लिए अपना जीवन समर्पित करने का फैसला किया।
 प्रफुल्ल चंद्र राय	• 2 अगस्त 2023 को **पी. सी. राय की 162वीं जयंती** मनाई गई। • **योगदान** ▸ उन्हें **"भारतीय रसायन विज्ञान के जनक"** के रूप में जाना जाता है। उन्हें **"कम्पेनियन ऑफ इंडियन एम्पायर"** की **शाही उपाधि** से सम्मानित किया गया, और फिर **1919 में नाइटहुड** से सम्मानित किया गया। ▸ वह 1920 में **इंडियन साइंस कांग्रेस एसोसिएशन** (ISCA) **के पहले अध्यक्ष** बने। ▸ 1896 में पी. सी. राय ने **मर्क्यूरस नाइट्राइट** नामक पीले क्रिस्टलीय स्थिर यौगिक की खोज की थी। ▸ 1901 में, उन्होंने **भारत की पहली दवा कंपनी, बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स** की स्थापना की।	**वैज्ञानिक सोच** • पी. सी. राय ने रसायन विज्ञान में अपने गहन शोध और निरंतर खोज के माध्यम से उद्देश्यपरक विश्लेषण का प्रदर्शन किया।
 अवनींद्रनाथ टैगोर	• भारत में **अवनींद्रनाथ टैगोर की 152वीं जयंती** मनाई गई। • **योगदानः** ▸ टैगोर को चित्रकला में **स्वदेशी मर्म का समावेश** करने के लिए जाना जाता है। ▸ उन्होंने **'इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट'** और **'बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट'** की स्थापना की थी। ▸ उन्होंने चित्रकला की **मुगल और राजपूत शैलियों** का आधुनिकीकरण किया था। ▸ उनके चित्रों में **जापानी 'वॉश' शैली, चीनी स्याही चित्रकला, अंग्रेजी प्री–राफेलाइट और आर्ट–नोव्यू प्रवृत्तियों** का मिश्रण प्रतिबिंबित होता है। • **प्रसिद्ध पेंटिंगः 'अरेबियन नाइट्स', गणेश जननी, भारत माता, द विक्ट्री ऑफ बुद्धा आदि।** • **पुस्तकें**: 'बुड़ो अंगला', 'खिरर पुतुल', 'राज काहिनी' आदि।	**नेतृत्व क्षमता और रचनात्मक भावना** • वह अपनी पेंटिंग्स के लिए अंतर्राष्ट्रीय पहचान हासिल करने वाले पहले भारतीय कलाकार के रूप में उभरे। • उन्होंने पारंपरिक भारतीय कला का आधुनिकीकरण किया और चित्रकला की नई भारतीय शैली विकसित की।
 सुभद्रा कुमारी चौहान	• वह एक प्रसिद्ध **भारतीय कवयित्री और स्वतंत्रता सेनानी** थीं। • **योगदानः** ▸ वर्ष 1921 में वह महात्मा गांधी के **असहयोग आंदोलन** में शामिल हो गई थीं। ▸ वह **नागपुर में गिरफ्तारी देने वाली पहली महिला सत्याग्रही थीं। ब्रिटिश शासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन** में शामिल होने के कारण उन्हें **1923 और 1942** में दो बार जेल भेजा गया था। • **प्रसिद्ध कृतियां**: झाँसी की रानी, वीरों का कैसा हो बसंत, राखी की चुनौती, विदा आदि। ▸ उन्होंने अपनी साहित्यिक भाषा के रूप में **हिंदी की खड़ी बोली** को चुना था। ▸ उनका लेखन भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान **भारतीय महिलाओं द्वारा सामना की गई कठिनाइयों** पर केंद्रित था।	**देशभक्ति और उत्साह** • उनके व्यापक लेखन के माध्यम से, उनकी कविताओं ने स्वतंत्रता संग्राम के बारे में जागरूकता पैदा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। • उन्होंने विभिन्न स्वतंत्रता संग्राम आंदोलनों में भाग लेकर देश के प्रति समर्पण का प्रदर्शन किया।

 मेजर ध्यानचंद	• **29 अगस्त को भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस** मनाया गया। यह दिवस हॉकी के दिग्गज खिलाड़ी **मेजर ध्यानचंद की जयंती के उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष** मनाया जाता है। • **योगदानः** ▸ वे **फील्ड हॉकी के प्रसिद्ध भारतीय खिलाड़ी** थे। ▸ उन्होंने 1928 के ओलंपिक में भारतीय टीम की जीत में प्रमुख योगदान दिया था। इस प्रतियोगिता में भारत ने **हॉकी में अपना पहला स्वर्ण पदक जीता** था। ▸ **वर्ष 1934 में उन्हें भारतीय टीम का कप्तान बनाया गया था।** ▸ वर्ष 1956 में उन्हें **पद्म भूषण से सम्मानित** किया गया था।	**उत्कृष्टता और निपुणता** • हॉकी के खेल के दौरान बॉल और गोल स्कोरिंग पर उनका नियंत्रण जादुई और अविश्वसनीय माना जाता था। • लगभग दो दशकों तक खेलों में उनका दबदबा कायम रहा। ध्यानचंद की प्रतिभा की बराबरी करने वाला कोई दूसरा खिलाड़ी कहीं नहीं उभरा।
 कैल्यामपुडी राधाकृष्णन (सी.आर.) राव	• प्रसिद्ध सांख्यिकीविद **सी. आर. राव** का निधन हो गया है। • **योगदान** ▸ उन्होंने कई **मौलिक सांख्यिकीय अवधारणाओं को प्रस्तुत** दिया। इनमें **क्रैमर–राव इनिक्वेलिटी और राव–ब्लैकवेलाइजेशन थिअरम, इनफार्मेशन ज्योमेट्री तथा फिशर–राव मेट्रिक** शामिल हैं। ▸ उन्होंने **'जनसंख्या नियंत्रण के लिए सांख्यिकी और जनसांख्यिकी एवं संचार समिति'** के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया था। • **कृतियांः** स्टैटिक्स एंड ट्रुथः पुटिंग चांस टू वर्क आदि। • उन्हें **1969 में पद्म भूषण और 2001 में पद्म विभूषण** से सम्मानित किया गया था।	**पेशेवर प्रवृत्ति और कर्तव्य के प्रति समर्पण** • सांख्यिकीय अवधारणाओं में उनका अभूतपूर्व योगदान और प्रतिष्ठित पुरस्कारों से उनका सम्मान, सांख्यिकी के क्षेत्र में उनकी पेशेवर उत्कृष्टता का प्रतीक है। • प्रमुख समितियों के अध्यक्ष के रूप में उनकी सेवा विषय की उन्नति के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता और समर्पण को दर्शाती है।
 बिंदेश्वर पाठक	• हाल ही में प्रचारक और समाज सुधारक बिंदेश्वर पाठक (1943–2023) का 80 वर्ष की आयु में निधन हो गया। • **योगदानः** ▸ उन्होंने भारत में **सार्वजनिक शौचालय प्रणाली शुरू करने के लिए 1970 में सुलभ अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक सेवा संगठन की स्थापना** की। ▸ 2012 में, उन्होंने **वृन्दावन की विधवाओं के कल्याण की दिशा में काम करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर एक परोपकारी मिशन** शुरू किया। ▸ वह **भारतीय रेलवे के स्वच्छ रेल मिशन के ब्रांड एंबेसडर** थे। • **पुरस्कारः पद्म भूषण** (1991), पर्यावरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय सेंट फ्रांसिस पुरस्कार (1992), **स्टॉकहोम जल पुरस्कार** (2009), लोक प्रशासन, शिक्षा और प्रबंधन में उत्कृष्टता के लिए **लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय पुरस्कार** (2017)	**सामाजिक उत्तरदायित्व और करुणा** • सार्वजनिक स्वच्छता को बनाए रखने के लिए उनके द्वारा सुलभ इंटरनेशनल की स्थापना महत्वपूर्ण सामाजिक चुनौतियों का समाधान करने और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

Copyright © by Vision IAS

All rights are reserved. No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without prior permission of Vision IAS.

वीकली फोकस

प्रत्येक सप्ताह एक मुद्दे का समग्र कवरेज

मुद्दे	विवरण	अन्य जानकारी
लैंगिक और जनन स्वास्थ्यः सभी के लिए वास्तविकता	सभी व्यक्तियों को अपने शरीर पर नियंत्रण संबंधी निर्णय लेने और उससे जुड़े अधिकार का समर्थन करने वाली सेवाओं तक पहुंच का अधिकार है। यह डॉक्यूमेंट व्यक्तिगत सशक्तीकरण, लैंगिक समानता और सामाजिक प्रगति के उत्प्रेरक के रूप में लैंगिक और जनन स्वास्थ्य की क्षमता का विश्लेषण करता है। यह लैंगिक और जनन स्वास्थ्य सेवाओं व अधिकारों तक सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करने के तरीके भी सुझाता है।	
संवैधानिक लोकाचार IV: स्वाधीनता और स्वतंत्रता	भारत के लोकतांत्रिक ताने–बाने की विविधतापूर्ण छवि में, नागरिक स्वाधीनता और स्वतंत्रता के सिद्धांत सिर्फ संवैधानिक गारंटी नहीं हैं, बल्कि इसकी बहुलवादी पहचान का सार भी हैं। यह डॉक्यूमेंट भारतीय लोकतंत्र के इन प्रमुख स्तंभों के गहन महत्त्व, संवैधानिक आधार और समकालीन चुनौतियों को उजागर करता है।	
वैश्विक मूल्य श्रृंखलाएं (GVCs): भारत के लिए संभावनाएं और चुनौतियां	पिछले 40 वर्षों में, वैश्विक मूल्य श्रृंखलाएं (GVCs) उत्पादन के प्रमुख प्रतिमानों के रूप में उभरी हैं, जो वैश्वीकरण के चरित्र और गति को नया आकार दे रही हैं। यह डॉक्यूमेंट आधुनिक अर्थव्यवस्थाओं को संचालित करने वाली वस्तुओं, सेवाओं, डेटा और विचारों के परस्पर संबद्ध वैश्विक प्रवाह की जटिल संरचना की पड़ताल करता है। यह GVCs के कारण व्यवसायों और राष्ट्रों के समक्ष पैदा होने वाली चुनौतियों और अवसरों पर प्रकाश डालता है।	
फ्यूचर ऑफ वर्कः बदलते परिदृश्य और उभरते रुझानों के साथ तालमेल बिठाना	सतत नवाचार और तकनीकी प्रगति के इस युग में, फ्यूचर ऑफ वर्क अत्यंत महत्वपूर्ण विषय बनकर उभरा है। यह डॉक्यूमेंट उन चुनौतियों, अवसरों और परिवर्तनकारी शक्तियों का विश्लेषण करता है जो रोजगार के परिवेश को आकार देंगी तथा भविष्य के कार्यबल को तैयार करने के लिए अंतर्दृष्टि प्रदान करेंगी।	
भारत में कृषि संबंधी प्रौद्योगिकीः हरित भविष्य के लिए नवाचार	प्रौद्योगिकी तेजी से भारत में कृषि को नया आकार दे रही है, निवेश के अवसर पैदा कर रही है, ग्रामीण क्षेत्रों का उत्थान कर रही है और विश्व का पालन–पोषण कर रही है। यह डॉक्यूमेंट नवीन कृषि पद्धतियों, मशीनरी और डिजिटल उपकरणों के विकास और उनके अंगीकरण पर प्रकाश डालता है एवं तकनीक संचालित भारतीय कृषि के भविष्य पर एक दृष्टिकोण प्रदान करता है।	

VISIONIAS
INSPIRING INNOVATION

अपनी तैयारी से जुड़े रहिए सोशल मीडिया पर फॉलो करें

/c/VisionIASdelhi

/VisionIAS_UPSC

/vision_ias

/Vision_IAS

/visionias.upsc

www.visionias.in

Heartiest

Congratulations

to all Successful Candidates

39 in Top 50 Selections in CSE 2022

1 AIR
ISHITA KISHORE

2 AIR
GARIMA LOHIA

3 AIR
UMA HARATHI N

हिंदी माध्यम में 40+ चयन CSE 2022 में

= हिंदी माध्यम टॉपर =

66 AIR
KRITIKA MISHRA

85 AIR
BHARAT JAI PRAKASH MEENA

105 AIR
DIVYA

120 AIR
GAGAN SINGH MEENA

173 AIR
ANKIT KUMAR JAIN

8 in Top 10 Selections in CSE 2021

2 AIR
ANKITA AGARWAL

3 AIR
GAMINI SINGLA

4 AIR
AISHWARYA VERMA

5 AIR
UTKARSH DWIVEDI

6 AIR
YAKSH CHAUDHARY

7 AIR
SAMYAK S JAIN

8 AIR
ISHITA RATHI

9 AIR
PREETAM KUMAR

1 AIR
SHUBHAM KUMAR
CIVIL SERVICES EXAMINATION 2020

DELHI

HEAD OFFICE
Apsara Arcade, 1/8-B, 1st Floor, Near Gate 6, Karol Bagh Metro Station

Mukharjee Nagar
Plot No. 857, Ground Floor, Mukherjee Nagar, Opposite Punjab & Sindh Bank, Mukherjee Nagar, New Delhi – 110009

For Detailed Enquiry,
Please Call: +91 8468022022, +91 9019066066

ENQUIRY@VISIONIAS.IN /VISION_IAS WWW.VISIONIAS.IN /C/VISIIONIASDELHI VISION_IAS /VISIONIAS_UPSC

अहमदाबाद भोपाल चंडीगढ़ गुवाहाटी हैदराबाद जयपुर जोधपुर लखनऊ प्रयागराज पुणे राँची सीकर